खण्ड-380, अंक-2
सोमवार, 1 आषाढ़, शक संवत् 1909
(22 जून, 1987 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 380 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नों को निलम्बित करके मेरठ में हुए दंगे के बारे में चर्चा कराए जाने का अनुरोध	2–3
प्रश्नोत्तर	3–106
मुरादाबाद के भू0पू0 विधायक श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई के निधन की सूचना ..	106–107
रामसनेही घाट, बाराबंकी में भीषण अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को राहत दिए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण इलाहाबाद द्वारा की गयी नियुक्तियों में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107
मुस्लिम समुदाय की 'गौरिया' जाति को जातियों की सूची में उचित स्थान पर रखने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
बस्ती जनपद के उत्तरांचल में लगे नलकूपों को सक्रिय कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
आजमगढ़ में दोहरी घाट पम्प नहर की गड़बड़ी से प्रभावित किसानों की लगान की वसूली की माफी तथा क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108–109
कस्बा अहिरीपुर, जनपद इटावा में पानी की टंकी के निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
थाना क्षेत्र खदौली (आगरा) निवासी श्री छिंगामल स्वर्णकार की पुलिस हिरासत में मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109–110
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	110–113
औचित्य के प्रश्नों को स्थगित किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	113–123
नियमों को निलम्बित करते हुए मेरठ की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा तथा कार्यसूची की मद संख्या 3 से 27 बाद में लिए जाने का प्रस्ताव ..	123–124
मेरठ में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	125–151
वित्तीय वर्ष 1981–82 के अतिरिक्त अनुदान	151
वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किए जाने के सम्बन्ध में सूचना	151
उत्तर प्रदेश महिला संस्था एवं बाल संस्था (नियन्त्रण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रशासकीय बोर्ड में निर्वाचन सम्पन्न किए जाने हेतु कार्यक्रम के निर्धारण की सूचना	151–152
श्री राज बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना ..	152
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव ..	152–153
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	153
वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण	153–167
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (सदन के पटल पर रखा गया)	167

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (सदन के पटल पर रखा गया) 168

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (सदन के पटल पर रखा गया) 168

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (सदन के पटल पर रखा गया) 168

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (सदन के पटल पर रखा गया) 168

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1987 (सदन के पटल पर रखा गया) 168

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न नियुक्ति प्राधिकारी) अध्यादेश, 1987 (सदन के पटल पर रखा गया) .. 168

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (सदन के पटल पर रखा गया) 168

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (सदन के पटल पर रखा गया) 169

नियमों को निलम्बित किए जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. 169–174

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तैंतालीसवां संशोधन) नियमावली, 1987 (सदन के पटल पर रखी गयी) 174

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (अड़तीसवां संशोधन) नियमावली, 1984 (सदन के पटल पर रखी गयी) 174

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1987 (सदन के पटल पर रखी गयी) 175

नगर महापालिका, गोरखपुर चुंगी नियमावली, 1985 (सदन के पटल पर रखी गयी) 175

नगर महापालिका, बरेली चुंगी नियमावली, 1985 (सदन के पटल पर रखी गयी) .. 175

नगर महापालिका, मेरठ चुंगी नियमावली, 1985 (सदन के पटल पर रखी गयी) 175

राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय का उत्तर 176

उत्तर प्रदेश विनियोग (1986–87 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 176

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 176

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 176

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 177

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 177

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 177

कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 177

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 188 के उत्तर के सम्बन्ध में वक्तव्य 178–179

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 179

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 (पुरःस्थापित किया गया) 179–180

प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में निरन्तर बढ़ते हुए घाटे और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी) 180

कार्यसूची की मद संख्या 30 को कार्य-मन्त्रणा समिति को निर्दिष्ट किए जाने की सूचना 180

नत्थियां 181–193

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 22, जून, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

---

*निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	राज बहादुर, श्री	जौनपुर
कमल किशन पाण्डेय, श्री	पिथौरागढ़	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	राम लक्षन, श्री	गोरखपुर
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
चारु शीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	वीरेन्द्र सोन, श्री	आगरा
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	शिरोमणि भाई, श्री	बांदा
निरोत्तम सिंह, श्री	बदायूं	संजय सिंह, डा०	सुल्तानपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सखावत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
बलदेव सिंह, कैप्टेन	अलीगढ़	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
बुधपाल सिंह 'खुर्जा वाले', श्री	बुलन्दशहर	सुरेश चन्द्र, श्री	नैनीताल
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	हरदेव, श्री	बलिया
मोहम्मद अबरार अहमद इंजीनियर, श्री	बदायूं	हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून
मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर		

उत्तर प्रदेश सचिवालय

प्रश्नों को निलम्बित करके मेरठ में हुए दंगे के बारे में चर्चा कराये जाने का अनुरोध

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मेरठ के सवाल पर नियमों का निलम्बन किया जाए। मैंने लिखकर दिया है । नियम 311 के अन्तर्गत व्यवस्था है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय । मान्यवर, मैंने आपको लिखकर दिया है ।

(अ0 ता0 प्र0 सं0–1 पुकारे जाने से सदन में शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जाएं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा अनुरोध है कि नियम 313 के अन्तर्गत मान्यवर, नियमों को निलम्बित करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति में तय हो गया है, नियम 52 के अन्तर्गत इस पर ढाई घन्टे की चर्चा होगी ।

श्री भोपाल सिंह–

कार्य मंत्रणा समिति ने समय कम दिया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैंने और माता प्रसाद जी ने लिखकर दिया है । मान्यवर, नियमों को निलम्बित कर दें । नियमों को निलम्बित करने को, मेरा प्रस्ताव पूर्ति कर रहा है। ऐसा कांड कहीं नहीं हुआ है।वहां पी0ए0सी0 ने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया है।

श्री अध्यक्ष–

2 घन्टे बाद यह आ ही जाएगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह अहम् सवाल है । करीब 500, 1000 लोग मारे गये हैं इससे बड़ा सवाल और कोई नहीं है ।

(शोर)

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नोत्तर काल के बाद कार्यस्थगन आता है तब ले लीजियेगा। हम लोगों के प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री भोपाल सिंह–

इतना बड़ा दंगा हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हुआ । इतनी बड़ी आगजनी नहीं हुई है।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने नियम 313 का हवाला देते हुए अनुरोध किया है कि मेरठ की जो स्थिति है वह सारे देश के लिए महान् चिन्ता का विषय है। इसमें आप प्रश्नों को निलम्बित करके, कार्यवाही को निलम्बित करके, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, मेरठ के बारे में चर्चा करायें। मैं समझता हूं कि मेरठ के बारे में सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी लोग अपने विचार रखना चाहेंगे । दोनों तरफ के लोग मेरठ गये हैं और वहां के हालात, आगजनी कत्लेआम को देखा है । इन सारी परिस्थितियों में मेरा भी अनुरोध है कि सारी कार्यवाही को स्थगित करके, नियमों को निलम्बित करके, मेरठ पर चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष–

इसी की गम्भीरता को देखते हुए सबसे पहले चर्चा आज स्वीकार कर ली गयी है, कार्य मंत्रणा समिति में ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, मेरी गुजारिश है कि मेरठ के बारे में चर्चा करायें। इंसानियत और जम्हूरियत का कत्लेआम मेरठ में हुआ है । इसलिये जरूरत इस बात की है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

(शोर)

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 22 जून, 1987

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ विश्वविद्यालय में त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स

**1–कुंवर मानवेन्द्र सिंह तथा डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 1986-87 से त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स लागू कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा वर्ष 1986 में उत्तीर्ण कर ली है क्या वे छात्र भी त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स करेंगे? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा मंत्री जी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)–

जी हां ।

जी हां ।

रूप-रेखा से सम्बन्धित अध्यादेश की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 181–183 पर)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें अध्यादेश की प्रति तो संलग्न की गयी है लेकिन इसमें यह जानकारी नहीं दी है कि यह अध्यादेश किस दिनांक को लागू हुआ ? मान्यवर, इसके अतिरिक्त इसमें यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह अध्यादेश केवल बी0 ए0 के विद्यार्थियों के लिए है या विज्ञान और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए भी लागू है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, मैं कुंवर साहब को बताना चाहूंगा कि यू0 जी0 सी0 ने, जो शिक्षा नीति है देश की, उसके अनुसार 10+2+3 के अनुसार एक प्रभावी नियम 1 जुलाई, 1986 को बनाया था और त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था लखनऊ यूनिवर्सिटी में लागू हुई तथा 3 जो अन्य संकायें थीं, उन्होंने उसकी संस्तुति की, उसके बाद 26 जुलाई, 1986 को विधान परिषद् की बैठक में उस पर विचार कर उसको लागू कर दिया। 8-8-86 को कार्यपरिषद् ने इसका अनुमोदन किया तथा अध्यादेश का भी अनुमोदन कर दिया। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने पूछी है उसको बाद में बताना चाहता हूं कि अध्यादेश की प्रति संलग्न है उसमें नीचे एक टिप्पणी दी है-यह अध्यादेश यथावत् बी0 एस-सी0 (त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम), बी0 काम0 (त्रिवर्षीय उपाधि पाठयक्रम) और बी0 एस-सी0 (गृह विज्ञान) (त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम) पर भी लागू होंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो थ्री इयर डिग्री कोर्स लागू करना चाहते है क्या उसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में तैयार हो चुका है, यदि हां, तो क्या उस पाठ्यक्रम का प्रारूप, पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए तैयार हो गयी है, अथवा नहीं? यदि तैयार नहीं है तो तृतीय वर्ष का जो डिग्री कोर्स है उसमें छात्रों को क्या पढ़ायेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, यह प्रश्न लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा और माननीय सदस्य से भी कि उसी विषय पर कहें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि तीन साल के डिग्री कोर्स में छात्रों को क्या पढ़ायेंगे? 3 साल का डिग्री कोर्स किसी भी स्थान पर छपा नहीं है, कोई भी पुस्तक नहीं छपी है जब विश्वविद्यालय में, तो आप क्या पढ़ायेंगे? उसका क्या प्रारूप है, किस विषय में है ? मैं आगरा विश्वविद्यालय का उदाहरण देना चाहता हूं, आगरा विश्वविद्यालय में तीसरे वर्ष की डिग्री का कोई पाठ्यक्रम नहीं है, इसलिये उसको लागू करने से हमारे यहां के प्रिंसिपल ने मना किया था, उन्होंने एक कमेटी

बनायी है, यह कमेटी उसे एक साल में बनाकर तैयार करेगी। मान्यवर, यही सारे विश्वविद्यालय की हालत है । ऐसी स्थिति में प्रदेश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को अन्धकार में डालने की साजिश है इसलिए मैं चाहूंगा कि यह किस विश्वविद्यालय में तैयार हो गया है इसकी मंत्री जी, जानकारी दे दें ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, आगरा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में नहीं पूछा गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि यह प्रश्न लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह किसी भी विश्वविद्यालय का बता दें ? बी0 ए0 का, बी0 एस-सी0 का, बी0 काम0 का ?

(शोर)

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मैं लखनऊ का बतला रहा हूं, जिसका प्रश्न है । मान्यवर, लखनऊ की इस समय जो रूप-रेखा है वह यह है कि प्रथम वर्ष में तीन विषय, द्वितीय वर्ष में तीन विषय, तृतीय वर्ष में दो विषय, प्लस एक आधारभूत कोर्स यानि जिसे फाउन्डेशन कोर्स कहते हैं वह पढ़ाया जायगा और इसी के साथ-साथ प्रथम अथवा द्वितीय अथवा तृतीय अनिवार्य विषय भी होगा । अनिवार्य विषय की सूची जो है, वह परिशिष्ट "क" में दी हुई है । इसके लिए रि-स्ट्रक्चर पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी में तैयार हो रहे हैं । यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ कार्य पूरा हो चुका है और इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो विश्वविद्यालय है, यह शिक्षा प्रणाली के लिए स्वैच्छिक रूप से स्वतंत्र है, इसमें शासन किसी प्रकार की बाधा नहीं कर सकता है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैं पूछ रहा हूं श्रीमन् कि पाठ्यक्रम तैयार हुआ कि नहीं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, मैंने पाठ्यक्रम का उत्तर दिया कि पाठयक्रम तैयार हो रहे हैं और कुछ तैयार भी हो चुके हैं । हमारे पास इसकी सूचना भी आ गयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्रीमन्, अभी केवल अकेडेमिक कौंसिल ने वर्क विभाजन कर दिया है, इससे पढ़ाई नहीं हो सकती है । मैं मान्यवर, पूछना चाहता हूं कि तीन वर्ष के पाठ्यक्रम का विभाजन या पुस्तकों की व्यवस्था हो गयी है कि नहीं? इसकी सूचना माननीय मंत्री जी देने की कृपा करें । माननीय मंत्री जी यह भी सूचना देने की कृपा करें कि शिक्षा के संबंध में अन्य विश्वविद्यालय के बारे में शासन की नीति क्या है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

लखनऊ विश्वविद्यालय में रि-स्ट्रक्चर पाठ्यक्रम तैयार हो रहे हैं और कुछ तैयार भी हो चुके हैं । हमारे पास सूचना भी इसकी आ रही है और यह कार्यक्रम लागू भी हो चुका है। इसमें कोई विशेष बात आपको पूछना हो, तो वह आप बतला दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने पाठ्य पुस्तकों के बारे में यह पूछा है और अन्य विश्वविद्यालय के बारे में शासन की क्या नीति है? इसका उत्तर हमें नहीं मिला।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

इसके बारे में जो गाइड लाइन्स हैं, वह विश्वविद्यालय में पहुंच गयी हैं। 10+2+3 की जो सूची है, वह कुछ ने लागू कर दिया है। हम उसके ऊपर बड़ी कड़ी नजर रख रहे हैं। इस वर्ष से यह कार्यक्रम शुरू भी हो जायगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, पहली बात तो माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि विश्वविद्यालय अपने में स्वायत्तशासी हैं और वह पाठ्यक्रम स्वयं तैयार करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब वे स्वायत्तशासी हैं, तो इस तरह के निर्देश क्यों दिये गये हैं? 10+2+3 की नीति लागू करने का कारण क्या है? इसका औचित्य क्या है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अनुग्रह नारायण सिंह ने पूरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि हमने उनको बुलाया है और उनसे अनुरोध किया है और हम अनुरोध ही कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि यह जरूरी समझा गया कि पूरे देश में शिक्षा की एक समान रूपरेखा हो और हमारी यूनिवर्सिटी उसको फालो करने के लिए जा रही है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

यह त्रिवर्षीय फार्मूला लखनऊ विश्वविद्यालय में लागू किया गया है और लखनऊ के दूसरे डिग्री कालेजेज में या उसके आस-पास के कालेजों में यह लागू नहीं है तो जो लड़के वहां से मास्टर डिग्री के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में जायेंगे तो उनको कैसे आप एडमिशन देंगे और कैसे एडजस्ट करेंगे?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, उसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि पहले उनको ब्रिज कोर्स पढ़ाया जायेगा और तब एडमिशन दिया जायेगा।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है इन्टरमीडिएट की, क्या उसको पास करने के बाद भी 3 साल पढ़ना पड़ेगा या त्रिवर्षीय कोर्स लागू करने के बाद आप उसको डिजाल्व करने की बात सोच रहे हैं।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् से आपने कैसे इसका सम्बन्ध जोड़ लिया। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स हमने लागू किया है और हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है कि जो शिक्षा नीति पूरे देश में लागू होगी, वहीं यहां भी लागू होगी। अगर मान्यवर, कोई 10 जमा 2 पास करके आता है तो उसको यह अनिवार्य कर दिया गया है कि यदि वह डिग्री वाला कोर्स ज्वाइन करेगा तो उसे 3 साल का ही कोर्स ज्वाइन करना होगा।

श्री अशोक बाजपेई–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 3 संकायों में त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स लागू करने की बात कही । इस सम्बन्ध में मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कानून संकाय के अन्तर्गत कानून स्नातकों पर 3 वर्ष का डिग्री कोर्स लागू रहेगा या पूर्व की घोषणा के अनुसार 5 वर्ष का डिग्री कोर्स लागू किया जायेगा? इस सम्बन्ध में क्या माननीय मंत्री जी, कृपया बताने की कृपा करेंगे?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि भारत सरकार ने यह आदेश दिया है कि जो विश्वविद्यालय यदि 5 वर्ष का कोर्स लागू करना चाहें वह उस पर विचार कर लें और जो 3 वर्ष का कोर्स लागू करना चाहें, वह भी उस पर विचार कर ले क्योंकि विश्वविद्यालय शैक्षिक रूप से पूर्णतया स्वतंत्र है। शासन उन पर अपनी ओर से कुछ थोपना नहीं चाहता। मान्यवर, यह बड़ा भाग्यशाली प्रदेश है (हंसी) क्योंकि शासन शिक्षा के सिलसिले में बड़ा उदार है।

जौनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी अध्यादेश

**2–श्री हर्ष वर्धन–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर में विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु शासन के निर्णय के बाद भी इस सम्बन्ध में अध्यादेश जारी कराने में अनावश्यक विलम्ब का क्या कारण है? क्या उक्त विश्वविद्यालय अगले शैक्षणिक सत्र से अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

जौनपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के लिये विधेयक, विधान मण्डल के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

अधिनियम में उक्त संशोधन के पश्चात् विश्वविद्यालय अतिशीघ्र अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जौनपुर विश्वविद्यालय आगामी शैक्षणिक सत्र से अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा या नहीं? क्या माननीय मंत्री जी, कोई निश्चित समय की जानकारी सदन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, मैंने इस सम्बन्ध में अभी जो उत्तर दिया है उसे मैं पुनः जोर देकर दोहराना चाहता हूं कि यह बात स्पष्ट हो गयी है कि इसी सत्र में विधेयक इस संबंध

में लाया जा रहा है और जैसे ही विधेयक पारित होगा, बस वैसे ही तमाम कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी जायेंगी मैं समझता हूं कि इतना ही इस सम्बन्ध में कह देना काफी है कि कार्य अतिशीघ्र होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि अतिशीघ्र की परिभाषा क्या है क्योंकि इससे पहले जो सत्र हुआ था, उसमें मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक आश्वासन बलिया विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 3 ईयर्स कोर्स अतिशीघ्र लागू करने का दिया था, परन्तु आज तक लागू नहीं हो सका है, इसलिये मैं मंत्री जी से इस अतिशीघ्र की परिभाषा जानना चाहता हूं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, जैसे विधेयक पारित कर दिया जायेगा वैसे ही उसको भी जल्दी से जल्दी कर दिया जायेगा।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि जौनपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र में बलिया को रखने से बलिया के लोगों को असुविधा हो जायेगी। इसलिए क्या माननीय मंत्री जी यह विधेयक भी लायेंगे कि बलिया को जौनपुर के प्रस्तावित क्षेत्र से अलग रखते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

जो आप कह रहे हैं विभाग को उसकी चिन्ता है। माननीय सदस्य को पूरा मौका मिलेगा कहने का, विधेयक आने के बाद।

श्री सुखपाल पाण्डे–

एक सवाल हमको भी पूछ लेने दीजिए ?

श्री अध्यक्ष–

आपको भी मौका मिलेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जनपद जौनपुर में इस विश्वविद्यालय के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है ? यदि किया गया है तो कितनी जमीन है, इसका नाम क्या रखा गया है, कब तक यह विश्वविद्यालय शुरू हो जाएगा?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, इसके लिये फिलहाल एक भवन किराये पर ले लिया गया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

एक भवन में विश्वविद्यालय चलेगा, मान्यवर ? मैंने पूछा था कि क्या जमीन ले ली गयी है? यह एक भवन में विश्वविद्यालय चलायेंगे।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

उत्तर दे रहा हूं, मान्यवर। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है और हमने जिलाधिकारी को इसका प्रस्ताव भेजने के लिए लिखा है । प्रस्ताव आ गया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

प्रस्ताव कहां का है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

यह सब चीजें आपके सामने आ जायेंगी ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी, बतानें की कृपा करेंगे कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता थी, कितनी उपलब्ध हो गयी है और उस पर कितना कंस्ट्रक्शन हो गया है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, जैसा मैंने बताया जमीन को अधिग्रहीत करने की कार्यवाही हो रही है इसके लिए चयन कर लिया गया है। जब कार्यवाही विधिवत पूर्ण हो जायेगी तब आपके समक्ष आ जायेगी?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(3) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ग्राम सभा मोहिबुल्लापुर, लखनऊ के प्रधान व सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र

*1–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मोहिबुल्लापुर, लखनऊ के प्रधान के भ्रष्ट आचरण व सम्बन्धित अधिकारियों के क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में ग्रामवासियों का कोई आवेदन पत्र नवम्बर, 1985 के दूसरे सप्ताह में तथा इसी सम्बन्ध में और कई आवेदन पत्र उन्हें प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

नवम्बर, 1985 के द्वितीय सप्ताह में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ । इससे पूर्व प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच के आदेश निर्गत किये गये । शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच विभिन्न विभागों से अपेक्षित है, अभी जांच पूर्ण नहीं हो सकी है, जिसमें शीघ्रता के लिये अनुरोध किया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अपने जवाब में मा0 मंत्री जी ने इस प्रकार की हैसियत को प्रदेश की जनता के समक्ष रख दिया। सरकार की हैसियत अब इतनी रह गयी है कि वे अब अपने अधीनस्थ अधिकारियों से अनुरोध कर रही है। आप देखें कि एक साल से पहले का प्रश्न पड़ा है और उसके पहले भी शिकायत की गयी है। अब तक जांच शुरू करने की प्रार्थना की है और उसके बाद भी एक साल से ऊपर हो गया है, पर अभी तक जांच का काम पूर्ण नहीं हो पाया है। उसके बाद यह सरकार एक अधिकारी से अनुरोध करती है कि यथाशीघ्र इस काम को पूरा कर दें। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने किस हैसियत से अनुरोध किया है। दूसरी बात यह है कि जांच का कार्य कितने दिनों में पूरा हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न किस हैसियत से है, किस हस्ती से ?

(हंसी)

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जांच करा ली जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, उसका नाम बता दें जिससे हाथ जोड़कर प्रार्थना की गयी है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह शिकायती पत्र कई विभागों से सम्बन्धित है। यह तहसीलदार से भी सम्बन्धित है, वहां के खण्ड विकास अधिकारी से सम्बन्धित है, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है, उनसे भी जांच करानी है। पुलिस से सम्बन्धित भी कई आरोप हैं और कई जागह से जांच होनी है। जांच हो भी रही है। यह सही है कि इसमें काफी विलम्ब हुआ है। इसमें हमने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जांच पूरी कराई जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला इसलिये भी बनता है कि इस तरह के छोटे-छोटे मामलों में भी शासन की प्रक्रिया इतनी शिथिल है कि काफी समय लग जाता है। इस महत्वपूर्ण मामले में, जो अधिकारी जानबूझ कर या दयावश विलम्ब कर रहा है, क्या उसके खिलाफ भी शासन कार्यवाही करेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इसका भी परीक्षण करा लिया जायगा कि क्या जांच अधिकारी ने जानबूझ कर देर की, इसकी जांच करा लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके लिये वे अनुरोध करेंगे या निर्देश देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

दोनों करेंगे ।

तारांकित प्रश्न

*1–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[दिनांक 23-7-85 को अता0 प्र0 सं0 148 द्वारा उत्तरित]

क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ के हिन्दी विभाग में पदों का सृजन

*2–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय लखनऊ क्रिश्चियन कालेज के हिन्दी विभाग में शासकीय निर्देशों की अवहेलना करके मनमाने ढंग से पदों का सृजन एवं उन पर अध्यापकों की नियुक्तियां की गयी हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह जांच करायेंगे कि छात्रों के अनुपात में ही शिक्षकों की नियुक्तियां की गयी

है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस सम्बन्ध में श्री प्रभाकर मिश्र, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 10-4-87 उन्हें तथा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

जी नहीं ।

पदों का सृजन महाविद्यालय द्वारा दी गई छात्र संख्या तथा कार्यभार के आधार पर नियमानुसार किया गया है। नियुक्तियां प्रबन्ध तंत्र द्वारा की जाती हैं।

इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई। शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा से आख्या मांगी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां ।

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश से जांच आख्या मांगी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सामान्य हिन्दी बी0 काम0 या बी0 एस-सी0 में होती है या नहीं?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, उस समय थी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह सही नहीं है। सामान्य हिन्दी बी0 काम0 या बी0 एस-सी0 में नहीं होती, परन्तु छात्रों की फर्जी संख्या दिखाकर पदों का सृजन कराया गया है। इसकी जांच कराई जाय । इसके साथ ही मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने जो आख्या मंगाई, वह कब तक प्राप्त हो जायगी? दो महीने का समय हो चुका है, अब तक आख्या न आने का क्या कारण है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, जैसी कि माननीय सदस्य की चिन्ता है, हमने भी उनकी परेशानी को समझते हुए शिक्षा निदेशक को 27-12-86 को पत्र भेजा । शिक्षा निदेशक ने उप शिक्षा निदेशक को 8-1-87 को पत्र भेजा । उसके बाद हमने दो रिमाइण्डर भेजे। दिनांक 1-6-87 को हमने अपने क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देशित किया कि उप शिक्षा निदेशक से जांच करवाकर भेजें। हमें यह पता लगा है कि उप शिक्षा निदेशक ने अपनी जांच आख्या 15 तारीख को उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दी है। हमने इसको बहुत जल्दी पूरा कराने के निर्देश दिये हैं। उच्च शिक्षा निदेशक इसको जल्दी ही पूरा करके भेज देंगे।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, इस विद्यालय में हिन्दी विभाग के अलावा दूसरे विभागों में अनेकों ऐसे अध्यापक हैं जो तीन वर्ष या उससे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और अब

तक उनको स्थायी नहीं किया गया है । उनकी सेवाओं को देखते हुए, उनके स्थायीकरण की प्रक्रिया शासन प्रारम्भ करेगा?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, जांच के साथ-साथ हमने यह भी आदेश दिये हैं, जैसा माननीय सदस्य बतला रहे हैं, सभी प्रकरण सामने रखें।

श्री मोहम्मद मसूद खां–

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य माननीय प्रभाकर मिश्र का जो दिनांक 10-4-87 का पत्र है उसमें कौन-कौन से प्वाइंट उठाये गये हैं और किन-किन की आप जांच करा रहे हैं?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मैं उनका पूरा पत्र ही पढ़े दे रहा हूं। विषय–लखनऊ क्रिश्चियन कालेज के हिन्दी विभाग में अनावश्यक रूप से एक पद तीसरे पद के सृजन के विषय में था.....

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, यह तो रामायण की तरह पत्र पढ़ रहे हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लिये जाने पर)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, प्रश्न के माध्यम से जो बात उठायी गयी कि फर्जी नियुक्ति हुई, उस पर आपने क्या निर्णय दिया?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने ऐसी कविता पढ़ी कि हम दूसरे प्रश्न पर आ गये ।

बरेली मण्डल में इण्टर कालेज

*3–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डल में प्रति इण्टर कालेज जनसंख्या पूरे प्रदेश में प्रति इण्टर कालेज जनसंख्या से दूनी है और इसके कारण बरेली मण्डल के नागरिक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शेष प्रदेश के नागरिकों के मुकाबले में पिछड़ते जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री इसी वर्ष बरेली मण्डल में 15 नए इण्टर कालेज खोलने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

जनसंख्या के अनुपात में बरेली मण्डल में इण्टर कालेजों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

जी नहीं, क्योंकि शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध हैं।

जी नहीं ।

सीधे इण्टर कालेज खोले जाने की व्यवस्था नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान माननीय मंत्री जी के उत्तर की ओर आकृष्ट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने प्रश्न के पहले भाग के संदर्भ में कहा है कि

जनसंख्या के अनुपात में बरेली मण्डल में इण्टर कालेजों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। दूसरे भाग में, मैंने कहा था कि इसके कारण बरेली मण्डल के नागरिक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शेष प्रदेश के नागरिकों के मुकाबले पिछड़ते जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि नहीं पिछड़ रहे हैं?

मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में प्रदेश में प्रति इण्टर कालेज कितनी जनसंख्या के अनुपात पर है और बरेली मण्डल में इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है? मान्यवर, वहां कालेजों की कमी के कारण प्रवेश नहीं मिल पाते हैं और छात्रों को जगह-जगह जाना पड़ता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किन तथ्यों पर यह उत्तर दे रहे हैं कि बरेली मण्डल के नागरिक शिक्षा के क्षेत्र में नहीं पिछड़ रहे हैं।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 11,08,20,000 है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

प्रति इण्टर कालेज बता दें?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, मूल रूप में शासन की नीति जनसंख्या के ऐतबार से ही स्कूल खोलने की नहीं है। प्रदेश में इण्टर कालेजों की संख्या 3069 है। उ0 प्र0 में कुल विद्यालय लगभग 5,727 हैं इसमें राजकीय विद्यालय केवल 923 हैं। इण्टर कालेजों की संख्या 3069 है जिसके अनुसार प्रति इण्टर कालेज संबित जनसंख्या 6123 है। बरेली मण्डल का जो माननीय सदस्य ने सवाल किया है, बरेली मण्डल की कुल जनसंख्या उनसठ लाख दो सौ बावन है। जितनी संख्या इण्टर कालेज की है, वह 115 है। इस हिसाब से 60,008 जनसंख्या पर एक कालेज का अनुपात आता है। मान्यवर, राज्य सरकार का ही केवल यह दायित्व नहीं है कि वह राजकीय विद्यालय खोलकर पठन-पाठन की क्रिया और उसकी पूरी व्यवस्था करे। राज्य सरकार नीति विषयक निर्णय लेती है। प्रदेश में शिक्षा का जो कार्यक्रम है वह ज्यादा अशासकीय विद्यालयों के माध्यम से चल रहा है। हमारे केवल 923 राजकीय विद्यालय हैं। मान्यवर, मैं समझता हूं कि प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य का उद्देश्य यही था कि क्षेत्र में इण्टर कालेज कम हैं, लड़के और लड़कियों के। मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस समय शासन के समक्ष बालकों के विद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है, बालिकाओं के विद्यालय खोलने की योजना है। आगे के सत्र में हम देखेंगे कि पूरे प्रदेश की स्थिति को देखते हुए हम इस योजना के तहत क्या कर सकते हैं और बरेली मण्डल में क्या किया जा सकता है। जब भी हम बालकों के विद्यालय की योजना पर विचार करेंगे तो उस समय हम बरेली मण्डल पर भी मुख्य रूप से ध्यान देंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि बरेली मण्डल में इण्टर कालेजों का अभाव है। यह भी कहा कि अधिकतर कालेज अशासकीय हैं, राजकीय कम हैं।

मेरा प्रश्न यह नहीं है। क्या शासन का यह दायित्व नहीं है कि जिस क्षेत्र में जिस चीज की कमी हो, वहां पर अधिक धन देकर उसे विशेष क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर किया जाय । यदि शासन की यह नीति है तो क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि जब अगला वित्तीय वर्ष आयेगा तो उसमें बरेली मण्डल में इण्टर कालेजों को खोलने के लिए धन उपलब्ध कराने में अधिक वेट दिया जायेगा?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, मैंने पहले भी अर्ज किया कि सम्प्रति में बालकों के विद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है। हां, जहां पर बालिकाओं के विद्यालय नहीं हैं, वहां पर वरीयता के आधार पर बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलने की शासन की नीति है। पूरे प्रदेश में जिन तहसीलों में कोई भी अशासकीय या राजकीय विद्यालय नहीं हैं, वहां पर बालिका राजकीय विद्यालय खोलने की योजना सरकार की है। बरेली मण्डल में भी ऐसी तीन तहसीलें हैं, जहां पर अभी बालिका विद्यालय नहीं हैं इसलिए शासन निश्चित रूप से आगामी नियोजन में इस मण्डल के बारे में विचार करेगा ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि बरेली मण्डल में इण्टर कालेजों का अभाव है। पुराने शहर में कई वर्षों से विद्यालय खोलने की मांग हो रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी वहां पर बालिका विद्यालय खोलने पर विचार करेंगे?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, पहले हम तहसीलों को कवर कर रहे हैं। बरेली मण्डल में तीन तहसीलें हैं। नवाबगंज तहसील, बरेली, पुवांया तहसील शाहजहांपुर व सहसवान तहसील, बदायूं हैं। जहां पर आज तक कोई भी बालिका विद्यालय नहीं है। यदि भवन व स्थल की सुविधा हमको मिल जाती है तो हम इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जिन तहसीलों में अभी कन्या विद्यालय नहीं हैं तो क्या वहां पर अगले वर्ष हर तहसील में कन्या विद्यालय खोल दिये जायेंगे?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, सम्प्रति उत्तर प्रदेश में 37 तहसीलें हैं जहां हमें राजकीय विद्यालय खोलने का काम करना है। पिछले वर्ष हमने 7 कन्या विद्यालय खोले थे और उससे पहले 11 विद्यालय खोले थे। माननीय मुख्य मंत्री जी आज बजट पेश कर रहे हैं, यदि उसमें कोई ऐसा प्राविधान होगा तो हम जल्दी से जल्दी 37 तहसीलों में कन्या विद्यालय धन की सुविधा के अनुसार खोलने का प्रयास करेंगे।

श्री किरनपाल सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आज 6 से 8वीं तक की कक्षा में, एक-एक सेक्शन में 120 से 150 बच्चे पढ़ते हैं, जो कि नियमों के प्रतिकूल है और एक अध्यापक इतने बच्चों को पढ़ाता है । इसलिए क्या माननीय मंत्री जी

शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, सेक्शनों की संख्या बढ़ाने व अतिरिक्त अध्यापकों को नियुक्त करने पर विचार करेंगे?

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, चूंकि यह प्रश्न मुख्य रूप से बरेली मण्डल से सम्बन्धित था फिर भी मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि शासन ने इस बढ़ते हुए दबाव का सामना करते हुए सतत सम्पर्क पत्राचार योजना भी चलायी है। प्राइवेट परीक्षा की भी व्यवस्था है, नये सेक्शन्स इत्यादि खोले जाने के विषय में अंशकालिक अध्यापकों की भी अनुमति दी गयी है, मान्यता देना भी शुरू किया है। प्रदेश के वित्तीय संसाधन सीमित हैं, उनको सामने रखते हुए काम करने का प्रयास कर रहे हैं ।

जून, 1986 में इलाहाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगे की सी0 आई0 डी0 जांच रिपोर्ट

*4–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में जून, 1986 में हुए साम्प्रदायिक दंगे की सी0 आई0 डी0 जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और उसमें दोषी पाये गये व्यक्तियों व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

जी नहीं। जांच पूर्ण हो जाने के बाद परीक्षणोपरान्त दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह –

मान्यवर, मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सी0आई0डी0 जांच कब प्रारम्भ कराई गई और इस समय स्थिति क्या है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित –

सी0आई0डी0 जांच 20 अप्रैल, 1986 को प्रारम्भ कराई गयी और वह अभी तक चल रही है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह –

मुझे यह निश्चित जानकारी है कि जो सी0 आई0 डी0 टीम नियुक्त की गयी थी उसने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है और उसमें कई अधिकारी दोषी पाये गये हैं, जिन्होंने जानबूझकर दंगा कराया है । यह चूंकि ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं इसलिए जानबूझकर रिपोर्ट सदन में नहीं रख रहे हैं । हम आपसे अपने अधिकारों का संरक्षण चाहेंगे और चाहेंगे कि आप मा0 गृह मंत्री जी को आदेश दें कि जो जांच रिपार्ट प्रस्तुत की गयी है वह बता दें ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित –

सी0आई0डी0 की अन्तिम रिपोर्ट जब तक न आये और शासन उस पर पूर्ण रूप से विचार न कर ले तब तक उसे सदन में प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

क्या यह सही है कि जांच के लिए जो समय निर्धारित था वह पूरा हो गया है और कमेटी ने प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है ? यदि दे दी है तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित –

अभी समय तो पूरा नहीं हुआ है किन्तु सी0आई0डी0 ने बड़ी तत्परता से काम किया है । 20 अप्रैल, 1986 को मामला जांच समिति को सौंपा गया था, किन्तु उसने इस बीच में ही अपनी 7 अन्तरिम रिपोर्टें शासन को भेजी हैं । जो उन्होंने आख्या दी है, शासन उस पर विचार कर रहा है ।

श्री गोपाल दास यादव –

14 जून को इलाहाबाद में मेरे ही क्षेत्र में यह दंगा हुआ था । छोटे से मामले को लेकर वहां के शासन प्रशासन ने दंगा कराया था, कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल नार्मल हो गया था । इसके बाद कर्फ्यू लगाकर हजारों लोगों को पकड़ा गया . . .

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये, यह तो आप भाषण कर रहे हैं ।

श्री गोपाल दास यादव –

एक साल पूरा हो गया है फिर भी प्रशासन दोषी अधिकारियों को संरक्षण दे रहा है । क्या विधान सभा के सत्र के दौरान यह सी0आई0डी0 की रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित –

किसी को संरक्षण देने का प्रश्न नहीं है । जो भी दोषी पाये जायेंगे, परीक्षण के बाद उन्हें दण्डित किया जायेगा ।

श्री मित्रसेन –

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 7 अन्तरिम रिपोर्टें प्राप्त हो गयी हैं फिर शासन क्या विचार कर रहा है जब कि यह सिद्ध हो चुका है कि वे दोषी हैं ? उनको सजा न देने का क्या कारण है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित –

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया है कि यह अन्तरिम आख्या है, फाईनल रिपोर्ट नहीं । फाईनल रिपोर्ट आने के बाद ही पूर्णतया सब पर विचार हो सकता है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश –

मान्यवर, मंत्री जी ने बतलाया कि सी0आई0डी0 ने बड़ी तत्परता से जांच की है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि तत्परता से जो अन्तरिम रिपोर्ट में संस्तुतियां की गयी हैं, वह क्या हैं ? क्या मंत्री जी उसको सदन में बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित –

मान्यवर, यदि अन्तरिम आख्या पर विचार होगा तो वह फाईनल संस्तुतियां मान ली जायेंगी । जब तक फाइनल रिपोर्ट न आ जाय तब तक उसे यहां कैसे पेश किया जा सकता है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश –

रिपोर्ट क्या है, केवल यही बतला दें ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा –

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी आपके पास 7 अन्तरिम रिपोर्टें आयीं उसमें क्या-क्या संस्तुतियां, किस-किस के खिलाफ की गयीं और उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की, आप यह बतला दें, यह बहुत जरूरी है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित –

मान्यवर, मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया है कि किसी चीज को छिपाने का प्रश्न नहीं है, किसी को बचाने का प्रश्न नहीं है, अन्तरिम आख्या में जो प्राईमाफेसी केस बनता है उसी के आधार पर अन्तिम रिपोर्ट देने के बाद, उस पर विचार होकर उस पर कार्यवाही होगी ।

श्री मैनेजर सिंह –

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी विश्वासपात्र, योग्य सी0 आई0 डी0 के अधिकारियों द्वारा जो सात अन्तरिम रिपोर्ट उनको प्रस्तुत की गयी है उसमें किन-किन अधिकारियों को अब तक दोषी इंगित किया गया है, उनके नाम और पद आप बतला दें ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैंने कई बार निवेदन किया कि उन अधिकारियों के नाम फाईनल रिपोर्ट आने के पहले बताना उचित नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट रूप से प्रश्न किया है कि जो सात अन्तरिम रिपोर्टें आयी हैं आपके सी0आई0डी0 के अधिकारियों के द्वारा जिनको आप योग्य और सक्षम मानते हैं, उसमें उन्होंने कौन-कौन अधिकारियों को दोषी इंगित किया है, उनके नाम और पद क्या हैं? यह बतलाने में इनको कौन सी कठिनाई है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित –

मान्यवर, सी0आई0डी0 द्वारा 36 मामलों की विवेचना की जा रही है। उनमें से 12 मामलों में उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है शेष के बारे में अन्तरिम आख्या भेज रहे हैं और सात बार भेज चुके हैं । पहली बार के बाद बार-बार भेजते हैं । जब अन्तिम स्वरूप से उनकी रिपोर्ट आ जायेगी उसके बाद ही कोई कार्यवाही हो सकेगी।

(व्यवधान)

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके संबंध में यह कहना है कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि उनके पास अभी तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आयी है । अन्तरिम रिपोर्ट आ गयी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो अन्तरिम रिपोर्ट आ गयी है, उसमें किन-किन अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है । जब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अन्तरिम रिपोर्ट आ गयी है, तो दोषी अधिकारियों के नाम बताने में क्या कठिनाई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर किसी अधिकारी को दोषी कहना उसके साथ अन्याय होगा । .

(व्यवधान)

(प्रश्न सं0 6 पुकारे जाने पर)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दें कि रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें । मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है ।

श्री गोपाल दास यादव–

आप निर्देश दें दें कि रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, प्रश्न मेरा है, और मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । आप हमें मौका दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, यह कोई तरीका नहीं है। (घोर व्यवधान) कृपा करके बैठिये। अब वह हो गया है। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आयेगी तब तक कैसे होगा। आप बैठें। आपको मौका तो मिल गया है और उसका उत्तर आ गया है। (व्यवधान) यह तरीका नहीं है। आप बैठें, यह तरीका नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिये हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री गोपाल दास यादव तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह सदन त्याग कर चले गये)

*5–श्री काशी सिंह ऐरी–

[11वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 1 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जिला परिषदों के स्टाफ के वेतन तथा वो सृजित कार्य अधिकारियों के पद

*6–श्री औसान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् स्वशासी संस्थायें हैं और उनके आय के साधन सीमित हैं तथा उनके स्टाफ के वेतन भत्ते के लिये शासन अपनी निधि से कोई धन नहीं देता है ? क्या यह भी सही है कि जिला परिषदों पर शासन अधिकारियों की नियुक्ति कर उनके वेतन भत्ते का व्यय भार जिला परिषदों को वहन करने के लिए निर्देशित करती है ? यदि हां, तो क्या 20 जिला परिषदों में शासन ने मई

नोट:–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माह में कार्य अधिकारियों के दो-दो पद सृजित कर वे उन पर नियुक्तियां कर एक अधिकारी को बिना काम के वेतन भुगतान के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? इनसे कार्य लेने के आदेश जारी करने में क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जिन 20 जिला परिषदों में शासन ने दो-दो कार्य अधिकारी नियुक्त किये हैं उनमें से एक कार्य अधिकारी सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 1984 के आधार पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कार्य अधिकारी हैं तथा एक वह कार्य अधिकारी हैं जिसकी सेवाएं शासन द्वारा समाप्त कर दी गयी हैं किन्तु उन्होंने न्यायालय से सेवा समाप्ति के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है।

सेवा समाप्त कार्य अधिकारियों से जिला परिषद् का कोई भी कार्य प्रशासनिक आधार पर नहीं लिया जा रहा है ।

श्री औसान सिंह–

मान्यवर, प्रदेश के जिन स्थानों पर दो कार्य अधिकारी कार्य कर रहे हैं, एक तो शासनादेश से कार्य कर रहे हैं और दूसरे जो उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से कार्य कर रहे हैं । लेकिन मान्यवर, जो कार्य अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कार्य कर रहे हैं, उनसे कार्य नहीं लिया जा रहा है और उनको तनख्वाह घर बैठे दी जा रही है । मैं कहना चाहता हूं कि जिला परिषदें एक स्वायत्तशासी संस्थायें हैं और उनकी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है, तो मैं जानना चाहता हूं कि बिना कार्य दिये हुये ही उनको वेतन क्यों दिया जा रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह तो मजबूरी है । इन अधिकारियों की एड-हाक पर नियुक्ति की गयी थी और जब लोक सेवा आयोग से विधिवत चयनित अधिकारी आ गये तो उनको नियुक्त कर लिया गया, परन्तु एड-हाक पर नियुक्त अधिकारियों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया । तो मान्यवर, उस स्टे आर्डर का पालन करना है । इसलिये ऐसा किया गया है ।

श्री गया प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन कार्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और उनको कार्य नहीं दिया गया है क्या उनको कार्य देने का आश्वासन देंगे ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, एक ही अधिकारी तो कार्य कर सकता है । लोक सेवा आयोग से जो अधिकारी उपलब्ध हो गये, तो उनको नियुक्त करके कार्य लिया जा रहा है । जिन लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिया है, उनको नियुक्त तो कर दिया गया है, लेकिन कार्य नहीं लिया जा रहा है । स्टे आर्डर का आदर तो करना ही है, और वह किया गया है ।

श्री औसान सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो अधिकारी कार्य कर रहे हैं, और कार्य एक ही अधिकारी कर रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि दोनों अधिकारियों को समान कार्य मिल जाये और हाई कोर्ट के आदेशानुसार इनसे कार्य कराने की कृपा करेंगे ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

लोक सेवा आयोग से जो चयनित अधिकारी हैं, उनसे कार्य लिया जा रहा है और दूसरे लोगों को हाई कोर्ट के आदेशानुसार नियुक्त किया गया है ।

श्री औसान सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाता है, दोनों अधिकारियों से कार्य कराया जायेगा, इनको वेतन दिया जा रहा है और जिला परिषद् कोष से दिया जा रहा है ? इसलिये दोनों अधिकारियों में समान कार्य का वितरण करके उनसे कार्य लिये जाने में क्या कठिनाई है? दोनों अधिकारियों से समान कार्य लेने का आश्वासन माननीय मंत्री जी देने की कृपा करेंगे ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

एक ही कार्य दो अधिकारियों से लिया जाना प्रशासनिक दृष्टिकोण से सम्भव नहीं है ।

मुहल्ला काशीपुर, गोरखपुर में गोली काण्ड की सी0 आई0 डी0 जांच

***7–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–**

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के मुहल्ला काशीपुर स्थित शेर कोठी में दिनांक 2-6-82 को श्री गुलाब पुत्र श्री राधेश्याम की गोली लगने से हुई मृत्यु की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा हो रही थी? यदि हां, तो गुप्तचर विभाग ने क्या रिपोर्ट दी है? उस रिपोर्ट के तहत शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

गुप्तचर विभाग की जांच से पाया गया कि कोठी पर तैनात कान्स्टेबिल कृपा शंकर द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली से गुलाब घायल हुआ जिसकी अस्पताल पहुंचने पर मृत्यु हो गयी। दोनों पक्षों द्वारा परस्पर विरोधी रिपोर्टें दर्ज कराई गई थीं। दोनों मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या माननीय गृह मंत्री जी, बताने की कृपा करेंगे कि मृतक गुलाब का क्या पोस्ट मार्टम कराया गया है? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मृतक का पोस्ट मार्टम कराया गया था। एफ0आई0आर0 में 410 बोर की गोली से फायर करने की बात सिद्ध नहीं हुई है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैंने पोस्ट मार्टम रिपोर्ट पढ़ने के लिये कहा था और उसके मरने का कारण क्या था। मैं एफ0आई0आर0 नहीं पूछ रहा हूं।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मरने का कारण गोली लगने से है। गोली 12 बोर की बन्दूक से लगी। इसी के खिलाफ एफ0आई0आर0 थी, लेकिन जांच में यह साबित नहीं हुई।

(व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पुलिस ने आत्म रक्षा के लिये गोली चलायी। वह व्यक्ति उस गोली से मारा गया, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस-किस पुलिस वाले को क्या-क्या चोटें आयीं, जिसके कारण गोली चलानी पड़ी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, एक मकान का झगड़ा था। मकान मालिक के पास शैडो था। उस पर जब लोगों ने हमला किया तो उसने आत्म रक्षा के लिये गोली चलाई। एफ0आई0आर0 दोनों ओर से लिखायी गयी। डकैती की रिपोर्ट लिखायी गयी, लेकिन वह सिद्ध नहीं हुई।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, पुलिस कानिस्टेबिल ने गोली चलायी तो उसको क्या-क्या चोटें आयीं? पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट क्या है ? किन परिस्थितियों में आत्म रक्षा के लिये उसको गोली चलानी पड़ी है.... (व्यवधान)

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस समय नहीं है । इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे साफ जाहिर है कि उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। उस नौजवान की पुलिस कानिस्टेबिल की गोली लगने से मृत्यु हुई है और अब आत्म रक्षा के लिये गोली चलाये जाने का बहाना लिया जा रहा है जब कि पुलिस का कोई आदमी घायल नहीं हुआ है और एक नौजवान को मार दिया गया । क्या माननीय मंत्री जी फिर से इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां, पूरे प्रश्न के संदर्भ में जांच करा देंगे।

थाना हुसैनगंज लखनऊ के अन्तर्गत कान्य कुब्ज कालेज के सामने आग लगने की घटना की जांच

*8–श्री राम शरण दास–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13 जनवरी, 1986 को लखनऊ नगर के थाना हुसेनगंज के अन्तर्गत कान्य कुब्ज कालेज के सामने दूकानों में आग लगायी गयी थी जिसमें दर्जनों दूकानें जलकर राख हो गयी थी? यदि हां, तो आग लगाने वाले अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार दूकानदारों की क्षतिपूर्ति पर भी विचार कर रही है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम किशोर शर्मा पुत्र श्री घुरहू राम शर्मा निवासी राजेन्द्र नगर, लखनऊ द्वारा बलवा-आगजनी व नुकसान रसानी के सम्बन्ध में चार नामजद

एवं 50 अन्य अज्ञात छात्रों के विरुद्ध एक अभियोग धारा 147/149/436/427 भां0 दं0 वि0 को पंजीकृत कराया गया । चारों नामजद छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं विवेचना के उपरान्त इन चारों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है। इस प्रकरण की मजिस्ट्रीरियल जांच करायी गयी। जांच से विवादित भूमि पर सभी निर्माण अनाधिकृत पाये गये। अतः क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितनी दुकानें जलाई गईं और वे वहां पर कितने दिनों पुरानी थीं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर प्रश्न स्पष्ट करा दें।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम भी है। नाम भी गोपीनाथ है और काम भी गोपनीय है। यह सुनते ही नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर कितनी दुकानें जलीं और वे कितनी पुरानी थीं?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, 10 दुकानें जलीं और जैसा कि मैंने कहा वे सब दुकानें अनाधिकृत थीं और अलग-अलग समय पर अनधिकृत कब्जा किया गया था। इसलिये वे वहां पर अलग-अलग समय से थीं।

श्री मैनेजर सिंह–

श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उस सारी भूमि पर नाजायज कब्जे थे और उस सारे कब्जों को दूर करने के लिये ही लड़कों में उत्तेजना फैली और उसके तहत ही वहां पर आगजनी हो गई। क्या इसके बारे में आपको पता है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। श्री मैनेजर सिंह आप तो कान्य कुब्जी हैं। आपकी तो कान्य कुब्ज कालेज के दरवाजे और उसकी नाक के नीचे अपनी जमीन है, तब अतिक्रमण हो रहा था।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

सिकरौरा थाना बहुआ जनपद वाराणसी में सामूहिक हत्या

*9–श्री राज किशोर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के थाना बहुआ अंतर्गत ग्राम सिकरौरा में दिनांक 9/10 अप्रैल, 86 को रामचन्द्र ग्राम प्रधान सहित उनके परिवार के सात सदस्यों की हुई सामूहिक हत्या के अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? क्या घटना के शिकार परिवार को मुआवजा, बच्चों की शिक्षा दीक्षा तथा विधवाओं की पेंशन के लिये शासन की ओर से कोई व्यवस्था हुई? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित तिथि को घटित घटना के सम्बन्ध में थाना बलुआ में सूचना प्राप्त होने पर अ0सं0 28/86 धारा 147/148/149/302/380 भा0 दं0वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया । सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य थे। परिवार को जिला प्रशासन द्वारा 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। असाधारण पारिवारिक पेंशन की पात्रता के बारे में परीक्षण किया जा रहा है।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, यह पूरा परिवार मार डाला गया जिसमें 40 वर्ष से लेकर ढाई वर्ष तक के सदस्य थे, कोई बचा नहीं। केवल चार विधवायें बची और 3, 4 छोटे-छोटे मासूम बच्चे बचे। जिलाधिकारी ने दया की और 20 हजार रुपया पूरे परिवार की हत्या हो जाने के बाद दिया। शासन की तरफ से अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस परिवार को कम से कम 7 लाख रुपया जो 7 लोग मारे गये हैं मुआवजे के रूप में देने के लिये विचार करेंगे? इसी के साथ जो 4 विधवायें जिनको अब देखने वाला कोई नहीं है, उनको शीघ्र पेंशन की धनराशि स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, शासनादेश के अनुसार पात्रता का परीक्षण हो रहा है। उस परिवार के पास 20 एकड़ भूमि है। पेंशन के बारे में शासन विचार कर रहा है। जहां तक मुआवजा देने का प्रश्न है जो एक लाख रु0 प्रति व्यक्ति की बात कही, यह विचाराधीन नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इस मामले में थानाध्यक्ष बलुआ को दोषी पाया गया और उनकी लापरवाही के कारण, निलम्बित किया गया था। तो क्या वह अब भी निलम्बित है या बहाल होकर उनको कहीं का चार्ज दे दिया गया है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, वहां के अधिकारियों को ट्रांसफर करने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि यह आपसी रंजिश का मामला था पुलिस की रंजिश का मामला नहीं था ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इसमें थानाध्यक्ष बलुआ को लापरवाही के लिये दोषी पाया गया और इस आधार पर उसे निलम्बित किया गया था। इस घटना के सम्बन्ध में राज्य मंत्री सुरेन्द्र सिंह चौहान भी मौके पर गये थे उस समय नेता विरोधी दल मुलायम सिंह जी भी वहां गये थे तो और सारे लोगों ने माना कि थानाध्यक्ष की लापरवाही रही, तो उसे बहाल कर दिया गया है या अभी भी वह निलम्बित है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

इसका परीक्षण करवा लेंगे?

श्री राज किशोर सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना के पूर्व 16 मार्च को उन्हीं अपराधियों ने जो 9, 10 अप्रैल की घटना में सम्मिलित थे अपराध किया था और थाना बलुआ में रिपोर्ट लिखाई थी और थानाध्यक्ष बलुआ ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की थी । तो इससे स्पष्ट होता है कि थानाध्यक्ष बलुआ भी इसमें शरीक थे, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, ट्रांसफर की सूचना तो माननीय सदस्य ने ही दी है, वह तो कार्यवाही उसी समय हो गयी थी। उसके बाद क्या कार्यवाही होनी चाहिए, इसके सम्बन्ध में मैंने पहले ही कह दिया है कि परीक्षण करा लेंगे और जो जरूरी कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

प्रादेशिक संस्कृत विद्यालय अध्यापक समिति संघ, उत्तर प्रदेश की मुख्य मांगें

*10–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रादेशिक संस्कृत विद्यालय अध्यापक समिति उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री त्रिवेणी प्रसाद दीक्षित का प्रदेश के संस्कृत अध्यापकों के बारे में कोई मांग-पत्र दिनांक 12 जनवरी, 1986 के आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन पर शासन की नीति क्या है?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

मुख्य मांगें निम्नवत् हैं:–

(1) वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिमास बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश तत्काल निर्गत किया जाय।

(2) अन्य शिक्षा संवर्गों के समान संस्कृत शिक्षकों को भी आवास भत्ता एवं चयनित वेतनमान दिया जाय।

(3) संस्कृत शिक्षकों को भी अन्य शिक्षा संवर्गों के समान वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन दिया जाय।

(4) प्रत्येक वर्ग के विद्यालयों में एक लिपिक तथा एक चपरासी के पद स्वीकृत कर उन्हें नवीन वेतन का लाभ दिया जाय।

(5) 1-7-79 से 28-2-82 तक के अवशिष्ट वेतन (एरियर) भुगतान हेतु धन स्वीकृत कर भुगतान का आदेश तत्काल दिया जाय।

(6) वर्ष 82-83 से वर्ष 84-85 के अवशिष्ट बोनस भुगतान का आदेश तत्काल दिया जाय।

(7) वर्ष 84-85 के अवशिष्ट अनुरक्षण अनुदान के भुगतान का आदेश तत्काल दिया जाय।

(8) वर्ष 85-86 के विशेषानुदान एवं अनुरक्षण अनुदान के भुगतान हेतु धन तत्काल स्वीकृत कर भुगतान का आदेश दिया जाय।

उक्त मांगों में से क्रम संख्या (5), (6), (7) तथा (8) पर उल्लिखित मांगों के सम्बन्ध में स्वीकृति के आदेश जारी किए जा चुके हैं। जहां तक मांग संख्या (1) का सम्बन्ध है, सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से नियमित मासिक वेतन भुगतान की व्यवस्था वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं वरन् प्रशासकीय आदेशों के माध्यम से की जा चुकी है। शेष मांगों पर अभी निर्णय नहीं लिया जा सका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रादेशिक संस्कृत विद्यालय के अध्यापकों की मांगों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो मांगें स्वीकार की है, वह अच्छी बात है लेकिन जो मांगें स्वीकार नहीं की हैं उन पर बल देते हुये एक विशेष बात जानना चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण मांग थी वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिमास बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश तत्काल निर्गत किया जाय। प्राइमरी से विश्वविद्यालय तक सभी अध्यापकों के लिये यही व्यवस्था है। तो संस्कृत अध्यापकों के लिये यह व्यवस्था लागू न करके प्रशासकीय आदेशों के माध्यम से व्यवस्था की गयी है तो इसका क्या कारण है?

श्री सिब्ते रजी –

मान्यवर, जो मांग की जाती है उसके पीछे प्रार्थी को कोई कठिनाई या असुविधा होती है। मुख्य रूप से वेतन वितरण के सम्बन्ध में संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों को समय से वेतन नहीं मिलता था और कभी-कभी शिकायतें आती थीं कि पूर्ण वेतन नहीं मिलता है एवं वितरण के सम्बन्ध में तीन-तीन महीनों तक अध्यापकों को प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, इसलिये वेतन वितरण व्यवस्था शासकीय आदेशों के माध्यम से की गयी जिससे उनकी तत्काल कठिनाई को दूर किया जा सके। चूंकि अन्य विद्यालयों में वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिमास बैंक के माध्यम से अध्यापकों को वेतन भुगतान किया जाता है और यह व्यवस्था संस्कृत पढ़ाने वाले अध्यापकों को उपलब्ध नहीं थी इसलिये उनमें असंतोष था जिससे शासन ने सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से नियमित मासिक वेतन भुगतान की व्यवस्था वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं वरन् प्रशासकीय आदेशों के माध्यम से लागू की है। शासन ने स्वयं 25 लाख रुपये वार्षिक का भार इसमें वहन करने का निश्चय किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रशासनाधिकरणों द्वारा अध्यापकों का शोषण, ग्रान्ट्स का दुरुपयोग आदि शिकायतें मिलती रहती है। यही शिकायतें अन्य विद्यालयों के बारे में भी मिलती हैं, इसलिये शासन ने सुनिश्चित करने के लिये कि हर अध्यापक को पूरा वेतन बैंक से मिल जाय उनका शोषण न हो, इसलिये यह व्यवस्था की। मैं पहले ही जानना चाहता था कि समस्त अध्यापकों को वेतन वितरण संदाय की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी लेकर शासन ने अध्यापकों को पेमेन्ट करने का वादा किया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि इन संस्कृत अध्यापकों के साथ भेद करने का क्या कारण है क्योंकि उनका शोषण तो इस व्यवस्था के बाद भी जारी रहेगा? क्या मंत्री जी अपने निर्णय पर विचार करेंगे कि जैसी प्राइमरी

से विश्वविद्यालय तक अध्यापकों के संबंध में जो वेतन वितरण की व्यवस्था है वैसी ही वेतन वितरण संदाय की व्यवस्था सभी अध्यापकों के सम्बन्ध में लागू करेंगे ।

श्री सिब्ते रजी–

इस समस्या पर गहन अध्ययन करने के बाद शासन ने इस व्यवस्था को लागू किया है और अब इस पर पुनर्विचार का कोई सवाल नहीं उठता है।

*11–श्री मूलचन्द—

[3रे सोमवार के लिए स्थगित]

सहायता प्राप्त विद्यालयों को राजकीय विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान सुविधायें

*12–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा अधिनियम के अध्याय 3 विनियम 99 तथा राजाज्ञा संख्या 4801-पन्द्रह 83099/1973 दिनांक 24-1-74 के द्वारा 1-11-73 से वेतनादि की पैरिटी प्रदान कर देने के उपरान्त शासन वचनबद्ध है कि जो सुविधाएं राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी को प्रदान कर दी जायेगी वही सुविधायें सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्रदान की जायेगी? यदि हां, तो अभी तक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत इसी श्रेणी के कर्मचारियों को नकदीकरण, सलेक्शन ग्रेड तथा पारिवारिक पेंशन आदि की सुविधायें क्यों नहीं प्रदान की गयी है?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं।

सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय-3 के विनियम 99 में केवल विभिन्न प्रकार के अवकाशों की अनुमन्यता प्रश्नगत राजाज्ञा दिनांक 24-1-74 में केवल वेतनमानों की राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से समानता प्रदान की गई है।

इससे अन्य सुविधाओं को दिये जाने की वचनबद्धता का प्रश्न नहीं उठता।

प्राइमरी स्कूल मिर्जापुर ब्लाक बेरिया बलिया के भवन का निर्माण

*13–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जनपद के ब्लाक बेरिया अन्तर्गत प्रा0 स्कूल मिर्जापुर के भवन की मरम्मत केन्द्रीय शासन से प्राप्त धन से 1986-87 में करायी गयी थी और जिसकी नयी छत की लीफ हटाते ही गिरकर ध्वस्त हो गयी और क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने एक माह पूर्व ही सम्बन्धित अधिकारियों से लिखित शिकायत घटिया निर्माण कार्य की की थी तथा छत ध्वस्त होने की सम्भावना व्यक्त की थी? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री सिब्ते रजी–

जी हां

(विकास खण्ड अधिकारी के माध्यम से कराई गयी थी)

जी हां

जी हां

सम्बन्धित ग्राम सेवक को विकास खण्ड अधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया है।

फिरोजाबाद के मुहल्ला हनुमानगंज में गोली काण्ड से मृत्यु तथा आतंक

*14–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के मोहल्ला हनुमानगंज में लोटन लाल कृष्ण धर्मशाला के निकट दिनांक 24-6-86 को दिन दहाड़े प्रातः 10 बजे मोपेड पर सवार आत्माराम शुक्ला ट्रान्सपोर्टर को 5-7 असामाजिक तत्वों ने सरे बाजार गोलियों से दाग दिया था जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी और असामाजिक तत्वों ने गोलियां चलाकर पूरी बस्ती को आतंकित कर दिया जिससे लगातार चार दिन कारोबार ठप्प रहा? यदि हां, तो शासन ने नागरिकों को भयमुक्त करने हेतु क्या उपाय किये?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री आत्मा राम शुक्ला अपनी मोपेड से फिरोजाबाद नगर में हनुमान रोड स्थित डा0 लक्ष्मी नरायन गुप्ता की क्लीनिक के सामने दिनांक 24-6-86 को दिन में लगभग 9-30 बजे जैसे ही पहुंचे वैसे ही 6-7 अभियुक्तों ने उन्हें घेर लिया और वहीं सड़क पर ही उन पर गोलियां चला दीं, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अभियुक्तों ने 5-6 फायर करके घटनास्थल पर आतंक व्याप्त कर दिया था, जिससे आस-पास के लोगों ने अपनी दूकानें बन्द कर दी थीं किन्तु स्थानीय पुलिस ने मौके पर जाकर स्थिति नियंत्रित की, जिसके फलस्वरूप एक घण्टे बाद लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल दीं। नागरिकों को भयमुक्त तथा मृतक के परिवार की सुरक्षा हेतु सशस्त्र गश्त व पिकेट की व्यवस्था की गई।

*15–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

[दिनांक 22-7-87 को अ0सू0ता0प्र0सं0 1 द्वारा उत्तरित]

नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को कुछ लोगों द्वारा पीटे जाने का आरोप

*16–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 25 सितम्बर, 85 को नगर पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को कुछ लोगों ने पीटा? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

थानाध्यक्ष राजमणि मिश्रा के विरुद्ध मैजिस्ट्रीयल जांच

*17–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1983 में थानाध्यक्ष राजमणि मिश्रा के विरुद्ध राबर्ट्सगंज मैजिस्ट्रियल/जिलाधिकारी, मिर्जापुर के आदेशानुसार कोई जांच चल रही है? यदि हां, तो जांच में कौन से तथ्य प्रकाश में आये और उन पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां। परगना मजिस्ट्रेट राबर्ट्सगंज द्वारा की जा रही मजिस्टीरियल जांच अब भी प्रचलित है। जांच प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते।

*18–श्री राम सजीवन–

[दिनांक 4-3-87 को अता0 प्र0 सं0 35 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इन्स्पेक्टर पद तक के कर्मियों के लिए मुफ्त भोजन व्यवस्था का प्रस्ताव

*19–श्री हर्ष वर्धन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सब-इन्स्पेक्टर पद तक के कर्मियों को भोजन हेतु मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्या सरकार भारतीय सेना के जवानों को मिलने वाली मुफ्त राशन सुविधा के समान इन्हें भी मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेगी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं।

भारतीय सेना एवं राज्य की पुलिस के कर्तव्य व दायित्व भिन्न हैं। अतएव उनको मिलने वाली सुविधाएं समान करने का औचित्य नहीं है।

शिवपुरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खण्डासा, फैजाबाद की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*20–श्री भगवान दीन कुशवाहा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण कुमार, सदस्य, विधान सभा के पत्र के साथ संलग्न श्री जगन्नाथ निवासी ग्राम कौराह पटखौली, पोस्ट खण्डासा, जनपद फैजाबाद का शिवपुरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खण्डासा, फैजाबाद की प्रबन्ध समिति में व्याप्त अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र दिनांक 2-2-87 शिक्षा सचिव को तथा दिनांक 17-2-87 माननीय शिक्षा मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें बिन्दुवार शिकायतें क्या हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

शिकायतें निम्नवत्:–

(1) शिकायतकर्ता श्री जगन्नाथ को वर्ष 1975-76 में प्रबन्ध समिति व प्रधानाचार्य के षडयंत्र के अन्तर्गत विद्यालय के चतुर्थ श्रेणीय कर्मचारी पद से निकाला जाना।

(2) वर्ष 1975-76 में विद्यालय के अध्यापक श्री समर बहादुर सिंह को सेवा से निकाल दिया गया था जिसका मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) सेवा समाप्ति के समय ही सेवा में बहाल करने के अनुरोध के बावजूद प्रबन्ध समिति व प्रधानाचार्य की साजिश के कारण न्याय न मिलना।

(4) विद्यालय के वर्तमान प्रबन्धक श्री मथुरा प्रसाद तिवारी ने अपने सगे रिश्तेदार श्री दान बहादुर पाण्डेय को प्रधानाचार्य के पद प नियुक्त कर रखा है जो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के प्राविधानों के प्रतिकूल है। अत: श्री पाण्डेय को विद्यालय की सेवा से हटाया जाय ।

(5) श्री मथुरा प्रसाद तिवारी एक राजकीय कर्मचारी हैं और उक्त विद्यालय के प्रबन्धक हैं अत: उन्हें प्रबन्ध समिति से हटाया जाय ।

(6) श्री जगन्नाथ शिकायतकर्ता को सेवा में लिए जाने हेतु विचार किया जाय व सेवा में लिया जाय ।

प्रबन्ध तंत्र द्वारा जांच हेतु संबंधित अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 घ (2) के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रस्ताव जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद ने मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद एवं शिक्षा निदेशालय को भेजा है ।

अतारांकित प्रश्न

प्रधानाचार्य, बल्देव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज पलियाकलां, खीरी के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा प्रधान लिपिक को अवैध नियुक्ति

1—श्री वीरेन्द्र सोन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को संसद सदस्य श्री धर्मगंज सिंह का दिनांक 15-11-85 का रजि0 पत्र प्रधानाचार्य बल्देव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज पलियाकलां, जिला खीरी के विरुद्ध जांच में आरोप सिद्ध होने पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, लखीमपुर खीरी ने प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही हेतु विद्यालय की प्रबन्ध समिति को निर्देश दे दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2—श्री वीरेन्द्र सोन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी स्थित बलदेव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज पलियाकलां में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत श्री कालीचरण को उक्त पद हेतु शासनादेश द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता न रखते हुए भी प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार, इस गम्भीर मामले की जांच कराकर नियमानुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा संबंधित लिपिक की सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त लिपिक की सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त कर दिया गया । अब वह कार्यरत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

3—श्री वीरेन्द्र सोन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक उ० प्र० ने दिनांक 12-9-86 को, श्री के० बी० गुप्त जिला महामंत्री राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस (आई) के पत्रांक संख्या 2670/दिनांक 6-9-86 जो बल्देव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलिया-कलां, जनपद खीरी के प्रधानाचार्य श्री राजकुमार दीक्षित के विरुद्ध कार्यवाही से संबंधित है, पर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, षष्ठ मण्डल, लखनऊ को जांच आख्या के आधार पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने के संबंध में आदेश दिये थे । यदि हां, तो उक्त प्रधानाचार्य के विरुद्ध जांच आख्या के आधार पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण रहा ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

प्रधानाचार्य के विरुद्ध कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थीं । इनकी जांच जिला विद्यालय निरीक्षक तथा उप शिक्षा निदेशक ने की थी । प्रधानाचार्य के विरुद्ध इन जांच आख्याओं के आधार पर विद्यालय के साधिकार नियंत्रक को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु भेज दिया गया था । साधिकार नियंत्रक ने उपरोक्त जांच आख्याओं तथा अपनी जांच के आधार पर प्रधानाचार्य की दो वेतन वृद्धियां रोकने का निर्णय लिया ।

शिकायतकर्ता श्री गुप्ता ने साधिकार नियंत्रक के उपरोक्त निर्णय को संलग्न कर अपने उक्त आवेदन-पत्र में उक्त निर्णय पर आपत्तियां करते हुए तथा कुछ अन्य शिकायतें शिक्षा निदेशक को उपरोक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 6-9-86 को दिया ।

शिक्षा निदेशक द्वारा उपरोक्त आवेदन-पत्र विभागीय अधिकारियों के माध्यम से साधिकार नियंत्रक को भेजा गया ।

इसी बीच एक तथाकथित नवगठित प्रबन्ध समिति द्वारा मा० उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका पर दिये गये अन्तरिम आदेश के अनुसार साधिकार नियंत्रक ने उक्त तथाकथित नवगठित प्रबन्ध समिति को कार्यभार दे दिया ।

इस कालेज के सम्बन्ध में पुनः एक अन्य नई प्रबन्ध समिति गठित हो गई और उसने 9-2-87 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया । इसको जिला विद्यालय निरीक्षक ने मान्यता प्रदान कर दी । यह समिति वर्तमान समय में प्रभावी नियंत्रण में है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने 2-3-87 को इस नई प्रबन्ध समिति को प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दे दिये हैं । कार्यवाही प्रबन्ध समिति के विचाराधीन है ।

4—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी स्थित बल्देव वैदिक विद्यालय इण्टर कालेज, पलियाकलां के प्रधानाचार्य श्री राजकुमार दीक्षित को दिनांक 8 नवम्बर, 79 में कालेज के साधिकार नियंत्रक द्वारा गम्भीर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में निलम्बित किये जाने तथा उसके बिना विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण किये निस्तारण के सम्बन्ध में श्री के0 बी0 गुप्त, जिला महामंत्री राष्ट्रीय छात्र संगठन कांग्रेस (आई) का शिकायती-पत्र संख्या 2669/दिनांक 2-9-86 जिला विद्यालय निरीक्षक, खीरी, उप शिक्षा निदेशक, षष्ठ मण्डल, लखनऊ को दिनांक 4-9-1986 को प्राप्त हुआ, तथा उक्त पत्र की प्रति पर दिनांक 12-9-86 को शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 ने मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ को जांच कार्यवाही पूर्ण कराने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उक्त विषय पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण रहा है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

शिक्षा निदेशक ने मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ को जांच कराने के आदेश दिये । मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय को जांच का आदेश दिया । जिला निरीक्षक ने साधिकार नियंत्रक को जांच करने हेतु लिखा ।

इसी बीच एक तथाकथित नवगठित प्रबन्ध समिति द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका पर दिये गये अन्तरिम आदेश के अनुसार साधिकार नियंत्रक ने उक्त तथाकथित नवगठित प्रबन्ध समिति को कार्यभार दे दिया ।

इस कालेज के सम्बन्ध में पुनः एक अन्य नई प्रबन्ध समिति गठित हो गई और उसने 9-2-87 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया । इसको जिला विद्यालय निरीक्षक ने मान्यता प्रदान कर दी । यह समिति वर्तमान समय में प्रभावी नियंत्रण में है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने 2-3-87 को इस नई प्रबंध समिति को प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिये । कार्यवाही प्रबन्ध समिति के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड प्रतापपुर कमौचा, सुल्तानपुर के कतिपय ग्रामों के तालाबों की गोदायी का औचित्य

5—श्री शिव नारायण मिश्रा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड प्रतापपुर कमौचा, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत जो निम्न तालाबों परिगड़ा कोथरा कला, भलहीपुर, राजेपुर फरमापुर, धरवासपुर कोथरा खुर्द को विकास खण्ड के द्वारा किस योजना के अन्तर्गत गोदवाया गया, इसके गोदवाने का तात्पर्य क्या है ? क्या इसकी एम0 बी0 क्षेत्र विकास अधिकारी एवं प्रमुख नान टेक्निकल अधिकारी ए0 डी0 ओ0 (पी) से कराया जबकि इसकी एम0 बी0, ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) या ए0 डी0 ओ0 (आर0 इ0 सी0) से होनी चाहिये परन्तु ऐसा न कर इन तालाबों की गोदायी में भीषण अनियमितताएं करके धन का दुरुपयोग हुआ है ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रत्येक तालाब से कितनी घनफुट मिट्टी गोदी गयी तथा कितने गरीब लोगों को गेहूं या धन बांटा गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला परिषद् बहराइच के अवर अभियन्ता पर गबन का आरोप

6—श्री मित्रसेन—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, बहराइच में नियुक्त अवर अभियन्ता को गबन एवं सार्वजनिक धन के आरोप में जिला न्यायालय बहराइच द्वारा वर्ष 1965 में 5 वर्ष के कारागार की सजा दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त सजा के उपरान्त भी श्री मिश्र को किस आधार पर अभी भी परिषद् की सेवा में रखा गया है ? क्या सरकार श्री मिश्र को तत्काल सेवा मुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् बहराइच में नियुक्त अवर अभियन्ता श्री राम चन्द्र मिश्र, को गबन एवं सार्वजनिक धन के आरोप में जिला न्यायालय बहराइच द्वारा वर्ष 1965 में सजा दिये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक बहराइच से जानकारी प्राप्त की जा रही है । उक्त सजा की पुष्टि होने पर नियमानुसार सम्बन्धित अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

गोरखपुर विकास खण्ड चरगांवा के कतिपय ग्रामों में ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत व्यय धन

7—श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विकास खण्ड चरगांवा के ग्राम खुटहन खास, ज0 अयोध्या प्रसाद, ज0 धूसड, ज0 औराही, ज0 अहमद अली शाह ज0 तिनकोनिया नं0 2 एवं ज0 हकीम नं0 2 जो दस-दस बीस-बीस टोलों के ग्राम हैं, के विकास के लिये 1985-86 में ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना धन व्यय किया गया एवं कौन-कौन से कार्य कराये गये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

विकास खण्ड चरगांवा के प्रश्नगत ग्रामों के विकास हेतु वर्ष 1985-86 में 1.35 लाख रु0 व्यय किये गये जिसमें 2.00 कि0 मी0 सम्पर्क मार्ग 87 वर्ग मीटर खड़ंजा का कार्य कराया गया ।

जिला बाराबंकी के ताहिरपुर मानपुर मार्ग पर खड़ंजा लगाने का प्रस्ताव

8—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड हरख जिला बाराबंकी में ताहिरपुर मानपुर मार्ग पर राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य अक्तूबर, 86 में पूरा हो गया और उसका उद्घाटन भी ग्राम्य विकास राज्य मंत्री जी ने कर दिया है ? क्या इस मार्ग पर खड़ंजे का कार्य कराये जाने का आश्वासन मा0 राज्य मंत्री ग्राम्य विकास ने उद्घाटन के अवसर पर दिया था ? यदि हां, तो खड़ंजे का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं । जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज के छात्रों द्वारा मिट्टी का कार्य किया गया था परन्तु वह पूर्ण नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सत्र न्यायालय बाराबंकी ने अपील संख्या 20, वर्ष 1985 में निर्माण कार्य कराये जाने में रोक लगा दी है ।

हरदोई जनपद में नि:शुल्क बोरिंग परियोजना में सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा की गयी अनियमितता

9—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में नि:शुल्क बोरिंग परियोजना के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये पी0 वी0 सी0 पाइप में सुराख कराने का कार्य सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा 3 रु0 से 4 रु0 प्रतिमीटर की दर से ठेके पर कराया गया जिसमें प्लास्टिक का स्क्रेप जिसका बाजार मूल्य लगभग एक लाख रुपया होता है, विधिवत् नीलाम करके धन सरकारी कोष में जमा किया गया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

छिद्रण का कार्य 3/- रुपये प्रति मीटर की दर से कराया गया जिस हेतु सहायक अभियन्ता अधिकृत थे ।

जी नहीं ।

सहायक अभियन्ता द्वारा पी0 वी0 सी0 पाइप के छिद्रण कराने के कार्य में स्क्रेप वापस लेने की शर्त नहीं रखी गयी थी । अत: स्क्रेप छिद्रण कर्ता ठेकेदार के पास छोड़ दिया गया ।

10—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्य जनपदों में पी0 वी0 सी0 पाइप को छिद्रित कराने में प्लास्टिक स्क्रेप जिसका बाजार मूल्य लगभग 80 लाख रुपया होगा, विधिवत् नीलाम कर धन सरकारी कोष में जमा किया गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो सरकारी धन की इतनी बड़ी राशि के दुरुपयोग के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

अधिशासी अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत उनके द्वारा निर्धारित शर्तों पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार न्यूनतम दरों पर छिद्रण का कार्य कराया गया । कुछ जनपदों यथा बाराबंकी में स्वीकृत कोटेशन में ही यह शर्त सम्मिलित थी कि प्रस्तावित छिद्रण दर पर कार्य करने पर स्क्रेप ठेकेदार द्वारा विभाग को वापिस नहीं किया जायेगा । शेष जनपदों से उक्त एकत्र सूचना की पुष्टि की जा रही है । यहां उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई ने अपने पत्रांक 6174/ल0 सिं0/कार्य/85-86 दिनांक 11-10-85 द्वारा उक्त छिद्रण कार्य की

दरें निर्धारित करने हेतु मार्ग दर्शन जारी किया था जिसमें स्क्रेप के संबंध में कोई स्पष्ट आदेश देने से रह गये थे । जिन सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता ने उक्त निर्धारित उच्चतम दरों से अधिक दर पर छिद्रण कार्य बिना मुख्य अभियन्ता के पूर्वानुमोदन के कराया है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

विकास खण्ड चरगांवा गोरखपुर में आबादी को मानक मानकर विकास कार्य के लिए आवंटित धन

11—श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विकास खण्ड चरगांवा में कुल ग्रामों की संख्या 50 है ? जिसमें से 33 ग्राम मानीराम विधान सभा क्षेत्र के 15 ग्राम पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के, 2 ग्राम काँड़ीराम विधान सभा क्षेत्र के हैं ? यदि हां, तो क्या वर्ष 85-86 की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत धन का बंटवारा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों की संख्या के आधार पर किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पिपराइच विधान सभा क्षेत्र के 15 ग्रामों के विकास के लिये ग्रामों की संख्या के आधार पर धन दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद गोरखपुर के चरगांवा विकास खण्ड में गावों की संख्या-94 है जिसमें से जिसमें से आबाद गांवों की संख्या-54 है तथा ग्राम सभाओं की संख्या-50 है । इन 50 ग्राम सभाओं में से 36 मानीराम विधान सभा क्षेत्र में, 12 पिपराइच विधान सभा क्षेत्र में, 2 काँड़ीराम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित हैं ।

वर्ष 1985-86 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी द्वारा 1971 की जनगणना को आधार मानकर प्रत्येक विकास खण्ड की जनसंख्या के आधार पर विकास खण्ड वार धन का आवंटन किया गया था ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी जिसके माननीय विधायकगण पदेन सदस्य होते हैं, की स्वीकृति के अनुसार ही विकास खण्डों एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में धन का आवंटन किया जाता है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्लाक गोला, गोरखपुर उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न में अनियमितता

12—श्री अच्युतानन्द तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि गोरखपुर के गोला ब्लाक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन वितरण के लिए संग्रहीत गेहूं भारी मात्रा में वहां के बी0 डी0 ओ0 और ब्लाक प्रमुख की साजिश से बेंच डाला गया है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे कि इतनी अधिक मात्रा में गेहूं ब्लाक मुख्यालय पर किसके आदेश से आवंटित कर दिया गया और किसके आदेश से गेहूं ब्लाक प्रमुख के दाल मिल कम आवास में रखा गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

विकास खण्ड गोला जनपद गोरखपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यों पर मजदूरी के रूप में वितरण हेतु खाद्यान्न अवमुक्त किया गया था तथा उक्त अवमुक्त खाद्यान्न में से 604-87500 कु0 गेहूं विकास

खण्ड में स्थित सूचना हाल में तथा 69.75 कु0 गेहूं किराये के गोदाम में जो श्री राम भजन चन्द्र का था, रखवाया गया था । गोदाम में रखे उक्त गेहूं को बेंच दिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी लिखायी गयी थी । पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।

वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने की स्थिति में भारतीय खाद्यान्न निगम से 31 मार्च, तक न उठाया जाने वाला गेहूं लैप्स हो जाता है अतः विकास खण्ड द्वारा कराये जाने हेतु स्वीकृत कार्यों के लिए खाद्यान्न का आवंटन क्षेत्र समिति की मांग पर किया गया था तथा क्षेत्र समिति द्वारा उक्त गेहूं श्री राम भजन चन्द्र के गोदाम में रखा गया था ।

लखनऊ जनपद के कतिपय सम्पर्क मार्ग को उपलब्ध कराये गये धन

13—श्री शारदा प्रताप—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में सादुल्लानगर-एेन मार्ग बंथराखण्डी, देव मार्ग सकरा-दोना-रेवरी सम्पर्क मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर शासन द्वारा कितना धन व्यय किया गया ? क्या पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी जिलान्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा मार्ग निर्माण में धांधली

14—राजित प्रसाद यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिलान्तर्गत आजमगढ़ रोड पर स्थित ग्राम बभनपुरवा से ग्राम बेनीपुर कला व बेनीपुर से ग्राम मंहदा-मैगोलेपुर स्वीकृत मार्ग के निर्माण के लिए आवंटित धनराशि ग्राम बलिरामगंज रोड पर व्यय किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन लोग उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

इसके लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जिला वाराणसी से संबंधित अधिकारी उत्तरदायी हैं । उनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, वाराणसी को निर्देश दे दिये गये हैं ।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी में वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति

15—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी में कनिष्ठ लिपिक श्री कृष्णानन्द पाठक, राम जतन पाल एवं मोतीलाल गौड़ की पदोन्नति 1983 में वरिष्ठ लिपिक के पद पर की गई थी, उन्हें पुनः 470-735 के वेतनमान में पदावनत कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है ? क्या इनसे वरिष्ठ लिपिक विभाग में अवशेष थे ? यदि हां, तो कितने ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जिला विकास कार्यालयों के लिपिकीय/लेखा संवर्ग के विभिन्न पदों को उच्चीकृत करने के फलस्वरूप इन पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़कर चयन के उपरान्त नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया । मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी के कार्यालय में लेखा संवर्ग के वेतनमान रु0 470-735 के 6 पदों हेतु 6 कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया गया जिनमें से 3 को अनुपयुक्तता के आधार पर अतिक्रमित कर वरीयता क्रमानुसार सर्वश्री कृष्णानन्द पाठक, राम जतन पाल एवं मोतीलाल गौड़ को वेतनमान रु0 470-735 में उच्चीकृत किया गया, किन्तु कतिपय आपत्तियां प्राप्त होने पर पूर्व में प्रसारित संवर्गवार ज्येष्ठता सूची संशोधित की गई जिससे उच्चीकृत की गई सूची को निरस्त कर दिया गया और इससे उपरोक्त वर्णित 3 कर्मचारी भी प्रभावित हो गए तथा इनका उच्चीकरण निरस्त हो चुका है ।

गोरखपुर के विकास खण्ड धानी में कार्यरत श्री विद्यासागर सिंह एवं श्री इन्द्र देव त्रिपाठी का स्थानान्तरण आदेश

16—श्री हर्षवर्धन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड धानी में कार्यरत श्री विद्यासागर सिंह एवं श्री इन्द्र देव त्रिपाठी पिछले 12 वर्ष की अपनी सेवा अवधि में कितने वर्ष विकास खण्ड धानी में नियुक्त रहे हैं ? उक्त व्यक्तियों का अत्यधिक समय तक एक ही विकास खण्ड में नियुक्ति को दृष्टिगत रखते हुए शासन क्या इनका स्थानान्तरण अन्यत्र करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड धानी में श्री विद्या सागर सिंह 12 वर्षों तक तथा श्री इन्द्र देव त्रिपाठी 8 वर्ष तक कार्यरत रहे । उक्त दोनों कर्मचारियों के एक ही विकासखण्ड में अत्यधिक समय तक तैनात रहने के फलस्वरूप श्री इन्द्र देव त्रिपाठी को बृजमनगंज विकास खण्ड में जुलाई, 1986 में स्थानान्तरित कर दिया गया और उन्होंने नये विकास खण्ड में अक्टूबर, 1986 में योगदान कर लिया है । जिलाधिकारी, गोरखपुर को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि श्री विद्या सागर सिंह को भी तुरन्त अन्यन्त्र स्थानान्तरित किया जाय ।

उन्नाव के एस0 एस0 आई0 इण्टर कालेज बाबू खेड़ा में प्रवक्ता एवं सी0 टी0 ग्रेड के सृजित पदों की संख्या तथा प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति के विरुद्ध आरोप

17—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के एस0 एस0 आई0 इण्टर कालेज बाबूखेड़ा में प्रवक्ता के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद सी0 टी0 ग्रेड के हैं ? क्या यह सही है कि बिना पद सृजन के 9 मई, 1986 को एक प्रवक्ता व वर्ष 1984 में एक सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापक की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो यह नियुक्तियां किन नियमों के अन्तर्गत की गई हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

कथित विद्यालय में प्रवक्ता के पांच तथा सी0 टी0 ग्रेड के नौ पद स्वीकृत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

18—राम गोविन्द चौधरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद के एस0 एस0 आई0 इण्टर कालेज बाबूखेड़ा में 16 जून, 1984 से एकाकी परिचालन एवं 15-3-86 से प्राधिकार नियंत्रक नियुक्त किया गया है ? क्या यह सही है कि प्रबन्ध तन्त्र के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप निराधार पाए गए ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय से नियंत्रक व एकाकी परिचालन से मुक्त कराकर प्रबन्ध तंत्र को सौंपने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जी नहीं ।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ द्वारा आरोप सत्य पाये गये ।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किये जाने संबंधी आदेशों के विरुद्ध वेतन वितरण अधिनियम की धारा-7 के अनुसार प्रबंधक की अपील शिक्षा निदेशक के विचाराधीन है ।

अपील पर निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

यात्रीकर अधीक्षकों के प्रत्यावर्तन का मामला न्यायालय के विचाराधीन

19—श्री कौशिक रमा शंकर, श्री देव कुमार यादव तथा श्री गोपाल दास यादव—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1979 में सीधी भर्ती के अन्तर्गत तदर्थ रूप से नियुक्त यात्री कर अधीक्षकों को परिवहन आयुक्त के प्रत्यावर्तन संबंधी आदेश, दिनांक 4 मार्च, 1985 का क्या औचित्य था ? क्या यह सही है कि परिवहन आयुक्त के उपरोक्त प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 4 मार्च, 1985 को निरस्त करने के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय ने 28-5-82 व 30-5-86 तथा सर्वोच्च न्यायालय ने 30-1-84, 8-4-85, 8-7-85, 1-4-86 एवं अब 30-10-86 को बराबर आदेश दिये, जिसे परिवहन आयुक्त द्वारा न तो स्वयं माना गया, बल्कि उनके द्वारा दिनांक 15-9-86 को एक गोपनीय परिपत्र जारी करके सभी सम्भागीय अधिकारियों को उपरोक्त उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30-5-86 को न मानने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार मा0 उच्च नायायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का समादर करते हुये जनहित में उपरोक्त सभी सात यात्री कर अधीक्षकों को वर्तमान यात्री कर अधीक्षक के पद पर मानते हुए उनको देय वेतन का भुगतान करने हेतु परिवहन आयुक्त को निर्देश देने का कष्ट करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह—

"माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुपालन में इन यात्रीकर अधीक्षकों को परिवहन आयुक्त के 4-3-85 के आदेश द्वारा प्रत्यावर्तित किया गया था ।"

यह विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में "सब ज्युडिस" है । माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही संभव होगी ।

बस्ती, डुमरियागंज फायर स्टेशन के लिए उपलब्ध अग्निशमन एवं तत्सम्बन्धी भूमि अधिग्रहण के निर्देश

20–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर जो अग्निशमन स्टेशन की स्थापना की गई है, उसमें जितने अग्निशमन वाहन की स्वीकृति है वे सब वहां उपलब्ध हैं ? क्या अग्निशमन स्टेशन की स्थायी स्थापना के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो जनहित के इस मामले में ग्राम सभा सिरसिया की बंजर भूमि जो पक्की सड़क के शाहपुर सिंगारजोत रोड पर है, में उक्त स्टेशन बनवाने का कष्ट करेंगे जबकि वहां की गांव सभा जमीन देने को तैयार है और डुमरियागंज थाने के 1 किमी0 परिधि के अन्दर ही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार डुमरियागंज फायर स्टेशन के लिए स्वीकृत अग्निशमन यंत्रों/वाहनों में से एक पोर्टेबुल पम्प को छोड़कर शेष समस्त यंत्र/वाहन उपलब्ध करा दिये गये है । उक्त फायर स्टेशन की स्थायी स्थापना के लिए भूमि का चयन अभी नहीं किया गया है । जहां तक ग्राम सभा सिरसिया की बंजर भूमि पर इस फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, बस्ती को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दे दिये गये है ।

जिला परिषद् इटावा के सेवामुक्त कर्मचारियों द्वारा रिट याचिका के पैरवीकार के विरुद्ध शिकायत

21–श्री औसान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् इटावा के सेवामुक्त 6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर याचिका से संबंधित जिला परिषद् इटावा द्वारा पैरवी हेतु किस कर्मचारी को अधिकृत किया गया था ? क्या प्राधिकृत कर्मचारी ने अपना पद नाम प्रति शपथ पत्र में सही अंकित किया था एवं उक्त कर्मचारी द्वारा जन प्रतिनिधियों की भावनाओं का निरादर करने का प्रयास करने के संबंध में जिलाधिकारी इटावा को व शासन को कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कर्यवाही की गयी और दोषी कर्मचारी को क्या दण्ड दिया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत रिट याचिका की पैरवी हेतु जिला परिषद् इटावा के कर्मचारी श्री श्याम सुन्दर पाठक को अधिकृत किया गया था ।

श्री पाठक ने पद नाम स्थापना लिपिक लिखा था ।

प्रश्नगत शिकायत के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री फतेहसिंह शर्मा लेखाकार जिला परिषद् इटावा की प्रत्यावर्तित किए जाने के आदेश

22–श्री औसान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् इटावा के लेखाकार के विरुद्ध मजिस्ट्रियल व शासन स्तर से जांच किये जाने पर इनकी नियुक्ति अनियमित घोषित होने के पश्चात् इन्हें प्रत्यावर्तित करने के शासनादेश दिनांक 7-10-86 एवं मण्डलायुक्त, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22-10-86 का अनुपालन जिलाधिकारी इटावा द्वारा नहीं किया गया है और एक अनर्ह व्यक्ति लेखाकार के पद पर कार्यरत है ? यदि हां, तो गलत वेतन आहरण के लिए उत्तरदायी कौन है और अनियमित नियुक्ति के फलस्वरूप इन्हें प्रत्यावर्तित करने में पूर्व में आहरित गलत वेतन वसूले जाने में क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

शासनादेश सं0–7166बी/33-2-7बी (4)/85 दिनांक 7-10-86 द्वारा श्री फतेह सिंह शर्मा की नियुक्ति लेखाकार के पद पर जिला परिषद् सेवा नियमावली 1984 (ग्यारहवां संशोधन) के क्रमांक 4 के स्तम्भ 7 में लेखाकार पद के लिए निर्धारित अर्हता न रखते हुए तथा सक्षम अधिकारी से बिना छूट लिए की गयी अनियमित नियुक्ति के फलस्वरूप उन्हें लेखाकार पद से प्रत्यावर्तित किये जाने का आदेश अध्यक्ष, जिला परिषद् इटावा को भेजा गया है । इसी शासनादेश के तहत कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद् इटावा को लिखा गया है ।

श्रीमती विद्या श्रीवास्तव द्वारा राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय बस्ती का प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य भार ग्रहण करना तथा वेतन भुगतान

23–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम शंकर लाल भू0पू0 सांसद व अध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बस्ती का कोई आवेदन-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ मुख्य मंत्री को दिनांक 10-3-87 को दिया गया था और वह मुख्य मंत्री के विधायक कोष्ठ के पत्र सं0 सी0एम0बी0 को0/एम0-2/3-41/गो0/87 सचिव शिक्षा दिनांक 12-3-87 को स्पष्ट आदेश के साथ भेजा गया था कि श्रीमती विद्या श्रीवास्तवा पुत्री श्री राम शंकर लाल को वरिष्ठता के आधार पर राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय बस्ती का प्रधानाध्यापक का अस्थायी कार्यभार दिला दिया जाय तथा उनके फरवरी माह के रोके गये वेतन का भी भुगतान कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या इस आदेश के आधार पर वह वरिष्ठता क्रम के आधार पर उन्हें उक्त विद्यालय का कार्यभार प्रधानाध्यापक के रूप में दिलाया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

निदेशालय से मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर को नियमानुसार भुगतान हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

जी हां ।

उन्हें दिनांक 3-4-87 को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया ।

24–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय नरहरिया बस्ती के प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यभार 3-7-86 से अब तक वरिष्ठता के आधार पर श्रीमती विद्या श्रीवास्तव को मिलना चाहिये था और क्या यह भी सही है कि इन्हें चार्ज दिलाने का निर्देश सहायक निदेशक (बेसिक) गोरखपुर ने दिनांक 27-10-86 को बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) बस्ती को दिया था परन्तु जिलाधिकारी ने इस आदेश को इस आधार पर निरस्त करने का कि श्रीमती विद्या श्रीवास्तव को प्रभारी कार्यभार दिलाने में शान्ति भंग की सम्भावना है की सूचना डिप्टी डायरेक्टर (बेसिक) को प्रेषित की जिसके आधार पर दिनांक 5-11-86 को सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक ने उक्त आदेश को रद्द कर दिया ? यदि हां, तो जिलाधिकारी को शान्ति भंग की आशंका होने का आधार क्या था ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

विद्यालय में तनावपूर्ण स्थिति एवं अध्यापिकाओं में दलबन्दी आदि के कारण स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं परगना मजिस्ट्रेट की आख्याएं प्राप्त हुई थीं कि शान्ति भंग की आशंका है ।

जनपद बस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित धन एवं व्यय कार्य की जानकारी की मांग

25–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में वर्ष 1984-85, 85-86 तथा 86-87 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने कार्यदायी संस्थाओं को कुल कितने-कितने रुपये के स्वीकृत कार्यों को कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी और उन कार्यदायी संस्थाओं को उन कार्यों को कराये जाने हेतु कुल कितना-कितना धन वर्षवार अवमुक्त किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बस्ती के कतिपय विकास खण्डों हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धन एवं विकास कार्य के विवरण की मांग

26–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खण्ड रूधौली, सांथा तथा खेसरहा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 1984-85, 85-86 तथा 86-87 में प्रत्येक वर्ष-वार तथा विकास खण्ड वार स्वीकृत कार्यों को पूर्ण अथवा नव निर्माण करने हेतु कुल

कितना रुपया स्वीकृत किया गया था और विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को कितना-कितना रुपया इन स्वीकृत कार्यों हेतु अवमुक्त किया गया ? क्या मा0 मंत्री जी वर्षवार स्वीकृत कार्यों की सूची और प्रगति आख्या सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मार्ग निर्माणाधीन होने के कारण परिवहन की बसों का गौरी गांव (आजमगढ़) तक संचालित न होना

27–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया, अहरौला मार्ग पर स्थित गौरी गांव तक आजमगढ़ से रोडवेज बस आती थी तथा गौरी गांव में रात्रि में रहती थी ? यदि हां, तो अब इस बस के गौरी गांव तक न आने का क्या कारण है?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त मार्ग निर्माणाधीन है, जिसके फलस्वरूप उक्त बस गौरी गांव तक संचालित न होकर वहां से एक किमी0 पूर्व ग्राम भदौरा तक संचालित है ।

सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल कमच्छा में झण्डोत्तोलन के समय अध्यापकों द्वारा आरोपित-पत्र की जांच

28–श्री राज किशोर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 26 जनवरी, 86 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल कमच्छा वाराणसी परिसर में एक विदेशी द्वारा झण्डोत्तोलन के संबंध में विद्यालय के दो अध्यापकों डा0 दयाराम वर्मा व सतीश चन्द्र पाण्डे द्वारा जिलाधीश व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को सम्बोधित व मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को प्रेषित पत्र दिनांक 26-1-86 पर कोई कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां, जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

अशोक इण्टर कालेज, रामपुर कारखाना, देवरियां के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कथित आरोपित पत्र

29–श्री चन्द्रसेन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोक इण्टर कालेज, रामपुर कारखाना, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य के विरुद्ध काला धन अर्जित कर बघऊच घाट देवरिया में मकान बनवाने, रामपुर कारखाना के बैंकों में लाखों रुपये जमा किये जाने, स्कूल में प्रवेश, मार्कशीट, सार्टिफिकेट आदि दिये जाने में अनियमितता बरतने आदि के संबंध में उक्त कालेज के अध्यापक श्री सतीश चन्द्र चपरासी श्री रामानन्द व संस्था के सदस्यों के माह जुलाई/अगस्त 1985 में कितने शिकायती-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया को प्राप्त हुये हैं ? उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया की सूचना के अनुसार उन्हें कथित कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

इसके अतिरिक्त जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह सूचित किया है कि संबंधित अध्यापक तथा चपरासी ने उन्हें लिखकर दिया है कि उन्होंने ऐसा कोई शिकायती-पत्र नहीं दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के गृह जनपद सीमावर्ती उपनिरीक्षकों के स्थानान्तरण आदेश

30–श्री मनोहर लाल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 500/आठ-1-86, दिनांक 11 जुलाई, 1986 (गृह पुलिस अनुभाग-1) के अनुसार जनपद सुल्तानपुर में कितने ऐसे थानाध्यक्ष (उप निरीक्षक) हैं जो अपने गृह जनपद के सीमावर्ती जिले में कार्यरत हैं ? क्या सरकार प्रश्नगत शासनादेश के अनुसरण में उक्त थानाध्यक्षों का स्थानान्तरण करेगी ? क्या यह सही है कि थानाध्यक्ष शुक्ल बाजार जनपद सुल्तानपुर भी अपने गृह जनपद (रायबरेली एवं बाराबंकी) के सीमावर्ती जिले में ही तैनात है ? यदि हां, तो क्या उन्हें उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में स्थानान्तरण करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार 12 उप निरीक्षक सुल्तानपुर जनपद में ऐसे हैं जिनका गृह जनपद सीमावर्ती है । इनमें दो उप निरीक्षकों को छोड़कर सभी के स्थानान्तरण के आदेश दिये जा चुके हैं । एक थानाध्यक्ष मार्च, 88 को सेवा निवृत्त हो रहे हैं अतः उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है तथा दूसरे थानाध्यक्ष को जी0आर0 पी0 में स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

थानाध्यक्ष शुक्ल बाजार सीमावर्ती जनपद के हैं परन्तु उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय के के आदेश संख्या: पांच-314-87 दिनांक 5-5-87 द्वारा इनका स्थानान्तरण गोरखपुर परिक्षेत्र कर दिया गया है।

श्री श्याम देव, चपरासी, अशोक इन्टर कालेज, रामपुर कारखाना, देवरिया की सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि का परिवर्तन

31–श्री चन्द्र सेन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोक इण्टर कालेज, रामपुर कारखाना, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य द्वारा उक्त कालेज के चपरासी श्री श्याम देव की सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि 1-5-1923 को काटकर 20-5-1929 कर दिया गया है तथा श्री श्याम देव चपरासी की वास्तविक सेवानिवृति तिथि 1-5-83 से 11-7-84 तक की अवधि का वेतन आदि भी सरकारी खजाने का आहरित कर लिया गया है और इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को होने पर श्री श्याम देव को 11-7-84 को सेवा मुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेवा पुस्तिका सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

श्री श्याम देव की सेवा पुस्तिका में जन्म-तिथि काट कर नहीं वरन् मिटाकर 20-5-1929 की गई है।

उन्हें 1-5-1983 से 30-6-84 तक वेतन भुगतान भी किया गया है तथा उन्हें 11-7-1984 को प्रधानाचार्य द्वारा सेवा निवृत्त कर दिया गया था।

सेवा पुस्तिका मेरे कार्यालय कक्ष में इस सत्र के दौरान देखी जा सकती है । प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस आफिस मैनुअल में सहायक उपनिरीक्षक का पद

32–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पैरा 191 पुलिस मैनुअल में सहायक उप पुलिस निरीक्षक रखने का प्राविधान है? यदि नहीं, तो उस श्रेणी में प्रोन्नति प्राप्त उप निरीक्षक को कुछ समय तक सहायक उप निरीक्षक क्यों माना जा रहा है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

पुलिस आफिस मैनुअल के प्रस्तर 191 में सहायक पुलिस उप निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति का प्राविधान नहीं है।

उक्त रिक्तियों का प्रशासनिक दृष्टिकोण से भरा जाना आवश्यक था, जिसके फल-स्वरूप जब कभी भी सहायक उपनिरीक्षकों को उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के पद पर प्रोन्नतियां प्रदान की गई उनकी परिणामी रिक्तियों में प्रोन्नतियां प्रदान की जाती रही है।

अतः इस प्रकार की प्रोन्नतियों को उपनिरीक्षक के पद की प्रोन्नतियां माने जाने का प्रश्न नहीं उठता।

स्व0 श्री जीउत राम, गोपालपुर बलिया के ऋण की उनके आश्रितों से वसूली

33–श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री जीउत राम आत्मज श्री राम नरायन, ग्राम गोपालपुर, विकास खंड चिलकहर, जनपद बलिया को सुअर पालन हेतु खण्ड विकास अधिकारी चिलहर, बलिया द्वारा दिनांक 27-3-82 को रु0 2,000/- का ऋण स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो क्या उनके मरणोपरांत उनके पुत्र श्री नन्द लाल से सरकारी छूट के बिना सम्पूर्ण धनराशि वसूल करने की नोटिस दी गयी है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है? क्या शासन स्व0 श्री जीउत राम को दिए गए ऋण पर देय छूट उनके पुत्र श्री नन्द लाल को भी यथावत प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

श्री जीउत राम के मरणोपरान्त उनके पुत्र श्री नन्दलाल से ऋण वसूली हेतु सम्बंधित बैंक द्वारा नोटिस दी गई है। शाखा प्रबंधक, शाखा सवंरा द्वारा दिनांक 9-3-87 को 666.00 रु0 अनुदान का समायोजन स्व0 श्री जीउत राम के खाते में कर दिया गया है।

श्री वृन्दावन एवं श्री सीता राम अध्यापक शनिचरा बाजार एवं बैकुण्ठपुर (बस्ती) के स्थानान्तरण का क्रियान्वयन न होने पर कार्यवाही

34–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापक श्री वृन्दावन तथा श्री सीताराम का स्थानान्तरण क्रमशः प्राइमरी पाठशाला शनिचुरा बाजार तथा बैकुण्ठपुर, तहसील खलीलाबाद जनपद बस्ती से वर्ष 1986 में किया गया है किन्तु उक्त स्थानान्तरण का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां।

इस संबंध में निदेशक से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपनी संस्तुति से शासन को अवगत कराने के निर्देश दे दिये गये है। स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन न करने के कारण संबंधित अध्यापकों का वेतन भुगतान रोक दिया गया है।

35–श्री विष्णु देव–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री रामधारी मौर्य कतरौली, मधुबन आजमगढ़ के घर की गई डकैती एवं हत्या का मामला न्यायालय के विचाराधीन

36–श्री विष्णु देव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 6/7 दिसम्बर, 1986 की रात ग्राम कतरौली, थाना मधुबन जनपद आजमगढ़ में रामधारी मौर्य के घर भीषण डकैती हुयी जिसमें डकैतों की गोली से गृह स्वामी रामधारी मौर्य की हत्या हुयी तथा आधे दर्जन स्त्री पुरुष बुरी तरह जख्मी हुये तथा डांकू पचीसों हजार का सामान लूट ले गये जिसका थाना मधुबन में धारा 396 में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था? यदि हां, तो अब तक कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये तथा अभियुक्तगणों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां,

डकैतों की गोली से रामधारी मौर्य की मृत्यु हुयी थी।

जी नहीं,

जी हां,

प्रथम सूचना में नामित 4 नामजद अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया । उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 16-2-87 को प्रेषित किया जा चुका है, जो न्यायालय के विचाराधीन है।

सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा कासगंज के विरुद्ध शिकायती-पत्र

37–श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक शिकायती-पत्र दिनांक 8-1-1987 जो सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा कासगंज जनपद एटा द्वारा किए गए शासकीय धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन ने सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां । मामले की जांच करने हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टेक्निकल आडिट सेल, ग्राम्य विकास विभाग को सन्दर्भित कर दिया गया है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध, यदि आवश्यक हुआ तो कार्यवाही की जायगी ।

38–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

राज्य चीनी निगम के तत्कालीन सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

39–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम गोविन्द चौधरी के प्रश्न दिनांक 9 सितम्बर, 1986 प्रश्न–2 नत्थी (ग) (द्वितीय सत्र 1986) में श्री रघुवर दयाल वर्मा को अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के तत्कालीन सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध जांच रिपोर्ट निगम को देकर एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या रही और क्या चीनी निगम ने उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

न्याय पंचायतों के निर्वाचन

40–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायतों के निर्वाचन का समय 4 वर्ष व्यतीत होने जा रहे हैं लेकिन न्याय पंचायतों के निर्वाचन अभी तक नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या निर्वाचन शीघ्र कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

न्याय पंचायतों के गठन का मामला शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

41–श्री किरन पाल सिंह–

[व्यक्तिगत होने के कारण निरस्त]

42–श्री अकबर हुसैन बाबर–

[3रे सोम0 में अता0 प्र0 सं0 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम चिराकोहर्ट थाना देवगांव, आजमगढ़ में हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही

43–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या गृह मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-1-87 सवर्णों द्वारा हरिजनों को ग्राम चिराकीहर्ट, थाना–देवगांव, जनपद–आजमगढ़ में उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त हुआ है, जो जिलाधिकारी आजमगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

फैजाबाद में भा0 कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय/आवास पर पुलिस द्वारा लूट मार की घटना

44–श्री मित्रसेन–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि 5 मार्च, 1985 को रात्रि 12 बजे भा0 कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय/आवास को पुलिस कर्मियों ने आग लगा दी थी और लूट मार करके पार्टी के कार्यकर्ताओं को घायल किया था जिसकी रिपोर्ट प्रश्नकर्ता ने स्वयं दिनांक 6/7 मार्च, 1985 को थाना कैन्ट फैजाबाद में अंकित करायी थी ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से कराई गयी । जांच से कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया । अतः इस अभियोग की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गई ।

श्री कर्मजीत सिंह ग्राम शंकरपुर व श्री हंसराज पाण्डेय निवासी जोहन थाना बीकापुर-फैजाबाद के अपराधिक इतिहास

45–श्री मित्रसेन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कर्मजीत सिंह निवासी ग्राम शंकरपुर व श्री हंशराज पाण्डेय नि0 ग्रा0 जोहन थाना बीकापुर, फैजाबाद के विरुद्ध अब तक कितने अपराध प्रवृत्ति के मुकदमें अंकित हैं उनका अपराधिक इतिहास क्या है? क्या इन्हें बन्दूकों के लाइसेंस भी उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो लाइसेंस निरस्त न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

कर्मजीत सिंह के विरुद्ध 9 तथा हंसराज पाण्डे के विरुद्ध 2 अपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमें पंजीकृत हैं । उनके अपराधिक इतिहास का विवरण संलग्न है । उक्त दोनों व्यक्तियों को बन्दूक का लाइसेन्स प्रदान किया था जिसे जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा निलम्बित कर दिया गया था, परन्तु अपील पर आयुक्त, फैजाबाद मण्डल ने निलम्बन रद्द कर दिया और जिलाधिकारी फैजाबाद को पुनर्विचार हेतु वापस कर दिया ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 184 पर)

ग्राम टीकर व मिश्रौलिया थाना चौक बाजार, गोरखपुर में विधान सभाई चुनाव प्रचार के दौरान हरिजन एवं पिछड़ी जाति के लोगों के साथ लूट-पाट की घटना की जांच

46–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना चौक बाजार के ग्राम टीकर व मिश्रौलिया में विगत विधान सभा निर्वाचन वर्ष 1985 के चुनाव प्रचार काल में कई घर हरिजनों व पिछड़ी जातियों के लूटे गए जिसकी सूचना इस क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज गरखपुर के भूतपूर्व विधायक ने तत्कालीन डी0 आई0 जी0 रेंज गोरखपुर के श्री रामाश्रय प्रसाद को व्यक्तिगत रूप से मिलकर दिनांक 25-3-85 में दिया था और इस पत्र को उन्होंने तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को अपने कार्यालय के पत्रांक 420 दि0 27-3-85 द्वारा कार्यवाही व जांच हेतु प्रेषित किया था ? यदि हां, तो सम्बन्धित विधायक के पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

थाना चौक बाजार जनपद गोरखपुर के ग्राम टीकर व मिश्रौलिया में विगत विधान सभा निर्वाचन वर्ष 1985 के चुनाव प्रचार काल में हरिजनों व पिछड़ी जातियों के घरों को लूटने से संबंधित कोई घटना नहीं हुई । भूतपूर्व विधायक का प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के कार्यालय में आना नहीं पाया गया । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों के प्राइमरी विद्यालय में अध्यापकों की कमी

47–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की लगातार कमी होती जा रही है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1978-79 के बाद से बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षार्थियों की संख्या में एकदम कमी कर दी गई थी? यदि हां, तो केवल जनपद टिहरी में 1986-87 में 577 प्राइमरी अध्यापकों के पद रिक्त होने के परिप्रेक्ष्य में क्या सरकार बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश संख्या बढ़ाने तथा तब तक उच्च शिक्षा (बी0 एड0) प्राप्त अभ्यर्थी या बी0 टी0 सी0 हेतु विद्यालयों में नियुक्त करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं, क्योंकि प्रवेश संख्या वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में बढ़ाई जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि आवश्यकता नहीं है ।

48–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

[1ले शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय क्षेत्रों के इण्टर स्तर में कतिपय आवश्यक विषयों की मान्यता पर विचार

49–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण प्रदेश विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में पढ़ाये जाने वाले विषयों में इण्टर स्तर में सैनिक विज्ञान, पशु पालन, पर्यटन, पर्वता-

रोहण, कताई-बुनाई, खेल, संगीत, फल उद्यान एवं उपयोग जड़ी-बूटी पालन व वाहन, पत्रकारिता, इलेक्ट्रानिक्स ललितकला, पुस्तकालय विज्ञान जैसे नए विषय खोलने हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए छात्रों को और अधिक व्यवहारिक बनाने पर विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा सैन्य विज्ञान, पशुपालन, तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, कताई-बुनाई, खेल (शारीरिक व्यायाम), संगीत, शाकभाजी एवं फल संरक्षण, उद्यान कर्म बागवानी, वैद्युत अभियंत्रण के तत्व तथा ललितकला विषय के रूप में तथा 'सहकारिता' पर आधारित पाठ्यक्रम कतिपय विषयों में एक अध्याय के रूप में इण्टर-मीडिएट स्तर पर पूर्व से ही निर्धारित है । उचित संख्या में छात्रों की अनुपलब्धता तथा वित्तीय संसाधनों की कमी होने के कारण शेष विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना सम्भव नहीं है ।

थाना कैसर बाग में कथित हत्या की घटना पर कार्यवाही

50–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि 15 दिसम्बर 1986 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन थाना कोतवाली कैसरबाग क्षेत्र लखनऊ में जगदीश नामक किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो इस बारे में अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्य-वाही की गई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-12-86 को श्री कृष्ण शर्मा निवासी 105/185 फूलबाग थाना कैसरबाग, लखनऊ ने समय 1.35 बजे रात्रि इस आशय की लिखित सूचना कोतवाली कैसरबाग में दी कि मृतक जगदीश प्रसाद पुत्र श्री श्याम लाल निवासी जनपद सीतापुर जो उसके मकान में किरायेदार था ने दिनांक 15/16-12-86 की रात्रि करीब 11.30 बजे आग लगाकर आत्महत्या कर ली । उपरोक्त मामले की विवेचना की गयी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयानात व घटना स्थल के निरीक्षण से मृतक द्वारा स्वंय मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर आत्महत्या करना पाया गया । इसमें किसी के द्वारा अपराध का होना नहीं पाया गया । अतः विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त कर दी गयी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष समिति के गठन का प्रस्ताव

51–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नई शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रदेश, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर शिक्षा सलाहकार परिषदों का गठन शासन के विचारा-धीन है ? यदि हां, तो इनकी रूपरेखा, कार्यक्षेत्र तथा गठन की प्रक्रिया क्या होगी तथा यह कब तक गठित कर दी जायगी ?

श्री सिब्ते रजी–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रदेश जिला तथा स्थानीय स्तर पर शिक्षा सलाहकार परिषदों के गठन का मामला शासन के विचाराधीन नहीं है ।

परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों व नगर क्षेत्रों के लिए पूर्व में बनी जिला शिक्षा समिति एवं नगर शिक्षा समितियों के गठन में परिवर्तन पर विचार किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त मंडलीय स्तर पर भी एक अधिकरण गठित किये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

उपर्युक्त समितियों एवं अधिकरण की रूपरेखा, कार्यक्षेत्र तथा गठन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में यथासमय विचार कर निर्णय लिया जायेगा ।

गुलाब चन्द्र दुसाध (हरिजन) ग्राम परसिया जयरामगिरि थाना मधुबन आजमगढ़ का शिकायती पत्र

52–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गुलाब चन्द्र दुसाध (हरिजन) निवासी ग्राम परसिया जयराम गिरि, थाना मधुवन, जनपद आजमगढ़ को स्थानीय पुलिस द्वारा परेशान किए जाने विषयक प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 मार्च, 86 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच कब किस अधिकारी ने किया और क्या परिणाम निकला ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

इस मामले की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा 11/12 जून, 1987 को कराई गई । जांच में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत पाये गये ।

गृह विभाग में शासनादेश की अवहेलना विषयक पत्र

53–श्री गोपाल दास यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गृह विभाग में स्थानान्तरण किए जाने के संबंध में शासनादेश की अवहेलना किए जाने सम्बन्धी श्री राम सरन दास सदस्य, विधान सभा का एक शिकायती पत्र दिनांक 31-3-87 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

पत्र में की गई शिकायत के अनुरूप थानाध्यक्ष शुक्ल बाजार, जनपद सुल्तानपुर का स्थानान्तरण गोरखपुर परिक्षेत्र में कर दिया गया है ।

सबेरा लोन्स इण्डिया कम्पनी लिमिटेड, भोपाल हाउस द्वारा धोखाधड़ी

54–श्री अनुग्रह नारायण सिंह, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल, श्री राम आसरे वर्मा तथा कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

प्रथम सत्र 1986 के 1ले मंगल के अता0 प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रचलित विवेचना पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कब की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या-320/85 धारा 420/406/भा0 द0 वि0 पंजीकृत अभियोग में नामजद पांच मुख्य अभियुक्तों में से दो अभियुक्त श्री राजेश केशरवानी तथा एन0 के0 पाण्डे को गिरफ्तार करके आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया

जा चुका है । शेष तीन अभियुक्तों का पता इलाहाबाद तथा कानपुर ज्ञात हुआ था । विवेचना के दौरान उन स्थानों पर दविश दी गयी परन्तु काफी समय से उनका वहां रहना नहीं पाया गया । अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

विकास अभिकरण, मथुरा की गवर्निंग बाडी की बैठक

55–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मथुरा की गवर्निंग बाडी की बैठक में जो दिनांक 1-6-85 को जिला अधिकारी की अध्यक्षता में हुई थी और जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि विकास कार्यों के लिए धनराशि न्याय पंचायत के हिसाब से 1 लाख रुपया प्रति न्याय पंचायत स्वीकृत की जाय ? यदि हां, तो क्या इस निर्णय का ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा पालन किया गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र को इस फार्मूले के अनुसार कितना-कितना धन आवंटित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार धनराशि आवंटित कर दी गयी है ।

56–श्री राम आसरे वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद हरदोई में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत निर्मित अधूरा मार्ग

57–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में विकास खण्ड बिलग्राम के अन्तर्गत इसरापुर शोखान पुरवा सम्पर्क मार्ग को जो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है, विगत तीन वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरा करा दिया जायगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

गंगा जी के कटाव के कारण सड़क को पूरा कराना संभव नहीं है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा लखनऊ में जीप चोरी की घटना

58–श्री शारदा प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ में वर्ष 1986 में कोई जीप चोरी गई ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये तथा इससे सरकार को कितनी आर्थिक क्षति हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा लखनऊ में वर्ष 1986 में एक विभागीय जीप चोरी हुई थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है एवं विभागीय कार्यवाही प्रगति में है । जांच के उपरान्त ही दोषी अधिकारी/कर्मचारी एवं क्षति के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जा सकेगा ।

श्री राधेश्याम गुप्त बुलहवा बाजार, देवरिया का असामाजिक लोगों के विरुद्ध शिकायती पत्र

59–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि राधेश्याम गुप्त बुलहवा बाजार, देवरिया ने पुलिस अधीक्षक, देवरिया को एक पत्र 16-12-86 को देकर उनके साथ पूर्व घटित घटना की जांच की मांग की है क्योंकि उक्त घटना की रपट थानाध्यक्ष खड्डा ने दर्ज करने से इन्कार किया एवं जनता द्वारा पकड़े गये 8 असामाजिक लोगों तथा उनकी जीप को छोड़ दिया ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई? यदि हां, तो कब और किस अधिकारी द्वारा ? जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

यह सत्य है कि श्री राधेश्याम गुप्त, बुलहवा बाजार, देवरिया ने पुलिस अधीक्षक, देवरिया को एक शिकायती पत्र दिनांक 16-12-86 को दिया था । मामले की जांच पुलिस अधीक्षक, देवरिया द्वारा स्वयं की गयी । जांच में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट संनिरीक्षा परीक्षाफल

60–श्री शैलेन्द्र कुमार–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1986 की इण्टरमीडिएट एवं हाईस्कूल व्यक्तिगत/संस्थागत परीक्षा में दो विषयों तक एक या दो नम्बर से अनुत्तीर्ण छात्रों का संनिरीक्षा (स्क्रूटनी) के परीक्षाफल अभी तक नहीं भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? संनिरीक्षा के परीक्षाफल कब तक भेजे जायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी–

परिषद् की 1986 की हाईस्कूल एवं इण्टर परीक्षाओं में सन्निरीक्षा के लिये आवेदन करने वाले अधिकांश परीक्षार्थियों के परीक्षाफलों की सूचना उनको भेजी जा चुकी है। शेष 46 प्रकरणों में जांच की कार्यवाही अन्तर्गस्त होने के कारण अभी निर्णय नहीं लिया जा सका, इनका भी निस्तारण शीघ्र कर दिया जायेगा ।

श्री सत्यधर गुप्ता, अवर अभियन्ता, नेशनल हाईवे पी0 डब्लू0 डी0 लखनऊ का पाहवा गन हाउस लखीमपुर खीरी से कारतूस न क्रय करने के बारे में शिकायती-पत्र

61–श्री परागी लाल चौधरी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-11-86 अथवा उसके आस-पास किसी दिन श्री सत्यधर गुप्ता अवर अभियन्ता नेशनल हाई-वे पी0 डब्लू0 डी0 लखनऊ का इस आशय का कोई शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के उपरि पत्र के साथ मिला कि श्री गुप्त ने माह सितम्बर व अक्टूबर, 1986 में पाहवा गन हाउस लखीमपुर खीरी से कोई भी कारतूस नहीं खरीदा फिर भी श्री गुप्ता के नाम कारतूस चढ़े हुए हैं? यदि हां, तो उक्त पत्र पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का शिकायती पत्र श्री शक्तिधर गुप्ता, अवर अभियन्ता से प्राप्त हुआ था और उक्त आशय की सूचना श्री शक्तिधर गुप्ता ने पुलिस में दी थी जिसके आधार पर एक अपराध अन्तर्गत धारा–468/469/470 भा0 द0 वि0 व 5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच अपर परगनाधिकारी लखीमपुर द्वारा की गई। उनकी जांच से केवल एक बार दिनांक 21-9-86 को 10 कारतूस श्री शक्तिधर गुप्ता के लाइसेंस पर बेचा जाना पाया गया। श्री शक्तिधर गुप्ता द्वारा दिनांक 21-9-86 की बिक्री न किये जाने का कोई प्रमाण नहीं दिया गया। अतः जांच से शिकायत सही नहीं पाई गई। पुलिस द्वारा उक्त अपराध विवेचनोपरान्त अंतिम रिपोर्ट न्यायालय भेजी गई।

राजकीय कन्या बेसिक जू0 हा0 स्कूल और आदर्श विद्यालय के अध्यापकों/अध्यापिकाओं में वेतन विषमता

62–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कन्या बेसिक (जू0 हा0 स्कूल) विद्यालय और आदर्श विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिकाओं के समान योग्यता तथा समान कार्य करने पर भी राजकीय कन्या बेसिक विद्यालयों के अध्यापिकाओं को एक सा वेतनमान उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो आदर्श विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिकाओं की भांति राजकीय कन्या (जूनियर हाईस्कूल) अध्यापक/अध्यापिकाओं को सी0 टी0 वेतनमान देने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री सिब्ते रजी–

राजकीय कन्या बेसिक (जूनियर हाई स्कूल) विद्यालय की अध्यापिकायें कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को और राजकीय आदर्श विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिकायें कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाते हैं। इस प्रकार दोनों वर्गों का कार्य समान नहीं है। इनके वेतनमान भी समान नहीं हैं।

फिर भी, प्रश्न पर पुनर्विचार किया जायेगा।

63–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[1ले बुधवार में अता0 प्र0 सं0 166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बलिया में एन0 आर0 ई0 पी0 एवं आर0 एल0 जी0 पी0 के अधूरे कार्य

64–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या ग्रामीण विकास मंत्री को इस बात की जानकारी है कि बलिया जनपद में एन0 आर0 ई0 पी0 एवं आर0 एल0 जी0 पी0 के बहुत से कार्य इसलिए ठप पड़े हैं क्योंकि इस वर्ष उक्त कार्यों के लिए बहुत कम धनराशि प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या प्रारम्भ किये गये कार्यों को पूर्ण करने के लिए अलग से धन आवंटित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जनपदों का परिव्यय निर्धारित कर दिया जाता है। शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि में से अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फिर नये कार्य लेने चाहिए।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना में धन का आवंटन प्रोजेक्ट के अनुसार होता है। अपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूर्ण कराने हेतु शासन द्वारा धनराशि दी जाती है।

अतः कार्यों के ठप पड़े रहने के कारण अलग से धनराशि देने का प्रश्न नहीं उठता है।

थाना अकबरपुर, फैजाबाद में विगत तीन वर्षों में डकैतियों और चोरियों की घटनाएं

65–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में विगत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी डकैतियों और चोरियों की वारदातें हुई हैं और इनमें से कितनी डकैतियों और चोरियों का अब तक पता लगाया गया है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

विगत तीन वर्षों में थाना अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में घटित तथा पता लगाई गई डकैती व चोरियों का विवरण निम्नलिखित है :–

वर्ष	डकैती		चोरी	
	घटित वारदात की सं0	पता लगाई गई वारदात की सं0	घटित वारदात की सं0	पता लगाई गई वारदात की सं0
1984	1	शून्य	28	4
1985	5	5	32	3
1986	7	7	58	3

राम अछैबर सिंह स0 अ0 प्रा0 पा0 मथनी, तह0 अकबरपुर, फैजाबाद द्वारा दर्ज कराया गया मुकदमा

66–श्री सरदार सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम अछैवर सिंह, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला मथानी, ब्लाक कटेहरी, तह0 अकबरपुर, जिला फैजाबाद द्वारा मुकदमा नम्बर 11/86 धारा 332/147/504 थाना बेवाना में 22-1-86 को किन्हीं लोगों द्वारा मारे पीटे जाने का दर्ज कराया गया था? यदि हां, तो सम्पूर्ण रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां। वादी श्री राम अछैवर सिंह ने तीन व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तथा दो तीन आदमी नाम व पता अज्ञात सूरत शिनाख्त मुकदमा पंजीकृत कराया था। तीनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/332/504 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये जा चुके हैं। शेष अभियुक्तों का पता नहीं चल सका।

बेसिक शिक्षा परिषद्, बस्ती के विद्यालयों में लगे टेलीविजन सेट

67–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, बस्ती के अन्तर्गत कार्यरत किन-किन प्राइमरी पाठशालाओं एवं जूनियर हाईस्कूलों में टेलीविजन योजना के अन्तर्गत टेलीविजन सेट लगाये गये हैं तथा किन-किन प्रा0 स्कूलों के सेट लगातार एक वर्ष से खराब पड़े हुए हैं? क्या यह सत्य है कि लिखित शिकायतों के बावजूद आज तक इन प्राइमरी पाठशालाओं के सेट ठीक नहीं किये गये? क्या यह भी सत्य है कि डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत जितने भी प्राइमरी पाठशालाओं तथा अन्य पाठशालाओं में सेट लगे हैं, पिछले एक वर्ष से खराब पड़े हुए हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा एक-एक स्कूलों पर कितना धन इस सेट के खरीदने, लगाने अथवा मेन्टीनेन्स पर खर्च किया गया है? क्या पूरा विवरण प्रत्येक स्कूलवार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री सिब्ते रजी–

233 प्राइमरी पाठशालाओं में टेलीविजन सेट्स लगाये गये हैं। सूची संलग्न† है। कोई भी सेट निरन्तर एक वर्ष से खराब नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

टेलीविजन सेट्स भारत सरकार से बिना किसी भुगतान के प्राप्त हुए हैं तथा उनकी स्थापना भारत सरकार द्वारा दूरदर्शन केन्द्र गोरखपुर के माध्यम से निःशुल्क की गयी है। अनुरक्षण का कार्य अपट्रान इण्डिया लिमिटेड को प्रदेश शासन द्वारा सौंपा गया है जिसमें प्रत्येक सेट पर लगभग रु0 1333/- प्रति वर्ष खर्च करने की व्यवस्था है।

तह0 डुमरियागंज, बस्ती, न्यायपंचायत परसाईमाद के कतिपय ग्रामों में पिछले तीन वर्षों में आई0 आर0 डी0 योजना द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

68–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर की न्यायपंचायत परसाईमाद, सगरा, घोस, थुम्हावा के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में स्पेशल कम्पोनेन्ट तथा आई0 आर0 डी0 योजना के

† छापी नहीं गई ।

अन्तर्गत किन-किन गांवों में किन-किन व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया तथा किन-किन कार्यों के लिए किन-किन बैंकों से उन्हें ऋण दिया गया? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त न्याय पंचायतों में इन योजनाओं का लाभ किसी भी गांव के लोगों को नहीं दिया जा सका है? यदि दिया गया है तो क्या पूरी सूची सम्पूर्ण विवरण के साथ ग्रामवार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं दिया गया है, तो इसका क्या कारण है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद बस्ती में डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर की न्याय पंचायत परसाई माद, सगरा, घोस, थुम्हावा के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में स्पेशल कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत 4 गांवों में 10 व्यक्तियों को तथा आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत 66 गांवों में 399 व्यक्तियों को विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण देकर लाभान्वित किया गया।

जी नहीं। उपरोक्त न्याय पंचायतों में इन योजनाओं का लाभ विभिन्न गांवों के लोगों को दिया गया है।

जी हां। ग्रामवार पूरी सूची विस्तृत है अतः सम्पूर्ण विवरण के साथ माननीय मंत्री के कक्ष में देखे जा सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झगरू ग्रा0 घटौली, थाना खण्डासा, फैजाबाद की एक बस दुर्घटना में मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता की मांग

69--श्री नत्था राम रावत--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री झगरू पुत्र स्वर्गीय राम बख्श अनुसूचित जाति निवासी ग्रा0--घटौली, पो0--घटौली, थाना--खण्डासा, जनपद--फैजाबाद की मृत्यु दिनांक 17-2-86 को उ0 प्र0 रा0 स0 परिवहन निगम की बस नं0 यू0 पी0 एक्स0 6527 की दुर्घटना से हो गई जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना इनायत नगर, जनपद फैजाबाद में अंकित की गई और मृतक की बेवा पत्नी श्रीमती धर्मा द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में उचित जांच तथा कार्यवाही एवं आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 24-3-86 को जिलाधिकारी, फैजाबाद, क्षेत्रीय प्रबन्धक, रा0 स0 प0 नि0, फैजाबाद परिक्षेत्र फैजाबाद एवं माननीय मुख्य मंत्री उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और उसे आर्थिक सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई?

डाक्टर संजय सिंह--

दिनांक 17-2-86 को परिवहन निगम की बस संख्या--यू0 पी0 एक्स-6527 से कोई दुर्घटना नहीं हुई, परन्तु किसी व्यक्ति द्वारा थाना--इनायत नगर, फैजाबाद में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी कि निगम के बस चालक कल्लू ने एक साइकिल वाले को कुचलकर मार डाला। थाना--इनायतनगर फैजाबाद में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर चालक के विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है, जो विचाराधीन है।

श्रीमती धर्मा का प्रार्थना पत्र दिनांक 24-3-86 श्री मित्रसेन यादव माननीय विधायक के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ जिसके आधार पर निगम द्वारा विभागीय जांच करायी गई परन्तु उक्त दुर्घटना का होना सही नहीं पाया गया। अतः परिवहन निगम द्वारा मृतक की आश्रित पत्नी को कोई आर्थिक सहायता अनुमन्य नहीं है।

सुरक्षा शाखा अभिसूचना विभाग, लखनऊ के हेड कांस्टेबिल शेडो (श्री नेपाल सिंह) की वापसी

70—श्री जगमोहन सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुरक्षा शाखा अभिसूचना विभाग, लखनऊ में कार्यरत हेड कांस्टेबिल शेडों (श्री नेपाल सिंह) को प्र0 एवं मु0 शाखा अभि0 विभाग के पत्र संख्या एच/एस-9/जनरल चार (पर्स0)/वाल्यूम-6/84 दिनांक 22 अक्टूबर, 1984 के द्वारा अंगरक्षक संवर्ग से जनपद मेरठ वापस किया गया था? यदि हां, तो किस आधार पर? क्या उक्त शेडों ने अपनी आमद जनपद मेरठ में कराई? यदि नहीं, तो इस समय वह कहां कार्यरत है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां।

अनुपयुक्तता के आधार पर जनपद मेरठ वापस किया गया था।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

नेता विरोधी दल का सचिव गृह विभाग को एक पत्र

71—श्री जगमोहन सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन नेता विरोधी दल के गृह सचिव को सम्बोधित पत्र सं0 74 (ने0वि0द0) 1985 दिनांक 20-3-85 (संलग्नक सहित) जिसकी प्राप्ति गृह (पुलिस) अनुभाग-2 के पत्र सं0 104/आठ-2-1600 (201) 85 दिनांक 23 जुलाई, 1985 के द्वारा स्वीकार की गई थी, पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गई? इसमें विलम्ब के लिए कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां। नेता विरोधी दल के पत्र दिनांक 20-3-85 पर पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से आख्या मांगी गयी जिससे विदित हुआ है कि श्री नेपाल सिंह के निलम्बन काल के अवशेष वेतन का भुगतान इस लिए रुका हुआ था कि उनके विरुद्ध अभियोग संख्या-ा 280, धारा-353/332, आई0पी0सी0 की जांच के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही लम्बित थी। विभागीय कार्यवाही के परिणाम स्वरूप उन्हें दिनांक 21-1-87 को दोष-मुक्त कर दिया गया है। उनको 1-3-85 तक के वेतन आदि का भुगतान अभिसूचना विभाग द्वारा कर दिया गया है, तथा 1-3-85 के बाद के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री नेपाल सिंह हेड कांस्टेबिल शेडो के बकाया अवशेषों का भुगतान

72—श्री जगमोहन सिंह—

क्या गृह मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ ने अशा0 पत्र सं0 डी0 जी0-चार-106 (621)-85 दिनांक 11-11-85 द्वारा हेड कांस्टेबिल शेडों विधान भवन (श्री नेपाल सिंह) के बकाया देयों के भुगतान, सेवा निवृत्त होने एवं विभागीय कार्यवाही पूरी कराए जाने सम्बन्धी पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ को भेजा था? क्या यह सही है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ने अपने अशा0 पत्र संख्या-503/85 दिनांक 27-11-85 द्वारा यह सूचित किया था कि मेरठ कार्यालय में अब इनका कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है अतः विभागीय कार्यवाही इटावा में होगी एवं अवशेष देयों का भुगतान सुरक्षा शाखा लखनऊ से ही हो सकेगा? यदि हां, तो क्या अवशेष देयों का भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां।

जी हां।

श्री नेपाल सिंह को 1-3-85 तक के वेतन का भुगतान अधिसूचना विभाग द्वारा किया जा चुका है। दिनांक 1-3-85 के बाद के वेतन के शीघ्र भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

सैदाबाद सिरसा घाट से बनकुकरा सम्पर्क मार्ग की ऊंचाई एवं चौड़ाई

73—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के तीसरे सोमवार (24-2-86) के अतारांकित प्रश्न सं0-44 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई क्या निर्धारित है? क्या उक्त सम्पर्क मार्ग निर्धारित चौड़ाई के अनुसार उसके अनुरक्षण के साथ-साथ पूर्ण करा दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि उक्त सम्पर्क मार्ग पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से उसे क्षतिग्रस्त कर कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम करनपुर विकास क्षेत्र हैंसर बाजार, जिला बस्ती में हरिजन आवास के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार

74—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-12-86 जो कि बस्ती जिले के हैंसर बाजार विकास खण्ड के करनपुर ग्राम में हरिजन आवास बनाने के संबंध में की गई अनियमितता और भ्रष्टाचार के संबंध में था, उन्हें मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चौकी याकूबपुर, थाना बेला, इटावा के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार की शिकायत

75–श्री असान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 4 नवम्बर, 85 को पुलिस चौकी याकूबपुर थाना बेला, इटावा के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार की शिकायत का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां ।

पत्र में अंकित आरोपों की जांच कराई गई जांच से लगाए आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

श्री राम बालक निवासी नवादा दादू, थाना बेला तथा श्री राकेश बाबू निवासी गौड़ा, थाना बेला, इटावा के शिकायती पत्रों पर कृत कार्यवाही

76–श्री असान सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30-5-85 व 22-5-85 बेला (इटावा) पुलिस कर्मियों की शिकायतों के बारे में पुलिस महानिदेशक को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो वह शिकायती पत्र क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां । प्रश्नकर्ता के पत्र दि0 22-5-85 के साथ श्री राम बालक निवासी नवादा दादू, थाना बेला, इटावा के शिकायती पत्र में थाना बेला के थाना इंचार्ज अश्वनी कुमार व कानि0 वीरेन्द्र आदि के विरुद्ध दुर्व्यवहार करने की तथा दि0 30-5-85 के पत्र के साथ संलग्न श्री राकेश बाबू निवासी गौंडा, थाना बेला, इटावा के शिकायती पत्र में थाना बेला के उप निरीक्षक अश्वनी कुमार के विरुद्ध 800/- रु0 छीन लेने व अकारण थाने में बन्द कर देने के आरोपों का उल्लेख था । श्री राम बालक के शिकायती पत्र में अंकित आरोप जांच से अप्रमाणित पाए गए तथा शिकायती पत्र प्रार्थी द्वारा दिया जाना नहीं पाया गया । इसके अतिरिक्त राकेश बाबू के शिकायती पत्र में 800/- रु0 छीने जाने का आरोप जांच से अप्रमाणित पाया गया किन्तु उप निरीक्षक द्वारा प्रार्थी को उसके गांव से थाने लाकर बन्द कर देने व स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्तक्षेप पर छोड़ दिए जाने का आरोप की पुष्टि हुई । उप निरीक्षक के इस कृत्य के लिए दुश्चरित्र लेख देने हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया किन्तु प्रार्थी द्वारा इसी बीच न्यायालय में इस्तगासा दायर कर देने के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस को निरस्त कर दिया गया ।

अशोक इण्टर कालेज, रामपुर कारखाना, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षा शुल्क अधिक लिए जाने के विरुद्ध जांच की मांग

77–श्री चन्द्र सेन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशोक इण्टर कालेज, रामपुर कारखाना, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य द्वारा वर्ष 1985 की हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं हेतु प्रति छात्र निर्धारित परीक्षा शुल्क के स्थान पर क्रमशः रु0 35·55 व रु0 45·55 की धनराशि वसूल किया गया है तथा जिसकी पुष्टि अभिलेखों से भी होती है ? यदि हां, तो इस वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तरदायी प्रधानाचार्य के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी नहीं । उपरोक्त परीक्षाओं के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क ही विद्यार्थियों से लिया गया ।

निर्धारित तिथि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर छात्रों से विलम्ब शुल्क लिया गया परन्तु आवेदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि बढ़ा देने के कारण लिया गया विलम्ब शुल्क संबंधित छात्रों को वापस कर दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम हीराखेड़ा निवासी श्री जगन्नाथ यादव के घर पर थाना मौरांवां, जनपद उन्नाव की पुलिस द्वारा कथित अत्याचार के विरुद्ध जांच की मांग

78–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद के थाना मौरावां के ग्राम हीराखेड़ा में जगन्नाथ यादव के घर 19-2-87 को एक सब इन्सपेक्टर व कुछ सिपाहियों ने मार-पीट व लूट-पाट की थी ? इस संबंध में राज्य गृह मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र, जिसकी प्राप्ति संयुक्त सचिव श्री सुशील कुमार द्वारा 21 मार्च, 87 के पत्र द्वारा स्वीकार की गई है, पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 19-2-87 को एक उप निरीक्षक व कुछ सिपाहियों द्वारा कथित मारपीट व लूटपाट की घटना के संबंध में प्राप्त मा0 सदस्य के पत्र की जांच तत्परता से पुलिस के एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जा रही है ।

इस घटना से सम्बद्ध उप निरीक्षक का स्थानान्तरण प्रशासनिक हित में थाना मौरावां से थाना हसनगंज किया जा चुका है ।

जनपद उन्नाव के प्राइमरी अध्यापकों का क्रमिक अनशन एवं कार्यवाही की मांग

79–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के प्राइमरी शिक्षकों ने माह अप्रैल, 1987 में जिला बेसिक शिक्षा दफ्तर के सामने क्रमिक अनशन किया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ? इस संबंध में क्या मांग पत्र सहित प्रश्नकर्ता का

पत्र दि0 15-4-87 राज्य मंत्री शिक्षा को मिला है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई है ? वाजिब मांगें पूरी करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

मांग पत्र संलग्न है ।

जी हां ।

मांग पत्र शिक्षा निदेशक (बे0) को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ।

उपरोक्त कार्यवाही से आश्वस्त होकर अध्यापकों ने दिनांक 20-4-87 को क्रमिक अनशन समाप्त कर दिया ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 185 पर)

वरिष्ठ विपणन निरीक्षक पिलखुआ, गाजियाबाद द्वारा दर्ज मे0 मनोहर लाल हरिओम व मे0 गोपीनाथ ओमप्रकाश के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

80–श्री हफीज भारती–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम भजन वरिष्ठ विपणन निरीक्षक, पिलखुआ, गाजियाबाद ने अ0 सं0 75 सरकार बनाम मे0 मनोहर लाल हरिओम व अ0 सं0 80 सरकार बनाम मे0 गोपीनाथ ओमप्रकाश आदि के विरुद्ध धारा 3/7 ई0 सी0 एक्ट व धारा 109 आई0 पी0 सी0 में थाना पिलखुआ में दर्ज कराये है ? यदि हां, तो संबंधित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी अभी तक किन कारणों से नहीं की गई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय से अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में स्थगन आदेश होने के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है ।

नव ज्योति पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुरेन्द्र नगर हजगुड़ा, फैजाबाद में पदों का सृजन तथा नियुक्ति

81–डाक्टर विनोद तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांसद श्री राम प्यारे सुमन लोक सभा क्षेत्र अकबरपुर जनपद फैजाबाद ने दिनांक 23-3-87 विषय नव ज्योति पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुरेन्द्र नगर हजगुड़ा, फैजाबाद में पद सृजन एवं सृजित पद पर कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में जिलाधिकारी, फैजाबाद को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो जिलाधिकारी महोदय ने क्या आदेश किया और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां । दिनांक 22-3-87 का पत्र प्राप्त हुआ ।

जिलाधिकारी ने उपरोक्त आवेदन पत्र पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अध्यापकों की व्यवस्था करने के आदेश दिए ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद ने अपने पत्र दिनांक 24-9-85 के द्वारा उक्त विद्यालय की कक्षा 6, 7 एवं 8 में एक-एक अतिरिक्त अनुभाग खोले जाने की अनुमति प्रदान की । उक्त पत्र की प्रति संस्था के प्रबन्धक को भी पृष्ठांकित कर दी गई थी ।

संस्था के प्रबन्धक ने इसके आधार पर बिना निदेशालय से पदों को सृजित कराए ही चार अध्यापकों की नियुक्ति कर ली जो अनियमित था। निदेशालय द्वारा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) फैजाबाद को उपरोक्त अनियमितताओं की स्थलीय जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पसका मेला, गोण्डा में मारपीट की घटना तथा कृत कार्यवाही

82–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-1-1987 थाना परसपुर, जिला गोण्डा के पसका मेले में कौशलेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुल्कराज सिंह ग्राम पूरे चौहान लिलोई, थाना उमरी बेगमगंज, जिला गोण्डा को किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा बुरी तरह मारा गया था, जिसकी सूचना उक्त मेले में स्थापित कोतवाली को मुद्दइयान द्वारा तहरीर में दी गई थी ? यदि हां, तो किन धाराओं के अन्तर्गत तथा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

जांच से किसी मारपीट का होना नहीं पाया गया था । दोनों पक्षों में वाद-विवाद तथा कहा सुनी होना पाया गया था जिसके कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री एस0 एन0 राय एवं श्री विजय शंकर राय पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध पूर्व विधायक एवं सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद के शिकायती पत्रों पर कृत कार्यवाही की मांग

83–श्री सुखपाल पाण्डे, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री किरन पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा के ग्राम विशुनपुरा निवासी श्री फिरंगी प्रसाद विशारद भूतपूर्व विधायक व सांसद ने श्री एस0 एन0 राय जो उक्त थाने के थानाध्यक्ष अगस्त, 1985 से माह मार्च, 1986 तक रहे एवं इस थाने से संबंधित तत्कालीन सी0 ओ0, पिपराइच श्री विजय शंकर राय के विरुद्ध उक्त अवधि में श्री विशारद ने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर, डी0 आई0 जी0 रेंज, गोरखपुर, आई0 जी0 जोन–गोरखपुर, मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 व गृह सचिव, उ0 प्र0 आदि को तार व शिकायती पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो इन पत्रों की जांच कब किसने किया ? क्या यह सत्य है कि किसी भी जांच के अवसर पर श्री विशारद को नहीं बुलाया गया और उल्टे इन दोनों (तत्कालीन थानाध्यक्ष) व सी0 ओ0 पिपराइच ने थाना झंगहा के रजिस्टर नं0 8 में अनेक अपमानजनक, आधारहीन बातें

लिख डाली है ? यदि हां, तो क्या इसकी खुली जांच कराकर गलत प्रविष्टियों को समाप्त कराकर इससे सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कथित गुमशुदा हेड कांस्टेबिल श्री महीपाल सिंह की तलाश एवं उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन आदि की मांग

84–श्रीमती सरोज वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20 दिसम्बर, 1985 को श्री लाल सिंह पुत्र श्री जोगराम निवासी ग्राम बासौली, थाना रमाला, जिला मेरठ के संलग्न प्रार्थना पत्र सहित प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अपने पुत्र श्री महीपाल सिंह हेड कांस्टेबिल जो कि थाना ज्वालापुर, जिला सहारनपुर में कार्यरत था, जिसके गुम होने का कोई प्रार्थना पत्र दिसम्बर, 84 में विभागीय अधिकारियों एवं शासन को दिया था, का उल्लेख था ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री महीपाल सिंह का पता लगा पाई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार श्री महीपाल सिंह को मृत घोषित करके उनके परिवार को पेंशन आदि तथा उनकी पत्नी को नौकरी दिलाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार लापता हेड कान्सटेबिल श्री महीपाल सिंह का अभी तक पता नहीं लग पाया है । वर्तमान नियमों के प्राविधानों के अनुसार किसी कर्मचारी के लापता होने की तिथि के 7 वर्ष के बाद उसे मृत मान लिया जाता है तभी उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के भुगतान आदि की कार्यवाही की जाती है ।

जनपद फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चयनित विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या

85–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चलने वाले विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के अनुपात में अध्यापक, अध्यापिकाओं के कितने स्थान रिक्त हैं ? उन रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी–

जनपद फर्रुखाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत केवल नगर क्षेत्र कायमगंज में छात्र संख्या के अनुपात में 10 पद रिक्त हैं ।

उक्त परिषद् के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों अथवा अन्य नगर क्षेत्रों में कोई पद रिक्त नहीं है ।

रिक्त पदों की पूर्ति हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों का वेतनमान

86–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों को अन्य शिक्षकों के समान प्रतिमास वेतन भुगतान करने और उनके लिए भी वेतन वितरण अधिनियम अविलम्ब लागू करने की घोषणा सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो केवल प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के ही साथ इस भेदभाव का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रदेश के सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों के नियमित मासिक वेतन भुगतान हेतु वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं वरन् शासनादेश संख्या–1994/15-17-86-51(2)/86, दिनांक 10 फरवरी, 1987 द्वारा व्यवस्था कर दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के अपूर्ण परीक्षा फल

87–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा सत्र 85-86 में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट (संस्थागत व व्यक्तिगत) के परीक्षाफलों में कुल कितने परीक्षाफल अपूर्ण थे ? इन रोके गए अपूर्ण परीक्षाफलों में जनपद फर्रुखाबाद के किस-किस विद्यालय में कितने थे ? इन अपूर्ण परीक्षाफलों को शीघ्र घोषित कराकर भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठायेगी ?

श्री सिब्ते रजी–

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1985-86 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट (संस्थागत एवं व्यक्तिगत) परीक्षाओं में कुल 19346 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल अपूर्ण थे ।

इन्हीं अपूर्ण परीक्षाफलों में से जनपद फर्रुखाबाद के 555 परीक्षाफल अपूर्ण थे, जिनकी विद्यालयवार संख्या संलग्न† है। इनमें से 535 अपूर्ण परीक्षाफलों को पूर्ण करके संबंधित विद्यालयों को भेजा जा चुका है । शेष में से 19 परीक्षार्थियों के परीक्षाफल लिखित परीक्षा विषयों के प्राप्तांक उपलब्ध न होने की जांच करने एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं के केन्द्र की जानकारी न हो पाने के कारण अपूर्ण हैं । एक परीक्षाफल अनधिकृत रूप से केन्द्र परिवर्तन के कारण अपूर्ण है ।

इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

---

† छापी नहीं गई।

फर्रुखाबाद–छिबरामऊ, फर्रुखाबाद–कायमगंज मार्ग पर प्राइवेट बसों की सीज

88–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में छिबरामऊ-फर्रुखाबाद एवं फर्रुखाबाद कायमगंज रूट पर प्राइवेट बसों के चलाए जाने हेतु कितने वर्षों के सीज नहीं प्रकाशित की गई है और कितने वर्षों से बसों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इन रूटों पर पिछले वर्षों में जहानगंज के पास काली नदी पर पुल बन जाने के कारण और फर्रुखाबाद में दो खाद कारखाने व कायमगंज शुगर मिल्स व कम्पिल सूत मिल के चालू हो जाने से बस से यात्रा करने वाली सवारियों में चौगुनी वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी अधिक सवारियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त रूटों पर शीघ्र ही रिक्तियां प्रकाशित कर नई बसों के लिए रूट परमिट देने की कार्यवाही करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

फर्रुखाबाद–छिबरामऊ मार्ग हेतु वर्ष 1975 में मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा–68 सी के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है । अतः इस मार्ग पर बसों की क्षमता में स्थायी रूप से वृद्धि नहीं की जा सकी ।

फर्रुखाबाद–कायमगंज मार्ग वर्ष 1977 से राष्ट्रीयकृत हो चुका है ।

जी हां । यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में कुछ शर्तों के अधीन परमिट बढ़ाने के संबंध में मार्च, 87 में एक अधिसूचना जारी की है इसके अनुसार फर्रुखाबाद जनपद के उक्त मार्गों हेतु अतिरिक्त परमिट निर्गत करने के सम्बन्ध में संभागीय परिवहन प्राधिकरण कानपुर द्वारा यथासमय विचार किया जायेगा ।

श्री निहालउद्दीन निवासी अमरोहा, मुरादाबाद का पत्र

89–श्री हाजी मोहम्मद हयात–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-1-87 को रजिस्टर्ड ए0 डी0 द्वारा श्री निहालउद्दीन पुत्र श्री नियाजउद्दीन निवासी-अमरोहा, जनपद मुरादाबाद ने एक प्रार्थना पत्र डी0 जी0 पुलिस, उ0 प्र0, लखनऊ को श्री जियानन्द शर्मा, थानाध्यक्ष, अमरोहा व श्री राम औतार शर्मा एस0 आई0, थाना अमरोहा के विरुद्ध भेजा था, जिसमें प्रार्थी ने धारा-7 पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने की प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्र पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

पुलिस महानिदेशक द्वारा उक्त पत्र दिनांक 11-3-87 को पुलिस महानिरीक्षक, बरेली जोन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।

90—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री निहालउद्दीन पुत्र श्री रियाजुद्दीन निवासी अमरोहा द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17-12-86 को रजिस्टर्ड ए0 डी0 से मुख्य सचिव, उ0 प्र0, लखनऊ को भेजा गया था, जिसमें प्रार्थी ने धारा 197 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत श्री जियानन्द शर्मा, थानाध्यक्ष अमरोहा व अन्य के विरुद्ध इस्तगासा दायर करने की अनुमति मांगी थी ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र पर अब तक कार्यवाही न होने का क्या कारण रहा ? कब तक उक्त प्रार्थना पत्र पर अनुमति प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां । प्रश्नोल्लिखित प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-12-86 को प्राप्त हुआ । थाना-ध्यक्ष श्री जियानन्द शर्मा व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रथम दृष्टया कोई औचित्य नहीं पाया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टर हरिओम अग्रवाल तहसील संघ चालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अमरोहा मुरादाबाद का पत्र

91—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर हरिओम अग्रवाल तहसील संघ चालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अमरोहा, तहसील व जनपद मुरादाबाद का पत्र दिनांक 30-5-86 जो श्री ए0 के0 जैन, रीजनल मैनेजर, रोडवेज, मुरादाबाद को सम्बोधित था एवं प्रतिलिपि मंत्री जी को भेजी गयी थी तथा जिसमें अमरोहा में बसों की दयनीय स्थिति के संदर्भ में शिकायत की गयी थी, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

श्री हरिओम अग्रवाल द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर स्थिति निम्नवत् है:—

1—मुरादाबाद-अमरोहा मार्ग पर अप्रैल, 87 में 872 फेरे संचालित किये जा रहे थे, जिन्हे मई, 87 में बढ़ाकर 1084 कर दिया गया है । इस मार्ग पर 62 प्रतिशत लोड फैक्टर प्राप्त हो रहा है, अतएवं इस पर और फेरे बढ़ाए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है ।

2—अमरोहा से नूरपुर-चांदपुर-बिजनौर मार्ग पर अप्रैल, 87 में 236 फेरे व मई 87 में 239 फेरे संचालित किए गये है । इस मार्ग का लोड फैक्टर 62 प्रतिशत है, जिसके परिपेक्ष्य में इस मार्ग पर और सेवा बढ़ाए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

3—अमरोहा में मेरठ के यात्री अमरोहा से जोया 7 कि0मी0 निगम बसों से आकर वहां से मेरठ को सीधी सेवा आसानी से प्राप्त करते है । मेरठ-मुरादाबाद-बरेली के मध्य पर्याप्त संख्या में शटल सेवाएं संचालित है, जो यात्रा पर रुक कर यात्रियों के चढ़ाती-उतारती है ।अमरोहा से हापुड़-गाजियाबाद होकर दिल्ली सेवा दिनांक 5-6-87 से संचालित कर दी गयी है । इसके अतिरिक्त, बिजनौर डिपो द्वारा एक सेवा दिल्ली-गोहावर वाया अमरोहा संचालित की जा रही है ।

4—अमरोहा में किराये के भवन में बस स्टेशन स्थित है, जहां यात्रियों को बैठने व पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है । निगम द्वारा छोटे आउट-स्टेशन पर टेलीफोन की सुविधा प्रदान किए जाने का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

अमरोहा नगर, मुरादाबाद के बस स्टेशन का भवन

92—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के अमरोहा नगर जिसकी जनसंख्या लगभग डेढ़ लाख है, में एक किराये के भवन का बस स्टेशन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और इस किराये के बस स्टेशन में जन साधारण के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या ऐसी स्थिति में उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम **अमरोहा नगर में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए बस स्टेशन का भवन निर्माण कराने हेतु कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?**

डाक्टर संजय सिंह—

जी हां ।

अमरोहा में किराये के भवन में बस स्टेशन स्थित है, जिसमें जन साधारण के लिये पीने के पानी तथा मूत्रालय आदि की सुविधायें उपलब्ध है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निगम की वर्तमान नीति के अंतर्गत डिपों स्टेशनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अपना बस स्टेशन निर्माण कराये जाने की कोई योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

विकास खण्ड पिपराइच, गोरखपुर के कतिपय अर्ध निर्मित पंचायत भवन

93—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पिपराइच के ग्राम जगदीशपुर एवं ग्राम कुस्महीं में कई वर्षों से पंचायत भवन अर्द्ध निर्मित हालत **में पड़ा हुआ है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर जिला पंचायत राज अधिकारी, गोरख-**पुर को दोनों ग्रामों के पंचायत भवन निर्माण कराने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

ग्राम जगदीशपुर के पंचायत भवन का निर्माण श्रमदान के माध्यम से ग्राम सभा के अपने स्रोतों से प्रारम्भ किया था । वर्ष 1984-85 में 14,000 रु0 की धनराशि स्वीकृत की गई परन्तु पंचायत भवन पूर्ण नहीं हो सका । इसे पूर्ण कराने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

ग्राम सभा कुस्महरी के पंचायत भवन का निर्माण ग्राम सभा द्वारा अपने श्रोतों से प्रारम्भ कराया गया था । वर्ष 1986-87 में इसको पूर्ण कराने हेतु 6,000 रु0 की प्रथम किस्त स्वीकृत की जा चुकी है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खण्डासा फैजाबाद के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती पत्र

94—श्री सरजू प्रसाद सरोज—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य शिवपुरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खण्डासा, फैजाबाद के द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरुध विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री राम चन्द्र मौर्य का शिकायती पत्र दिनांक 7-11-86 एवं 18-11-86 जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद को तथा रजिस्टर्ड पत्र संख्या-936/937 दिनांक 20-11-86 उप निदेशक शिक्षा एवं जिलाधिकारी, फैजाबाद को तथा पत्रांक बी0 आई0 पी0/2161/ई0 एम0, दिनांक 23-12-86 शिक्षा मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें विन्दुवार शिकायतें क्या हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां, दिनांक 18-11-86 का शिकायती पत्र तथा पत्रांक बी0 आई0 पी0 2161/ई0 एम0 दिनांक 23-12-86 प्राप्त है ।

विन्दुवार शिकायतें निम्नवत हैं :—

प्रार्थी को दिनांक 16-10-86 से उपस्थिति पंजिका पर प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षर न करने देना और 16-10-86 से 31-10-86 तक 16-10-86 को ही क्रास लगा देना ।

2—प्रार्थी का नाम दिनांक 1-11-86 से उपस्थिति पंजिका पर प्रधानाचार्य द्वारा अंकित न किया जाना ।

3—प्रार्थी को दिनांक 11-11-86 को प्रधानाचार्य द्वारा भद्दी-भद्दी गलियां देना व 2-3 झापड़ मारकर विद्यालय से भगा देना ।

4—प्रार्थी द्वारा जान के खतरे से विद्यालय में प्रवेश न कर पाना ।

श्री मौर्य के प्रार्थना-पत्र दिनांक 18-11-86 पर ही तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ने प्रधानाचार्य को यह लिखित आदेश दिनांक 18-11-86 को ही दिये कि वह श्री मौर्य को विद्यालय में कार्य करने दें ।

जिला विद्यालय निरीक्षक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-3-87 एवं विभागीय आदेशों का प्रबंध तंत्र द्वारा पालन न करने के कारण अपने पत्र दिनांक 15-6-87 द्वारा प्रार्थी को बहाल मानकर पूर्ण वेतन भुगतान के आदेश पारित कर दिये ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खण्डासा, फैजाबाद के बचत खाता के बचत व खर्च का विवरण

94 अ–श्री सरजू प्रसाद सरोज–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य शिवपुरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खण्डासा, फैजाबाद के नाम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खण्डासा, फैजाबाद में चल रहे सेविंग खाता संख्या–76 से संबंधित धनराशि की आमदनी व खर्च का विवरण विद्यालय की कैश बुक रजिस्टर में अंकित किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त खाते से संबंधित धनराशि प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में छात्रों की फीस, चन्दा व छात्रवृत्ति के माध्यम से अनुचित तरीके से अर्जित की जाती है और उसका उपयोग अपने निजी हित में किया जाता है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी प्रधानाचार्य के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी–

अभिलेखों के उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 (घ) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अभिलेखों के उपलब्ध न कराने के कारण 16 (घ) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

पंचायती राज के शासनादेश के अनुसार बल्ब व ट्यूब की रख रखाव की व्यवस्था

95–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 में पंचायती राज विभाग के शासनादेश सं0 5283/33-3-24 पी0/84 अक्टूबर, 1984 द्वारा राज्य सरकार, उ0 प्र0 ने राज्य विद्युत परिषद् को 2 करोड़ तीन लाख रुपये की धनराशि अधिकृत ग्रामों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हेतु मंजूर की थी? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त धनराशि का भुगतान करते समय यह तय किया गया था विद्युत परिषद् आवश्यकतानुसार खराब बल्बों को बदलती रहेगी परन्तु इस समय अधिकांश बल्ब टूटे हुए अथवा फ्यूज पड़े हुए हैं तथा गांव में पुनः अंधेरा छाया हुआ है? यदि हां, तो मंत्री जी इस मामले में विद्युत परिषद् के खिलाफ क्या प्रभावी कार्यवाही करेंगे तथा प्रकाश व्यवस्था को कब तक सही करवा देंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ऊर्जीकृत ग्रामों में स्ट्रीट लाईट व्यवस्था हेतु धनराशि दी गई थी।

जी हां।

शासन में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन की पांच पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूची

96—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में पांच पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूचियां निर्गत करने का क्या सिद्धान्त अपनाया गया है एवं शासन द्वारा दि0 16-4-83 को पूर्व प्रसारित अन्तः संवर्गीय ज्येष्ठता सूची को निरस्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन एक बहुविषयक (मल्टीडिसिप्लिनरी) संगठन है। अतः उक्त संगठन के अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पृथक-पृथक पांच संवर्ग (सिविल, यांत्रिक, ज्योलाजी, जियोफिजिक्स एवं साइंटफिक) में दिनांक 19-1-87 को बनायी गई है जिसके कारण दिनांक 14-4-83 को पूर्व में प्रसारित अन्तरिम ज्येष्ठता सूची स्वतः निष्प्रभावी हो गयी है।

मलूकपुर काण्ड बरेली की जांच रिपोर्ट

97—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में सितम्बर, 1986 के दूसरे पखवारे में मलूकपुर काण्ड तथा उसके विरोध में हुए जन आन्दोलन के बारे में आयुक्त बरेली मण्डल द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो रिपोर्ट कब मिली ? क्या सरकार रिपोर्ट का संक्षेप सदन के पटल पर रखेंगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां। आयुक्त बरेली मण्डल से प्रश्नगत जांच रिपोर्ट शासन को दिनांक 15-1-87 को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट का संक्षेप संलग्न है।

(देखिये सत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 186 पर)

श्री कृष्ण देव अवर अभियन्ता सीतापुर का स्थानान्तरण

98—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, जनपद सीतापुर में कृष्ण देव मिश्रा, अवर अभियन्ता विगत करीब 8 वर्षों से एक ही जनपद में तैनात हैं? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण अभी तक क्यों नहीं किया गया? क्या शासन इनके स्थानान्तरण पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री कृष्ण देव मिश्रा, अवर अभियन्ता प्रखण्ड-सीतापुर में दिनांक 14-3-78 से कार्यरत हैं। विगत वर्ष 1986-87 में श्री मिश्रा, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण जनपद हमीरपुर को किया गया था किन्तु विशेष परिस्थितियों में स्थगित कर दिया गया था। वर्तमान वर्ष 1987-88 में श्री मिश्रा का स्थानान्तरण जनपद ललितपुर के लिए कर दिया गया है।

प्रा0 पा0 बरवां ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी के भवन निर्माण हेतु दिया गया धन

99—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 पा0 बरवां ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी के भवन हेतु जो आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गयी थी वह कितनी थी और उस धन को किस एजेन्सी को इमारत बनाने हेतु दिया गया है? क्या यह सही है कि अभी तक इमारत बनाने का कार्य शुरू भी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर तुरन्त इमारत के निर्माण का आदेश देगी?

श्री सिब्ते रजी—

रु0 37,600 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा वाराणसी को।

जी हां।

जी हां। निर्माण हेतु पुनः आदेश दे दिये गये हैं।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा डिवीजन मथुरा द्वारा विकास कार्य का विवरण

100—श्री सरदार सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री की जानकारी में है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा डिवीजन मथुरा ने वर्ष 1986-87 में जनपद में कुछ विकास कार्य किये हैं? यदि हां, तो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वाइज कौन-कौन से कार्य कितनी लागत से कराये गये? क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री महन्तु सिंह उर्फ महन्त सिंह का आजीवन कारावास फरारी और आत्म समर्पण

101—श्री शिव नारायण सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महन्तु सिंह उर्फ महन्त सिंह निवासी शाहपुर, थाना चान्दा सुल्तानपुर आजीवन कारावास की सजा से भाग निकल कर श्री राम प्रकाश गुप्ता तत्कालीन बी0 डी0 ओ0 चान्दा, डाक्टर समरजीत सिंह मेडिकल आफीसर चान्दा, तत्कालीन अपर विकास अधिकारी श्री एस0 एन0 पाण्डेय से चरित्र प्रमाण पत्र लेकर 27 मई, 1980 से अप्रैल, 1985 तक वन विभाग के अन्तर्गत सरकारी नौकरी करता रहा? यदि हां, तो भीषण अपराधी को असत्य चरित्र प्रमाण-पत्र देकर तथ्यों को छिपाने तथा अभियुक्त को बचाने और शासन को धोखा देने वाले उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध जनहित एवं प्रशासन के हित में क्या तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेंगे, साथ ही यह भी जांच कर अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि ऐसे भीषण अपराधी का चरित्र प्रमाण पत्र किन परिस्थितियों में बनाये गये?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

जी हां, महन्तु सिंह, उर्फ महन्त सिंह दिनांक 31-5-85 तक नौकरी करने के पश्चात् फरार हो गया। पुलिस के विशेष प्रयत्नों के बाद उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। वर्तमान समय में जेल में है।

मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से करायी जा रही है तथा जनपदीय स्तर पर मुख्य राजस्व अधिकारी के स्तर पर भी जांच की जा रही है ।

धारा 362 के अन्तर्गत थाना चान्दा सुल्तानपुर में वर्ज अभियुक्तों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

102–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 199/86 धारा 392 दिनांक 16-10-86 थाना चान्दा सुल्तानपुर में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो कारण क्या है? क्या यह सही है कि अभियुक्तों के विरुद्ध तथ्यों की पुष्टि करते हुये गवाहों ने न्यायालय में शपथ पत्र भी दाखिल कर दिया है फिर भी पुलिस धारा को परिवर्तित कर अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रही है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रथम सूचना किस दिनांक को और किसके द्वारा अंकित कराई गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मु0अ0सं0 199/86 धारा 392 भा0दं0वि0 में नामजद तीन अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार किया गया तथा दो अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

यह सही है कि दो गवाहों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट की पुष्टि करते हुये अपना हलफिया बयान न्यायालय में दाखिल किया है। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि यह दोनों गवाह निष्पक्ष नहीं हैं। अतः पूर्ण साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोग धारा 392 भा0दं0वि0 का न पाये जाने के कारण धारा 406/201 भा0दं0वि0 में परिवर्तित किया गया। प्रथम सूचना दिनांक 16-10-86 को श्री प्रसिद्ध नारायण दूबे द्वारा पंजीकृत कराई गई।

श्री टी0 एन0 सिंह भूतपूर्व डिपो प्रबन्धक सुल्तानपुर द्वारा की गयी भीषण अनियमितताएं तथा जांच

103–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व डिपो प्रबन्धक, श्री टी0 एन0 सिं0 उ0 प्र0 राजकीय सड़क परिवहन निगम सुल्तानपुर के विरुद्ध परिवहन निगम में की गयी भीषण अनियमितताओं के सम्बन्ध में जनपद के जन प्रतिनिधियों की शिकायत पर इनका स्थानान्तरण अक्टूबर, 1986 में अन्यत्र करके लाखों रुपये की अनियमितताओं की जांच आरम्भ की गयी? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 85-86 में इस डिपो को कितनी हानि तथा लाभ हुआ? क्या यह सत्य है कि श्री टी0 एन0 सिंह को फैजाबाद मण्डल का सर्विस मैनेजर बना दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री संजय सिंह–

जी हां।

श्री टी0 एन0 सिंह, डिपो प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, के सुल्तानपुर के कार्यकाल के सम्बन्ध में जनपद के कतिपय जन-प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनके आधार पर उन्हें फैजाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया। उक्त शिकायतों की जांच उप प्रधान प्रबन्धक (मध्य जोन) द्वारा की गयी और श्री सिंह को इस

सीमा तक दोषी पाया गया कि वे सुल्तानपुर डिपो में नीलामी के लिये निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुए, जिससे निगम को हानि हुई। इसके लिए श्री सिंह को आरोप पत्र देने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 1985-86 में सुल्तानपुर डिपो में रु0 1900976.64 की हानि हुई। यह सही नहीं है कि श्री टी0 एन0 सिंह को फैजाबाद मण्डल का सर्विस मैनेजर बनाया गया है।

श्री निहोर यादव ग्राम हुसेनपुर जनपद फैजाबाद द्वारा अनियमित निर्माण

104–श्री अकबर हुसैन बाबर –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हुसेनपुर सकरवारी तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद में निहोर यादव ने उक्त ग्राम के सार्वजनिक मार्ग पर दीवाल बनवा ली है जिसके कारण ग्राम का सार्वजनिक मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो उक्त सार्वजनिक मार्ग को कब तक खुलवा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित –

जी हां,

ग्राम हुसैनपुर, सकरवारी तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद में निहोर यादव नामक कोई व्यक्ति नहीं है । अतः उसके द्वारा दीवाल निर्माण से सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

अशासकीय विद्यालयों में सी0टी0, बी0टी0/एच0टी0सी0 का चयन वेतन मान

105–डाक्टर दिनेश जौहरी –

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 5689/15-8-83-3062/82 दिनांक 22-12-83 के द्वारा सी0 टी0 वेतनक्रम में अशासकीय विद्यालय में सेवारत शिक्षक/शिक्षिकाओं को उनकी जे0 टी0 सी/बी0 टी0 सी0/एच0 टी0 सी0 वेतनक्रम की सभी सेवाओं को मिलाकर 16 वर्ष की सेवा अवधि के उपरान्त 620-820 का चयन वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर राजकीय विद्यालय में सेवारत शिक्षक/शिक्षिकाओं को जो कि माध्यमिक शिक्षक/शिक्षिकाओं से तुलना में श्रेष्ठ हैं, को उक्त चयन वेतन मान से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं को भी स्वीकृत वेतनमान दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी –

अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत केवल उन्हीं इण्टर प्रशिक्षित पदधारकों को जो सी0 टी0 पद के प्रति बी0 टी0 सी0 वेतनक्रम में नियुक्त हैं और जे0टी0सी0/बी0टी0सी0 वेतनमान में स्वतः (सुआमोंटो) प्रोन्नति पाकर सी0 टी0 वेतनमान में कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने कक्षा 6, 7 व 8 को पढ़ाने का कार्य किया है, को प्रश्नगत शासनादेश के अन्तर्गत चयन वेतनमान स्वीकृत किया गया है क्योंकि अशासकीय विद्यालयों में सी0 टी0 वेतनक्रम के समस्त पद शत प्रतिशत सीधी भर्ती के पद हैं ।

राजकीय विद्यालयों में सी0 टी0 वेतनक्रम के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 50 प्रतिशत पद बी0टी0सी0/एच0टी0सी0/जे0टी0सी0 से प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । इस प्रकार दोनों पद अलग-अलग सम्वर्ग के पद हैं । अतः सी0 टी0 वेतनमान में प्रोन्नत पदधारकों को प्रोन्नति के पूर्व की सेवा की गणना करके चयन वेतनमान अनुमन्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

106–डाक्टर दिनेश जौहरी –

[करण संख्या 26 (i) के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर देहात के कालपी-करौंसा लिंक रोड के निर्माणार्थ श्री श्याम लाल एम0एल0सी0 का पत्र

107–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम लाल एम0एल0सी0 का कोई पत्र दिनांक 7-3-87 संलग्नकों सहित, जो सचिव, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित है एवं जो ब्लाक अकबरपुर, जिला कानपुर देहात के कालपी राजमार्ग (पातेपुर) से करौंसा तक लिंक रोड के निर्माण कराये जाने से संबंधित हैं, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 1982 के नियुक्ति-आदेश

108–श्री राम नरेश यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1982 के लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में उत्तीर्ण एवं चयमित 451 अभ्यर्थियों में से कितने की नियुक्ति हो चुकी है और कितने की नियुक्ति शेष है शेष की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित –

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, 1982 की श्रेष्ठता क्रम सूची के 451 अभ्यर्थियों में से 257 अभ्यर्थियों को वर्ष 1984 में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है तथा शेष 194 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु शासन द्वारा दिनांक 15-10-86 को आवश्यक आदेश जारी किये गये हैं।

श्रीकान्त मिश्र थानाध्यक्ष लोनी के स्थानान्तरण निरस्तीकरण के कारण

109–श्री कल्याण सिंह –

क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह सच है कि श्री श्रीकान्त मिश्र थानाध्यक्ष लोनी कटरा जिला बाराबंकी का स्थानान्तरण माह सितम्बर, 1986 में हुआ था और उनके स्थान पर श्री विनोद कुमार वैश्य ने माह अक्टूबर, 1986 के प्रथम सप्ताह में थाना लोनी कटरा जिला बाराबंकी में थानाध्यक्ष का पद भार ग्रहण कर लिया था? क्या यह भी सच है कि

श्री श्रीकान्त मिश्र के स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करके पुनः थाना लोनी कटरा (बाराबंकी) में ही पद स्थापित कर दिया गया है ? यदि हां, तो श्रीकान्त थानाध्यक्ष लोनी कटरा (बाराबंकी) का स्थानान्तरण किस तिथि को हुआ और किस तिथि को उनके स्थानान्तरण आदेश को निरस्त किया गया है ? स्थानान्तरण के निरस्तीकरण के कारण क्या हैं ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित –

जी हां,

श्री श्रीकान्त मिश्र, थानाध्यक्ष लोनी कटरा जिला बाराबंकी का स्थानान्तरण 1-10-86 को हुआ था । परन्तु उनके स्थान पर श्री वी0के0वैश्य द्वारा विधिवत कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व प्रशासनिक कारणों से श्री श्रीकान्त मिश्र का स्थानान्तरण दिनांक 4-10-86 को निरस्त कर उन्हें पुनः लोनी कटरा में नियुक्त किया गया था ।

110–श्री कल्यान सिंह –

क्या उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के दिनांक 10-11-86 के पत्र के साथ श्री सुन्दर लाल दीक्षित भू0 पू0 विधायक हैदरगढ़ जिला बाराबंकी का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वह क्या है और शासन ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित –

जी हां ।

शिकायती पत्र में 7 आरोप लगाए गये हैं । इस पर की गई जांच कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 187–188 पर)

प्रधानाचार्य शिव इण्टर कालेज टिड्वा याकूबापुर इटावा के फर्जी डिग्री विषयक शिकायती पत्र

111–श्री औसान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को श्री आछेलाल तदर्थ प्रधानाचार्य शिव इण्टर कालेज टिड्वा याकूबापुर, इटावा के विरुद्ध फर्जी डिग्री प्राप्त कर सर्विस करने संबंधी श्री बाबू राम वर्मा के शिकायती प्रार्थना पत्र 7-10-85 रजिस्ट्री रसीद नं0 915 द्वारा पंजीकृत प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह शिकायती प्रार्थना पत्र क्या है और अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सिब्ते रजी –

जी हां ।

शिकायती पत्र श्री आछेलाल वर्मा, तदर्थ प्रधानाचार्य, शिव इण्टर कालेज, टिड्वा याकूबापुर, इटावा द्वारा एम0 ए0 (समाज शास्त्र) में फर्जी डिग्री प्राप्त कर नियुक्ति पाने के संबंध में था ।

इस शिकायती पत्र की जांच कराई गई । जांचोपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक ने शिकायतों को निराधार पाया है, परन्तु निदेशालय द्वारा उक्त आख्या से असहमति व्यक्त करते हुए मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मंडल, इलाहाबाद को इस सम्बन्ध में पुनः जांच कर पुष्टि हेतु निर्देशित किया गया है । मंडलीय उप शिक्षा निदेशक स्तर से जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

एस0 एन0 एम0 इण्टर कालेज कायमगंज फर्रुखाबाद में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति तथा निरस्तीकरण

112- श्री आसान सिंह –

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है एस0एन0एम0 इण्टर कालेज कायमगंज (फर्रुखाबाद) में नवम्बर, 1985 में साधिकार नियंत्रक नियुक्त किया गया और जनवरी, 1986 में हटा दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी –

जी हां । विद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति वेतन वितरण अधिनियम की धारा 6 (3) के अन्तर्गत की गयी थी ।

तदन्तर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत अपील पर अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश के निर्णय दिनांक 18-1-86 के आधार पर प्राधिकृत नियंत्रक हटा दिया गया ।

श्री ओम प्रकाश अग्रवाल सहायक कमान्डेन्ट कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद का अधीनस्थ शिक्षा सेवा निरीक्षण शाखा में आमेलितिकरण

113–श्री आसान सिंह –

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश अग्रवाल सहायक कमान्डेन्ट कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद को लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 30-10-85 के अनुसार अधीनस्थ शिक्षा सेवा निरीक्षण शाखा में आमेलित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी –

जी हां ।

मा0 लोक सेवा अधिकरण–1, उत्तर प्रदेश का आदेश दिनांक 30-10-85, मा0 अधिकरण के ही पूर्व आदेश दिनांक 13-1-78 के कार्यान्वयन के संबंध में है । चूंकि मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 13-1-87 के विरुद्ध शिक्षा विभाग द्वारा दाखिल अपील अभी मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है इसीलिए श्री अग्रवाल को अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में आमेलित नहीं किया गया है ।

जिला परिषद् उ0 मा0 विदयालय उमरैन इटावा के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायतों की जांच

114–श्री औसान सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् उ0 मा0 विद्यालय उमरैन इटावा के प्रधानाचार्य के विरुद्ध पद के दुरुपयोग एवं अनाधिकृत रूप से प्रवेश के नाम पर धन/चंदा वसूली से संबंधित जांच कार्य जारी है एवं उन पर पूर्ण आरोप सिद्ध हो जाने के बावजूद भी उक्त प्रधानाचार्य को निलम्बित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो प्रधानाचार्य को निलम्बित किये जाने में क्या कठिनाई है ?

श्री सिब्ते रजी –

हां ।

प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायतों की प्रारम्भिक जांच के उपरान्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । प्रारम्भिक जांच में आरोप इतने गम्भीर नहीं है, जिससे निलम्बन किया जा सके ।

जिला विकास कार्यालय उन्नाव में कतिपय नियुक्तियों का आधार

115–श्री भगवती सिंह विशारद –

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के जिला विकास कार्यालय तथा उससे संबंधित अन्य कार्यालयों एवं विभागों में वर्ष 1986-87 में जूनियर-इन्जीनियर तथा श्रेणी 3 एवं 4 के पदों पर अपर जिलाधिकारी (परियोजना) की स्वीकृति से किन-किन कार्यालयों एवं विभागों में नियुक्त की गई है तथा इन नियुक्तियों में कौन सी चयन विधि अपनाई गयी है ? क्या यह सही है कि जिला विकास कार्यालय और उससे संबंधित कार्यालयों में अनुसूचित जाति का आरक्षण का कोटा पूरा न होते हुए भी कोई अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी नियुक्त किया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय –

वर्ष 1986–87 में जिला कार्यालय उन्नाव तथा उसके अधीन विकास खण्डों में निम्न नियुक्तियां की गई :–

1–अवर अभियन्ता बायोगैस

क्रम सं0	नाम	तैनाती का स्थान
1	1–श्री वीरेन्द्र बहादुर	जिला विकास कार्यालय उन्नाव
2	2–श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा	विकास खण्ड, सफीपुर
3	3–श्री ओम प्रकाश	विकास खण्ड हसनगंज
4	4–श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी	विकास खण्ड पुरवा

(2) श्रेणी–3

1–श्री प्रताप सिंह कनिष्ठ लिपिक	जिला विकास कार्यालय (पंचायत अनुभाग)

(3) श्रेणी –4

1–श्री मेवालाल चपरासी/ संदेशवाहक	विकास खण्ड औरास
2–श्री शिव कुमार स्वीपर कम चौकीदार	विकास खण्ड सिकन्दर-पुर करन
3–श्री अशोक कुमार चपरासी/ संदेशवाहक	विकास खण्ड हिलौली
4–श्री सत्यपाल चपरासी/ संदेशवाहक	विकास खण्ड बांगरमऊ
5–श्री बड़े लाल चपरासी/ संदेशवाहक	विकास खण्ड, नवाबगंज

(4) पेड अप्रेन्टिस

1–श्री शिव प्रकाश	जिला विकास कार्यालय
2–श्री योगेश नाथ बाजपेयी	जिला विकास कार्यालय

अवर अभियन्ता बायोगैस का चयन जिला सेवा योजन कार्यालय उन्नाव से सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पास अभ्यर्थियों की सूची मंगवाकर एक समिति जिसके अध्यक्ष जिला विकास अधिकारी तथा सदस्य सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) एवं जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी रहे हैं, द्वारा किया गया था।

श्रेणी चार के क्रमांक 1, 2 व 3 पर व्यक्तियों की तैनाती मृतक सरकारी सेवकों के आश्रित होने के आधार पर की गयी। श्रेणी तीन के क्रमांक 1 तथा पेड अप्रेन्टिस व श्रेणी 4 के क्रमांक 5 की तैनाती कार्यहित में तदर्थ/अस्थायी रूप में उनकी उपयुक्तता तथा साक्षात्कार के उपरांत की गयी।

उक्त तैनातियां तदर्थ/अस्थायी तथा नियत समय के लिए की गईं। श्रेणी 4 के कर्मचारी में श्री शिव कुमार अनुसूचित जाति के हैं।

जिला विकास कार्यालय एवं उसके अधीन विकास खण्डों में तृतीय श्रेणी के 95 स्वीकृत पदों के विपरीत 18 कर्मचारी अनुसूचित जाति के कार्यरत हैं तथा चतुर्थ श्रेणी के 56 स्वीकृत पदों के विपरीत 21 कर्मचारी अनुसूचित जाति के कार्यरत हैं जिनका प्रतिशत क्रमशः 19 व 37 है जो कि निर्धारित आरक्षण कोटे से कम नहीं है।

श्री मुनुवा पुत्र श्री शिव नरायन ग्रा0 किरतापुर थाना सकरन जनपद सीतापुर के विरुद्ध दर्ज मुकदमें

116–श्री मूल चन्द–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुनुवा पुत्र श्री शिव नरायन ग्राम किरतापुर थाना सकरन जनपद सीतापुर के खिलाफ कितने मुकदमें हैं? क्या उनके खिलाफ कोई गिरोहबंदी का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया? उस मुकदमें के पहले क्या यह जानकारी की गयी कि मुनुवा घर से पकड़ कर लाये गये गये या पुलिस ने गिरोहबंदी के मौके पर पकड़ा? क्या सरकार इस पूरे मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा करायेगी और जांच के बाद दोषी व्यक्तियों को दण्ड देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मुनुवा पुत्र शिव नरायन निवासी ग्राम किरतापुर थाना सकरन जिला सीतापुर के विरुद्ध स्थानीय थाना सकरन पर दो मुकदमें पंजीकृत हैं।

श्री मुनुवा के विरुद्ध पुलिस ने गिरोहबंदी का एक मुकदमा धारा 399/402/307 भा0दं0वि0 के अन्तगंत दर्ज किया है। अभियुक्त मुनुवा घर से पकड़ कर नहीं लाया गया, बल्कि डकैती की योजना बनाते समय पुलिस द्वारा गिरोहबन्दी के मौके पर पकड़ा गया। मामले में सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

बहराइच में फखरपुर भिलौरा बासू मार्ग को ग्राम दहौरा तक निर्माण कराने की मांग

117–श्री मयंकर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बहराइच जनपद में फखरपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत फखरपुर भिलोराबासू मार्ग ग्राम सभा-दहौरा तक का निर्माण कार्य कराने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद बहराइच में फखरपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत फखरपुर-भिलौरा बासू मार्ग से दहौरा तक के मार्ग का निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित गवर्निंग बाडी की स्वीकृति/निर्णय के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा को प्रश्नकर्ता का एक शिकायती पत्र

118–श्री मयंकर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के पुलिस अधीक्षक को प्रश्न-कर्ता द्वारा दिये गये पत्र संख्या 524/86 दिनांक 16-7-86 रजिस्ट्री संख्या 1442 में थाना हरैया अन्तर्गत 15 घटनाओं के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी उपरोक्त शिकायती पत्र के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये पत्र संख्या 524/86 दिनांक 16-7-86 की जांच कराई गई। जांच से 10 घटनाओं के सम्बन्ध में आरोप असत्य एवं

निराधार पाये गये। 4 घटनाओं के सम्बन्ध में मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा। घटना के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। पुलिस कर्मियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये तथा पेशबन्दी में लगाये गये हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

119—श्री शंकर सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

सुश्री निगार फातिमा पुत्री श्री बाबू खां नि0 रसूलपुर, बाराबंकी को सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति

120—श्रीमती शारदा देवी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी, ने सुश्री निगार फातिमा पुत्री श्री बाबू खां, निवासी रसूलपुर, बाराबंकी की नियुक्ति सहायक अध्यापिका (जू0 बे0) के पद पर बिना किसी साक्षात्कार लिए ही कर ली ? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सत्य है कि सुश्री फातिमा ने वर्ष 1983 में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त किया था एवं वर्ष 1982 में प्रशिक्षित अध्यापक उस समय तक नियुक्त नहीं किये गये थे?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, बेसिक शिक्षा कार्यालय में तैनात अधिकारियों के विरुद्ध जांच

121—श्रीमती शारदा देवी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में इस समय कितने ऐसे अधिकारी तैनात हैं जिनके विरुद्ध जांच सम्बन्धी कार्यवाही चल रही है? उन अधिकारियों के नाम व पद क्या है? जांच कार्यवाही प्रभावित न होने पाये क्या इस कारण मंत्री जी इन अधिकारियों को निदेशालय से किसी नानसेन्सटिव पद पर स्थानान्तरण करेंगे तथा क्या यह भी बतायेंगे कि इन अधिकारियों के विरुद्ध जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी?

श्री सिब्ते रजी—

ऐसे चार अधिकारी हैं।

उक्त अधिकारियों के नाम व पद निम्नलिखित हैं:—

1—डा0 एस0पी0 मित्तल, शिक्षा सलाहकार (उर्दू)

2—श्री रुद्र नारायण शर्मा, संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक)

3—श्री रवि प्रताप वर्मा, सहायक शिक्षा निदेशक, बालाहार योजना।

4—श्री ओम प्रकाश मिश्र, वैयक्तिक सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)।

लखनऊ में उपर्युक्त अधिकारी नानसेन्सटिव पद पर ही कार्यरत है, अतः उनके विरुद्ध चल रही जांच कार्यवाही प्रभावित होने और इस कारण उन्हें निदेशालय से अन्य नानसेन्सटिव पद पर स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता। जांच कार्यवाही पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

बी0टी0सी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उसी जनपद में नियुक्ति तथा स्थानान्तरण

122–श्रीमती शारदा देवी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई बी0 टी0 सी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो उस जनपद अथवा मण्डल का निवासी नहीं है, की नियुक्ति बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत की जा सकती है? यदि हां, तो किस शासनादेश अथवा सेवा विनियमावली के किस नियम के अन्तर्गत? यदि नहीं, तो एक जनपद से दूसरे जनपद में अध्यापकों का स्थानान्तरण सम्बन्धी नियम बनाये जाने का क्या औचित्य है?

श्री सिब्ते रजी–

बी0टी0सी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उसी जनपद में नियुक्ति देने का प्राविधान है जिस जनपद से उसने बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के नियम-14 के उप सहायक नियम (3) के अनुसार मण्डलीय अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ऐसा संभव है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के उपर्युक्त नियमों में यह प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1987-88 में उन्नाव जिले में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

123–श्री नरेश चन्द्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 में उन्नाव जिले में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी सड़कों के निर्माण की योजना है तथा उनमें मुख्य कौन-कौन हैं और इस पर कितना धन व्यय करने का अनुमान है ? क्या 1986 में प्रस्तावित सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उरई बस स्टेशन पर भवन निर्माण की मांग

124–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उरई बस स्टेशन से लगभग तीस हजार रुपये राजस्व प्रतिदिन जमा होता है ? यदि हां, तो इतना अधिक राजस्व जमा करने वाले स्थान एवं मुख्यालय उरई में परिवहन निगम का अपना भवन नहीं है बस स्टेशन का जो भवन है वह जीर्णशीर्ण अवस्था में, फर्नीचर विहीन, यात्रियों/कर्मचारियों के लिए प्रतिक्षालय विश्राम भवन, पीने के पानी मूत्रालय शौचालय रहित है ? यदि हां,

तो क्या मंत्री जी यह सारी सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने एवं निर्माण के आदेश करेंगे यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह --

जी हां ।

नगर पालिका उरई द्वारा यात्री बसों के संचालन के लिए एक बस स्टेशन का निर्माण किया गया है जहां से दिनांक 3-6-1987 से निगम बसों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है । बस स्टेशन पर प्लेटफार्म प्रणाली रखी गयी है । यात्रियों की सुविधा के लिए बुकिंग काउन्टर एवं अन्य सुविधायें भी उपलब्ध करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व0 श्री सुमन प्रसाद सहायक अध्यापक प्रा0 पा0 मल्हीपुर के पुत्र श्री अनिल कुमार की नियुक्ति

125–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुमन प्रसाद गुप्ता, सहायक अध्यापक, प्रा0 पा0 मल्हीपुर (सहारनपुर) की मृत्यु सेवाकाल में ही 14-7-83 को हो गयी ? क्या यह भी सही है कि सुमन प्रसाद गुप्ता की बेवा श्रीमती सुमिता रानी बंसल ने स्वयं को अथवा उनके पुत्र को अपने स्व0 पति के स्थान पर नियमानुसार नौकरी दिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र उप सचिव, उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् मेरठ को 21-9-83 तथा 26-9-83 को दिया था ? यदि हां, तो दो वर्ष बाद भी उस पर कार्यवाही न होने का क्या कारण है और उसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

जी हां ।

स्व0 श्री सुमन प्रसाद सहायक अध्यापक प्रा0 पा0 मल्हीपुर के पुत्र श्री अनिल कुमार की नियुक्ति दिनांक 1-10-86 को की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विगत चार वर्षों में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा, फैजाबाद में हरिजन बस्तियों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना

126–श्री अकबर हुसैन बावर–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जनपद फैजाबाद द्वारा विगत चार वर्षों में कितनी हरिजन बस्तियों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा गया है । क्या यह भी सच है कि हरिजन बहुल ग्राम हुसेनपुर सकरवारी, कौंरा आदि ग्रामों को सम्पर्क मार्ग (पिचरोड) द्वारा जोड़ने के सम्बन्ध में विगत चार वर्षों से लिखा पढ़ी चल रही है ? यदि हां, तो सम्पर्क मार्ग अब तक न बनने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

विगत चार वर्षों में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा जनपद फैजाबाद के 11 हरिजन बस्तियों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा गया है ।

जी नहीं । इन ग्रामों को सम्पर्क (पिचरोड) द्वारा जोड़ने के सम्बन्ध में विगत चार वर्षों से कोई लिखा पढ़ी ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड फैजाबाद से नहीं चल रही है ।

गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही

127–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रंग बहादुर पान्डेय निवासी पनासा थाना करछना, जिला इलाहाबाद पर गैंगेस्टर एक्ट लगा था ? यदि हां, तो क्यों तथा अब तक गिरफ्तारी न होने के क्या कारण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

गैंगेस्टर्स एक्ट, 1986 के लागू होने की तिथि (15-1-1986) के उपरान्त श्री रंग बहादुर पाण्डेय, नि0 पनासा, थाना करछना, इलाहाबाद के विरुद्ध कोई अपराध पंजीकृत न होने के कारण उक्त एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी, अतः उनकी गिरफ्तारी का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता के सम्बन्ध में जारी राजाज्ञा

128–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी प्रबन्धक तंत्र द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता के सम्बन्ध में जारी राजाज्ञा सं0 2040/15-6-12 (8)/71 दिनांक 3-12-80 के अनुच्छेद (1) (ख) में उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद ने अपनी बैठक दिनांक 8-5-86 में कोई संशोधन किया है ? यदि हां, तो उक्त संशोधन क्या है और क्या वह संशोधन विज्ञान कक्ष (साइन्स रूम) के बारे में भी प्रभावी होगा ? यदि हां, तो क्या इस बारे में स्पष्ट निर्देश प्रदेश के सभी जिलों के सम्बन्धित अधिकारियों को जारी कर दिये गये हैं ताकि विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब न किया जाय? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो उक्त निर्देशों के बावजूद जनपद फैजाबाद के शिक्षा क्षेत्र भीटी में स्थित मदारभारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय मदारभारी को स्थायी मान्यता अब तक न प्रदान करने का क्या कारण है ।

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

उक्त संशोधन द्वारा पक्के कमरे की छत कैसी हो, यह स्पष्ट किया गया है । पक्की दीवालों वाले कमरे की छत यदि लिण्टर, एस्बेटस, खपरैल, या टीन शैड की है तो निर्मित कमरों को पक्का कमरा माना जायेगा। यह संशोधन विज्ञान कक्ष के बारे में भी प्रभावी है ।

विज्ञान कक्ष के सम्बन्ध में निर्देश मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) फैजाबाद को उनके द्वारा पृच्छा करने पर और शेष कमरों के बारे में प्रदेश के सम्पूर्ण जनपदों को निर्देश भेजे गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में भी स्थायी मान्यता की सभी शर्तें पूरी नहीं हैं ।

गोरखपुर जनपद की बस परमिट–वितरक कमेटी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

129–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री श्यामदेव मिश्र भूतपूर्व सैनिक तथा श्री जय प्रकाश मिश्र चालक अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में अधिमान्यता प्राप्त करने योग्य व उपयुक्त न पाए जाने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर संजय सिंह–

प्रश्नगत मामला राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण के विचाराधीन है ।

परिवहन निगम में दैनिक वेतन परिचालकों की प्रतीक्षा सूची

130–श्री विष्णुदेव–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1980 से 1982 तक चुने हुए परिचालकों को दैनिक वेतन पर कुछ सप्ताह के लिये नियुक्ति किया जाता है और इसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है? यदि हां, तो उन्हें कब तक स्थायी रूप से नियुक्त कर लिया जायेगा?

डा0 संजय सिंह–

जी हां । पीक सीजन में जब संचालन बढ़ जाता है तो आवश्यकतानुसार क्षेत्रों द्वारा प्रतीक्षा सूची के परिचालकों को दैनिक वेतन पर नियुक्त किया जाता है । आवश्यकता न रहने पर दैनिक वेतनभोगी परिचालकों को हटा दिया जाता है।

अभी परिवहन निगम में प्रदेश स्तर पर कार्यरत परिचालकों की संख्या स्वीकृत पदों से अधिक है। इसके अतिरिक्त कुछ भूतपूर्व परिचालक मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्य पर पुनः आ गये हैं और साथ ही मृतक कर्मचारियों के अर्ह आश्रितों को भी प्राथमिकता के आधार पर सेवा का अवसर दिया जाता है। अतः अभी नियमित अथवा स्थायी भर्ती की आवश्यकता निगम में नहीं है।

131–श्री राज बहादुर–

[दिनांक 18-6-87 को अतारांकित प्र0 सं0 166 द्वारा उत्तरित]

मछली गांव, तहसील शाहगंज, जौनपुर में अवैध चल रहे ईंट भट्टे के विरुद्ध शिकायती पत्र एवं उस पर कृत कार्यवाही

32–श्री राज बहादुर सिंह –

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 संख्या 153 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सही है कि उक्त ईंट भट्ठा अब तक बन्द नहीं हुआ है? क्या मंत्री जी उक्त ईंट भट्ठे को तुरन्त बन्द कराने की कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रश्नगत ईंट भट्ठे को बन्द करने में आवश्यक कार्यवाही न करने के लिए दोषी कर्मचारियों को चेतावनी दी जा चुकी है और अधिकारियों को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दी जानी प्रस्तावित है।

जिला परिषद् से बिना लाइसेन्स प्राप्त किए भट्ठा चलाने के अभियोग में भट्ठा मालिक के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

अखण्डानन्द जनता इण्टर कालेज गरौज, झांसी में अध्यापकों व कर्मचारियों का आन्दोलन तथा प्रबन्धक के विरुद्ध आरोप

133–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर, 1986 में अखण्डानन्द जनता इण्टर कालेज गरौज, जिला झांसी, अध्यापकों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये आन्दोलन के कारण कितने दिन बन्द रहा और इसी दौरान प्रबन्धक ने ताला भी बन्द कर दिया था? यदि हां, तो अध्यापकों एवं कर्मचारियों ने प्रबन्धक के विरुद्ध क्या आरोप लगाये हैं तथा जांच में कितने आरोप सत्य सिद्ध पाये गये ? क्या मंत्री जी इतनी गम्भीर अनियमितता एवं गबन करने वाले प्रबन्धक की प्रबन्ध समिति को भंग कर प्रशासक नियुक्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालय में दिनांक 10-11-86 से 19-11-86 तक (10 दिन) प्रबन्धक, श्री सूरज राम रईस के आदेश से ताला बन्दी रही तथा 15-11-86 से 10-12-86 तक विद्यालय के अध्यापक एवं कर्मचारी हड़ताल पर रहे ।

अध्यापकों एवं कर्मचारियों ने प्रबन्धक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाए हैं :—

(1) प्रबन्धक श्री सूरज राम रईस को हटाकर सरकार विद्यालय को अपने हाथ में ले ।

(2) विद्यालय में 9 चपरासी कागज पर दर्ज हैं, परन्तु 3 चपरासी ही विद्यालय में कार्य करते हैं, समस्त चपरासियों को विद्यालय में उपस्थित रखा जाय तथा उन्हें पूर्ण वेतन दिया जाय ।

(3) श्री सूरज राम रईस के शराब पीकर व हथियार से लैस होकर विद्यालय आने पर तत्काल रोक लगाई जाय ।

(4) अध्यापकों कर्मचारियों का वेतन मनमाने ढंग से काट लिया जाता है, उस अवैधानिक कार्यवाही की तत्काल जांच की जाय ।

(5) अवैधानिक आदेश तुरन्त निरस्त किये जायं।

(6) विद्यालय के छात्रों से अवैध चन्दा वसूली रोकी जाय तथा प्रबन्ध समिति के खातों की तत्काल जांच कराई जाय । तत्काल प्रभाव से समस्त अभिलेख सील कर दिया जाय ।

(7) बालकों की छात्रवृत्ति पर ली जाने वाली भारी धनराशि पर तत्काल रोक लगाई जाय ।

(8) अध्यापकों व कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा तथा जानमाल की रक्षा की जाय ।

जांच में आरोप बिन्दु–2 चपरासियों की अनुपस्थिति, बिन्दु–6 छात्रों से अवैध चन्दे की वसूली तथा बिन्दु–7 छात्रवृत्ति पर भारी धनराशि लिये जाने की शिकायतें सही पायी गयी।

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16घ (2) के अन्तर्गत निर्देश दिया गया है तथा विधि विहित प्रक्रिया पूर्ण होने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

मरकच्छा, विकास खण्ड ब्रह्मपुर, गोरखपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र

134–श्रीमती शारदा देवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भरकच्छा, विकास खण्ड ब्रह्मपुर, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर के निवासी श्री फया नाथ ने ग्राम सभा में सन् 1982 से 85 तक ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा हैण्डपम्प व खड़न्जा तथा पुलिया का रुपया हड़प लेने की लिखित सूचना दिनांक 26 दिसम्बर, 86 व 20 मार्च, 87 को जिला प्रशासन व शासन को दी थी? यदि हां, तो उक्त शिकायत पत्र की जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री फया नाथ ग्राम भरकच्छा, विकास खण्ड ब्रह्मपुर, तहसील सदर, जनपद गोरखपुर का पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1986 प्राप्त हुआ है।

शिकायत पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1986 जांचोपरान्त निराधार पाया गया । प्रश्न नहीं उठता।

फरेन्दा थाना, गोरखपुर में फर्जी मुठभेड़ की सी0 आई0 डी0 जांच रिपोर्ट

135–श्री हर्ष वर्धन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के फरेन्दा थाना अन्तर्गत मछली गांव के दो सगे भाइयों की फर्जी पुलिस मुठभेड़ में 20/21 जनवरी, 1981 को की गयी हत्या की जांच सी0 आई0 डी0 विभाग द्वारा कराई जा रही है ? यदि हां, तो उक्त जांच में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मामले में सी0 आई0 डी0 द्वारा चेकअप कराया गया। सी0 आई0 डी0 द्वारा चेकअप से दोनों भाइयों की मृत्यु पुलिस मुठभेड़ में होना पाई गई।

लघु सिंचाई विभाग, आगरा द्वारा एक प्राइवेट फर्म से सीमेंट की खरीदारी

136–श्री बदन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि लघु सिंचाई विभाग, आगरा ने 10 हजार सीमेंट बोरियां जे0 के0 सीमेंट कम्पनी, मदिया कटरा, आगरा से वर्ष 1985-86 में खरीदी हैं ? यदि हां, तो इस प्राइवेट फर्म से सीमेंट खरीदने का क्या औचित्य है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 1985-86 में केवल 4 हजार बोरी सीमेन्ट, मेसर्स जे0 के0 सीमेन्ट वर्क्स, मदिया कटरा, आगरा से आवश्यक निर्माण कार्यों के लिये लेवी सीमेन्ट उपलब्ध न होने के कारण क्रय किया गया था।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत का प्रस्ताव

137–श्री बदन सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं द्वारा बनवायी गयी सड़कों की मरम्मत का कोई प्राविधान नहीं है? यदि हां, तो क्या शासन सड़कों की बरबादी रोकने के लिए कोई प्राविधान करेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रदेश में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा बनवायी गयी सड़कों की मरम्मत/अनुरक्षण हेतु शासन स्तर से कुछ धनराशि एन0 आर0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत जिलाधिकारियों/डी0 आर0 डी0 ए0 को आवंटित की गई है तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि से पूर्व निर्मित सड़कों का मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, जो प्रगति पर है।

प्रदेश में सब इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति

138–श्री अफजाल अंसारी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1982-83 के सत्र में प्रदेश भर से 1200 सीधी भर्ती के द्वारा व 600 महकमे से पदोन्नति के द्वारा अर्थात् 1800 सब इन्स्पेक्टरों की भर्ती हुई थी? क्या इसके प्रशिक्षण के समय ही योग्यता क्रम के अनुसार सूची बनाकर 200 सब इन्सपेक्टरों को एल0 आई0 यू0 (गुप्तचर विभाग) के लिए चुन लिया गया था? यदि हां, तो उनमें से कितनों ने गुप्तचर विभाग में कार्यभार ग्रहण किया तथा कितनों ने किन-किन कारणों से सूची में होने के बाव-जूद भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और सिविल पुलिस में कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रशिक्षण के समय किस आधार पर ये सूची बनाई गई थी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सत्र 1982-83 में 1080 सीधी भर्ती द्वारा तथा 720 रैंकर अभ्यर्थियों द्वारा अर्थात 1800 सब इन्सपेक्टरों की भर्ती की गई।

व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान 198 उपनिरीक्षकों को उनके परीक्षाफल के परिशीलन के उपरान्त पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तर प्रदेश ने अभि-सूचना विभाग के लिए अनुमोदित किया था।

उपर्युक्त में से 189 उपनिरीक्षकों ने अभिसूचना विभाग में कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा 6 उपनिरीक्षक अभी तक सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कार्यभार से मुक्त न किये जाने के कारण योगदान नहीं कर सके हैं। एक उपनिरीक्षक का स्थाना-न्तरण पुलिस महानिदेशक द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त दो उपनिरीक्षकों का स्थानान्तरण पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) द्वारा स्थगित करके उनके स्थान पर दो अन्य उपनिरीक्षकों की नियुक्ति अभिसूचना विभाग में कर दी गयी है। इस प्रकार अभिसूचना विभाग में 191 उपनिरीक्षक योगदान कर चुके हैं।

यह सूची पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम के परिशीलन के उपरान्त बनाई गई थी।

स्व0 श्री बिन्देश्वरी दूबे, ग्राम पीठापुर, थाना तारून, फैजाबाद के शव विच्छेदन में विलम्ब

139–श्री मित्रसेन–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बिन्देश्वरी दूबे पुत्र श्री विक्रमाजीत दूबे, ग्राम पीठापुर, थाना तारून, फैजाबाद का अपहरण 2/3 नवम्बर, 1985 रात समय 3 बजे किया गया था जिसकी लाश दिनांक 5-11-85 सायं 4 बजे बरामद की गई और शव विच्छेदन दिनांक 6-11-85 को हुआ था? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है और हत्या के सम्बन्ध में कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आये हैं ? क्या यह भी सही है कि तत्कालीन थानाध्यक्ष की साजिश से ही प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा शव विच्छेदन में विलम्ब किया गया है और तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया गया है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

श्री बिन्देश्वरी दूबे दिनांक 2/3 नवम्बर, 1985 की रात में 3 बजे गुम हो गये थे, गुमशुदगी की सूचना श्री सियाराम यादव तथा अन्य ग्रामवासियों ने दिनांक 4-11-85 को थाना तारून में अंकित करायी थी कि भूमि के लालच में इनका अपहरण किया गया। साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

जी नहीं ।

उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा कथित उप निरीक्षकों के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का क्रियान्वयन

140–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 आई0 मो0 शफीक तथा एस0 आई राम पाल सिंह तोमर जनपद लखनऊ को पदावनत करके हेड का0 बना दिये जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ में रिट संख्या 3634/85 दाखिल की गयी थी, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय ने दि0 11-8-86 को यह निर्णय दिया था कि यह उप निरीक्षक पद पर ही कार्य करेंगे तथा इन्हें उप निरीक्षक पद के ही वेतन भत्ते आदि दिये जायेंगे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

....मा0 उच्च न्यायालय के आदेश शासनादेश संख्या–5481/आठ-10-8-1200 (31)/84, दिनांक 1-12-84 में दिये गये निर्देशों के प्रतिकूल है । अतः इस मामले का रिवीजन मा0 उच्च न्यायालय में पुनः कराये जाने तथा मामले को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने का प्रकरण विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में मा0 न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन का अभी प्रश्न नहीं उठता है ।

पुलिस विभाग में ए0 एस0 आई0 के पदों का सृजन

141–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि पुलिस विभाग में ए0 एस0 आई0 के पद का सृजन शासनादेश संख्या 6366/आठ-क 21-70 दि0 18-7-70 द्वारा हुआ था तथा दि0 10-6-74 के शासन ने इसे डांइग काडर घोषित करते हुए आदेश दिया कि इन पदों पर कार्य करने वालों से विवेचना कार्य न लिया जाय तथा अन्य ड्यूटी ली जाय ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि शासन के आदेशों के बावजूद 1979 से 1983 के मध्य में भारी संख्या में लोगों को ए0 एस0 आई0 की पदोन्नतियां दी गईं तथा विवेचना कार्य लिया गया ? क्या तीन वर्षों से भी अधिक समय तक विवेचना कार्य तथा अन्य उप निरीक्षक की ड्यूटियां लेने के बाद इनकी पुनः हे0 का0 के पदों पर पदावनति कर दी गई ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त सेवा अवधि का शुमार एस0 आई0 अथवा ए0 एस0 आई0 के पद के रूप में किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां, शासनादेश दिनांक 24-5-75 द्वारा सहायक सब-इन्सपेक्टर के संवर्ग को ''डाईकाडर'' घोषित किया गया था । इस आदेशों में विवेचना का कार्य न लेने व अन्य ड्यूटी लेने सम्बन्धी कोई निर्देश नहीं थे ।

जी हां, वर्ष 1981-82 में भारी संख्या में प्रशिक्षित उप निरीक्षकों के उपलब्ध होने के फलस्वरूप रिक्तयों के अभाव में पुलिस आफिस मैनुअल के प्रस्तर 191 के अन्तर्गत अनुमोदित नागरिक पुलिस के स्थानापन्न उप निरीक्षकों/सहायक उप निरीक्षकों को भारी संख्या में प्रत्यावर्तित किया गया ।

प्रत्यावर्तन के समाधान के लिये उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 1300 ''सुपर न्यूमरेरी'' पदों का सृजन किया गया । इन पदों पर नियुक्ति कुछ शर्तों के अधीन थी जिसमें एक मुख्य शर्त यह थी कि इन पदों पर उन्हीं प्रत्यावर्तित स्थानापन्न उप निरीक्षकों को समायोजित किया जाय जिनकी 30-9-84 तक स्थानापन्न उप निरीक्षक के पद पर कुल सेवा अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो । स्थानापन्न उप निरीक्षक पद हेतु सहायक उप निरीक्षक की सेवा जोड़ने के संबंध में परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायगा।

रूहेल खण्ड विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति द्वारा की गयी नियुक्तियां

142–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय में वर्तमान कुलपति ने जब से कार्यभार संभाला है तब से कर्मचारियों की कितनी नियुक्तियां हुई हैं ? वे लोग कहां-कहां के रहने वाले हैं ? क्या यह सत्य है कि नियुक्तियों में बरेली के लोगों की अवहेलना हुई है ?

श्री सिब्ते रजी–

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचनानुसार 10 अध्यापकों एवं एक डाइरेक्टर की नियुक्ति हुई है ।

विवरण संलग्न है ।

विश्वविद्यालय में किसी जिला विशेष से नियुक्तियां किये जाने का प्राविधान नहीं है । अतः बरेली के लोगों की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 189 पर)

गोरखपुर, थाना चौक के अन्तर्गत चुनाव प्रचार काल में कथित ग्रामों में हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के लोगों पर कथित अत्याचार

143–श्री किरनपाल सिंह तथा श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना चौक बाजार के ग्राम टीकर व मिश्रौलिया में विगत विधान सभा निर्वाचन वर्ष 1985 चुनाव प्रचारकाल में कई घर हरिजनों व पिछड़ी जातियों के लूटे गये जिसकी सूचना इस क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज, गोरखपुर) के भूतपूर्व विधायक ने तत्कालीन डी0 आई0 जी0 रेंज

गोरखपुर के श्री रामाश्रय प्रसाद को व्यक्तिगत रूप से मिलकर दिनांक 25-3-85 में दिया था और इस पत्र को उन्होंने तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर को अपने कार्यालय के पत्रांक 420 दिनांक 27-3-85 द्वारा कार्यवाही व जांच हेतु प्रेषित किया था ? यदि हां, तो इस पत्र में किन-किन गांवों में पड़ी डकैतियों की सूचना किन-किन थानों से संबंधित है तथा उस समय थाना चौक बाजार महाराजगंज कोठी भार धुधली निचलौल के थानाध्यक्षों के नाम क्या-क्या रहे हैं ? क्या संबंधित विधायक के पत्र व कार्यवाही को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज, गोरखपुर के तत्कालीन विधायक का एक शिकायती-पत्र

144–श्री किरनपाल सिंह तथा सुखपाल पाण्डे–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज, गोरखपुर से 1980 से 9 मार्च, 1985 तक यहां के विधायक श्री फिरंगी प्रसाद विशारद रहे और इन्होंने 1985 ई0 के विधान सभा निर्वाचन काल में तत्कालीन थानाध्यक्ष चौक बाजार (श्री एस0 एन0 राय) द्वारा डकैतियों के न लिखने व कार्यवाही न करने की सूचना दिनांक 25-3-85 में तत्कालीन डी0 आई0 जी0 (श्री रामाश्रय प्रसाद) रेंज गोरखपुर को दिया था जो उक्त पत्रांक व तिथि से ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो क्या श्री राय तत्कालीन थानाध्यक्ष चौक यहां से स्थानान्तरित करके थाना झगहा गोरखपुर भेजे गए ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोवर्धन, मथुरा के दक मन्दिर में एक विधायक के प्रवेश पर रोक सम्बन्धी मुकदमा पंजीकृत

145–श्री सरदार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिसम्बर, 1986 में मा0 स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में मथुरा जनपद कस्बा गोवर्धन में उस क्षेत्र के माननीय हरिजन विधायक को मंदिर में प्रवेश करने से कुछ लोगों ने रोक दिया था और उन्हें नाना प्रकार से अपमानित किया था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उन्होंने थाना गोवर्धन में की है ? यदि हां, तो मा0 विधायक एवं उन्हें प्रवेश से रोकने वालों के नाम व पते क्या है ?क्या मुख्य मंत्री पूरी घटना का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1986 में नहीं बल्कि दिनांक 9-5-86 को श्री बलजीत सिंह विधायक, गोवर्धन सुरक्षित क्षेत्र ने थाना गोवर्धन पर इस आशय की सूचना अंकित कराई कि जब वह माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी के साथ दानघाटी मन्दिर, गोवर्धन में पूजा व दर्शनार्थ गये तो वहां पर मौजूद रमाकान्त पुत्र गिर्राज प्रसाद, निवासी गोवर्धन ने विधायक श्री बलजीत सिंह को पूजा व दर्शन नहीं करने दिया और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया ।

इस सूचना पर थाना गोवर्धन पर मुकदमा अपराध सं0 71/86, धारा 3/4-पी0 सी0 आर0 एक्ट, अभियुक्त रामाकान्त पुत्र गिर्राज प्रसाद के विरुद्ध दिनांक 9-5-86 को पंजीकृत किया गया । इस अभियोग की स्थानीय पुलिस तथा विशेष अनुसन्धान शाखा द्वारा विवेचना की गई और तदुपरान्त शासन द्वारा इसकी विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग को अभिदिष्ट की गई । अपराध अनुसन्धान विभाग की विवेचना से स्थानीय पुलिस द्वारा की गई विवेचना युक्तायुक्त पाई गई तथा स्थानीय पुलिस द्वारा आरोप-पत्र न्यायालय भेजे जाने की संस्तुति की गई है ।

जनता इण्टर कालेज, इटावा में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

146—श्री औसान सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनता इण्टर कालेज, इटावा में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत के बारे में दिनांक 14-2-86 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

दिनांक 14 फरवरी, 1986 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। प्राप्त सूचना के अनुसार एक शिकायती पत्र दिनांक 10 फरवरी, 1986 जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा के कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसकी जांच जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गयी । जांच आख्या का परीक्षण शिक्षा निदेशालय स्तर पर किया जा रहा है ।

जिला परिषद् इटावा में कार्यालय अधीक्षक का रिक्त पद

147—श्री औसान सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् इटावा में कार्यालय अधीक्षक का पद कब से और क्यों रिक्त है तथा वर्तमान कार्यरत अनुभागीय मुख्य लिपिकों में से वरिष्ठता एवं स्थायी तथा कार्य आचरण के आधार पर उक्त पद पर अनुभागीय मुख्य लिपिक को पदोन्नति करने में क्या कठिनाई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री राजा राम त्रिपाठी कार्य वाहक कार्यालय अधीक्षक के दिनांक 30-4-80 के अपरान्ह में कार्यालय अधीक्षक के पद से सेवा निवृत्त के फलस्वरूप जिला परिषद् इटावा में कार्यालय अधीक्षक का पद 1-5-80 से रिक्त है । उ0 प्र0 जिला परिषद् सेवा नियमावली, 1970 (यथा संशोधित) के तहत कार्यालय अधीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव जिला परिषद् इटावा में कार्यरत अनुभागीय मुख्य लिपिकों में न होने के कारण अभी तक इस पद को भरा नहीं गया है । कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही का मामला जिला परिषद् इटावा के विचाराधीन है।

जिला परिषद् इटावा के कर अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

148—श्री औसान सिंह—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् इटावा के कर अधिकारी के विरुद्ध शासन को जिलाधिकारी, अध्यक्ष, जिला परिषद् इटावा द्वारा प्रदत्त आरोप पत्र एवं संस्तुति पत्र माह मई, 1986 में प्राप्त हुआ हैं? यदि हां, तो उक्त दोनों पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जिला परिषद इटावा के कर अधिकारी श्री राम बाबू मिश्र के विरुद्ध जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद् इटावा का पत्र प्राप्त हुआ था।

उसके आधार पर कर अधिकारी को निलम्बित करके आरोप-पत्र दिया जा चुका है।

1500 की आबादी वाले ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव

149–श्री मयंकर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने 1500 की आबादी वाले सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो बहराइच जनपद में फखरपुर, हजूरपुर, तजवापुर तथा महसी विकास क्षेत्रों में वर्ष 1986 में कितने ग्रामों को सड़क से जोड़ा गया है तथा सन्1987 में किन-किन 1500 आबादी वाले ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने ग्राम उपरोक्त विकास क्षत्रों में इस योजना के अन्तर्गत 1500 आबादी वाले हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्राथमिक पाठशालाओं तथा जूनियर हाई स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था

150–श्री मयंकर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ग्रामों में प्राथमिक पाठशालाओं तथा जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रदेश में कक्षा 1 से 6 तक बालक तथा बालिकाओं के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था पहले से ही है।

कक्षा 7 एवं 8 में भी बालिकाओं के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन इन कक्षाओं में बालकों के निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सम्प्रति सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

151–श्री कल्यान सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

परिवहन विभाग की डीलक्स बसों में विधायकों को यात्रा सुविधा

152–श्री अचल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन विभाग की जो डीलक्स बसें चलाई जा रही है उनमें विधायकों को यात्रा की सुविधा नहीं दी गयी है ? यदि यह सुविधा दी गयी है तो क्या दिनांक 30-3-87 को बस सं0 यू0 टी0 आर0 1843 के परिचालक द्वारा श्री हरमोहन सिंह स0 वि0 प0 को यात्री टिकट नं0 208092 जारी करने के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

परिवहन निगम की डीलक्स बसों में विधायकों को साधारण बसों के अनुरूप यात्रा की सुविधा अनुमन्य है ।

निगम के बस बेड़े में बस सं0-यू0 टी0 आर0– 1983 नम्बर की कोई डीलक्स बस नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ब्लाक हरख, बाराबंकी में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्मित अधूरी सड़कें

153–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हरख के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा महोना से सेठमऊ मार्ग में मिट्टी का कार्य पांच वर्ष पूर्व पूरा हो चुका था तथा आधे मार्ग पर सोलिंग भी हो चुकी है ? यदि हां, तो बचे हुए मार्ग पर क्या सरकार तत्काल सोलिंग कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

विकास खंड हरख के अंतर्गत महोना से सेठमऊ मार्ग पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा 2.13 कि0 मी0 लम्बाई में सोलिंग का कार्य वर्ष 81-82 में विभागीय योजना के अंतर्गत कराया गया था ।

अवशेष 1.35 कि0 मी0 लम्बाई में सोलिंग का कार्य संबंधित योजना में धनाभाव के कारण अभी कराया जाना संभव नहीं है ।

ग्राम प्रधान बरेया, तहसील फतेहपुर, बाराबंकी द्वारा ग्राम समाज की सम्पत्ति के गबन सम्बन्धी शिकायती-पत्र

154–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बरेया, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के निवासियों ने 28-8-85 को ग्राम प्रधान द्वारा लाखों रुपये के ग्राम समाज की सम्पत्ति के गबन एवं दुर्विनियोजन के संबंध में कोई शिकायती-पत्र दिया था? यदि हां, तो क्या सरकार ने शिकायतों की जांच की ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

शिकायत पत्र दिनांक 28-8-85 प्राप्त हुआ । शिकायतों की जांच करायी गयी जिसमें शिकायतें निराधार पायी गयीं फलतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बाराबंकी के विरुद्ध शिकायती पत्र

155–श्री रामचन्द्र बक्श सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बाराबंकी के विरुद्ध विभाग के ही अवर अभियन्ता संघ ने 29 सूत्रीय शिकायतें प्रेषित की है और उन्हीं को लेकर 13-4-87 से आमरण अनशन किया जा रहा है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या आरोप है ? इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बाराबंकी के विरुद्ध विभाग के अवर अभियन्ता संघ द्वारा लगाये गये 29 सूत्रीय शिकायतों का एक पैम्फलेट जिसका विषय था "दिनांक 13-4-87 को आमरण अनशन पर बैठने की सूचना" प्राप्त हुआ । आरोप का विवरण संलग्न है । मामले की जांच किए जाने हेतु मुख्य अभियन्ता ने अधीक्षण अभियंता परिमण्डल-फैजाबाद को निर्देश दिए है । तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री सी0 पी0 तिवारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 190–193 पर)

सरोजनी नगर, लखनऊ में धूम् रहित चूल्हों का निर्माण

156–श्री शारदा प्रताप–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड सरोजनीनगर में वर्ष 1980 से 1986 के बीच किन-किन संस्थाओं द्वारा धूम् रहित चूल्हों का निर्माण किया गया तथा उनकी संख्या क्या है और प्रत्येक चूल्हे पर क्या लागत आयी ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त चूल्हों के निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा लाभार्थियों के नाम व आवासीय पते क्या हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

धूम् रहित विकसित चूल्हा कार्यक्रम प्रदेश में वर्ष 1984-85 से चलाया गया है । अतः वर्ष 84-85 से वर्ष वार संस्थाओं द्वारा सरोजनीनगर विकास खण्ड में निर्मित धूम्-रहित चूल्हों के विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	संस्था का नाम	चूल्हों की संख्या
1984–85	वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान महानगर, लखनऊ ।	3,116
1985–86	तदैव	5,685
1985–86	साक्षरता निकेतन, आलमबाग, लखनऊ ।	2,850
	योग	11,651

प्रत्येक चूल्हे पर 50-00 रुपये की लागत आयी । उक्त चूल्हों के निर्माण पर 5,82,550 रु0 की धनराशि व्यय की गयी । लाभार्थियों की सूची बहुत लम्बी है । माननीय सदस्य मेरे कक्ष में अपनी सुविधानुसार आकर सूची देख सकते हैं ।

ग्राम प्रधानों को प्रशासनिक अधिकार

157–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत प्रधानों को प्रशासनिक अधिकार एवं अन्य सुविधायें दिये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम प्रधानों का निलम्बन तथा पदच्युत करने का अधिकार

158–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पंचायत राज एक्ट की धारा 95 के अधीन ग्राम प्रधानों को निलम्बित करने अथवा पदच्युत करने का अधिकार परगनाधिकारी से हटाकर निदेशक पंचायत राज में निहित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

कस्तूरबा कन्या जूनियर हाईस्कूल सिद्धपुर, एटा को मान्यता

159–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्रांक 3164/15-6-12 ई0 11/84 शिक्षा अनुभाग-6, दिनांक 30-11-84 द्वारा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, आगरा से कस्तूरबा कन्या जूनियर हाईस्कूल सिद्धपुर, जनपद एटा को स्थायी मान्यता में निजी भवन की शर्त से छूट हेतु आख्या मांगी थी तथा मण्डलीय बालिका निरीक्षिका, आगरा की आख्या पत्रांक शि0स0/सिद्धपुर/मान्यता/8815/85-86 द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग को भेजी जा चुकी है? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

अपूर्ण आख्या प्राप्त होने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी । अत: शासन द्वारा पुन: पूर्ण आख्या भेजने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सहायक विद्यालय निरीक्षक, एटा के विरुद्ध शिकायती पत्र

160–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या शिक्षा मंत्री को जनपद एटा के ग्राम अखतऊ के प्रधान (श्री रमेश सिंह) का दिनांक 22-1-86 का कोई शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ जो कि तत्कालीन सहायक विद्यालय निरीक्षक, रमेश चन्द्र शर्मा के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां उक्त पत्र शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिनांक 12-2-86 को भेजा गया था जहां से उसे दिनांक 24-2-87 को शिक्षा निदेशालय (बे0), इलाहाबाद को भेजा गया था, परन्तु वह वहां उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पत्र की तलाश कराई जा रही है।

161–श्री अशोक बाजपेई–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

लखनऊ विश्वविद्यालय की भांति अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी की नियुक्ति

162–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय की भांति ही जनहित में अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में भी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय लिया जा सकता है।

दयानन्द सुभाष नेशनल कालेज, उन्नाव की आडिट आख्या पर कृत कार्यवाही

163–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि दयानन्द शिक्षण संस्थान, उन्नाव में वर्ष 84 में सरकारी आडिट पार्टी द्वारा 59 लाख रुपये का भारी घपला पकड़ा गया था? यदि हां, तो इस घपले में कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

दयानन्द शिक्षण संस्थान नाम की उच्च शिक्षा सम्बन्धी कोई संस्था उन्नाव में नहीं है।

दयानन्द शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत संचालित उन्नाव में दयानन्द सुभाष नेशनल कालेज है। इस विद्यालय के वर्ष 1983-84 के लेखों का आडिट नवम्बर, 1984 में विभागीय लेखा परीक्षकों द्वारा कराया गया था इसमें कुछ आडिट आपत्तियां प्रकाश में आयी प्रश्न में कथित 59 लाख रुपये का कोई घपला प्रकाश में नहीं आया। आडिट आख्या अनुपालनार्थ 4-11-85 को महाविद्यालय को भेजी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुनील कुमार, ग्राम असावर, ब्लाक असोहा, उन्नाव की पिटाई के सम्बन्ध में कथित पत्र तथा जांच

164–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन सुशील कुमार पुत्र शिवनाथ निवासी ग्राम असावर, ब्लाक असोहा, जनपद उन्नाव की दिनांक 10 जुलाई, 1986 को पुलिस द्वारा की गई पिटाई एवं नगदी छीनने की शिकायत माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 1986 में पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को प्राप्त हुई थी और उसकी जांच हेतु कोई डिप्टी एस0 पी0 असोहा गए थे ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार संदर्भित घटना के सम्बन्ध में श्री सुशील कुमार पुत्र शिवनाथ का कोई शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक, उन्नाव कार्यालय में अभिलेखों के अनुसार प्राप्त होना नहीं पाया गया।

अत: एस0 पी0 उन्नाव के स्तर से किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

ज्ञान भारती पूर्व माध्यमिक विद्यालय, त्रिपुरारिपुर, उन्नाव के श्री दिनेश कुमार शुक्ल व उमा कृष्ण सिंह की सेवा मुक्ति

165–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

प्रथम सत्र 1987 के प्रथम सोमवार के अता0 प्र0 सं0 63 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यापक उमाकृष्ण व दिनेश कुमार शुक्ल ने प्रशिक्षण से वापस आकर उन्होंने बे0 शिक्षा अधिकारी, उन्नाव को इसकी शिकायत भी की थी कि प्रबन्धकारिणी समिति उन्हें काम करने से रोक रही है ? यदि हां, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री सिब्ते रजी–

प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रश्नगत दोनों अध्यापक विद्यालय में कार्य करने हेतु उपस्थित नहीं हुए। अत: उनके पद की स्थान पूर्ति संस्था अधिकारियों द्वारा पदों को रिक्त मानकर कर दी गयी थी ।

तत्पश्चात इन दोनों शिक्षकों द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव के कार्यालय को यह सूचित किया गया कि उन्हें विद्यालय में कार्यरत नहीं कराया जा रहा है। इस आधार पर प्रबन्धतंत्र को तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि दोनों शिक्षक विभागीय निर्देशानुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, अतः उन्हें विद्यालय में कार्यरत कराया जाये। किन्तु संस्था में कोई स्थान उपलब्ध न होने के कारण इन दोनों शिक्षकों को अब तक कार्यरत नहीं कराया जा सका है। यद्यपि उक्त दोनों शिक्षकों को विद्यालय में कार्यरत कराये जाने हेतु निरन्तरता के साथ प्रबन्धतंत्र को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उन्नाव मौरावां मार्ग पर बस दुर्घटना में घायलों को मुआवजे का भुगतान

166–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के उन्नाव मौरावा मार्ग पर 8 जनवरी, 1987 को बस दुर्घटना हुई थी? यदि हां, तो उस पर दुर्घटना में कितने लोगों को गम्भीर चोटें आयीं और गम्भीर चोट वालों को क्या मुआवजा दिया गया? क्या यह सही है कि उ0 प्र0 परिवहन की बस के टिकट धारक का स्वतः बीमा हुआ मान लिया जाता है? यदि हां, तो चोट वाले यात्रियों को भुगतान न किये जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी दुर्घटना के कारणों को भी बताने का कष्ट करेंगे और दोषी व्यक्तियों को दिये गये दण्ड की भी जानकारी देंगे?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां।

उक्त दुर्घटना में 8 लोग घायल हुए तथा इनमें से 5 व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, पुरवा तथा 3 व्यक्तियों को संयुक्त चिकित्सालय, उन्नाव में उपचार हेतु भर्ती कराया गया था। उक्त व्यक्तियों में से किसी को भी मुआवजे के लिये अर्ह निर्दिष्ट चोटें आने का प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया था। अतः इन्हें मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया।

वैध टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्री बीमा का लाभ दिया जाता है।

मोटर व्हीकिल्स एक्ट की धारा 92ए एवं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) नियमावली के नियम 15 के अन्तर्गत उल्लिखित चोटें प्रमाणित न होने के कारण घायलों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया।

कथित दुर्घटना तेज गति के कारण हुई थी। दोषी चालक को निलम्बित कर दिया गया है।

मधुबन, आजमगढ़ के कतिपय व्यक्तियों के छप्पर जलाने, सामान नष्ट करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र

167–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विश्वनाथ पुत्र वृद्ध निवासी ग्राम व पोस्ट गाजियापुर, थाना मधुबन, जनपद आजमगढ़ की विरोधियों द्वारा जमीन हड़पने, छप्पर जलाने व छप्पर का सामान नष्ट हो जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 1986 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां,

श्री विश्वनाथ पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम वो पोस्ट गाजियापुर, थाना मधुवन, जिला आजमगढ़ का शिकायती पत्र जिलाधिकारी, आजमगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया ।

श्री विश्वनाथ की दिनांक 2-4-86 की प्राथमिकी के आधार पर अ0 सं0 72/86 धारा 436 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना से यह पाया गया कि आग घर की औरतों की लापरवाही से लगी थी। अतएव मामले में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 27-6-86 को प्रेषित की गई, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्राम बेंदो, थाना करछना, इलाहाबाद के कतिपय व्यक्तियों को बन्दूक का अवैध लाइसेन्स

168–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गणेश प्रसाद तिवारी आत्मज चन्द्र किशोर तिवारी एवं गिरीश कुमार आत्मज चन्द्र किशोर तिवारी ने डी0 बी0 बी0 एल0 बन्दूक का लाइसेन्स नं0 5875, बन्दूक नं0 2395/बी/5 एवं लाइसेन्स नं0 6082 गन नं0 2682/बी/5 ग्राम फतुहवा, थाना सरांय इनायत एवं सरांय ममरेज, जिला इलाहाबाद का फर्जी पता लिखाकर बन्दूक का लाइसेन्स प्राप्त कर लिया जबकि ये धारा 302 आई0 पी0 सी0 के मुल्जिम थे ? यदि हां, तो यह किस प्रकार सम्भव हुआ ? क्या उनके लाइसेन्स निरस्त करके दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार सर्वश्री गणेश प्रसाद तिवारी एवं गिरीश प्रसाद तिवारी पुत्रगण श्री चन्द्र किशोर तिवारी, निवासी ग्राम बेंदो, थाना करछना, जनपद इलाहाबाद जो धारा–302 भा0 द0 वि0 के अभियुक्त हैं, ने फर्जी पता अंकित कर बन्दूक के लाइसेन्स प्राप्त कर लिये । वास्तविकता की जानकारी होने पर उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के शस्त्र पुलिस मालखाने में जमा करा लिये गये और लाइसेन्सों के निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

उक्त मामले में दोषी पाये गये पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखा गया है ।

श्री कुन्दन सिंह के खिलाफ पुलिस थाना नरेन्द्रनगर, टिहरी में दर्ज रिपोर्ट

169–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कुन्दन सिंह जिसके खिलाफ भा0 द0 वि0 की धारा 307 के अन्तर्गत पुलिस थाना नरेन्द्र नगर में दिनांक 14-2-86 को दर्ज की गई थी उसकी प्रतिलिपि कौन से दिनांक को मुख्य दण्डाधिकारी, टिहरी को भेजी गई? भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत हस्व दफा 157 के अधीन यह व्यवस्था होने के बावजूद कि मुख्य दण्डाधिकारी को प्रतिलिपि जुर्म रिपोर्ट भेजने के बाद ही, पुलिस अपराध की जांच प्रारम्भ करेगी, किन कारणों से जुर्म रिपोर्ट नियमानुसार नहीं भेजी गई? बाद में भेजने के क्या कारण थे तथा सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार मु0 अ0 सं0 17/87 धारा 307 भा0 दं0 वि0 बनाम कुन्दन सिंह, थाना नरेन्द्रनगर की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21-2-87 को पुलिस कार्यालय नरेन्द्रनगर से मुख्य दण्डाधिकारी, टिहरी को अभियोजन अधिकारी, टिहरी के माध्यम से भेजी गई। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के कार्यालय में यह रिपोर्ट 2-3-87 को प्राप्त हुई।

(2) अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24-2-87 को न्यायालय मुख्य दण्डाधिकारी, टिहरी को अवश्य पहुंच जानी चाहिए थी किन्तु यह 6 दिन विलम्ब से पहुंची । इस सम्बन्ध में कराई गई जांच से विदित हुआ कि उक्त विलम्ब अभियोजन कार्यालय में नियुक्त कास्टेबुल नागरिक पुलिस चन्दू लाल की लापरवाही से हुआ। इस लापरवाही के लिये उक्त कान्सटेबुल को दण्डित किया जा चुका है ।

श्रीमती मीना देवी ग्राम बहेरुआ, जौनपुर का संयुक्त सम्पत्ति का बिक्रय सम्बन्धी पत्र

170–श्री सत्य प्रकाश विकल तथा श्री कल्यान सिंह–

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मीना देवी पत्नी स्व0 सूर्यमनि उपाध्याय निवासिनी ग्राम बहेरुआ, तह0 मड़ियाहूं, जिला जौनपुर का एक रजिस्टर्ड पत्र संख्या 352 दिनांक 5-2-83 को थानाध्यक्ष रामपुर को जिसमें समरजीत द्वारा जबरन श्रीमती मीनादेवी का हरा पेड़ बेचने को रपट करने का हवाला है, मिला है ? यदि हां, तो उसमें मुख्य शिकायतें क्या थीं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां । उक्त शिकायती पत्र में श्री समरजीत उपाध्याय उर्फ नान्हक उपाध्याय के विरुद्ध हरा पेड़ काट लेने व जानमाल की धमकी देने आदि आरोपों का उल्लेख था । शिकायती पत्र में अंकित मामले की जांच से यह मामला संयुक्त सम्पत्ति के विक्रय पर आपस में धनराशि के वितरण सम्बन्धी विवाद का पाया गया। शान्ति भंग की आशंका न होने के कारण कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई।

171–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

172–श्री अफजाल अंसारी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

मा0 विधायकों को हाउस गार्ड की व्यवस्था

173–श्री शारदा प्रताप शुक्ल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन वर्तमान विधायकों को अंगरक्षक के साथ दो-दो हाउस गार्ड भी दिए गये हैं और किस आधार पर शासन ने दिये हैं तथा कितने ऐसे विधायक हैं जिनको अभी तक शासन द्वारा अंगरक्षक नहीं दिए गए? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

174–श्री पूरन सिंह माहरा–

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

1974 में माध्यमिक शिक्षक संघ तथा शासन के बीच समझौता वार्ता

175–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 1974 में माध्यमिक शिक्षक संघ और शासन के बीच कोई समझौता हुआ था कि उस समय के 750 असहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को तीन वर्षों के अन्दर अनुदान सूची पर लेकर मान्यता और सहायता साथ-साथ प्रदान कर दी जायगी ? यदि हां, तो जनपद गोरखपुर के कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अब तक मान्यता प्राप्त कर दी गयी है?

श्री सिब्ते रजी–

ऐसा कोई समझौता उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गोरखपुर में परीक्षा वर्ष 1974 से 1985 तक 51 विद्यालयों को हाईस्कूल की मान्यता प्रदान की गई । इनमें से 44 विद्यालय अनुदान सूची पर लिये जा चुके हैं ।

असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने की योजना

176–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने हेतु शिक्षा विभाग के जिला सेक्टर से वर्गीकृत कराने पर स्टेट सेक्टर की चयनित की हुई सूची रद्द समझी जायेगी या उस सूची के आधार पर मान्यता प्रदान की जायगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी–

चूंकि वर्तमान वर्ष 1987-88 में असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने की योजना राज्य सेक्टर में वर्गीकृत है, अतः स्टेट सेक्टर की सूची को रद्द समझे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

साधन सहकारी समिति अकवापुर, सीतापुर के प्रशासक के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा कार्यवाही

177–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगदीश प्रसाद मौर्य, प्रशासक, साधन सहकारी समिति अकवापुर, विकास खण्ड पहला, जनपद सीतापुर द्वारा श्री हरद्वारी लाल भूतपूर्व प्रधान ग्रा0 मुशैदाबाद, पो0 सरैया, महीपत सिंह, थाना सदरपुर, जनपद सीतापुर द्वारा हरिजनों का अनुदान हड़पने की शिकायत मुख्य मंत्री व राजस्व मंत्री, जिला अधिकारी, सीतापुर को दि0 30-1-85 रजिस्टर्ड डाक से की गई प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त भू0पू0 प्रधान के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या अनुदान हरिजनों को वितरित हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

पत्र प्राप्त हुआ ।

जांचोपरान्त दिनांक 1-4-85 को उक्त प्रधान एवं तीन अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध थाना रामपुर कलां में धारा 406/409/420 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अपराध संख्या 30 पर एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी तथा दिनांक 2-8-85 को श्री हरद्वारी लाल प्रधान को प्रधान पद से पृथक किया जा चुका है।

सरकार से आवंटित धनराशि प्रधान द्वारा हड़प लिये जाने के कारण हरिजनों को अनुदान वितरित नहीं किया जा सका ।

178–श्री राम आसरे वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री कृष्ण कुमार स्वर्णकार निवासी मिर्जागंज, मलिहाबाद, लखनऊ के यहां पड़ी कथित डकैती सम्बन्धी पत्र

179–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-1-87 को श्री कृष्ण स्वरूप स्वर्णकार निवासी मिर्जागंज बाजार कस्बा, मलिहाबाद, लखनऊ के यहां दिनांक 4/5 जनवरी, 1987 की रात्रि में पड़ी डकैती के सन्दर्भ में कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार इस मामले की जांच कराई गई। जांच से डकैती की घटना होने की पुष्टि नहीं हुई। चूंकि स्थानीय पुलिस के विरुद्ध प्रार्थी ने आरोप लगाये थे अतः सम्बन्धित मुकदमे की निष्पक्ष जांच थानाध्यक्ष, थाना माल से कराई गई । इस घटना के सम्बन्ध में धारा 457/380 का अभियोग पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे से सम्बन्धित किसी अभियुक्त या चोरी गए माल का कुछ पता नहीं चला, अतएव विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की जा चुकी है। अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय द्वारा स्वीकार भी कर ली गई है।

कुख्यात अपराधी बृज मोहन के गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बरामद सिफारिशी पत्र

180–श्री हर्ष वर्धन–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कानपुर जनपद में अक्टूबर, 1986 में तिहाड़ जेल दिल्ली से चार्ल्स शोभराज के साथ भागे कुख्यात अपराधी बृज मोहन को गिरफ्तार किये जाने पर उसके पास से कांग्रेस "ई" के प्रादेशिक महासचिव का सिफारिशी पत्र बरामद हुआ था? यदि हां, तो इस मामले में करायी गयी जांच के दौरान क्या तथ्य प्रकाश में आये थे और उसके आधार पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचनानुसार अभियुक्त बृजमोहन के पास से प्रादेशिक महासचिव कांग्रेस (ई) के पैड पर लिखा हुआ पत्र बरामद हुआ था। जांच से यह पत्र बृजमोहन के लिए नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए लिखा गया पाया गया। महासचिव से अभियुक्त का किसी प्रकार का सम्बन्ध प्रमाणित नहीं हुआ।

उ0 प्र0 रा0 स0 परिवहन निगम के उन्नाव डिपो में वर्ष 1987 के माह जनवरी से मार्च के मध्य बसों की स्थिति एवं संचालन

181—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 के उन्नाव डिपो में वर्ष 1987 के जनवरी माह से मार्च, 87 तक की अवधि में कुल कितनी बसें थी ? उनमें कितनी आवागमन का काम कर रही थी ? शेष बसों के न चलने का क्या कारण है ? इस अवधि में पहले से संचालित कितनी और कौन-कौन सी बस सेवाएं बन्द हुई हैं तथा कितनी और कौन-कौन सी नई बस सेवाएं संचालित हुई हैं?

डाक्टर संजय सिंह—

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उन्नाव डिपो में माह जनवरी से मार्च, 1987 तक की अवधि में माहवार निम्न बसें थीं :—

जनवरी, 1987— कुल बसें 66
फरवरी, 1987 — कुल बसें 70
मार्च, 1987 — कुल बसें 70

कुल बसों में से माहवार आवागमन का कार्य निम्नवत बसें कर रही थी :—

जनवरी, 1987 — 55 बसें
फरवरी, 1987 —58 बसें
मार्च, 1987—62 बसें

उक्त कुल बसों में से शेष बसों के न चलने के निम्न कारण थे—

1—जनवरी, 1987 में 11 बजे आफ-रोड थी जो कुल बसों की लगभग 16 प्रतिशत होती हैं। इसमें क्षेत्रीय कार्यशाला की दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां भी सम्मिलित हैं ।

2—फरवरी में 12 बसें आफ-रोड थी, जो कुल बसों का लगभग 16 प्रतिशत होती है। इसमें भी क्षेत्रीय कार्यशाला की गाड़ियां सम्मिलित हैं।

3—मार्च में केवल 8 बसें आफ-रोड थी, जो कुल बसों की लगभग 12 प्रतिशत होती हैं।

इस प्रकार तीनों माह का कुल आफ-रोड लगभग पूरे राज्य के मानक के अनुरूप ही रहा । बसों को रेनोवेशन, मेंटीनेन्स व दिन प्रतिदिन की मरम्मत के लिए कार्यशालाओं में भेजना आवश्यक होता है।

उक्त अवधि में जिन सेवाओं का रिशिड्यूलिंग किया, उनका विवरण निम्नवत् है :—

1—उन्नाव डिपो से संचालित उन्नाव—दिल्ली रात्रि सेवा को बन्द करके कानपुर—दिल्ली, चुन्नीगंज डिपो से, दिनांक 15-2-87 से चलाया गया, और उसके स्थान पर चुन्नीगंज डिपो से संचालित कानपुर—बरहज 12 बजे की सेवा को चुन्नीगंज डिपो से बन्द करने के उपरान्त उन्नाव डिपो से संचालित

किया गया। इस प्रकार कोई सेवा बन्द नहीं हुई। उक्त अवधि में निम्न नई सेवायें संचालित की गई —

1–जनवरी, 1987 :–उन्नाव, रायबरेली, कानपुर, लखनऊ–एक बस

2–फरवरी, 1987 :–भगवंतनगर, उन्नाव, कानपुर, लालगंज, भगवन्तनगर—एक बस
उन्नाव–भौरापुर, उन्नाव–एक बस
उन्नाव–कानपुर, लखनऊ, कानपुर, रायबरेली-एक बस
भगवन्तनगर–एक बस

3–मार्च, 1987–उक्त माह में कोई नई सेवा संचालित नहीं हुई।

उन्नाव जनपद के थाना मौरावां के अकोहरी ग्राम के मुस्लिम युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी एवं सिपाही का स्थानान्तरण

182–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि माह मार्च, 87 होली के दिन मौरावां (जनपद उन्नाव) पुलिस ने ग्राम अकोहरी के एक मुस्लिम युवक को घर से लाकर मारा, पीटी, पैर तोड़ दिए थे और थाना मौरावां में यह लिखकर गिरफ्तार किया कि युवक कस्बे में पकड़ा गया है? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस घटना की जांच अति0 पुलिस अधीक्षक व सी0 ओ0 ने अलग-अलग की और मामले को आंशिक सच पाकर सिपाही को रोड होल्डप में स्थानान्तरित कर दिया था ? यदि हां, तो उक्त स्थानान्तरण क्यों निरस्त कर दिया गया ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राप्त सूचना के अनुसार माह मार्च, 1987 में होली के दिन थाना मौरावां, जनपद उन्नाव की पुलिस ने एक मुस्लिम युवक श्री रज्जब बाबा निवासी अकोहरी, थाना मौरावां, जनपद उन्नाव को मुहल्ला पुरानी बाजार, कस्बा मौरावां में आम सड़क पर शराब के नशे में धुत होने तथा अश्लील शब्दों का प्रयोग करने के कारण धारा–34 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया था।

उक्त घटना में पुलिस द्वारा अभियुक्त को मारने पीटने एवं धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्र पर पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारी, पुरवा (उन्नाव) से जांच करायी गयी। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।

घटना से सम्बन्धित कान्सिटेबुल का स्थानान्तरण थाना मौरावां से रोड होल्डअप में किया गया था परन्तु प्रशासनिक हित को ध्यान में रखते हुए उसका स्थानान्तरण आदेश स्थगित कर दिया गया। बाद में उसे रोड होल्डअप थाना अजगैन रवाना किया जा चुका है।

183–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मंत्री जी कृपया यह भी जानकारी देने का कष्ट करेंगे कि पुलिस के विरुद्ध किस अभियोग में मुकदमा दर्ज हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्रश्नगत मामले में जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए अतः पुलिस के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवशंकर यादव ग्राम हर्दी, थाना सहजनवा, जिला गोरखपुर के उत्पीड़न के संबंध में शिकायती पत्र

184–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या मुख्य मंत्री को श्री शिवशंकर यादव ग्राम हर्दी, थाना सहजनवा, जनपद गोरखपुर को उनके भाई तथा ग्राम वासियों द्वारा प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये पत्र दिनांक 11-2-86 एवं 5-3-86 प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्व0 श्री पूरनलाल के आश्रितों को ग्रेच्युटी एवं इन्श्योरेंस आदि के भुगतान की मांग

185–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पूरनलाल जो कि उप-शिक्षा निदेशक, बरेली के अधीनस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर कार्यरत थे, का देहान्त दिनांक 8-3-85 को अपने सेवाकाल में हो गया था? यदि हां, तो उनके ग्रेच्युटी व इन्शोरेंस आदि का भुगतान न करने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उक्त सभी का भुगतान कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां ।

उत्तराधिकार का प्रकरण विवादित होने के कारण ग्रेच्युटी व इन्शोरेंस का भुगतान नहीं हो सका है।

शासन की अस्वीकृति के बाद भी रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा जीप क्रय हेतु अग्रिम धनराशि का भुगतान

186–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा शासन की अस्वीकृति के बाद भी 1984 में बरेली की एक फर्म को नई जीप क्रय करने हेतु एक लाख पच्चीस हजार रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था ? क्या विश्वविद्यालय द्वारा एक वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी और फर्म के दिवालिया घोषित हो जाने से उपरोक्त रुपया मारा गया? यदि हां, तो अग्रिम धनराशि के भुगतान एवं शिथिलता बरतने के लिए दोषी कौन थे तथा उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी–

जी हां, शासन की अस्वीकृति के उपरान्त भी नई जीप के क्रय हेतु फर्म को रु0 1,04,316 (न कि रु0 एक लाख पच्चीस हजार) का अग्रिम भुगतान किया गया ।

विश्वविद्यालय ने जीप आपूर्ति के लिये तथा आपूर्ति न प्राप्त होने पर अग्रिम धनराशि की वापसी के लिये फर्म को पत्र लिखे। तत्पश्चात् दिनांक 10 दिसम्बर, 1985 को बरेली जिला न्यायालय में फर्म पर विश्वविद्यालय द्वारा मुकदमा दायर किया गया है।

विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् ने एक उप समिति गठित की है जिसकी आख्या पर कार्य परिषद् के विनिश्चय पर अग्रेतर कार्यवाही निर्भर करती है।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद के भूतपूर्व विधायक श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई के निधन की सूचना

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

माननीय, श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई साहब, जो मुरादाबाद से इस सदन के तीन-तीन बार मेम्बर रहे हैं, का इन्तकाल हो गया है, यह सूचना मिली है ।

श्री अध्यक्ष–

यह निधन के निर्देश में आ जाएगा आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने जो लिखित सूचना दी है, उस पर आप बता दें क्या स्थिति है...

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

जो आपने हमारे सवालों को खत्म किया है उस पर बताएं, मैं उसके बारे में ही अपनी बात कहना चाहता हूं... (व्यवधान) जो आपने कहा है, जिन पर आपका वरदहस्त है, उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि प्रश्नों की सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्नों की व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरे कक्ष में आकर मिल लें। (व्यवधान) इसमें नियम 301 में 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से शलाका द्वारा 7 स्वीकार की गई हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा निवेदन यह है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं कार्यसूची के अनुसार चल रहा हूं। आप कृपया बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरा भी प्रश्नों के बारे में है, उस पर क्या हुआ, आप कुछ तो बताएं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आप बैठें।

राम सनेही घाट, बाराबंकी में भीषण अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को राहत दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सागर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम किठूरी, तहसील राम सनेही घाट, बाराबंकी में दिनांक 15-6-87 को दूसरी टाईम हुए एक भीषण अग्निकांड में 87 परिवारों के मकान जल कर बिलकुल नष्ट हो गये हैं। इन परिवारों के पास इन भीषण अग्निकांड से कोई भी गृहस्थी, कपड़ा, बर्तन, जानवरों का चारा कुछ भी नहीं बचा है। लोगों व जानवरों की भूखमरी की समस्या है। अग्निकाण्ड में कई जानवर जल कर मर गये हैं और 3–4 व्यक्ति अग्नि से आहत होकर अपना इलाज करा रहे हैं तथा अब तक इस भीषण अग्निकांड में शासन की ओर से कोई भी राहत सहायता नहीं दी गयी है। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर तत्काल भीषण अग्नि काण्ड से प्रभावित परिवारों को शासन की ओर से आवश्यक राहत सहायता दिये जाने की मांग करता हूं।

उपनिदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, इलाहाबाद द्वारा की गयी नियुक्तियों में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं। श्रीमती अनीता चटर्जी, उप निदेशक द्वारा अनेक अनियमित नियुक्तियां की गई हैं। इन्हीं बातों का उल्लेख कर इलाहाबाद के विधायकों द्वारा मुख्य मंत्री जी को 29 अप्रैल, 87 को शिकायती पत्र देकर उनके स्थानान्तरण की मांग की गई थी। माननीय मंत्री जी द्वारा उन्हें स्थानान्तरित कर जांच कराने का आदेश दिया गया जहां स्थानान्तरण की भनक पाकर उक्त अधिकारी ने 18 जून, 87 से 20 जून, 87 के बीच अनियमित नियुक्तियों को नियमित करने हेतु दिखावटी तौर पर अभ्यर्थियों की परीक्षा एवं साक्षात्कार की कार्यवाही करके भारी रकम लेकर तदर्थ नियुक्तियों को नियमित किया है जिससे रकम नहीं मिली उन्हें सेवा से वंचित कर दिया। इस प्रकार नियुक्तियों पर रोक लगाने एवं पर्यवेक्षक नियुक्त करने का मैंने निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण से लिखित रूप से दिनांक 11-6-87 को अनुरोध किया था परन्तु उनके द्वारा कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकार से की गई नियुक्तियों को रद्द करने तथा तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में जांच कराकर कार्यवाही कराने की कृपा करें। जिससे पात्र अभ्यर्थी वंचित न रह जाएं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुस्लिम समुदाय की "गौरिया" जाति को जातियों की सूची में उचित स्थान पर रखने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, वाराणसी, बहराइच एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मुसलमान समुदाय में इस्लाम धर्मावलंबी "गौरिया" (गौरी) जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में मेहनत मजदूरी करके जी रहे हैं किन्तु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जातियों की सूची में इस जाति का कहीं भी उल्लेख नहीं है जिससे यह जाति उपेक्षित है और सरकारी सुविधाओं से वंचित रह गयी है वास्तव में इस जाति की हैसियत अनुसूचित जाति के समान है और अत्यन्त गरीबी व अशिक्षा की शिकार है । आजादी के बाद भी इस जाति की खोज खबर न लेकर अन्याय किया गया है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुए "गौरिया" (गोरी) जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में उचित स्थान देने और श्रेणीवृद्ध करने हेतु भारत सरकार के पास संस्तुति भेजने की शासन से मांग करता हूं।

बस्ती जनपद के उत्तरांचल में लगे नलकूपों को सक्रिय कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, बस्ती जिले का उत्तरांचल पिछले डेढ़ महीने से प्रचंड धूप और लू की भयावह स्थिति से गुजर रहा है । अभी तक वर्षा न होने के कारण खेतों की गुड़ाई और जुताई भी नहीं हो पा रही है । गड्ढे और तालाब सूख गये हैं । पशुओं के लिये चारे के साथ पीने के लिये पानी का भारी संकट उपस्थित है । इस प्राकृतिक संकट की स्थिति में शासन तंत्र भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है । विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राजकीय एवं विश्व बैंक द्वारा लगाये गये लगभग सभी नलकूप तकनीकी खराबी, नालियों के अभाव तथा बिजली की नहीं के बराबर आपूर्ति के कारण निष्क्रिय पड़े हैं। फलतः साग-सब्जी और जायद की फसलें सूख गयी हैं तथा गन्ने आदि की बुआई नहीं हो पा रही है । ग्रामों में पेयजल के लिये जो हस्त पंप लगाये गये थे वह भी अधिकांश खराब पड़े हैं ।

ऐसी स्थिति में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं मांग करता हूं कि तत्काल सभी नलकूपों को सक्रिय किया जाय । ग्रामों में लगे हस्तपंपों को ठीक करवाया जाय तथा सार्वजनिक स्थानों पर मनुष्यों तथा पशुओं के लिये पेयजल की व्यवस्था कराई जाय ।

आजमगढ़ में दोहरी घाट पम्प नहर की गड़बड़ी से प्रभावित किसानों की लगान की वसूली की माफी तथा क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री विष्णु देव—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के दोहरी घाट पम्प नहर द्वारा यांत्रिक गड़बड़ी व विद्युत आपूर्ति के अभाव में नवम्बर 1986 से मार्च, 87 तक

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

सिंचाई के लिये पानी न मिलने के कारण कई हजार एकड़ गेहूं की फसल सूख जाने, फिर भी सिंचाई के लगान वसूली जारी रहने से उत्पन्न स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । जनपद आजमगढ़ में दोहरी घाट पंप नहर व उसकी शाखाओं, उप-शाखाओं द्वारा प्रतिवर्ष सैकड़ों ग्रामों की कई हजार एकड़ की सिंचाई होती है । नहर क्षेत्र में सिंचाई की अन्य कोई व्यवस्था नहीं है । गतवर्ष यांत्रिक गड़बड़ी व विद्-युत आपूर्ति के अभाव में नवम्बर, 86 से मार्च 87 तक नहर से पानी मिलना बन्द हो गया जिसके कारण संबंधित क्षेत्र के किसानों की फसल सूखने लगी । संबंधित अधि-कारियों ने सिंचाई की तत्काल व्यवस्था के लिये अपनी असमर्थता प्रकट करते हुये आश्वासन दिया कि यथासंभव अपने साधनों से अपना खेत सीचें, सिंचाई की लगान माफ करा दी जायगी । संबंधित क्षेत्र के किसानों ने जहां-तहां यथा संभव अपने साधनों से अपने खेतों की कुछ सिंचाई कर ली परन्तु अब सिंचाई की लगान वसूली की जा रही है, किसानों में हाहाकार मचा हुआ है ।

अतएवं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सिंचाई म होने वाले क्षेत्र की तत्काल लगान माफ करने व क्षति का मुआवजा दिलाने की मांग करता हूं ।

कस्बा अहिरीपुर, जनपद इटावा में पानी की टंकी के निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गया प्रसाद वर्मा—

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का एक अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र लखना में अहेरी-पुर कस्बा में जहां 7 हजार की आबादी है वहां इस समय पानी पीने को नहीं मिल पा रहा है । हजारों की संख्या में जनता, व छात्रों, अस्पताल के मरीज, कर्मचारी एवं अध्यापकों में भारी असंतोष पैदा हो गया है।

अतः मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि अहिरीपुर में पानी की एक बड़ी टंकी का निर्माण अविलम्ब कराया जाय जिससे समस्या का समाधान हो सके।

थाना क्षेत्र खदौली (आगरा) निवासी श्री छिंगामल स्वर्णकार की पुलिस हिरासत में मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान एक सनसनीखेज दुर्घटना की ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन है कि दिनांक 16-5-87 को थानाध्यक्ष खदौली मय अपने अधीनस्थ बल के 4.30 बजे सुबह गांधीनगर फिरोजाबाद पर, बिना थाना फिरोजाबाद में सूचना अंकित कराये और बिना उसका सिपाही लिये गांधी नगर स्थित छिंगामल के निवास पर जा धमके, कुण्डी खटका के किवाड़-खुलवाये, उनके घर की तलाशी ली, मना करने पर छिंगामल को डन्डों से मारा-पीटा, मारते-पीटते खीचतें मेटाडोर में डाल लिया और फिर बिना थाना फिरोजाबाद में सूचना अंकित कराये, खदौली ले चले ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, पुलिस हिरासत में पिटाई से छिंगामल स्वर्णकार की मौत हो गयी जिसने अपने पीछे एक कन्या और असहाय विधवा छोड़ी ।

अस्तु माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि पुलिस हिरासत में इस प्रकार की मौत की घटना से जनमानस हिल उठा है और प्रशासन से जनता का विश्वास उठ गया है और श्रीमती शान्ती देवी द्वारा दर्ज अभियोग धारा 147,452,342,302 आई0 पी0 सी0 पर तुरन्त विवेचना कराकर दोषी थानाध्यक्ष को जेल भेजे और उसे तत्काल निलम्बित कराये तथा अभियोग में आरोप पत्र दिलाये ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक प्रस्ताव इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसी पर आ रहा हूं पहले 300 हो जाने दीजिए ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसी पर आ रहा हूं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैंने सबसे पहले दिया था, मेरा प्रोसीजरल है ।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको मौका दूंगा ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत जो 7 सूचनाएं प्राप्त हुई है उसमें पहली सूचना माननीय मुहम्मद आजम खां, शफीकुर्रहमान साहब, बुनियाद हुसैन अंसारी, हाजी मोहम्मद हयात तथा मो0 मसूद खां साहब की है । यह मेरठ के बारे में है । अगर आप सरकार से या मुझसे असंतुष्ट हों तो आप अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं लिहाजा इसको अस्वीकार किया गया ।

दूसरी सूचना माननीय राम चन्द्र बख्श सिंह की है पत्रकारों के बारे में, यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता ।

(श्री मुहम्मद आजम खां, बुनियाद हुसैन अंसारी, शफीकुर्रहमान बर्क तथा अन्य विपक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, इस तरह से सरकार अपनी जिम्मेदारी को खत्म नहीं कर सकती ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपका सरकार में और मुझमें विश्वास नहीं है तो अविश्वास का प्रस्ताव लाइये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है तो कैसे होगा ?

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न पुलिस और पी0 ए0 सी0 के खिलाफ नहीं है, यह सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती ।

श्री अध्यक्ष—

आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मेरा औचित्य का प्रश्न है, आप मुझे सुन लें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

तीसरी सूचना राजेन्द्र कुमार गुप्त की है (घोर व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

पिछले दिनों मेरठ और मलियाना में जो कुछ हुआ है, उससे सरकार अपने को अलग नहीं रख सकती है । जनता ने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है । जो हश्र इस पार्टी का हरियाणा में हुआ है, आने वाले दिनों में यही इस प्रदेश में भी होना है । मुख्य मंत्री और गृह मंत्री ने बैठ कर, ये दंगे सुनियोजित ढंग से केवल जनता में भय और वोटों को हासिल करने के लिये कराये । इस जिम्मेदारी से सरकार नहीं बच सकती है । राजीव गांधी ने दिल्ली में भाषण देते हुए कहा कि जब बजनी पेड़ गिरता है, तो जमीन छिलती है । नतीजा यह हुआ कि हजारों बेगुनाह सिक्ख मार दिये गये और अब यह कहा कि हम पड़ोसी देशों को उनकी नानी याद दिला देंगे । इससे मौका पाकर साम्प्रदायिक तत्वों ने मेरठ और मलियाना को शमशान बना दिया । जिस तरह से पी0 ए0 सी0 ने मलियाना के लोगों को घरों से निकाल कर और मेरठ के लोगों को मार कर नदी बहाया है इतिहास उससे शर्मायेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने सुन लिया । आपको अधिकार है सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने का । अब आप बैठिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री अमीर आलम खां—

मुख्य मंत्री के इशारे पर मेरठ में जिला प्रशासन के द्वारा नागरिकों पर जो जुल्म ढाये गये हैं, वह अपने-आप में एक मिसाल है । मेरठ के दंगे कौमी दंगे नहीं थे, बल्कि सरकार द्वारा कराये गये थे ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मुझे यह निवेदन करना है कि श्री राधेश्याम दातरे ने एस0 पी0 और जिलाधीश के खिलाफ कुछ छापे थे । . . . .

(घोर व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी हाजी मोहम्मद हयात, श्री शफीकुर्रहमान वर्क, श्री मोहम्मद खां, , श्री फरीद महफूज किदवई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा आदि कई माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये तथा नारे लगाते रहे । कुछ माननीय सदस्य ''बेगुनाहों का कातिल मुख्य मंत्री'' लिखा हुआ बैनर और कुछ माननीय सदस्य ''मलियाना काण्ड में इन्सानियत व जमहूरियत के हत्यारों को फांसी दो'' लिखा हुआ बैनर हाथ में लिये हुए थे।

श्री अध्यक्ष—

मेरे खिलाफ आप अविश्वास का प्रस्ताव लाइये, मैं हट जाऊंगा ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

मान्यवर, मुख्य मंत्री को गद्दी पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है । गृह सचिव हटे हैं, ये भी हटें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय आजम खां आप सदन छोड़ें ।

(घोर व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं सदन नहीं छोड़ूंगा ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री मुहम्मद आजम खां को एक सप्ताह के लिए सदन से निष्कासित कर दिया जाय ।

(लोकदल ''अ'' और लोकदल ''ब'' के कई माननीय सदस्य बैनर लिये हुए तथा नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को घंटे के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 38 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित कर दी गयी । 1 बजकर 8 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक बढ़ा दिया है ।

1 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट तक और बढ़ा दिया है ।

1 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है ।

तदुपरान्त 1 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी ।)

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मा0 मुहम्मद आजम खां इस समय सदन से निष्कासित हैं या नहीं, क्योंकि मेरी जानकारी है कि आपने जब मा0 संसदीय कार्य मंत्री से कहा और उन्होंने जो प्रस्ताव किया उसका प्रश्न सदन में उपस्थित नहीं हुआ । जब प्रश्न सदन में उपस्थित नहीं हुआ तो फिर वे 7 दिन के लिये कैसे निष्कासित हो सकते हैं । एक दिन की बात अलग है । मैंने कार्यवाही से जानकारी कर ली है । सदन में प्रश्न उपस्थित हुए बिना वे सदन की कार्यवाही से 7 दिन के लिये वंचित नहीं हो सकते ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री मुहम्मद आजम खां का निलम्बन वापस कर लिया जाय ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, निलम्बन हुआ ही नहीं, आप कार्यवाही देख लें ।

(घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि चूंकि श्री मुहम्मद आजम खां का निलम्बन विधिवत नहीं हुआ है, इसलिये आपसे आग्रह है कि आप यह इजाजत दे दें कि श्री मुहम्मद आजम खां इस सदन में आ कर बैठें ।

श्री अध्यक्ष—

वह कृपा करके सदन में आ जायं ।

(घोर व्यवधान)

जो सूचनाएं नियम 300 के अन्तर्गत आयी हैं, वह सब कल ली जाएंगी, श्री मुहम्मद आजम खां की सूचना को छोड़कर । नियम 52 की जो सूचना है मेरठ के सिलसिले में, जिन लोगों ने नियम 56 के अन्तर्गत दी हैं, उनके सबके नाम मेरठ की नियम 52 की सूचना के अन्तर्गत जोड़े जाते हैं और नेता, विरोधी दल इसकी शुरुआत करेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

औचित्य के प्रश्नों को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही नियमावली के अधीन चलायी जानी चाहिए। ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि सदन के बाहर बैठकर कोई फैसला हो। अगर होगा तो नियमावली के नियमों के अधीन प्रस्ताव पेश करके ही वह लाया जा सकता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, जिस समय सदन स्थगित हुआ था, उसके पहले नियम 300 की कार्यवाही हो रही थी। आपने रामचन्द्र बख्श जी का नाम पुकारा था, उनके पहले मेरा नाम पुकारा था। मान्यवर, आपके श्रीमुख से बिना नियमों का निलम्बन किये हुए अथवा सदन में प्रस्ताव पास किये ही एजेन्डा को आप कैसे क्रास कर सकते हैं। मान्यवर, नियम 110 है, उसके अन्तर्गत दिया हुआ है कि कार्य के स्थगन करने का प्रस्ताव अर्थात् एक एजेन्डा से हम दूसरी मद में जायेंगे, उसका प्रस्ताव आयेगा। मेरा प्रश्न यह है कि उस प्रस्ताव को लाये बिना, नियम 300 की कार्यवाही, कार्य स्थगन और अन्य प्रस्तावों पर कार्यवाही स्थगित की जा सकती है? अगर कोई व्यवस्था हो गयी है, तो उसे हमें बता दें। अगर उसमें कोई शंका होगी तो उसका समाधान होने के बाद ही आगे की कार्यवाही होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मेरठ में एक औरत के साथ, जो 6 दिन की जच्चा थी, उसके साथ पुलिस ज्यादतियों के सम्बन्ध में सूचना दी है। वह आप ले नहीं रहे हैं। वह कब ली जायेगी सूचना।

श्री अध्यक्ष—

वह तो ली जायेगी। आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय सदस्य सीतापुर ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने शुरू में निवेदन किया था कि मेरा एक औचित्य का प्रश्न है जो प्रक्रिया नियमावली के संबंध में है। आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा था कि "मैं" आपको सुनूंगा। जरा सा मैंने दूसरा बिन्दु ले लिया है मेरठ के मामले से संबंधित ।

मान्यवर, आज जो स्थिति हो रही है, उसमें कुछ नेताओं को मिलाकर प्रक्रिया नियमावली को डिफेक्ट (निष्क्रिय) करा रही है, यह सरकार । आप उस षडयंत्र का शिकार न हों । नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव लाये बिना, औचित्य के प्रश्न पर चर्चा कैसे स्थगित होगी। बाहर, कुछ यहां के लोगों को मिलाकर, साजिश की जा रही है। मान्यवर, इससे सदन की पवित्रता को ठेस पहुंचेगी। नियमों की पवित्रता सुरक्षित नहीं रहेगी, औचित्य के प्रश्नों को सुने बगैर, आप आगे बढ़ें। मान्यवर, अगर यही स्थिति रही, तो आज तक जो मैंने नहीं किया, मुझे पहली बार करना पड़ेगा। मैं सदन को अव्यवस्थित रखूंगा, लेकिन नियमावली की हत्या नहीं होने दूंगा।

नियम 52 के तहत जिस तरह से एक विषय को डाइवर्ट कराया जा रहा है वह सरकार की एक साजिश के तहत है। मान्यवर, आप इस सदन की गरिमा के प्रतीक हैं। अगर आप उस साजिश को कामयाब होने देंगे तो, न तो सदन की गरिमा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

रहेगी और न हमारे अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। आज पहली बार मेरठ के दंगे जैसे मामले में कुछ विपक्षी दलों के साथियों को मिलाकर सरकार ने साजिश करने की कोशिश की है। मान्यवर, कुछ साथी बैठते हैं हमारे साथ, लेकिन काली भेड़े हैं, जो हमारे बीच के हैं, उधर से मिले हुए हैं। उनके नाम से 52 का प्रस्ताव स्वीकार किया और मेरी जो नियम 52 की सूचना पहले से थी, कार्य मंत्रणा समिति के सामने नहीं गयी। एजेन्डा में नहीं आयी। कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव आखिर सदन में आया नहीं और नियम 52 के अन्तर्गत आप चर्चा कराने जा रहे हैं, बिना नियमों को निलम्बित किये। नियम 52 की सूचना को, कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष प्रस्ताव की शक्ल में पेश होना चाहिये। उस प्रस्ताव को माननीय सदन के सामने होना चाहिये। सरकारी साजिश का शिकार आप पूरे सदन को बना रहे हैं। नियम 52 में चर्चा कराके सरकार को कठघरे में खड़े होने से उनके कुकर्मों पर परदा डालने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपने यही प्रक्रिया अपना रखी है तो हमने तय किया है कि हम सदन नहीं चलने देंगे। इसलिए आपसे मैं विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि ऐसा आप न होने दें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो सवाल उठाया है, वह इस सदन की गरिमा और माननीय सदस्यों के अधिकारों से संबंधित सवाल है। इस पूरे मामले में सरकार का षडयंत्र है। यदि यडयंत्र नहीं है तो फिर आप इस कार्य स्थगन के प्रस्ताव को स्वीकार करके इस पर चर्चा करवाते । यदि मेरठ जैसे दंगे पर कार्य स्थगन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो आप नियमावली से कार्य स्थगन के नियम को निकाल दें। हम तो समझ रहे थे कि आज आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर एक इतिहास पुरुष बन जायेंगे। तिवारी जी ने जो बात कही है, उसका सम्बन्ध सदन की गरिमा, माननीय सदस्यों के अधिकार और नियमावली की पवित्रता से है। आज यह पूरे देश का सवाल है, कोई हिन्दू मुसलमान का सवाल नहीं है। कहा गया कि मलियाना काण्ड के बाद दंगे रुक गये हैं। लेकिन आज अलीगढ़ की हालत बहुत खराब है और न मालूम इस तरह की आग किन-किन शहरों में फैली है। इस सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपनी जागीर समझ रखा है। क्या इस सरकार के विपक्ष के नेताओं को बुलाकर बैठक करने पर विचार किया कि कैसे दंगों को रोका जाय?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी उसमें थे किन्तु मुलायम सिंह जी उसमें नहीं थे।

(शोर)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, नेताओं की बैठक में जो भी फैसला हुआ है, वह नियम संगत ही यहां पर लागू होना चाहिए। मेरठ जैसे मामले पर सुनियोजित षडयंत्र के तहत, उसकी गम्भीरता को डाईल्यूट कर यह सरकार समाप्त कर देना चाहती है। नियम–52 के तहत का मामला तो आईटम–28 पर है। आईटम 5 से लेकर 27 तक का क्या होगा। जब तक निलम्बन का प्रस्ताव नहीं आता है तब तक आईटम–28 पर चर्चा कैसे हो जायेगी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज पूरे प्रदेश में यह सरकार साम्प्रदायिकता का जहर फैला रही है। इस गम्भीर मामले पर माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां पर उपस्थित रहना चाहिए था। उनका यहां पर उपस्थित न रहना अत्यन्त निन्दनीय है मैं पूरे ताकत के साथ इसकी भर्त्सना करता हूं। आप माननीय मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह को यहां पर सदन में बुलायें। इस पर चर्चा उनके सामने होनी चाहिए। हम उन्हें यहां पर कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। वीर बहादुर सिंह की सरकार इस उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द कायम करने में विफल रही है। आज पूरे देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है। देश की एकता को खतरा पहुंचाने के लिए आज एजेन्ट बनाये गये हैं। इसलिए इस मसले पर चर्चा के समय, श्री वीर बहादुर सिंह जी को आज इस सदन में बुलायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री फजलुलबारी–

मान्यवर, मैं माननीय गुप्त जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं। यह सरकार जिसने दंगे के नाम पर गड़बड़ करायी, इन्सानों को मरवाया . . .

(घोर व्यवधान)

. . . . यह नियम 52 की सूचना वीर बहादुर सिंह की है, यह सरकार की ओर से कहा गया है। मैं समझता हूं कि शेर बहादुर सिंह सच्चे आदमी हैं, उनको आप बुलवा लीजिये, अगर होगी तो वे बता देंगे: यह सरकार की साजिश है कि गड़बड़ कराओ। मेरा अनुरोध है कि नियम 56 को पहले लें।

(घोर व्यवधान)

श्री शेर बहादुर सिंह–

सदन के अन्दर इस तरह की आशंका व्यक्त करना सदन की गरिमा के विरुद्ध है। इस तरह की गलत आशंका अगर मेरे ऊपर व्यक्त की गयी है तो यह गलत है।

श्री अकबर अहमद (डम्पी)–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय तिवारी जी ने जो सवाल रखा है और नियम 52 के अन्तर्गत जो चर्चा स्वीकार की गयी है, उसको अस्वीकृत करते हुए नियम 56 में स्वीकृत करके चर्चा कराइये। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सारी नियमावली, सारे सदन की गरिमा और इस उत्तर प्रदेश की आम जनता का सबसे बड़ा अपमान होगा। आज हमारे भाई-भाई झगड़ रहे हैं, इस सरकार की साजिश से। हर जगह साजिश, चर्चा कराने में भी साजिश। आप मजबूत होंगे, हमारी बात भी सुन लीजिये। अभी आपकी सरकार बदलने नहीं जा रही है, मेरठ के दंगे से, लेकिन फिर भी आप इस दंगे पर चर्चा कराने में भी साजिश करा रहे हैं। मेरठ के दंगे में पूरी साजिश सरकार की है। जहां तक नियमावली का सम्बन्ध है, पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप इस समय सदन की भावना का, उत्तर प्रदेश की और देश की जनता का ध्यान रखते हुए सारी साजिश को भूलकर, इसको नियम 56 में स्वीकार कीजिये।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मेरा आपसे नम्र निवेदन यह है कि यह जो विवाद नियम 300, 56 और 52 के तहत उठा है, इसके सम्बन्ध में सुझाव है कि जितने नियम 300 में प्रश्न आये हैं, उनको स्वीकार करके कल सुनने के लिए समय निर्धारित कर दें।

(घोर व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

यह भी कोहबर वाले हैं।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मेरठ के सम्बन्ध में जो नियम 56 में सूचनाएं आयी हैं, उनको तत्काल ले लें। नियम 56 के अन्दर जो मेरठ के दंगे के सम्बन्ध में प्रस्ताव आये हैं उन पर आप विचार कर लें।

(व्यवधान)

***श्री राम आसरे वर्मा–**

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अभी जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने प्रश्न उठाया है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप नेताओं की बैठक अपने सहयोग के लिए अपनी मदद के लिए करते हैं चाहे अपने कक्ष में उसे करें या कहीं और करें, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके बाद सदन के अन्दर वहां बनायी गयी राय के अनुसार यहां उसके मुताबिक तुरन्त शुरू हो जायं, यह बात नियमों के विपरीत है। यदि कार्यसूची में हम कोई भी परिवर्तन करते हैं तो यहां पहले आप नियमों का निलम्बन करके ही आप आगे चलेंगे। यहां नियमों का निलम्बन किया नहीं गया और नेताओं की बैठक के बाद यहां आते ही आते आपने कार्यवाही शुरू कर दी।

कार्यसूची में आईटम 28 पर नियम 52 की सूचना दी हुई है। अभी तो कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव भी नहीं आया है और उसके आये बगैर नियम 52 में मामले को नहीं लिया जा सकता है। मेरठ जैसा मसला, वहां का नरसंहार प्रदेश के लिए साजिश है, यह एक जागरूक मसला है, लेकिन जिस तरीके से सदन में उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है वह नियमों का उल्लंघन है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर अपनी अवश्य व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपा करके बैठें। नियमावली के नियम 52 के अन्तर्गत

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप मेहरबानी करके बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, ...

श्री अध्यक्ष–

अब तो आप अपनी व्यवस्था उठा चुके? अब आप बैठिये। नियम 52 के अन्तर्गत और नियम 313 के अन्तर्गत पूरा अधिकार अध्यक्ष को है और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए ही आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी चर्चा शुरू करें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होगा, मैं सदन नहीं चलने दूंगा। इस तरह से सदन नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे अनुरोध करूंगा . . .

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है . . .

(समय 2 बजकर 20 मिनट पर)

(व्यवधान)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह) —

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं कि आपने अभी सदन में इस बात की घोषणा की है कि जो भी नियम 300 के अन्तर्गत समस्यायें हैं, वह सबकी सब कल ले ली जायेंगी। लेकिन मान्यवर, तिवारी जी ने कहा और वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं और उनको मजबूर होकर सदन में कहना पड़ा कि वह इस सदन को चलने नहीं देंगे, जब तक कि सदन नियमों के मुताबिक नहीं चलेगा। मान्यवर, उनको तकलीफ है, तो जो नियम 300 की समस्या है उनको सुन लें और बेहतर यह होगा कि मेरठ की समस्या को सुनने के पहले तिवारी जी अपनी समस्या को सुनाना चाहते हैं, उसको सुन लें, जिससे सदन व्यवस्थित रूप से चल सके।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, नियम 313 के बारे में जो आपकी शक्तियां हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं। . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री मैनेजर सिंह को बुला लिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया है, यह आपके दरबारी हैं। मान्यवर, सरकार को दोष देना निहायत, कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, सरकार दोषी नहीं है। जो स्थिति है, जो पैदा हो गयी है, उसमें दोष हमी लोगों का है, अपोजीशन का ही दोष है। इतनी तादाद होते हुए भी, एक से एक तेजस्वी, वक्ता और जानकार होते हुए भी, विरोध पक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं और नपुंसक हो गये हैं। 8–10 लोगों को लेकर चेम्बर में, कोहबर में बात कर ली जाती है,, सलाह कर लेते हैं और उसको यहां पर लागू कर देते हैं। मान्यवर, जो सवाल गुप्ता जी ने उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहां पर देहातों में एक कहावत है :–

भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी पगुराय ।

जो सवाल गुप्ता जी ने उठाया है, उस पर आप व्यवस्था दें, आपको ऐसा कोई हक नहीं है। जो कार्यक्रम है, बीच के कार्यक्रम को छोड़कर आगे चले गये। 28 नवम्बर के कार्यक्रम को ले लिया और नियम 52 को ले लिया। मैं कहना चाहता हूं कि यह सुनकर कई माननीय सदस्यों ने अप्रसन्नता प्रकट की है और अपोजीशन के कुछ लोग धीरे से चले जाते हैं और वह रिजवी साहब से और मुख्य मंत्री जी से मिल आते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने कहा था कि आपने अपोजीशन को करप्ट कर दिया है।

मुख्य मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)–

आप भी तो मिलते रहते हैं, बराबर ।

श्री मैनेजर सिंह–

ये अपोजीशन से जो बात चाहते हैं, उसको कहलवा लेते हैं और उस पर मुहर लग जाती है। 4–4 बजट एक-एक दिन में पास करा लेते हैं और असरकारी दिवस को काट दिया जाता है। शनिवार को ले लिया जाता है। यह सारी चीजें हैं, जिनको माननीय तिवारी जी ने उठाया है। नियम 52 का जब सवाल आये तो आप उसको ले और उस पर चर्चा करायें । आप नियम 56 को लें और उस पर चर्चा करायें, अगर आप नहीं मानते हैं, तो हम लोग सदन में खड़े रहेंगे । आपने आजम साहब को इंगित किया और हम चाहते हैं उसी प्रकार से हम लोगों को भी इंगित करें और पूरे बजट के लिए प्रस्ताव लावें, हम लोगों का निष्कासन हो जाये । हम जाकर अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे । हमारा यहां बैठना बेकार है । आपकी अध्यक्षता में कार्यवाही नहीं चल सकती है । यह मेरा अनुरोध है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . . (व्यवधान) मान्यवर, जो माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने और तिवारी जी ने प्रश्न उपस्थित किया है और उस पर आपने नियम 313 की व्यवस्था दी है और अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किया है, उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नियम 313 कब लागू होगा? मान्यवर, यह तब लागू होगा जब नियमों में कोई प्राविधान नहीं किया जायेगा और जब प्राविधान किया गया हो तो नियम 313 लागू नहीं होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि नियम 311

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि माननीय अध्यक्ष नियमों का निलम्बन कर सकते हैं। यानी किसी विषय को सुनना हो तो उसको प्राथमिकता के आधार पर. . .।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

यह तर्क-बेमानी है। आपने नियमों के निलम्बन की घोषणा नहीं की। (घोर व्यवधान)। आप बंटाधार कर रहे हैं । (कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि नियम 311 में नियमों का निलम्बन नहीं हुआ है। 311 में इसका प्राविधान है। इस तरह का कोई प्रस्ताव सदन में नहीं रखा गया है। जब प्राविधान है कि नियमों का निलम्बन किया जा सकता है तो उसका इस्तेमाल किया जाय। यदि नियमों का निलम्बन नहीं किया गया है तो आपको अविशिष्ट शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह तो आपके विवेक पर है। प्रक्रिया यह थी कि संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव पेश करते, सदन की सहमति ली जाती और तब नियमों का निलम्बन किया जाता है, तब नियम 56 की सूचनाएं स्थगित की जाती और 52 के अन्तर्गत चर्चा की जाती। किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा कोई प्रस्ताव सदन में नहीं आया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव यहां पर माननीय गुप्ता जी ने और माननीय तिवारी जी ने उपस्थित किया है, वह सही है और नियमों के अनुकूल है। अगर इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चली तो जिस तरह की शंका माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है, जो विचार व्यक्त किये हैं मेरठ के प्रश्न को लेकर कि बिना निलम्बन के, प्रस्ताव को न लाकर नियम 52 में उस पर चर्चा करा ली जाय, यह नहीं हो पायेगा। इसलिये जो प्रश्न उपस्थित किया गया है, उसकी मर्यादा को देखते हुए नियम 300 को आप सुनें। जब तक नियमों का निलम्बन नहीं किया जाता है तब तक नियम 52 प्रस्तुत न किया जाय।

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की यह विधान सभा एशिया और दुनिया में सबसे बड़ी विधान सभा है। यह 12 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है और आज पूरा प्रदेश इस विधान सभा की ओर देख रहा है। यह बड़ी पीड़ा की बात है कि चाहे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर भाषण देने की बात हो, चाहे मेरठ का मसला हो, हालांकि यह बहुत ही अहम् मसला है लेकिन पीड़ा तब होती है जब मेरठ के नाम पर, बाबरी मस्जिद का नाम लिखकर लोग यहां पर पोस्टर दिखाते हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, साम्प्रदायिक भावना फैलाते हैं . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं?

श्री शफीकुर्रहमान वर्क–

बाबरी मस्जिद हमारी है और हम उसे लेकर रहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें। बैठ जायं ।

श्री मयंकर सिंह–

यह बड़ी पीड़ा का विषय हैं . . . (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं। मैं नम्रतापूर्वक सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा यहां मेरठ न बनाइये, मेहरबानी कीजिये (व्यवधान) आप बैठ जायं मैंने निर्णय दे दिया उसी वक्त (व्यवधान) यह उचित नहीं है अब कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

***श्री राम शरण दास–**

मान्यवर, मुझे आज बहुत अफसोस है कि हमारे भाई बंट चुके हैं। जब 11 बजे सदन शुरू हुआ था माननीय शतरुद्र प्रकाश ने बात उठाई थी कि नियमों का निलम्बन करके मेरठ की चर्चा ले लीजिये। अब यही कहते हैं नियमानुसार हाउस चलना चाहिए। माननीय मैनेजर सिंह भी कह रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी सुन लीजिये यह कहते हैं इनके घर जाते हैं। तो कौन जाता है आप बताइये मैं आपके घर एक आध बार जब से आप मुख्य मंत्री हुये हैं, गया हूं। मान्यवर, यही जाते हैं, यह बात सदन में साफ होनी चाहिए। यहां पर अखबार में नाम आने के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई सच बोलता नहीं है। इस समय ढाई बज गया है, मेरठ पर चर्चा हो गयी होती। यह नहीं करना चाहते हैं 5 बजे तक ऐसे ही नियमों में उलझे रहेंगे। इनकी तरफ से मेरठ भाड़ में जाय उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। श्रीमन्, आप भी हमें कुछ ऐसे ही मिल गये। जो बात तय कर दी हाउस किस तरह से चलेगा उसकी आपको घोषणा करनी चाहिए थी, अम्मार साहब बैठे हैं, उनसे कहलाते। उनके यहां गुरू बैठे हैं (व्यवधान) डम्पी साहब। उनसे यह डरते हैं। यहां पर हम जनता के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं खाली नियमों की बात करके उलझा रहे हैं ताकि अखबारों में नाम आ जाय। इतने समय में यहां पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने एक चोरी की, नियम 52 पर, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। आप ढाई घंटे की चर्चा शुरू कर दीजिये।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट हमें भी सुन लीजिये आपने सबको सुना (व्यवधान)

श्री अकबर अहमद (डम्पी) —

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरा नाम लिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये (व्यवधान)

श्री अकबर अहमद (डम्पी)–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है (व्यवधान) यह नहीं लिखा जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट–[xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अकबर अहमद (डम्पी)–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री अकबर अहमद (डम्पी)–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री अकबर अहमद (डम्पी)–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं, कृपा करके।

श्री अकबर अहमद (डम्पी)–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा। (व्यवधान) इसका मेरठ से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री अकबर अहमद (डम्पी)–

[x x x]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, आपने कहा कि नियमावली के नियम 311 में आपको अधिकार है कि नियमों का निलम्बन कर सकें लेकिन अभी तक उस पक्ष से कोई प्रस्ताव नियमों के निलम्बन का नहीं आया है। उन्होंने नियम 313 का हवाला दिया, इसमें आपको अधिकार है लेकिन वह तब जब नियमावली में कोई व्यवस्था न हो, तभी आप अपनी पावर का प्रयोग करेंगे और वह इसलिये अधिकार दिया गया है कि यदि आपको कभी लगे कि शासक दल अपने बहुमत का दुरुपयोग करके हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है तब सुरक्षा के लिए नियमावली में आपको अधिकार दिया गया है। इसलिये नियम 311 के अनुसार या तो संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लायें कि नियमों का निलम्बन करके एजेन्डे के आइटम 27 तक आज नहीं लिया जायेगा। यह प्रस्ताव आये तब आइटम 28 नियम 52 में लें। लेकिन तब व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि नियम 52 में जो सूचना ग्राह्य करते हैं उसमें एक समय निर्धारित करते हैं, वह कार्य मंत्रणा समिति को जाता है जिसमें वह तय किया जाता है। उसके बाद वह सिफारिश पहले सदन के सामने आती है और जब सदन उसका अनुमोदन करता है तब नियम 52 की चर्चा होती है। इन सारे नियमों की आप अवहेलना कर रहे हैं।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मुझको लगता है कि आज नियमों का गला सत्ता पक्ष से नहीं बल्कि आप घोंट रहे हैं, इसलिए इस अन्याय को मुझ जैसे लोग नहीं बरदाश्त करेंगे। मैं इस सदन को तब तक नहीं चलने दूंगा जब तक संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव न लायें और नियमों को निलम्बित करके कहें कि आइटम 27 तक आज नहीं लिया जायेगा। आप व्यवस्था दें। नियम 56 इस सम्बन्ध में सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है लेकिन आप नियम 52 में इस पर चर्चा कराकर सरकार को ढाल शील्ड प्रदान कर रहे हैं।

आज सदन की गरिमा और परम्परा का सवाल है, सभी का गला घोंटने के लिए आप आतुर हो रहे हैं, इसलिए मेरा सदन में सदस्य होना कोई माने नहीं रखता यदि सदन में नियमों और परम्पराओं की रक्षा न कर सकें। आज स्वीकार किया जा रहा है कि कार्यपालिका और न्याय पालिका का अवमूल्यन हो रहा है। चीफ जस्टिस कानपुर में आये थे तो उन्होंने कहा कि आज न्याय पालिका का अवमूल्यन हो रहा है। उच्च न्यायालय ने इस सरकार को निर्देश दिये कि स्थानीय निकायों के चुनाव कराये जायं लेकिन सरकार उसकी अवहेलना कर रही है, विधायिका की अवहेलना की जा रही है। मान्यवर, आज विधान परिषद् की आधी सीटें खाली पड़ी हैं। मान्यवर, इतिहास गवाह है, आप बैठे हैं, इतिहास को पलटें तो पायेंगे कि पहली विधान सभा की 92 सिटिंग हुई थीं, दूसरी में 84, तीसरी में 80, छठी में 51 और जनता पार्टी के शासनकाल में 57 तक सिटिंग हो पायी थीं लेकिन हम भी इस प्रकार पूरी सिटिंग नहीं करा पाये थे।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं। आपने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लायें।

नियमों को निलम्बित करते हुए मेरठ की घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा तथा कार्यसूची की मद संख्या 3 से 27 बाद में लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज नियमों को निलम्बित करते हुए यह नियम 52 की चर्चा ले ली जाय, और 3 से 27 तक के एजेण्डा के आईटम्स को स्थगित कर दिया जाए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

ऐसे नहीं यह स्पष्ट होना चाहिए कि एजेण्डा के कौन कौन से आईटम नहीं लिए जाएंगे। प्रस्ताव साफ होना चाहिए।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष ने रखा तब आपने स्वीकार कर लिए जब विपक्ष इतनी देर से रख रहा था, जब उसने रखा तो उसे आपने संज्ञान में नहीं लिया। यह कहां का औचित्य है, यह आप का विरोध पक्ष के साथ सौतेला व्यवहार है। इससे संसदीय लोकतन्त्र चलेगा नहीं।

श्री औसान सिंह–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष–

अब कुछ नहीं, माननीय नेता विरोधी दल इस पर अपनी चर्चा शुरू करें।

श्री औसान सिंह–

आपने अभी कुछ समय पूर्व इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों को इंगित किया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उसके लिए प्रस्ताव भी किया था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वह माननीय सदस्य इस सदन में मौजूद है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने उनका निलम्बन वापस ले लिया है या फिर यह सदन न होकर किसी की चौपाल है।

श्री अध्यक्ष–

जी हां, मैंने उसको स्वीकार किया है। अब नेता विरोधी दल . . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आपने मान्यवर, रिजवी साहब के प्रस्ताव को प्रश्न के रूप में, सदन में तो रखा नहीं है, फिर अभी वह इस पर कैसे बोलेंगे? जब तक प्रश्न के रूप में आकर, सदन से स्वीकार नहीं हो जाता, यह तो केवल व्यवस्था के प्रश्न के रूप में है।

श्री अध्यक्ष–

यह तो हो चुका है, उन्होंने इसे रख दिया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

अभी यह कहां हुआ है। हमने नहीं सुना है और किसी ने नहीं सुना है। यह अभी हुआ ही नहीं है, आपने रखा ही इसे नहीं है . . . (व्यवधान) पता नहीं यह सदन कैसे अव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। जैसे यह देश चल रहा है, वैसे ही यह सदन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप फिर से कर दीजिए।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज नियमों को निलम्बित करके नियम 52 की यह चर्चा ले ली जाए और आईटम नम्बर 3 से 27 तक के एजेण्डा को स्थगित कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि नियम 52 की चर्चा से सम्बन्धित माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मेरठ में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, आज जो साम्प्रदायिक दुर्भावना केवल मेरठ जनपद में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश और देश में फैल रही है। मैं समझता हूं कि उसके विषय में हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक को बहुत बड़ी चिन्ता है और खासकर एकता और अखण्डता के नाम पर जीतकर आने वाले कांग्रेस के लोगों का इसमें बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हो जाता है। हमारे देश के अन्दर जो साम्प्रदायिक दुर्भावना पैदा हो रही है या फैल रही है; उसके लिए यह आवश्यक है कि यह उस पर काबू पाएं, लेकिन जो दिन आता है, हमारे प्रदेश की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। मैं यह समझता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर जब से यह वर्तमान सरकार सत्ता में आई है तभी से यह स्थिति है और इसके लिए पूर्ण रूप से हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी दोषी हैं। इनके जमाने में ही यह रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का विवादास्पद किस्सा चला और इन्होंने इस प्रकरण को न सुलझवा कर, इसके माध्यम से पूरे देश और प्रदेशों में इन्होंने साम्प्रदायिकता को पैदा किया है।

(इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

सारा हिन्दुस्तान इस बात के लिये चिंतित है कि प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक शहर, कस्बे और मोहल्ले में आजकल बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि को लेकर सारा समाज बंटता चला जा रहा है। जो समाज आजादी के बाद वर्षों साथ रहते-रहते एक रस हो गया था, हिंदू और मुसलमान का भेदभाव लोग भूल गये थे आज वर्तमान सरकार ने वही परिस्थितियां देश और प्रदेश के अन्दर पैदा कर दी हैं जो सन् में थी। तब हमारे देश और प्रदेश में दंगे भड़के थे लेकिन उस समय भी इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। आज आजादी के 40 सालों के बाद देश में वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गयी हैं। मैं समझता हूं कि सरकार के लिये यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सारा देश तथा आवाम, हिंदू और मुसलमान इसके लिये चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़े डेढ़ साल के अंदर केवल मेरठ में ही दंगे नहीं हुये बल्कि हमारे प्रदेश के जितने मुख्य जिले हैं चाहे वह इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे शाहजहांपुर हो या पीलीभीत हो और चाहे आजमगढ़ हो हर जिले में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है और घटनायें हुयीं हैं और लोग मारे गये हैं।

मेरठ में जो दंगा हुआ तो इस दंगे के पहले भी एक बड़ा दंगा सन् 1981 में मुरादाबाद में हुआ था। उसके लिये कहा गया था कि मुरादाबाद के दंगे ने जलियांवाला बाग कांड को शरमा दिया। हमारा कहना है कि जलियांवाला बाग कांड को मुरादाबाद के दंगे ने शरमा दिया और मुरादाबाद के दंगे को मेरठ के दंगे ने शरमा दिया। इससे ज्यादा गंभीर दंगा आजादी के बाद आजतक प्रदेश के किसी अंचल में नहीं हुआ। यद्यपि मेरठ वह स्थान है जहां आजादी के पहले भी दंगे हुये और बाद में भी। आजतक 17 दंगे हो चुके हैं लेकिन जो दंगे 18-19 मई को हुये यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

है हमारे हिंदुस्तान के अन्दर रहने वाले हिन्दू और मुसलमान भाइयों में एकता की भावना पर। ऐसा आभास हो रहा है, जिस मेरठ के अन्दर हिन्दू और मुसलमानों ने एकता के सूत्र में बंधकर आजादी की लड़ाई लड़ी उसी मेरठ में आज हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है जिस पर मुख्य मंत्री जी को विरोधपक्ष से मिलकर, प्रदेश के सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष लोगों से मिलकर बात करके रास्ता निकालना चाहिए था। जिस साम्प्रदायिकता का जन्म आपने दिया है उसको हमारे प्रदेश से कैसे खत्म किया जाय इस तरफ दिमाग नहीं गया।

इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि मेरठ में दंगा कराने वाली यह सरकार है। दंगों के लिये पूर्णतया यह सरकार दोषी है। मैं साबित करना चाहता हूं कि यह सरकार कैसे दोषी है। मान्यवर, 16 मई को इनकी एक विशाल रैली, कांग्रेस की रैली थी दिल्ली के अन्दर। उसमें हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने बीड़ा उठाया था कि इस रैली को सफल करायेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने उस रैली को सफल कराने के लिये कोई भी प्रयास बाकी नहीं रखा। मैं 15 तारीख की शाम को दिल्ली से लखनऊ की तरफ कार से आ रहा था। कई जगहों पर, कई जनपदों में मैंने देखा जहां पर प्रशासन के लोग पुलिस अधीक्षक, डी0 एम0 और आर0 टी0 ओज लगा दिये गये थे। रैली के लिये मुख्य मंत्री जी ने यह जरूर अच्छा किया कि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर अपने दल के लोगों पर भरोसा न करके आर0टी0ओज के माध्यम से बसें करायीं और उनको पैसा दिया गया। आर0 टी0 ओज ने सारी बसों का खुद इंतजाम किया और जो इनके कार्यकर्ता आते थे उसके लिये ज्यादा से ज्यादा 400-500 रुपये दे दिये और वह आदमी लेकर चले जाते थे। यह मुख्य मंत्री जी ने रैली को सफल करने के लिये किया। मुझे इसकी शिकायत नहीं है कि मुख्य मंत्री जी ने रैली को सफल कराने का प्रयास किया लेकिन इस पहलू पर जरूर शिकायत है।

एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री विरोध पक्ष की कोई रैली होती है तो शासनादेश भिजवा देते हैं, चाहे हमारी रैली है, बी0 जे0 पी0 की और चाहे किसी पार्टी की हो, जिलाधिकारी को शासनादेश जाता है, कि परमिट भी न दिये जायं यानि आप परमिट भी देने की जरूरत नहीं समझते। एक तरफ आपके सारे अधिकारी डी0 एम0, एस0 पी0, आर0 टी0 ओ0, सी0 ओ0, दरोगा सारे के सारे अधिकारी आपके रैली की व्यवस्था करते हैं। ऐसा मालूम होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में है तो इसके मायने यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की, उत्तर प्रदेश जागीर हो गयी है, उनका ही एक मात्र अधिकार है ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। जिसके तहत माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी उस रैली को सफल बनाने के लिए नौकरशाही का पूरी तरह से दुरुपयोग किया और मैं समझता हूं कि सरकारी खजाने से उस पैसे का दुरुपयोग किया अथवा उन लोगों से पैसा लिया होगा जो लोग आपसे नाजायज काम करायेंगे। पार्टी के नाम पर मुख्यमंत्री ने अपने उस पद का दुरुपयोग किया है। और मुझसे कहते हैं कि आज रैली की जरूरत नहीं है जब होगी तब देखा जायेगा।

मुझे कहना है कि मेरठ जैसे शहर के अन्दर जहां एक महीना पहले 14 अप्रैल को दंगा भड़का। 14 अप्रैल को गुलमर्ग सिनेमा के सामने जो केवल एक सम्प्रदाय के

लोगों में झगड़ा हुआ था और पुलिस तथा जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण जो झगड़ा था उसे साम्प्रदायिक रूप दिया गया । 15 लोग हताहत हुए । लाखों रुपये की सम्पत्ति बरबाद हुई । इससे पहले फरवरी, 86 में हो चुका, 82 में हो चुका था और इससे पहले भी दंगा हो चुका था और इस 18–19 के दंगों के पहले 14 अप्रैल की इसी तरह का वहां दंगा हो चुका था । वहां पर जो साम्प्रदायिक तनाव छाया हुआ था, वहां पर साम्प्रदायिक भावना व्याप्त थी, 15 लोगों की हत्या हो चुकी थी । मैं भी मौके पर गया था । सबसे पहले मुख्य मंत्री जी कोशिश करते हैं कि विरोध पक्ष का कोई नेता या विधायक या सांसद अगर उस इलाके का दौरा करना चाहता है, दंगाग्रस्त इलाके में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाना चाहता है, तो सबसे पहले यह होता है कि विरोध पक्ष का कोई व्यक्ति वहां जाने न पायें । 14 तारीख को इस दंगे के समय पर मै भी मेरठ गया । मेरठ जाने पर जैसे ही मेरी गाड़ी जिले से पास होती है, कदम-कदम पर पुलिस वालों ने मुझे रोका और मुझसे कहा कि दंगा-ग्रस्त इलाके में न जायं मैं मेरठ पहुंचा तो पुलिस वालों ने मुझे, जैसे कस्टडी में ले लिया और मुझे सरकिट हाउस में पहुंचा दिया । मैंने वहां ए0 डी0 एम0 से कहा कि वहां उस इलाके का दौरा करवा दीजिए जहां ऐसी स्थिति है । लगभग वहां पर दंगे की स्थिति नहीं रह गयी थी उस वक्त शान्ति हो गयी थी, लेकिन अधिकारियों का दो टूक जवाब होता है कि वहां पर जाने के लिए हमें अधिकार नहीं दिया गया है। हम अपने कार्यकर्ताओं से अपने विधायकों से स्थिति का जायजा लेकर वापस लौटे ।

14 तारीख को जब इतना बड़ा दंगा हो चुका था कई लोगों की जाने जा चुकी थी । लाखों की सम्पत्ति स्वाहा हो चुकी थी । इसके बाद भी, मेरठ से लापरवाही हो जायेगी, मैं समझता हूं कि शासन और प्रशासन की सबसे बड़ी विफलता है । मान्यवर, 18-19 को दंगा हुआ उसके माननीय मुख्य मंत्री सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि 16 तारीख को रैली थी इसलिए सारा जिला प्रशासन पूरी मेहनत के साथ वहां जुटा हुआ था । चूंकि मेरठ दिल्ली के काफी नजदीक भी है इसलिए वहां का सारा प्रशासन वही जुटा हुआ था । वहां के एस0 एस0 पी0, जिलाधिकारी लगे थे ताकि यह माना जाय कि इस आदमी ने वास्तव में रैली की सफलता के लिए काम किया । इनकी रैली की सफलता की ज्यादा जरूरत थी लेकिन वहां कुछ हो जाय इसकी कोई परवाह नहीं थी । अगर परवाह होती, तो मेरठ जैसे जिले के अन्दर यह हालात पैदा न होते । एक तो ये इस बात के दोषी रहे, । जो दंगा 18-19 की रात में भड़का, उससे पहले 16 तारीख को एक घटना हो चुकी थी, बम्स फटे थे, बम्स चलाये गये थे । इस घटना के पहले राजेश शर्मा नामक व्यक्ति हताहत हो गया, मार दिया दूसरे सम्प्रदाय के लोगों ने । यह भी एक साम्प्रदायिक स्थिति थी । लेकिन वहां के जिलाधिकारी ने यह कह कर छुटकारा पा लिया कि ये मकान मालिक और किरायेदार का झगड़ा था ।

मान्यवर, अगर इस बात की तहकिकात की जाती कि वह मामला मकान मालिक और किरायेदार का झगड़ा नहीं था, बल्कि वह एक साम्प्रदायिक झगड़े की शुरुआत थी, तो यह स्थिति पैदा न होती । मान्यवर, जब इस साम्प्रदायिक झगड़े की शुरुआत हो गयी, तो प्रतिशोध की भावना से कुछ दूकानें जला दी गई । मान्यवर, यह घटना 18 तारीख से शुरु हुई । उसके बाद वहां की पुलिस ने लम्बी तलाशी लेना शुरु की ।

मान्यवर, तलाशी लेने पर आपसी विवाद पैदा होता है, उसका विरोध होता है । अगर वहां पर आपके अधिकारियों ने, वहां के माहौल को परख कर, सूझ-बूझ के साथ काम लिया होता, तो मेरठ के अन्दर इतना बड़ा काण्ड न हुआ होता । अगर आपके जिलाधिकारी, आपके पुलिस अधीक्षक ने इस स्थिति को देखते हुए, जो परिस्थिति पैदा की गयी थी, अगर उन अधिकारियों ने पी0 ए0 सी0 के द्वारा तलाशी को रोकवा दिया होता, अथवा एक दिन के बाद जब अच्छी फोर्स होती, तब तलाशी करवाते, तो मैं समझता हूं कि यह मौका न मिलता किसी भी सम्प्रदाय को कहने के लिए कि आपकी पुलिस और पी0 ए0 सी0 और प्रशासन ने ज्यादती की है । वहां पर साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ, उस वक्त 38 कम्पनी इनकी मौजूद थी । आपको 19 तारीख से पहले यह सूचना मिल चुकी थी और आपका प्रशासन यह एहसास कर रहा था कि मेरठ के अन्दर यह घटना हो सकती है । अगर आपकी पुलिस, आपकी पी0ए0सी0 वहां पर काफी मात्रा में होती, और आपका प्रशासन सतर्क रहता, तो यह घटना न होती और जिला प्रशासन उस पर आसानी से काबू पा लेता । उस समय आपकी गुप्तचर पुलिस क्या करती रही, जिसने कोई भी जानकारी अपने अधिकारियों को नहीं दी । अगर उसने जानकारी नहीं दी, तो मैं समझता हूं कि यह आपकी पकड़ की कमी है । यह आपके आदेशों की अवहेलना रही है । यही कारण था कि मेरठ के अन्दर साम्प्रदायिक आग भड़क उठी ।

आज मेरठ ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत नाजुक हो रही है । आपकी सी0 आई0 डी0 और एल0 आई0 यू0 ने आपको कोई रिपोर्ट नहीं दी, तो वह क्या करती रही ? अगर उसने रिपोर्ट दी, तो आपके अधिकारियों ने इस पर क्यों नहीं कार्यवाही की ? आपके अधिकारियों ने फौरन ज्यादा फोर्स मंगाने की कोशिश क्यों नहीं की ? यदि पहले ही सावधानी बरती गई होती और फोर्स मंगा ली गई होती तो मैं समझता हूं कि भले ही दंगा भड़काने की कोशिश की जाती लेकिन जो अरबों रुपयों का नुकसान हुआ और जो सैकड़ों आदमी मारे गये मेरठ के अन्दर, वह न होता और जो आप आंकड़े बता रहे हैं वह सत्य से परे है । वहां पर सैकड़ों आदमी मारे गये और यह जो इतनी बड़ी घटना हुई यह बड़ा दुर्भाग्य रहा मेरठ का और इसमें आपके प्रशासन की, इसमें आपके शासन की कमी रही, लापरवाही रही जिसके फलस्वरूप यह सब हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, आप कितना समय और लेंगे ? वैसे तो समय निश्चित है ढाई घंटे ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, चलने दीजिये ।

मान्यवर, जिस समय दंगे की शुरुआत हुई थी उस समय डी0 जी0, मुख्य मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री बूटा सिंह तथा चिदम्बरम साहब, सभी मंत्रि मण्डल मय मुख्य मंत्री के जब पूरा काफिला लेकर मेरठ में पहुंच गये तो उत्तर प्रदेश और मेरठ की जनता को यह विश्वास हुआ कि अब मुख्य मंत्री जी आ गये हैं और अब शायद स्थिति में सुधार हो जाय लेकिन मैं समझता हूं कि आपके पहुंचने के बाद उन दंगों की ज्वाला और बढ़ी और जब आपने वहां की और मेरठ सर्किट हाउस की

हालत देखी कि लोग आपको ही दंगों के लिए दोषी ठहरा रहे हैं तो शायद आप परतापुर कताई मिल में पहुंच गये थे और वहां से सारे दंगे को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे लेकिन कर नहीं पाये ।

मान्यवर, कहा जाता है कि सरकार यह दंगा इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि सरकार द्वारा खुद यह दंगा करवाया गया था और उसका मुख्य रूप से कारण यह था कि केन्द्र की सरकार, दिल्ली की जो सरकार है जिसके प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के ऊपर विभिन्न प्रकार के चार्ज लगाये जा रहे थे जैसे कहीं फेयरफैक्स की चर्चा है तो कहीं शस्त्रों की गड़बड़ी की चर्चा है, यह सारी चर्चा जब चल रही थी तो उधर से जनता का दिमाग बदलने के लिए, ताकि जनता की निगाह इन बेईमानियों पर न टिकी रहे इसलिए जनता का ध्यान उधर से हटाने के लिए यह दंगे करवायें गये । यह मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन कुछ लोग इस बात को जरूर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्य मंत्री स्वयं इसके लिए दोषी हैं जिन्होंने इस दंगे को बढ़ाया है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जहां पर मुख्य मंत्री पहुंच जायं गृह मंत्री श्री बूटा सिंह और संसद सदस्या तथा मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई पहुंच जायं, डी0 जी0 तथा पूरी फोर्स पहुंच जाय और फिर भी एक सप्ताह तक दंगा चलता रहे तो इससे बड़े दुर्भाग्य की और विफलता की कोई बात हो नहीं सकती है ।

मान्यवर, इससे पहले कभी सुनने में नहीं आया कि सिविल लाइन, स्टेशन रोड और छावनी का इलाका दंगाग्रस्त हो, जहां पर कभी इतिहास में दंगा शुरु ही नहीं हुआ । कर्फ्यू की बात तो दूर, वहां पर कभी साम्प्रदायिक भेदभाव का प्रश्न ही नहीं पैदा हुआ लेकिन मान्यवर, इन लोगों की लापरवाही के कारण, प्रशासन की कमी की वजह से पहले दिन आपके हापुड़ गेट पर नंगा नाच किया गया । लोगों की दुकानें और घर जलाये गये, कत्ले आम किया गया और 20 तारीख को दूसरे सम्प्रदाय ने वही रुख अख्तियार कर लिया और किसी भी हालत में आप उसको रोक नहीं पाये और इस तरह से आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे और वहां की स्थिति बिगड़ती रही ।

मान्यवर, यही नहीं 25 तारीख को सांसदों का एक दल मेरठ गया जिसमें मैं समझता हूं कि सभी पार्टी के सीनियर्स उसमें मौजूद थे और मैं भी वहां तशरीफ ले गया । (हंसी) मेरे साथ सर्वश्री भोपाल सिंह व किरन पाल सिंह आदि माननीय सदस्य भी थे। माननीय चेतराम गंगवार भी वहां पर थे । साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी भी सर्किट हाउस में मौजूद थे । साथ ही इनका सरकारी अमला डी0 एम0, एस0 एस0 पी0 आदि भी मौजूद थे । वहां पर उपस्थित सभी नेताओं ने कहा कि शायद मलियाना की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, वहां ज्यादा आगजनी हुयी है और बहुत लोग हताहत हुए हैं काफी लोग वहां मारे गये हैं, इसलिए हम लोग वहां जाकर जरा स्थिति की जानकारी लेना चाहते हैं, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ठीक है आप लोग चले जाइए वहां ऐसी कोई बात नहीं है जाकर आप लोग देख लीजिए और जब लोग मलियाना के लिए चले तो मालूम हुआ कि वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 जो उस समय बाहर ही खड़े हुए थे, उन लोगों ने कहना शुरु किया आप लोग वहां मत जाइए, कहीं और चले जाइये और स्थिति का जायजा ले लीजिए । हम लोगों ने

कहा, नहीं हम लोग मलियाना ही जाना चाहते हैं, इससे आपकी सरकार को ही मदद मिलेगी क्योंकि जब हम वहां पर अपने-अपने तरीके से जांच करेंगे और अखबारों के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से वही कहेंगे कि मलियाना में कोई गम्भीर घटना नहीं हुयी है । लेकिन वह अधिकारीगण इसके लिए तैयार नहीं हुए और हम लोगों को वहां जाने से भरसक रोकते रहे तो हम लोगों को पूरा यकीन बन गया कि इन पुलिस वालों से और जिला प्रशासन से वहां जरूर कोई बड़ी गलती हुयी है, जिसको छुपाने के लिए यह लोग जाने देना नहीं चाहते, इस दल को । इस पर मजबूर होकर हम लोगों ने जाने की ठानी तो पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को वहां बिल्कुल जाने नहीं दिया और रात हम लोगों की, ट्रांसपोर्ट नगर थाने पर गुजरी ।

इतना हो जाने के बाद फिर भी मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से न ही जिला प्रशासन की ओर से फिर कुछ पूछा गया कि आप लोग वहां नहीं जा सके (जिसमें माननीय सांसद भी थे)। अब कल या फलां तारीख में दुबारा चले जाएं, लेकिन किसी ने कुछ भी पूछने और कहने की जरूरत नहीं समझी । इस प्रकार पूर्ण उपेक्षा उस दल की की गयी । जो मान्यवर, बड़े शर्म की बात है । मान्यवर, हम लोगों की तो कोई बात नहीं परन्तु हमारे माननीय सांसदों का जो दल था, जिसे भी थाने में बैठकर रात गुजारनी पड़ी । हमारे साथ मान्यवर, दो अन्य माननीय सदस्य भी थे, जिन्होंने अपने और वहां के कार्यकर्ताओं से जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ कि वहां पर जो पी0ए0सी0 तैनात थी, उसने बड़े-बड़े कार्य किये। इसी वजह से इन पी0ए0सी0 वालों पर अब अल्पसंख्यकों को कोई भरोसा नहीं रहा और इनके दिलों में यह बात घर कर गयी है कि जहां पर भी यह तैनात होंगे, वहां नाइन्साफी होगी और कोई सुनने वाला नहीं होगा और मान्यवर, यह सही है इनकी क्रूरता को कई बार देखा गया है । यह लोग उस समय से ऐसी हरकतें करते चले आ रहे हैं ।

जब एक बार पंडित कमला पति जी के जमाने में इन्होंने रिवोल्ट किया था और कुछ मांगे भी रखी थी, उसी वक्त इनकी कोई बात सुनी नहीं गयी थी । उस वक्त से यह उसी भावना को लेकर हर जगह अपनी मनमानी करते हैं और इनकी इस बर्बरता को देखकर अल्प संख्यकों की भावना का कुंपित होना स्वाभाविक ही है । क्योंकि इन्होंने यहां पर भी कई जगह पर अपनी बर्बरता और नाइन्साफी का परिचय दिया है। हाशिम-पुरा और मलियाना में जो गम्भीर रूप में घटनायें हुई हैं, उनका जिक्र करना मुश्किल है। मैं अपनी ओर से साम्प्रदायिक सद्भावना को भड़काना नहीं चाहता । हाशिमपुरा से लेकर हिंडन नदी तक जो कत्ले आम किया गया है और उनकी लाशों को गंगा नदी में बहाया गया है, इससे ज्यादा मान्यवर, शर्मनाक बात कहीं पर देखने को नहीं मिलती ऐसा तो मान्यवर, मुरादाबाद में भी नहीं हुआ कत्ले-आम जिस प्रकार का यहां किया गया है।

मान्यवर, कमाल तो इस बात का नजर आता है जबकि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन सब वहां पर मौजूद था फिर इनमें मेरठ की स्थिति सुधर नहीं सकी और इनके रहते बिगड़ती रही । यह सारी बातें क्या हैं ? इसमें किसकी गलती है, जिसकी भी गलती हो उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए और फिर किस पक्ष ने क्या गलती

या पहल की है, इसका फैसला तो न्यायालय करेगा और जिस पक्ष की भी गलती हो या जिस किसी व्यक्ति की भी गलती हो उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए । किसी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए । जब आप ऐसा करेंगे तो आपका विश्वास लोगों पर बन सकेगा वरना विश्वास नाम की चीज कहीं पर दिखाई नहीं देगी और आज यही बात ज्यादा सामने आ रही है । यह बड़े शर्म की बात है और बड़े दुर्भाग्य की बात है और जितने भी इसमें अधिकारीगण दोषी पाये जाएं उनको भी सजा मिलनी चाहिए ।

मान्यवर, आज भी जिलाधिकारी वहां पर मौजूद है जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसी का पूर्ण उत्तरदायित्व रहता है वह अगर चाहता तो समस्त जानकारी प्राप्त कर इस भयानक दंगे के होने से पहले जागरूक रहते तो आज यह स्थिति पैदा न होती और जब से मान्यवर, यह माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे इस प्रदेश में आए हैं, तब से हमारे प्रदेश में कहीं पर भी साम्प्रदायिक सद्भावना नहीं है । इन सारी साम्प्रदायिक दुर्भावनाओं के लिए हमारे मुख्य मंत्री दोषी हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार दोषी है। इसलिए हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो दंगे हैं वह आगे न बढ़ने पायें, इसकी कोशिश होनी चाहिए । हिन्दू, मुसलमान, सिख चाहे जिस कौम के हों सबकी कोशिश होनी चाहिए कि दंगे आगे न बढ़ें । राम जन्म भूमि का विवाद है इसको किसी भी तरीके से हर सम्प्रदाय के लोगों को बुलाकर हल करना चाहिए, कोई न कोई तरीका निकालना चाहिए । जब तक यह मामला चलता रहेगा तब तक दंगे मिटेंगे नहीं । इसलिए मेरी मांग है कि जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लिया जाय ।

मेरठ में दंगे हुए केवल मलियाना काण्ड की जांच की आवश्यकता नहीं है जहां मलियाना कांड की बात आती है मेरठ काण्ड की न्यायिक जांच करायी जानी चाहिए । मेरी मांग है कि इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती और सदन के सदस्य इस घटना की जांच करें । आप न्यायिक जांच कराते हैं चार-पांच साल तक कोई नतीजा नहीं आता । समय बद्ध जांच कमेटी बैठायी जाय जिसकी 6 माह के अन्दर रिपोर्ट आ जाय, ताकि दोषी लोग जो दंगे कराते हैं दण्डित हो सकें । मेरठ के अन्दर आपने स्वयं देखा, हमने देखा, बहुत लोगों ने देखा, अरबों रुपये का नुकसान हुआ, बहुत से लोग हताहत हुये हैं । सबसे बड़ी बात यह हुई है कि जब दंगे को रोकने की कोशिश की गई तो वह और भी खतरनाक ढंग से हुआ ।

दंगों रोकने की दशा में चाहे पुलिस हो चाहे पी0 ए0 सी0 हो जनता पर जुर्म ढाती है पुलिस के इन जुर्मों को रोकने का प्रयास होना चाहिए । मेरठ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हताहत हुआ है, जो छोटी-छोटी दुकानों से गुजर करते थे, आज बेरोजगार हैं मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को पुनः स्थापित किया जाय, उन्हें रोजगार लगाने के लिए लम्बी अवधि की ब्याज का ऋण दिया जाय । बिना सूत का कर्जा दिया जाय, यह जरूरी है, ताकि उनके घावों पर मलहम लग सके । सारे अधिकारियों पर इस बात की जिम्मेदारी है । मुख्य मंत्री जी आज हैं कल बाहर हो जायेंगे। प्रदेश की साम्प्रदायिक ज्वाला जो उन्होंने भड़काई है शान्त नहीं होगी । मुख्य मंत्री जी का नाम स्वर्ण अक्षरों के बजाय काले अक्षरों में लिखा जायेगा, प्रदेश के इतिहास में । मान्यवर, इस ओर ध्यान दिया जाय ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, इस समय सदन में मेरठ दंगे की चर्चा चल रही है। ज्ञात हुआ है कि अलीगढ़ में दंगा हो गया । मैं सदन से जानकारी चाहता हूं कि वहां की स्थिति क्या है?

मेरा यह औचित्य का प्रश्न है ।

श्री सत्य पाल सिंह–

सदन का कर्तव्य है कि वह जानकारी दे ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब जवाब देंगे गृह मंत्री जी, उस वक्त आपको सूचना मिल जायेगी ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

जवाब तो कल होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

कल नहीं होगा। आज ही होगा ।

*श्री शेर बहादुर सिंह–

आज हम सदन में मेरठ के अन्दर हो रहे दंगे पर चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत शर्मनाक है और दु:ख की बात है ।

मान्यवर, इस प्रकार के साम्प्रदायिक दंगों की संख्या हमारे देश और प्रदेश में बढ़ती जा रही है। यह हिन्दुस्तान की एकता और हिन्दुस्तान की अखण्डता के लिये कलंक है और देश के प्रगति में बहुत बाधक सिद्ध हो रही है। मान्यवर, हमको इस समय देश की आजादी की लड़ाई के इतिहास से कुछ सीख लेनी पड़ेगी । भारत की आजादी की लड़ाई हिन्दु, मुस्लिम, सिख, इसाई सबके जोड़ से मिलाकर लड़ी गयी, लेकिन कभी भी आज जैसी बात नहीं हुई। किन्तु, हमारे यहां के जो फिरंगी शासक थे, जब वह भारत छोड़ने लगे तो भारत छोड़ने के पहले ऐसे अंकुर पैदा किये जिससे हिन्दु, मुस्लिम, इसाई और सिख एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। हिन्दुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। वहीं से यह दुर्भाग्य आरम्भ हुआ। हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, वहां पर जब तमाम खून बहा, वहीं पर इन दंगों के अंकुर पैदा हुए । मान्यवर, दंगे क्यों होते हैं ? इनकी मूल जड़ें कहां पर हैं ? क्या सरकार ने कभी इस पर विचार किया? कुछ इस तरह के स्थान हैं, जहां पर हमेशा दंगे होते हैं।

मान्यवर, यह दंगे मेरठ में ही क्यों हुए ? मुरादाबाद में ही क्यों होते हैं ? अलीगढ़ और इलाहाबाद के कुछ भागों में ही क्यों होते हैं? बनारस के मदन पुरा में हीं क्यों होते हैं? क्या सरकार ने कभी इस पर विचार किया। मान्यवर, धर्म हमेशा मन में रहा है । धर्म कभी प्रचार नहीं है । इन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि में जो आवाजें आती हैं, क्या सरकार ने कभी विचार करके उस पर प्रतिबन्ध लगाया। आज इतिहास बताता है कि जब भी धर्म चौराहे पर आया है, खून खराबा हुआ है, लेकिन सरकार कर क्या रही है? सरकार केवल मूक दृष्टा बनकर देख रही है । इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रही है। मान्यवर, इसके लिये इतिहास हमको कभी माफ नहीं करेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

हमको यह देखना पड़ेगा कि इस दंगों के मूल कारण क्या हैं? कहां पर हैं? जब तक उन कारणों को समाप्त नहीं किया जायेगा, तब तक दंगे कम नहीं हो सकते और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते रहेंगे । मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस समय जगह-ब-जगह चाहे वह मंदिर हो मस्जिद हो, या गुरुद्वारा हो हर जगह जो माइक लगे हुए हैं, जिनमें सुबह से शाम तक अजानें होती रहती हैं, इन पर जब तक प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा और चाहे बजरंग दल हो या मुस्लिम मजलिस जैसी संस्थाएं हों, जब तक इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा, तब कब खून खराबा होता रहेगा और इनको कोई रोक नहीं सकता ।

मान्यवर, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि यदि पूर्ण सतर्कता के साथ इन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया और इनको रोका नहीं गया तो हमें कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी। और न तो कभी दंगे रुक सकते हैं। जो यह खराबियां हो रही हैं, महिलाओं की अस्मतें लुट रही हैं, नादान बच्चों की जानें जा रही हैं और गरीब बेघरबार हो रहे हैं और जो मुहल्ले के मुहल्ले फूंक रहे हैं इन सबका कारण क्या है? मान्यवर, मैं बड़े क्षोभ के साथ कहता हूं कि केवल वोट इकट्ठे करने के लिये न कभी सही बात कही जाती है और न सोची जाती है कि किस चीज पर प्रतिबंध लगाने से यह दंगे रुकेंगे। 14 अप्रैल को मेरठ में शबे बरात के अवसर पर तनाव पैदा हुआ उसके बाद भी पूर्ण सतर्कता नहीं बरती गयी। ठीक एक महीने बाद 17 मई को तनाव पैदा हुआ, 17 मई को दफा 144 लगाये जाने की घोषणा हुई। लेकिन, वह दंगे 17, 18, 19 20, व 21 मई को अपनी चरम सीमा पर पहुंच गये और फिर उस पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका। पी0ए0सी0 आयी, सिविल पुलिस भी रही, सेना भी आयी, लेकिन वह हालात पर काबू नहीं पा सके, दंगे प्रतिबंधित नहीं हो सकें। क्या इस बात पर विचार करेंगे कि यह दंगे कुछ निश्चित स्थानों पर ही क्यों होते हैं ? इसको राजनीति से ऊपर उठाकर, राजनीति से अलग होकर के गंभीरता पूर्वक सोचना होगा कि उनको अंकुर वहां से है और उसका अंत कैसे किया जा सकेगा ? यदि इस तरह की आराजकतायें बढ़ती रहेंगी, यदि इस तरह के दंगे बढ़ते रहेंगे तो मान्यवर, यह प्रदेश और देश जल जायेगा। राजनीति तो अलग रही, जब हम नहीं रहेंगे, प्रदेश नहीं रहेगा तो राजनीति कैसे होगी ।

मान्यवर, मैं इस बात पर पुनः विचारार्थ निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक मुझे जानकारी है कुछ विषय पर न्यायिक जांच हो रही है, कुछ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जांच हो रही है। इस सदन की एक समिति दोनों पक्षों के सदस्यों को उसमें रखते हुए बनायी जाय। इस घटना की उससे संसदीय जांच भी करायी जाय। उस समिति के माननीय सदस्य घटना स्थल पर, मौके पर जायें और इस बात को देखें कि दंगे की शुरुआत कैसे हुई, तनाव कैसे व्याप्त हुआ और बढ़ता चला गया ? जिला प्रशासन की कैसी भूमिका रही, कितनी सक्रियता दिखायी गयी, कितना नुकसान हुआ है- आदि इन सब विषयों को वह समिति देखे और अपनी रिपोर्ट दे। उस रिपोर्ट के अनुसार निश्चित कार्यवाही होनी चाहिये। मान्यवर, इन सब दंगों के मूल को ढूंढ़ करके उसका विनाश करना आवश्यक है वरना यह देश और प्रदेश इस तरह से तबाह होता चला जायेगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गृह मंत्री जी, आप कुछ बीच में कहना चाहेंगे?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, इस पक्ष से किसी माननीय सदस्य को पहले मौका दें।

(व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, मेरठ के माननीय सदस्यों को तो पहले अवश्य सुनें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग बैठ जायं।

नियम यह है कि जब सूचना देने वाले माननीय सदस्य बोल लेते हैं तो उसके बाद अगर संबंधित माननीय मंत्री जी कुछ संक्षेप में कहना चाहें तो कह सकते हैं। अन्तिम उत्तर तो वह बाद में ही देंगे। वह कहना चाहें तो कहें और नहीं कहना चाहते हैं तो न कहें। मैं तो नियमावली के नियम-54 के अन्तर्गत उनसे पूछ रहा था।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, नियम–52 में ही नियम-56 को शामिल किया गया है। यह तय किया गया था कि माननीय नेता विरोधी दल के बोल लेने के बाद शेर बहादुर बोलेंगे। यदि हम लोगों को बोलने की जरूरत पड़ेगी तो बाद में हम लोग भी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने तो नियम के तहत उनसे पूछा था कि वह कुछ कहना चाहते हैं तो कहें।

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, उसके लिए मैं उनका अनुग्रहीत हूं। माननीय नेता विरोधीदल के आज की साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में बहुत ही सामयिक व अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी जो बोल रहे हैं, वह साफ-साफ नहीं सुनाई दे रहा है, इसलिए आप उन्हें निर्देश दें कि वह लाउडस्पीकर पर साफ-साफ बोलें। हिम्मत से तो वह बोल नहीं पायेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

यह एक ऐसा संवेदनशील विषय है जिस पर सभी माननीय सदस्यों को गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। देश और प्रदेश में आज इतने दिनों तक यह साम्प्रदायिकता का विषय बना हुआ है, और ज्यादा चिन्ता का विषय है। इस मामले पर सरकार का ही नहीं विपक्ष के सहयोग की भी आवश्यकता है। आप लोग इस गम्भीर विषय पर अपने-अपने अमूल्य सुझाव दें जिससे हम लाभ उठा सकें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अपने-अपने राजनैतिक दल से ऊपर उठकर इस पर विचार कर इसके निदान व उन्मूलन के सुझाव हमें देने की कृपा करें। आप सभी लोग जानते हैं कि मेरठ के इस मामले पर तीन प्रकार की जांचें चल रही हैं। (1) सी0 आई0 डी0 की जांच (2) हाईकोर्ट के जज द्वारा जांच व तीसरा उच्च स्तरीय जांच हो रही है।

इन सभी जांचों द्वारा शासन ने यह प्रयास किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। इस काण्ड में जो भी दोषी व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। आप लोग इस बात से भी भली-भांति परिचित हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इससे पहले भी कुछ कदम उठाये हैं। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो हो चुका है, उसमें दोषों को ढूंढना और इससे भी बढ़कर राहत कार्य देना है। जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनको मदद पहुंचायी जाय और इस दिशा में त्वरित कदम उठाये गये हैं। एक राहत कमिश्नर की नियुक्ति की गयी है, जो वहां पर मौजूद होकर आई0 जी0 के साथ कार्य कर रहा है। 54 लाख रु0 अभी तक राहत कार्य में वितरित किया जा चुका है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जिनको किसी बात की शिकायत हो उनके लिये थानेवार काउण्टर खोल दिये गये हैं। कोतवाली क्षेत्र में ही इस प्रकार के काउण्टर खोलकर सब की शिकायतें प्राप्त की जा रही हैं और जो शिकायतें आ रही हैं, उन पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जा रहा है और कार्यवाही की जा रही है।

सबसे बड़ी बात मलियाना की घटना की उठायी गयी थी। प्रदेश के और देश के समाचार पत्रों ने इस सम्बन्ध में विशेष रूप से खोजबीन करके सही समाचार पत्रों ने इस सम्बन्ध में विशेष रूप से खोजबीन करके सही समाचार देना प्रारम्भ कर दिया है और जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनसे स्पष्ट हो गया है कि 110 व्यक्तियों के बारे में कहा गया था कि गायब हैं लेकिन आपको सूचना देना है कि उनमें से 85 व्यक्ति मौजूद हैं, केवल 25 व्यक्ति जो शेष बचते हैं, उसमें से 15 व्यक्तियों के निधन की पुष्टि हुई है और जिन 10 व्यक्तियों के बारे में कहा गया है, उनकी खोज हो रही है और आशा है कि जिस प्रकार से 85 की खोज हो चुकी है, उन 10 की भी खोज हो जायगी। मुझे आशा है कि आप गम्भीरता से अपने सुझाव देने की कृपा करेंगे।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मैंने यह जानना चाहा था कि इस समय अलीगढ़ में क्या हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने उनको निर्देशित कर दिया है, जब वे अपना उत्तर देंगे, इस सम्बन्ध में भी सूचित करेंगे।

श्री फजलुल बारी–

अभी श्री शेर बहादुर सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि कुछ संगठनों के नाम लिये और यह कहा कि मुस्लिम मजलिस भी साम्प्रदायिक है। उस पर रोक लगानी चाहिये। अगर उनके पास कोई तथ्य थे तो प्रस्तुत करने चाहिए थे कि मुस्लिम मजलिस कैसे साम्प्रदायिक है। इस तरह कहना गलत है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

पहले सरकार बताये कि इस समय अलीगढ़ में क्या हो रहा है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, अलीगढ़ में आज कुछ नहीं हो रहा है, कल एक मामूली झगड़ा हो गया था। अब ठीक है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, मेरठ के दंगे पर चर्चा शायद आपने ढाई घण्टे की स्वीकृत की है और एक घण्टे से ज्यादा चर्चा हो चुकी है। समय कम है, इसके लिये चर्चा और बढ़नी चाहिये, यह मेरा अनुरोध है मा0 मुख्य मंत्री जी से यदि आपको बाधा है, 5 बजे बजट पेश करना है तो मेरा सुझाव है कि इस चर्चा को कल भी जारी रखें। माननीय सदन के बहुत से विद्वान और अनुभवी सदस्यों के सुझाव आ जाने चाहिये। दूसरी बात यह है कि सुझाव तो हम दे देंगे लेकिन क्या आप उसे मानेंगे? कभी माना नहीं है आपने क्योंकि आपको तो औपचारिकतायें निभानी हैं।

मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप औपचारिकता निभाते रहे उससे काम नहीं चलेगा। इस मेरठ के दंगे को मैं अपने साथियों से भी कहूंगा कि यदि हम गलत कहते हों, या कोई ऐसी बात मैं कह दूं जो आपको पसन्द न हों तो आप हमको हमारी कमजोरियों को बतायें लेकिन इस मुद्दे को गम्भीरता से लिया जाय। यदि आप मेरठ के दंगे को गम्भीरता से नहीं लेंगे तो यह देश दो रास्तों पर चल पड़ेगा और जिस दिन देश दो रास्तों पर चल पड़ेगा तो वह देश के लिये सबसे काला दिन होगा और वह दिन दूर नहीं है आपके कुकर्मों के कारण। आप कम्यूनलिज्म की बात कहते हैं? लेकिन मैं कहता हूं कि जितनी गैर कांग्रेसी सरकारें हैं वहां कहीं दंगा नहीं है लेकिन जहां-जहां कांग्रेस की सरकार है वहां-वहां दंगा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि . . . . .

(व्यवधान)

श्री अफसर ए0 अहमद–

दंगे आप लोग कराते हैं आप कांग्रेस को कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठे-बैठे न बोलें । अभी मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं । जब आपकी बारी आये तो बोल लीजियेगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, चोर की दाढ़ी में तिनका ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, यह बात बन्द होनी चाहिये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष महोदय, यह अफसोस की बात है कि आज हम लोग इस सम्मानित सदन में बजट सत्र में बैठे हैं। यहां प्रदेश की समस्याओं के सम्बन्ध में विचार करेंगे, गरीबी, बेईमानी और भ्रष्टाचार तथा देश के विकास पर यहां चर्चा होगी, लेकिन आज हम लोग चर्चा करने बैठ रहे हैं, मेरठ के दंगे की। आज सारे सदन का ध्यान, सारे प्रदेश और देश का ध्यान देश और प्रदेश की गरीबी, बेईमानी और भ्रष्टाचार से हट कर मेरठ के दंगे की ओर चला गया है और यही सरकार की साजिश थी।

पिछले बजट सत्र में हमने कहा था कि मुख्य मंत्री जी प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव है, तब मुख्य मंत्री जी ने बड़े जोश में कहा था कि प्रदेश में इस समय जैसा सौहार्दपूर्ण वातावरण कभी नहीं हुआ, जैसा कि आज है। लेकिन पिछले तीन महीने से मेरठ में लगातार तनाव है, मैं कहता हूं कि ऐसा साम्प्रदायिक तनाव वहां पर कभी नहीं हुआ है ।

मैं केवल चार बातों का उत्तर आपसे इस सम्बन्ध में चाहूंगा। केन्द्रीय गृह मंत्री जी और उ0प्र0 सरकार ने कहा यह दंगा पूर्व नियोजित था । दंगा क्यों हुआ? यह रोका जा सकता था यह कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि में मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। जहां तक इसमें नियोजित होने का सवाल है और जैसा कि केन्द्रीय गृह मंत्री जी कहते हैं, अभी जब आप हमें जवाब देंगे तो उसमें मुझे इस बात का उत्तर दीजियेगा कि नियोजन करने वालों में कौन-कौन था ? उनकी सूची इस सदन के सामने प्रस्तुत होनी चाहिये। योजना बनाने वाले, जिन्होंने नियोजन किया था, जो नियोजक हैं, उनकी सूची माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करें, और उनके विरुद्ध आपने क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री जय नारायण तिवारी–

उनको आपने पीछे बैठाया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि योजना बनाने वाले कौन-थे । अगर योजनाबद्ध दंगे थे तो आपके डी0 एम0 और एस0एस0पी0 को आपको सूचना देना चाहिये था ।' गोपनीय सूचना देना चाहिये था । आपकी सरकार ने पता नहीं लगा पाया, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। मान्यवर, जहां तक योजना का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि मेरठ का दंगा पूर्व नियोजित नहीं था । केवल उत्तर प्रदेश

सरकार और मेरठ के निकम्मे और विवेकहीन अफसरों ने इसको कराया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं और कि जब रमजान के दिन चल रहे थे और 250 परिवारों की सर्च ली थी, तलाशी ली थी, तो क्या उस समय समक्ष अधिकारी थे। आप बतायें कि किसके आदेश से तलाशी ली गयी थी और जब तलाशी ली जा रही थी तो उस समय कितने गजेटेड आफिसर थे। क्या पुलिस और पी0ए0सी0 के जवानों ने तलाशी ली है। सरकार कहती है कि लाउड स्पीकर से कहा जा रहा था कि बाहर निकल आओ कोई आदमी अपनी बहू बेटियों को बाहर निकालना पसन्द नहीं करेगा, उनको सड़क पर आने के लिये नहीं कहेगा। कोई जरूरी नहीं थी, तलाशी की कोई आवश्यकता नहीं थी अगर तलाशी लेना था, तो रमजान के बाद ले लेते। 19 मई को तड़के 4-5 बजे जब रमजान के दिनों में शहदी का वक्त था, घर की तलाशी का आदेश देना सबसे बेहूदा कदम था। फिर क्या केवल एक डी0 एस0 पी0 और एस0 डी0 एम0 की उपस्थिति में 250 घरों में एक साथ तलाशी लेना वैधानिक था? क्या पर्याप्त और सक्षम अधिकारियों की अनुपस्थिति में तलाशी के दौरान ज्यादतियां नहीं की गईं? मैं कहना चाहता हूं कि कोई दंगा न होता। यह सब आपके विवेकहीन अफसरों ने कराया है।

मेरठ के दंगे योजनाबद्ध नहीं थे। अगर आपको तलाशी लेनी थी तो आपको समक्ष और पर्याप्त गजेटिड अधिकारियों द्वारा कराना था, वह आप करा नहीं पाये। जब तलाशी होती तो कम से कम दो दर्जन गजेटेड आफिसर होना चाहिये था। एस0 डी0 एम0 होते, डी-वाई0 एस0 पी0 होते और इनके अलावा और 20-25 अधिकारी होते। अगर यह लोग सामने होते और उनके सामने तलाशी ली गयी होती, तो दंगा नहीं होता। तलाशी के समय मुसलमानों के घरों में घुस कर पी0 ए0 सी0 और पुलिस ने जुल्म ढहाया है। मेरठ के दंगे को रोका जा सकता था। 18/19 को डी0 एम0 ने बताया कि आग पूरी तरह से लगती रही, और दो-दो महीने के बच्चे आग में फेंक दिये गये और हम जिला प्रशासन देखते रहे। आपका प्रशासन अक्षम हो गया और उसको रोक नहीं पाया। तो डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 को मुवत्तल क्यों नहीं किया गया, उन्हें मुवत्तल होना चाहिये।

जिला प्रशासन ने सरकार को लिखा कि फोर्स और चाहिये, लेकिन आपने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। आपके अक्षम और विवेकहीन अधिकारियों के कारण दंगा हुआ। इसमें इस सरकार का हाथ है और जिला प्रशासन की नाकामयाबी का कारण है। पहले दिन मान्यवर, लखपुरा तक देखा है 4-5 सौ मकान जलते रहे। अगर मलियाना में पुलिस और पी0 ए0 सी0 की जरूरत थी तो 19 तारीख को थी। उस दिन अगर वहां पर बल प्रयोग हो गया होता तो यह घटना नहीं होती। वहां पर इतने निर्दोष लोगों को मरवाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों वहां पर उस दिन पुलिस भेजने की जरूरत नहीं समझी गई?

दूसरी बात यह है कि वहां पर न्यायिक जांच कराने की मांग किसने की थी?

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)– सत्यपाल सिंह यादव ने।

श्री मुलायम सिंह यादव–

वह तो अब मांग रहे हैं। तब किसने कहा था। मान्यवर, मैं कहना चाहता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि मलियाना में एक बड़ी साजिश की गई है । वहां पर मुसलमानों को और हरिजनों को आपस में लगाकर साम्प्रदायिकता फैलाने की साजिश की गई है। इसलिए न्यायिक जांच की आपने घोषणा की है। मलियाना में मुसलमानों का सामान लूट कर दंगा कराया गया है। तीन-तीन, चार-चार ट्रकों में मुसलमानों को भरकर नदी और नहर पर खड़े होकर गोलियों से शूट कर दिया गया। मासमपुर इलाके के निर्दोष लोगों को पुलिस और पी0 ए0 सी0 के लोगों ने मारा है। हमारा आरोप है कि मलियाना में आपने दंगे कराये हैं। सारे प्रदेश की दूसरी समस्याओं की तरफ से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार इस तरह के दंगे करा रही है। इसका नतीजा आपको जल्दी देखना पड़ेगा। . . . (व्यवधान) आपके नौजवान उछलकर बोल रहे हैं। उछलने वालों को पता चलेगा, यह मैं कहना चाहता हूं।

इसलिये मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से एक सुनियोजित तरीके से सारे देश और प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिये सरकार ने दंगों पर काबू नहीं पाया । यह मेरा आरोप है । इसलिये भी है कि आपने अपने गृह सचिव को हटाया है, डी0 जी0 को हटाया है । लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है। जब उनको हटाने की बात साबित हो गई है तो मुख्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये । इन दंगों के सिलसिले में आपको वहां के डी0 एम0 को मुअत्तल करना चाहिये, उसका ट्रांसफर करना चाहिये । डी0 एम0 और एस0एस0 पी0 दोनों ही जिम्मेदार हैं । इसलिये आपको इन दोनों को मुअत्तल करना चाहिए । आपने कहा कि इस प्रकरण की तीन जांचें हो रही हैं । एक सी0आई0डी0 की जांच, दूसरी न्यायिक जांच और तीसरी उच्च स्तरीय जांच । इस तरह से तीन जांचें आप करा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा बेवकूफी का कम कोई कर सकता है ? एक दंगे पर तीन जांच होंगी ? यदि तीनों की रिपोर्ट्स अलग-अलग आती हैं तब आप क्या करेंगे । फिर एक चौथी जांच बैठाओगे ।

मान्यवर, न्यायिक जांच के बारे में मेरी राय अच्छी थी लेकिन मैं समझता हूं कि न्यायिक जांच मेरठ के दंगों को छिपाने के लिये एक धोखा है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस सदन की सर्वदलीय कमेटी बना दी जाय जो इस सारे प्रकरण को देखे। क्योंकि सन् 82 में मेरठ में जो दंगे हुये थे उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पा रही है । अब तक तो कई अफसर रिटायर हो गये होंगे और चले जायेंगे। इसलिए इस सदन की सर्वदलीय कमेटी होनी चाहिए जो इसकी जांच करे और वह दो महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे । दो महीने से एक दिन ज्यादा नहीं होना चाहिये । अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं कि दंगे रुकें तो यह करिये । हम इस बात को दोहराना नहीं चाहते हैं कांग्रेस वालों ने ही इस प्रदेश का ठेका ले लिया है क्या हम लोगों को देश और प्रदेश की कोई चिन्ता नहीं है । मेरठ में इतना बड़ा दंगा हो गया हम लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया ? सबको नहीं बुला सकते थे तो 10, 15 विपक्ष के लोगों को जिनको आप ठीक समझते थे बुला लेते । हर वर्ग के विधायक उसमें होते हर मुहल्ले में जाते और लोगों से बात करते तो इससे दंगा रोका जा सकता था ।

जब दिल्ली से गृह मंत्री अन्य मंत्री वहां आये, उत्तर प्रदेश से मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री वहां गये तो और दंगे वहां भड़के उससे पहले वहां मरने वालों की संख्या उतनी नहीं

थी जितनी इन लोगों के जाने के बाद हुई । आप जरा बतायें, 19 ता0 को मरने वालों की संख्या कितनी थी और 23 ता0 को मरने वालों की संख्या कितनी थी ? जब आपका काफिला वहां पहुंचा तो मरने वालों की तादात बढ़ने लगी । वहां पर दंगा भड़कने का कारण केन्द्रीय विकास मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई और मुख्य मंत्री के बीच मतभेद है । इन दोनों के कारण वहां दंगा भड़का है क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की। आप दिल्ली में बैठ कर निर्देश देते । आपके निर्देश पर वहां यह कांड हुआ है इसकी जिम्मेदारी आपको ओढ़नी चाहिये ।

इस संबंध में मैं पी0ए0सी0 के बारे में भी कहना अपना कर्त्तव्य समझता हूं । जब विद्यार्थियों को मारा जाता है तो हम पी0ए0सी0 के खिलाफ बोलते हैं, जब अध्यापकों को मारा जाता है तो उस समय भी हम पी0ए0सी0 के खिलाफ बोलते हैं । इलाहाबाद में इण्डिया में जब कांग्रेस के लोगों को मार-मार कर जूतों की मालायें पहनाई गयी और मुंह काला करके घुमाया गया तो पी0ए0सी0 के खिलाफ हमने कहा था । वहां पर नौजवानों पर अत्याचार हुआ है उनकी हत्यायें हुई हैं । इसलिये पी0 ए0 सी0 के जो लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये, जिन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मेरठ में जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति 40 साल तक नहीं हो सकती है। हमारी मांग है कि वहां के लोगों को पूरा-पूरा मुआवजा दिया जाय । आप मरने वालों की कीमत 20 हजार रुपया लगाते हो । माननीय गृह मंत्री जी इस बात से खुश हैं कि जो 110 मरने वालों की संख्या बताई थी वह उतनी नहीं है मरने वाले 15 ही रह गये हैं । तो क्या निर्दोष 15 जो मारे गये हैं वह क्या कम हैं एक निर्दोष भी मर जाय तो 100 दोषियों से ज्यादा है। आप एक नौजवान के मरने पर 20 हजार रुपया देते हो । अगर किसी मिनिस्टर का नौजवान लड़का मर जाय तो उसको 20 हजार रुपया दोगे तो उसे कैसा लगेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुलायम सिंह जी आप समाप्त करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

दंगों को रोकने के लिये आप दिल से सोचिये जैसा अपने लिये लगे उसी तरह से दूसरों के लिये सोचिये, तभी आप इंसाफ कर सकते हैं वर्ना नहीं । इसलिये मैं चाहता हूं कि मरने वालों को कम से कम एक-एक लाख रुपया दीजिये । पीस कमेटी में यूथ कांग्रेस को छांटा गया, क्या आपके एम0 एल0 ए0 इस कमेटी में हैं। मैं चाहता हूं कि हर दल के लोगों को आप इस पीस कमेटी में रखें । यह मामला कांग्रेस पार्टी के पक्ष का नहीं बल्कि देश, प्रदेश और इंसानियत का है । इसलिये दंगों को रोकने के लिये कोई हम से सहयोग मांगेंगे तो हम देंगे ।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, मेरठ आजादी के आंदोलन का केन्द्र रहा है । मेरठ को आजादी के क्रान्तिकारियों के गढ़ के नाम से जाना जाता रहा है । मुझे आज दुख है कि मेरठ जो जंगे आजादी का शहर माना जाता था उसे आज दंगों का शहर जाना जाता है । जब इस चर्चा का मामला उठा था तो श्री राम सरन दास जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस चर्चा की शुरुआत कराने में मदद की चूंकि उनके पड़ोस का मामला था । मैं समझता हूं कि आज नेता विरोधी दल, श्री यादव, ने जो बाते कहीं उनमें कई चीजें महत्वपूर्ण हैं ।

मंत्री जी ने निवेदन किया था कि मेरठ का मसला हर इंसान से जुड़ा है । सरकार और शासन ने इस संबंध में जो जरूरी था वह किया । माननीय मुख्य मंत्री ने वहां जाकर चुस्ती व तत्परता से काम किया जैसा कि आजादी के बाद अन्य किसी मुख्य मंत्री किसी ने नहीं किया । मान्यवर, मेरठ की गली-गली से मेरा तालुक रहा है । इन चर्चाओं में तकलीफों को केवल उलाहने देने से नहीं सुलझाया जा सकता है । इस देश के महान समाजवादी नेता डा0 राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि इस देश के मुस्लमानों को कबूल करना होगा कि मोहम्मद गौरी और गजनवी हम पर हमलावार थे और हिन्दुओं को यह मानना होगा कि कबीर और जायसी हमारे पुरखे थे । इस देश के दोनों सम्प्रदायों को एक साथ लेकर चलना होगा । राष्ट्रीय संदर्भ में छोटी-छोटी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा तभी प्रदेश तरक्की कर सकेगा । उत्तर प्रदेश के लोग जो दुनिया के दर्शन जाने जाते हैं वहां पिछले दो सालों में उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा शहर नहीं जहां इतने बन्द हुये हों मेरठ में जितने बन्द हुये हैं। उतने प्रदेश के दूसरे शहर में नहीं हुये। फिर चाहे बाबरी मस्जिद का मामला लेकर बन्द हुये हों या राम जन्म भूमि को लेकर, लेकिन मेरठ अनेक बार बन्द हुआ । चूंकि सारी साम्प्रदायिक शक्तियों ने मेरठ को ही अपना गढ़ बनाया जिसका परिणाम यह दंगा है। सरकार कब तक दंगों पर नियंत्रण करती रहेगी, इसलिये हम सभी लोगों को धर्मनिरपेक्ष भावनायें बनाने के लिये काम करना होगा ।

इस बार मेरठ में जिस भयंकर आग को लगाने का प्रयास साम्प्रदायिक तत्वों ने किया और जो सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे उनको हमारी सरकार के मुख्य मंत्री जी की तत्परता और मेरठ के जिलाधीश की तत्परता और योग्यता के कारण दबाया जा सका और मेरठ के इतने भयंकर कांड को रोका जा सका । इसलिये जहां हम आलोचना करते हैं, कमियां निकालते हैं, उन कारणों को खोज निकालना चाहिए, जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई । उनके आधार पर यह प्रयास सबको करना चाहिए कि भविष्य में पुनः दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी भी हालत में न पैदा हो। विरोधी दल के नेताओं के बयान अंग्रेजी में छपे हैं उसमें देखें सत्यता क्या है मैं अपने दल के नेताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम भारत को महात्मा गांधी और डा0 लोहिया के दिखाए हुए मार्ग पर ले जाना चाहते हैं तो उन्हीं के सिद्धान्तों और बातों को सदैव ध्यान में रखकर कार्य करना होगा ।

अब मैं इस बारे में थोड़े सुझाव देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं । जो हमारे मेरठ शहर में अलग-अलग बसे लोग हैं, उनको दुबारा पुनर्वासित किया जाए

और मिली जुली आवादी को बसाने का प्रयास किया जाए। हिन्दु और मुसलमानों की बस्तियां अलग-अलग न होकर, मिल जुल कर बसाई जाएं । जो गरीब और पिछड़े हुए मोहल्ले हैं, उनमें शिक्षा-दीक्षा और सफाई की पूरी व्यवस्था की जाए । जो वहां पर छोटे उद्योग धन्धों लगे हुए हैं, उनके स्थान पर बड़े उद्योग लगाए जाएं और वहां पर श्रमिक कानून को लागू किया जाए । जब तक उनकी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधारा जाएगा, उनके होने वाले शोषण और अन्याय को नहीं रोका जाएगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा ।

(व्यवधान)

मैं यह कहते हुए, मेरठ का नागरिक होने के नाते, तमाम सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बहस में न पड़कर कि किसने क्या गलती की, क्या गुनाह किया, सारे समाज को मजबूत बनाने के लिए हम लोग बड़ी मेहनत करें और जो लोग मजबूर हैं उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करें । क्योंकि अभी हमने सदन में देखा कि एक तरफ से एक पर्चा दिखाया गया और दूसरी ओर से दूसरा पोस्टर दिखाया गया, इससे स्थिति सुधरने वाली नहीं है, बिगड़ेगी । (व्यवधान) आज जिनका कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं है, जिनकी कोई सामाजिक मान्यता नहीं है, वही तत्व आज सारे प्रदेश और देश में साम्प्रदायिकता फैलाकर देश को नष्ट करना चाहते हैं । जो यहां पर सदन में दृश्य पेश किया गया है, वही जहनियत मेरठ में काम कर रही थी। जो लोग भी इस देश के निर्माण में भरोसा रखते हैं, वह देश के समाजवादी वातावरण को बनाने के लिए अगुवाई करें और शासन व सरकार के साथ सहयोग करें । तभी प्रदेश साम्प्रदायिक झगड़ों से छुटकारा पा सकता है ।

कई सदस्यों के खड़े होने पर (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष–

बोलने का समय आएगा तो समय देंगे। अभी सब बैठें। रेवतीरमण जी को बुला लिया है ।

(व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं . . . .

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें . . . . (व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय प्रदेश की जनता हमारे किसान लोग एक भ्रम में हैं, सभी भ्रमित हैं, एक असमंजस की स्थिति में हैं । पूरा सदन भ्रमित है, बैठे हुए पत्रकार भ्रमित हैं । अभी 3-4 दिन पहले अखबारों में छपा है कि जो जमीन जोतेगा, वह जमीन उसकी हो जाएगी . . . (व्यवधान) उत्पादन गिर जाएगा । मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं इससे सारे लोग भूखों मर रहे हैं, मरने की स्थिति में हो गये हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आज मेरठ के दंगों के बारे में इस सदन में चर्चा हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शांति बनायें रखें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस सरकार का यदि पुराना इतिहास देखा जाय तो यह दोबारा से चुनकर आने वाली पार्टी जबसे आयी है तब से इस प्रदेश में सर्वाधिक दंगे हुये हैं । इतना ही नहीं इस प्रदेश में हजारों आदमी पिछले 2-3 सालों में दंगों में मारे गये हैं । पहले जब दंगे होते थे तो 2-4 लोग मरते थे लेकिन अब जो दंगे हो रहे हैं उनमें से ज्यादा आदमी मारे जाते हैं । मेरठ शहर में अकेले 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है । अभी एक माननीय सदस्य शर्मा जी बोल रहे थे उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने बहुत काम किया, नहीं, तो 100 करोड़ से ज्यादा नुकसान होता । मान्यवर, यह जो कांग्रेस के नौजवान सदस्य हैं वह बजाय दुख के इस सदन में हंस रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरठ में दंगा हो गया । यह इनकी शख्सियत है और इनकी राजनीतिक सोच है । सदन में जब गंभीरता से चर्चा हो रही है तब यह मेरठ का मजाक कर रहे हैं । मान्यवर, यह शर्म की बात है । कांग्रेस पार्टी में आज ऐसे लोग जो हैं वह दंगा कराते हैं और इस देश को लुटवा रहे हैं और देश को खत्म करना चाहते हैं ।

आज देश की अखंडता को अगर खतरा है तो बाहरी शक्ति से नहीं है, आप से है । देश की अखंडता को खतरा बाहर से नहीं आने वाली ताकतों से नहीं है, जितना आपसे है । मान्यवर, आपने क्या किया ? मान्यवर, हिंदू मुस्लिम भावनायें जो पहले सन् 47 में भी नहीं थीं वह आज खुले आम दिखायी पड़ती है । आज गांवों तक हिंदू-मुसलमान की बात हो रही है ।

एक सदस्य–

बिल्कुल नहीं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप तो काला चश्मा लगाकर सो गये हैं । आपको दिखाई तो दे नहीं रहा है। जिस दिन हरियाणा की तरह तबाह हो जायंगे, तब दिखायी पड़ेगा । हरियाणा में यही बात कह रहे थे लेकिन जब सफाया हो गया तो कह रहे हैं कि हरियाणा बहुत छोटा प्रदेश है । मान्यवर, आज प्रदेश में हिन्दू और मुसलमान की भावना को अगर किसी ने प्रज्वलित किया है, बढ़ाया है तो कांग्रेस पार्टी है । आज बाबरी मस्जिद के मामले में कोई समाधान नहीं किया गया, कोई रास्ता नहीं निकाला गया । दिल्ली की सरकार और वहां के गृह मंत्री ने कहा कि हम समाधान निकाल रहे हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका । जब मुख्य मंत्री जी से बात करते हैं तो उनका कहना है कि यह फैजाबाद का मामला है ।

आज बाबरी मजिस्द का मामला प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में एक चिंगारी का काम कर रहा है। एक ऐसी चिंगारी निकल रही है कि यदि इसका समाधान नहीं निकाला गया तो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में आग लगेगी । हम यहां मेरठ के विषय में बहस कर रहे हैं । रोज ही मेरठ जैसे दंगें होंगें एक नहीं अनेक होंगें,

आप रोक नहीं पायेंगें । आज जो मूल समस्या है उसका निदान आप निकाल नहीं पा रहे हैं । आप कहते हैं कि हम बतायें । शासन आप कर रहे हैं और रास्ता हम बतायें । पंजाब में आग आपने लगायी रास्ता बतायें हम । आज प्रदेश की स्थिति गंभीर है । मेरठ में जो कुछ हो रहा है तो आपकी इंटेलीजेंस कहां थी । आपने आई0 जी0 इंटेलीजेंस के खिलाफ कोई कार्यवाही की ? अगर आपको रिपोर्ट मिल गयी थी तो पी0 ए0 सी0 क्यों नहीं लगायी, दिल्ली क्यों भेज दी । दो दिन मेरठ में लूटपाट होती रही, इनका प्रशासन कहां था ? डी0 आई0 जी0, एस0 एस0 पी0 और दूसरे अफसर कहां थे ? दो दिन खुला नंगा नाच हुआ इनका कहना है कि मलियाना में आज तक का इतिहास रहा है कि वहां कभी कोई दंगा नहीं हुआ । जब वहां पर दंगा नहीं हुआ तो वहां आपने गोली कैसे चला दी और आप कहते हैं कि 100 नहीं 15 आदमी मरे हैं, एक आदमी भी मरा है तो जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है । बेगुनाह आदमी अगर मरा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है । आपने कह दिया कि 100 आदमी नहीं 15 आदमी मरे है, इसलिए वहां कोई बड़ी घटना नहीं हुई । यह बड़ी घटना नहीं थी तो फिर जांच किस बात की करवाई ? जब आपने न्यायिक जांच करवाई है तो हम तो चाहेंगें संसदीय कमेटी बनाइये, इधर के भी सदस्य रहें और उधर के भी सदस्य रहें । आज तक जो भी न्यायिक जांच हुई है उसका कोई नतीजा निकला है । मैं पूंछना चाहता हूं कि मुरादाबाद में दंगा हुआ उसकी न्यायिक जांच बैठी, उसकी रिपोर्ट सदन में आ सके? सन् 82 में दंगा हुआ मेरठ में उसकी न्यायिक जांच हुई, आपने कोई कार्यवाही की क्या ? सदन को अवगत कराया गया ? आप इसी तरह से मलियाना की जांच करा रहें है ? पूरे प्रकरण की जांच नहीं करा रहें हैं । एक मलियाना की जांच करवा के यह सब बात खत्म करना चाहते है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिस पार्लियामेंट में बोफोर्स कमेटी, पनडुब्बियों वाले मामले में एक संसदीय कमेटी बनी है । आप यह यहीं एलान करिये कि मेरठ के लिए एक संसदीय कमेटी बनायी जा रही है । जाहिर है कि ज्यादा सदस्य इस कांग्रेस पार्टी के उसमें होगें । हमारे सदस्य उससे कम तादाद में होगें, उसकी रिपोर्ट आये । क्यों नहीं आप एक नयी नीति लागू करना चाहते है जिससे प्रदेश में अमन चैन कायम हो सके । मान्यवर, हम लोगों को मेरठ जाने नहीं दिया और दिल्ली से काफिले चले आ रहे थे, चिदम्बरम है, मोहसिना किदवई है बूटा सिंह हैं।

मान्यवर, मुझे याद है कि बनारसीदास मुख्यमंत्री थे और एच0 एम0 पटेल भारत सरकार के गृह मंत्री थे तो उनको नहीं आने दिया, राजनारायण को नहीं आने दिया जो वहा स्वास्थ्य मंत्री थे । आप वहां कुछ करना चाहते थे और दिल्ली के मंत्री आपको आदेश कुछ दे गये थे । वहां इतनी खींचतान मच गयी कि अधिकारी इनके आदेश को माने या दिल्ली के आदेश को माने । वहां पर रिपोर्ट पहुंचा दी गयी कि मुख्य मंत्री की वजह से दंगा हुआ ।

मान्यवर, मैं यह पूंछना चाहता हूं कि आपके यहां दिल्ली के आदेशों से यह हुकुमत चलेगी । यह 12 करोड़ का प्रदेश है और 12 करोड़ के इस प्रदेश में आपको निर्णय तत्काल और यहीं लेना पड़ेगा । दिल्ली की तरफ आप मुहं बाये खड़े रहेगें तो आप यहां चला नहीं सकते । अगर यह चलेगा तो घटना रोज होगी । मान्यवर,

दिल्ली के कई मंत्री आये । चिदम्बरम जो पर्सनल विभाग देखते हैं, एक दिन में आकर उन्होंने पूरे मेरठ का मूल्यांकन कर लिया और अपनी राय दे दी । मैं कहना चाहता हूं कि यह देखना आपका काम है । महात्मा गांधी ने इस देश के लिए अपनी कुरबानी दी थी । आज महात्मा गांधी कोई नहीं हो सकता । मैं कहना चाहता हूं कि क्या उनके पद चिह्नों पर चलने की आप कोशिस नहीं करेंगे । क्या उनकी दुहाई आप देते हैं, क्या एक वर्ग में आपके खिलाफ यह मानसिकता बन गयी है कि आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते ? क्या आप इस प्रदेश में इस देश में एक जैसा जहर देने जा रहे हैं जिसकी ज्वालामुखी कहां फूटेगी, यह देश और प्रदेश बचेगा या नहीं । इसके बारे में कभी आपने सोचा, क्या ?

श्री प्रदीप माथुर–

एक शहाबुद्दीन भी तो हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आज आप एक शहाबुद्दीन से परेशान हैं यहां तो लाखों करोड़ों शहाबुद्दीन हैं। अगर आपमें ताकत थी बंदूक की, तो पंजाब में क्यों रोक रहे हैं । आपने कर तो दी थी फायरिंग मिलेट्री को पंजाब में लगाया, कहां गयी थी आपकी ताकत? यह देश हिन्दू और मुसलमान दोनों का है।

(समय 4 बजकर 20 मिनट पर)

इस देश में दोनों की बराबर की भागीदारी है। आप ऐसी बात क्यों कहते हो कि एक वर्ग के मन में संशय पैदा हो । आप ऐसा आचरण क्यों करते हो कि एक वर्ग यह सोचे कि आप उसको दुश्मन समझते हैं । आप उसको कन्फीडेंस में क्यों नहीं लेते । आप यहां पर चार मुसलमान विधायकों से यह कहलवा देंगे कि हम सेकुलर हैं । जब आम लोगों के अन्दर यह भावना पैदा हो कि आप उनको सम-दृष्टि से देखते हैं, तब बात है । मैं अपने नवजवान साथियों से कहना चाहता हूं, उनकी बहुत सी बातें नागंवार गुजरती हैं । हर आदमी की अपनी विचार-धारा है । आपकी यह विचार-धारा हो सकती है । मैं इस सदन में, इस सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री से, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इसकी मांग करता हूं कि अगर इनमें नैतिकता है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की तरह से इनको सदन में इस्तीफा दे देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी भी कांग्रेस के ही प्रधान मंत्री थे । हैदराबाद में एक रेल दुर्घटना हुई, उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था । अगर मुख्य मंत्री में नैतिकता है, और प्रदेश में ऐसी घटना हो, तो मुख्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए ।

(श्री खुरशेद अहमद का नाम पुकारे जाने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो आपके पास सूची भेजी गयी है, उसमें माननीय खुरशेद अहमद का नाम तो है नहीं, तो आप उनको क्यों बुलवा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं है, तो उनको मैं नहीं बुलवा सकता हूं ? जहां तक समय का सवाल है, जिन लोगों का नाम है, मैं तो सभी को बुलवाने की कोशिश कर रहा हूं । जितने माननीय सदस्य अब तक बोले हैं, उनका सबका नाम मेरे पास है ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री भोपाल सिंह–

मेरा नाम आपके पास दिया जा चुका है, लेकिन मुझे अभी तक बोलने का अवसर नहीं दिया गया है ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

जिन लोगों का नाम है, मेरठ के संबंध में, बोलने के लिए जिन्होंने सूचना दी है, उन सबको मान्यवर, बुलवा दीजिए । अगर समय नहीं रहता है, तो बजट के बाद बुलवा दीजिएगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कौशिक जी, व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं । उनको इजाजत दे दी है । पहले उनको सुन लें ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि नियम 56 में जिन लोगों ने अपने नाम दिये हैं, उनको इसमें जोड़ लिया जायेगा । इसका मतलब साफ था कि नियम 56 की सूचना को भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया है। मान्यवर, नियम 56 में अगर यह कहते हैं कि नियम 56 में इन्होंने अपने नाम दिये हैं तो ठीक है इनको बुलवाइये लेकिन मान्यवर, यह आप बजट जैसी व्यवस्था क्यों कर रहे हैं कि एक सदस्य कर रहे हैं कि एक सदस्य को इधर से और एक उधर से बुलवा रहे हैं । आपको एपोजीशन के लोगों को बुलवाना चाहिए ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, यह चर्चा 52 में चल रही है और नियम 56 के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है और यही माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था भी दी थी ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

इस तरह तो व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में ही समय निकल जायेगा ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, यह घोषणा की गई थी कि 20 से 23 तक कट गया है । मान्यवर, सत्ता पार्टी के जो लोग बोले वह मुसलमान भाई ही बोले ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह मेरा काम है कि कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप व्यवस्था का प्रश्न सुन तो लें । व्यवस्था का प्रश्न आपको सुनना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है ? मैं कहता हूं कि सब लोग बोलेंगे तो पता क्या लगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

एक आदमी बोलिये ।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

आप बोलेंगे, आपको बुला रहा हूं । यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

(शोर)

कितने आदमी खड़े हैं । रघुवर दयाल वर्मा जी ने कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा था ।

(शोर)

सत्ता पार्टी को भी बोलने का अधिकार है ।

(व्यवधान)

कोई बोल नहीं पा रहा है । वर्मा जी ने व्यवधान का प्रश्न उठाया था । इतने आदमी खड़े रहेंगे तो कैसे बोलेंगे ।

एक सदस्य—

मेरठ नगर मेरी कर्मभूमि है । मैं वहां से विधायक हूं । मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए । एक घंटे से प्रयासरत हूं, मौका नहीं मिला ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री जी आप समय की बात कह दीजिए ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसमें प्रथम वरीयता उन लोगों को दे दें जो मेरठ के हैं और जिन्होंने 56 में हस्ताक्षर किये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो इसमें 15-20 मिनट का समय रह गया है।

एक सदस्य—

कल का समय दे दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले बजट ले लीजिए, तब तय हो जायेगा ।

(व्यवधान)

अब 4.35 हो गये हैं और 4.50 पर आपका बजट पेश होना है । इसलिए यह तय कर लीजिए कि उसके बाद या पहले समय लिया जाय जो भी तय करना चाहें ।

(शोर)

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, यह मामला बहुत ही अहम् और गम्भीर है । इस पर इतने माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, जबकि आपका कहना है कि बजट पेश हो जाय, तब बोल लें । हमारा और अन्य माननीय सदस्यों का कहना है कि आज बजट पेश होने के बाद इस समय चल रही चर्चा को कल कन्टीन्यू रखा जाय ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक मेरठ पर चर्चा का सम्बन्ध है, जो चिंता माननीय सदस्यों को उस तरफ बैठे लोगों को है, वही इधर बैठे हुए सदस्यों को भी है । इसमें आज 4.50 बजे तक चर्चा कर ली जाय उसके बाद बजट पेश होने के बाद एजेंडे का जो थोड़ा सा काम है, वह कर लिया जाय, उसके बाद यह बहस कल करवा ली जाय, जैसी कि माननीय सदस्यों की इच्छा है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अजीजुर्रहमान—

हमारे लायक चीफ मिनिस्टर साहब ने माकूल जवाब दिया कि भाई मुझसे पहले किस-किस चीफ मिनिस्टर के जमाने में दंगे नहीं हुए और किस चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आवाज बहुत हो रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री अजीजुर्रहमान—

मैं निहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के जमाने में पीलीभीत, टांडा, मऊ, बाराबंकी.....

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा निवेदन है कि आसन ग्रहण करें ।

(श्री मनोहर लाल, श्री प्रभु दयाल, श्री मूलचन्द्र तथा श्री भोपाल सिंह यह आपत्ति करते हुये कि मेरठ की घटनाओं जैसे गम्भीर विषय पर शेर शायरी करना उचित नहीं है, सदन के फ्लोर पर आए)

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अपने आसन पर जायं ।

(श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ के प्रयास से फ्लोर पर खड़े सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये ।

मेरठ के दंगे पर चर्चा इस समय हो रही है । मैं समझता हूं कि सबको इस दंगे का हार्दिक दुख होगा । सबको होना भी चाहिये । लेकिन, महसूस ऐसा हो

रहा है कि इसको उस ढंग से लिया जा रहा है कि जैसे घटना बहुत गम्भीर नहीं है । मेरठ फूका है, जला है, वहां के लोग मरे हैं । इतनी भारी घटना है, उसको उतनी ही गम्भीरता से हमको लेना चाहिये ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, जो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य अजीजुर्रहमान साहब बोल रहे थे वह देखे किस शेरो शायरी के अंदाज में बोल रहे थे । यह आपत्तिजनक है । उसकी गम्भीरता को वह टाल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनका जवाब आप तर्क के आधार पर दें । उनकी कोई आपत्तिजनक बात होगी या कहेंगे, तो निकलवा देंगे । भाषण जारी रहेगा ।

आप सब लोग अब बैठ जायं, माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मेरठ दंगों के बारे में कल भी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा । चूंकि समय से बजट पेश होना है, उसको भी देखना है । मेरठ के विषय पर काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, मौका देना भी चाहिये । ताकि यह जो मेरठ का सवाल है और चाहे कोई भी दंगे हों, उन पर विचार आ जायें । मान्यवर, यह किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के, सब लोगों का सवाल है । हमें देखना है कि कैसे हम लोग मिलकर के इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं पर काबू पा सकें ताकि वह घटनायें दोबारा न होने पायें । अभी मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं । कल भी इस संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का जवाब दूंगा । मान्यवर, जो भी बहुत से माननीय सदस्यों ने, खासतौर से नेता विरोधी दल ने, नेता लोकदल ने और लोगों ने कुछ बातें कहीं और हर तरह से इस बात की कोशिश की गयी कि सारी जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी जाय । मान्यवर, दंगे पहले भी हुए हैं । जब जनता पार्टी की सरकार थी, अलीगढ़ में दंगे 8-9 महीने हुये ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, यह किस तरह से उत्तर दे रहे हैं, आप देखें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, यह अलीगढ़ की बात कह रहे हैं, आज ही सूचना मिल रही है कि अलीगढ़ में बहुत भयंकर दंगा हो गया है । यह दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने जैसी बात कह रहे हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मेरठ में दंगे 1982 में हुए थे, 3-4 महीने तक उसका असर रहा । इस बार दंगे हुए, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं जांच बिठायी हुई है, यहां सारी बातें कह देने से जांच पर असर पड़ेगा, जांच पर असर नहीं पड़ना चाहिये, मलियाना के संबंध में जुडिशियल इन्कवायरी बिठायी गयी । अब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि उनका विश्वास जुडिशियल इन्कवायरी पर नहीं रह गया ।

मा0 सत्यपाल सिंह और कई विरोधी दल के नेता मेरठ में मिले थे । उन्होंने जुडिशियल इन्कवायरी की बात उठायी थी ।

श्री सत्यपाल सिंह—

पूरी घटना के लिये कहा गया था, केवल मलियाना के लिये नहीं ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय मुख्य मंत्री जी तोड़ मरोड़ कर न कहें, मैंने यह कहा ही नहीं ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह कहा गया कि जुडीशियल इन्कवायरी करा दी जाय। वहां सभी विरोधी दल के नेता मौजूद थे। हमने कहा कि जुडीशियल इन्कवायरी कराने के लिए हम तैयार हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। समाज में जो भी इस तरह के जघन्य काम करता है, या ऐसा वातावरण पैदा करता है, उसके खिलाफ जितनी भी कार्यवाही हो सकती है, यह सरकार उसे करने के लिए तैयार है और करेगी भी। जो लोग साम्प्रदायिकता का माहौल पैदा करते हैं या ऐसी स्पीचें देते हैं, जिससे साम्प्रदायिकता का गन्दा वातावरण तैयार हो सके, ऐसे कई लोगों की स्पीचें मेरे पास हैं कि कहां-कहां उन्होंने क्या-क्या बात की है। क्या कोई सरकार दंगा भड़काने का काम करेगी? जो लोग उधर बैठे हैं, वही दंगा भड़काते हैं, सरकार दंगा कभी नहीं करवाती है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलने दें और अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह कहा गया कि लोगों का दिमाग डाईवर्ट कराने के लिए यह दंगा सरकार ने भड़काया। यह एक निराधार आरोप है। जो लोग दंगा भड़काते हैं, वे समाज के सबसे खतरनाक आदमी हैं। ऐसे आरोप लगाने से हम और आप अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो जाते हैं। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि दुबारा से ऐसी घटनायें न हो पायें। केवल आरोप लगाकर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हम लोगों ने जांच बैठाई है। मलियाना के बारे में जुडीशियल जांच व 3 आदमियों की हाईपावर कमेटी जांच हेतु बनाई है ताकि जांच रिपोर्ट जल्दी आ सके और जो भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी व दूसरे व्यक्ति इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जा सके। हमें आशा है कि यह रिपोर्ट जल्दी आ जायेगी। हम देखेंगे कि कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं। और भी कई बातें हैं, जिनकी हम जांच कर रहे हैं। ताकि ऐसे तत्व जो जानबूझकर ऐसे कामों में लगे हुए हैं, उन्हें मौका न मिल पाये । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल व विपक्ष के अन्य नेताओं ने जो सरकार पर आरोप लगाये हैं, वे निराधार हैं। जो भी आरोप लगाये गये हैं, वे सब आलोचना की दृष्टि से व सरकार को बदनाम करने के लिए लगाये गये हैं । सरकार की साफ मंशा है कि इस प्रकार के दंगों को रोका जाय।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या—31 पुकारे जाने पर)

वित्तीय वर्ष 1981-82 के अतिरिक्त अनुदान

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1981-82 के अतिरिक्त अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

सदन में तत्सम्बन्धित साहित्य वितरित कर दिया जाय।

(सदन में साहित्य वितरित किया गया)

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि अब से कुछ समय के बाद ठीक 5 बजे वित्तीय वर्ष 1987-88 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायगा। मा0 सदस्यों को वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य विवरित किये जाने के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था इस प्रकार है कि–

(क) "हां" सभा-कक्ष में समस्त महिला सदस्यगण तथा उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जिलों के समस्त सदस्यगण, और

(ख) "नहीं" सभा-कक्ष में नाम निर्देशित सदस्य तथा शेष अन्य जिलों के समस्त सदस्यगण,

अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश महिला संस्था एवं बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रशासकीय बोर्ड में निर्वाचन सम्पन्न किये जाने हेतु कार्यक्रम के निर्धारण की सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

दूसरी सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश महिला संस्था एवं बाल संस्था अधिनियम 1956 के अन्तर्गत गठित प्रशासकीय बोर्ड में उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य होगी, का निर्वाचन सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम पुनः निर्धारित किया गया है :–

(क) नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय	29 जून, 1987 को	अपराह्न 4 बजे तक।
(ख) नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय	30 जून, 1987 को	अपराह्न 3 बजे तक (सचिव, विधान सभा के कक्ष में)

(ग) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय	8 जुलाई, 1987 को अपराह्न 4 बजे तक ।
(घ) निर्वाचन हेतु यदि आवश्यक हुआ तो मतदान	21 जुलाई, 1987 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन में होगा ।

2–उपर्युक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा।

3–उक्त निर्वाचन सम्बन्धी नाम निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

श्री राज बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह विभाग ने अपने पत्र संख्या 2961 टी/आठ-11-638 एम/87, दिनांक 22 जून, 1987 के माध्यम से सूचित किया है कि श्री राज बहादुर सिंह, सदस्य, विधान सभा, को दिनांक 30-4-87 को जौनपुर में हुई एक घटना के सम्बन्ध में अपराध संख्या 135/87 में धारा 147/353/332/307 भारतीय दण्ड विधान तथा 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत थाना लाइन बाजार (जौनपुर) में गिरफ्तार किया गया है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 व 18 जून, 1987 की बैठकों में सदन के दिनांक 18 जून, से 23 जून, 1987 तक के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 18 जून, 1987 की कार्यसूची में सम्मिलित असरकारी संकल्पों के सम्बन्ध में नियम 98 को निलम्बित करते हुए उक्त संकल्पों को दिनांक 22 जून, 1987 के लिए निर्धारित कर दिया जाय।

2–दिनांक 22 और 23 जून का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखा जाय :–

22-6-87
सोमवार

1–मई, 1987 में मेरठ में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में श्री शेर बहादुर सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं सर्वश्री खुरशेद अहमद तथा राजेन्द्र शर्मा द्वारा समर्थित सूचना पर ढाई घण्टे की चर्चा ।

2–असरकारी संकल्प (अपराह्न 4.50 तक) ।

3–4.50 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 1981-82 के अतिरिक्त अनुदानों का प्रस्तुतीकरण।

(पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार)

4–5.00 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण।

(पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार)

23-6-87

1–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण–

(क) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1987,

(ख) उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1987,

(ग) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987,

2–वित्तीय वर्ष 1981-82 के अतिरिक्त अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति, जिसकी सूचना माननीय उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सूचना जो कि उपाध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें से श्री देव कुमार यादव की सूचना जो कि बांदा जनपद में व्याप्त पेयजल के संकट से संबंधित है, को स्वीकार किया गया है और शेष सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है।

वितीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बजट पेश करने जा रहे हैं लेकिन आज ही सुबह के समाचार-पत्रों में जैसे कि "स्वतंत्र भारत", "दैनिक जागरण" आदि में समाचार प्रकाशित हुआ है कि यह घाटे का बजट पेश किया जायेगा। जिसमें मा0 मुख्य मंत्री की मुस्कराती हुई फोटो भी छापी है। एक तो चार-पांच महीने के बाद यह बजट पेश हो रहा है, दूसरे घाटे का बजट है और ये मुस्करा रहे हैं और जब यह पता चल गया कि यह घाटे का बजट है, सारे समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हो गया तो इसकी गोपनीयता भंग हो गई। यह भी कहा गया है कि इस बजट से गरीबों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस तरह से वित्तीय अनियमितता की गई है और गोपनीयता भंग हुई है (व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस परम सम्मानित सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 1987-88 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

बजट भाषण की प्रतियां बांट दी जांय।

(बजट भाषण की प्रतियां वितरित की गईं)

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के युवा, कुशल, गतिशील एवं उत्प्रेरक नेतृत्व में देश की जनता को इक्कीसवीं सदी के स्वर्णिम प्रभात को देखने की प्रेरणा मिली है। इसी से प्रोत्साहित होकर प्रदेश सरकार गरीबी दूर करने, प्रदेश वासियों के जीवन-स्तर को सुधारने तथा प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक उन्नयन के लिये कृत संकल्प है।

नवीनतम अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रदेश की कुल आय वर्ष 1984-85 में 21,307 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1985-86 में प्रदेश की कुल आय 24,260 करोड़ रुपये अनुमानित है। प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1984-85 में 1,782 रुपये थी तथा 1985-86 में 1,988 रुपये रही। वर्ष 1970-71 के स्थाई भावों पर वर्ष 1984-85 में कुल राज्य आय 6,939 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1985-86 में त्वरित अनुमानों के अनुसार 3.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ राज्य की कुल आय 7,155 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई। वर्ष 1970-71 के स्थाई भावों पर वर्ष 1984-85 में प्रति व्यक्ति राज्य आय 580 रुपये थी जो वर्ष 1985-86 में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 587 रुपये हो गई।

वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में खाद्यान्न उत्पादन क्रमषः 299.18 लाख मीट्रिक टन तथा 313.95 लाख मीट्रिक टन रहा। स्पष्टतः वर्ष 1985-86 में उत्पादित खाद्यान्न वर्ष 1984-85 की अपेक्षा 4.9 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 1984-85 में गेंहू का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 18.69 कुन्तल रहा। वर्ष 1985-86 में यह 6.6 प्रतिशत वृद्धि के साथ 19.92 कुन्तल हो गया। चावल का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 1984-85 में 13.00 कुन्तल था जो वर्ष 1985-86 में बढ़कर 14.88 हो गया। इस प्रकार चावल के औसत उत्पादन में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई।

वर्ष 1984-85 में दालों का कुल उत्पादन 27.05 लाख मीट्रिक टन था। वर्ष 1985-86 में दालों का कुल उत्पादन 5.3 प्रतिशत वृद्धि के साथ 28.48 लाख मीट्रिक टन हो गया।

वर्ष 1984-85 में प्रदेश में गन्ना उत्पादन 708.88 लाख मीट्रिक टन था जो वर्ष 1985-86 में 3.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ 730.58 लाख मीट्रिक टन हो गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ष 1984-85 में प्रदेश में 9.46 लाख मीट्रिक टन सीमेन्ट का उत्पादन हुआ जो वर्ष 1985-86 में 20.5 प्रतिशत की उत्साहजनक वृद्धि के साथ 11.40 लाख मीट्रिक टन के स्तर पर पहुंच गया। पेराई सत्र 1984-85 में चीनी उत्पादन 14.78 लाख मीट्रिक टन था जो 11.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 1985-86 में 16.48 लाख मीट्रिक टन हो गया।

प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (1970-71 = 100) जो कि वर्ष 1984-85 में 273.7 था, 8.7 प्रतिशत वृद्धि के साथ 1985-86 में 297.4 हो गया।

माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि केन्द्रीय योजना आयोग के परामर्श से वर्ष 1987-88 की वार्षिक योजना का आकार 2,629.65 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो वर्ष 1986-87 की वार्षिक योजना के 2,150 करोड़ रुपये के आकार से लगभग 22.3 प्रतिशत अधिक है तथा अन्य सभी राज्यों की योजनाओं में सर्वाधिक है। गत वर्षों की भांति वर्ष 1987-88 में भी पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष महत्व दिया गया है और इस हेतु हिमांचल प्रदेश के समतुल्य 235 करोड़ रुपये के परिव्यय का आवंटन किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से कार्यान्वित परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष 1986-87 के लिये उक्त परियोजनाओं हेतु प्राप्त होने वाली सहायता 80 करोड़ रुपये के विपरीत वर्ष 1987-88 में 216.75 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्रस्तावित है।

नवीन 20 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के चौमुखी विकास का ऐसा मूल मन्त्र फूंका है जिससे गरीबी का अभिशाप दूर होगा, उत्पादन बढ़ेगा, विषमतायें दूर होंगी, राष्ट्रीय जीवन में गुणात्मक सुधार और उन्नति एवं प्रगति से देश का कोना-कोना आलोकित होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार का योगदान पूरी प्रतिबद्धता के साथ रहा।

माननीय सदस्यों को यह भी जानकर हर्ष होगा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में विशेष गति आई और उत्तर प्रदेश ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में सम्पूर्ण देश में प्रथम स्थान लेने का गौरव प्राप्त किया।

वर्ष 1986-87 में भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन हेतु चुने गये सभी प्रमुख मदों में उत्तर प्रदेश शत-प्रतिशत या इससे अधिक उपलब्धि प्राप्त करने में सफल रहा है जो हमारी विकास की महायात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों में 100.8 प्रतिशत, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 115.2 प्रतिशत एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम में 114.6 प्रतिशत मानव दिवस रोजगार सृजन, बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वासन में 118.7 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता में 138.1 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में दुर्बल वर्ग हेतु आवास निर्माण में 100.6 प्रतिशत उपलब्धि वार्षिक लक्ष्य के समक्ष हुई।

नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण की सभी प्रभावी व्यवस्थायें सुनिश्चित कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 के लिये जो भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनके अनुसार एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 7-66 लाख परिवार लाभान्वित होंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत क्रमशः 480.00 लाख एवं 443.48 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किये जायेंगे तथा 20,000 लघु उद्योग इकाइयां स्थापित होंगी। जल निगम द्वारा 9,700 ग्रामों में पेय जल सम्पूर्ति की जायेगी, ग्रामीण क्षेत्र के 50,000 परिवारों को आवास स्थल आवंटित किये जायेंगे। ग्राम्य विकास विभाग की सामान्य योजना के अन्तर्गत 16,210 आवास एवं इन्दिरा आवास निर्माण योजना के अन्तर्गत 20,000 आवास निर्मित करवा-कर कुल 36,210 परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। नगरीय क्षेत्र में 17,500 दुर्बल वर्ग तथा 7,500 निम्न आय वर्ग आवास निर्मित होंगे तथा 1.70 लाख जनसंख्या मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों से लाभान्वित होगी। अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान हेतु गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 3.56 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना द्वारा लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 1985-86 में प्रदेश ने 313.95 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया था। वर्ष 1986-87 में सूखा एवं बाढ़ की स्थिति होते हुए भी यह बढ़कर 316.67 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है।

वर्ष 1987-88 में कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 345.20 लाख मीट्रिक टन प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत 116.70 लाख मीट्रिक टन खरीफ में एवं 228.50 लाख मीट्रिक टन रबी में उत्पादित किया जाना है। इसके अतिरिक्त 15 लाख मीट्रिक टन तिलहन तथा 31.50 लाख मीट्रिक टन दलहन के उत्पादन का भी लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 1987-88 में निम्न विशेष कार्यक्रम सम्पादित किये जायेंगे :—

1—राष्ट्रीय तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार, गेहूं के कम उत्पादन वाले क्षेत्रों को राई/सरसों की फसलों के अन्तर्गत लाने का प्रयास है।

2—राष्ट्रीय दलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से कृषकों को गुणात्मक बीज की सुविधा, मिनीकीट का वितरण और पौध सुरक्षा कार्यक्रम सम्मिलित है।

3—अधिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु 26.00 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक वितरण की नई प्रस्ता-वित व्यवस्था के अनुसार 3—4 ग्राम सभाओं के बीच एक उर्वरक वितरण केन्द्र स्थापित किया जायेगा और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक वितरण हेतु विक्रेता ग्रामीण क्षेत्र में ही नियुक्त किये जायेंगे।

4—प्रदेश में ऊसर सुधार के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में 23,000 हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य प्रस्तावित है।

वर्ष 1987-88 में सघन कार्यक्रम चलाकर एवं उत्पादकता में वृद्धि कर फल, शाकभाजी एवं आलू का उत्पादन क्रमशः 54.05, 104.15 एवं 63.40 लाख टन करने का कार्यक्रम है।

प्रदेश के आर्थिक विकास तथा निर्बल वर्गों के उत्थान में सहकारिता आन्दोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय प्रदेश में कुल 8,601 प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियां है जिनके लगभग 1 करोड़ 17 लाख सदस्य है जिसमें से लगभग 23 लाख 60 हजार सदस्य अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के है तथा 75 लाख 18 हजार सदस्य निर्बल वर्ग के है। वर्ष 1986-87 में इन सदस्यों को अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण के रूप में क्रमशः 256.90 करोड़ रुपये तथा 30.44 करोड़ रुपये वितरित किये गये है। इसी अवधि में लगभग 84.66 करोड़ रुपये दीर्घ-कालीन ऋण के रूप में वितरित किये गये थे। वर्ष 1987-88 के लिये हमने अल्प-कालीन ऋण के रूप में 300 करोड़ रुपये, मध्यकालीन ऋण के रूप में 35 करोड़ रुपये तथा दीर्घकालीन ऋण के रूप में 80 करोड़ रुपये बांटने का लक्ष्य रखा है।

वर्ष 1987-88 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी दुकानों में लगभग 600 करोड़ रुपये की उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में अनुसूचित जाति के 3,50,000 परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1986-87 में 3,50,000 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विपरीत 3,80,000 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत इस समय वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवाओं को अनुदान तथा विकलांगों को सहायता प्रदान की जा रही है। इसके बाद भी प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग रह जाते है जो बिल्कुल निराश्रित है और जिनके पास जीवन-यापन का कोई साधन नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से इस वर्ष शासन द्वारा एक नयी योजना चलायी जा रही है। ऐसे सभी निराश्रित व्यक्तियों का प्रदेश में शीघ्र सर्वेक्षण किया जायेगा और जिनको किसी स्रोत से कोई सहायता उपलब्ध नहीं है उनको इस योजना के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु वर्तमान आय-व्ययक में 5.00 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

बहुउद्देशीय वृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 64,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का अनुमान है तथा वर्ष 1987-88 में 1,16,000 हेक्टेयर क्षमता का सृजन प्रस्तावित है।

मिर्जापुर जनपद की बेलन, बकहर, व्यावर्तन, बहराइच जनपद की सरयू पम्प नहर परियोजना एवं पर्वतीय क्षेत्र में कोसी सिंचाई परियोजना को वर्ष 1986-87 में पूर्ण किया गया। मिर्जापुर जनपद की बकहर मड़िहान फीडर, धोबा पम्प नहर, ढेकवा बांध परियोजना एवं जनपद पीलीभीत में माधो टांडा परियोजना पूर्ण होने के

निकट हैं जिनको इस वर्ष पूर्ण कर देने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1987-88 में सुहेली सिंचाई परियोजना, ओखला बैराज, औगासी पम्प नहर, बेबर फीडर तथा फर्रुखाबाद शाखा का आधुनिकीकरण परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है। राजकीय लघु सिंचाई के अन्तर्गत मिर्जापुर जनपद में 34 बन्धी परियोजनाओं का कार्य प्रगति में है। वर्ष 1987-88 में 465 नलकूपों का छिद्रण एवं 970 नलकूपों का ऊर्जीकरण प्रस्तावित है। वर्ष 1987-88 में भारत-नीदरलैण्ड द्वि-पक्षीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 750 नलकूप निर्माण करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1987-88 में 29.80 करोड़ रुपये से 25 किलोमीटर लम्बे सीमान्ध बांध एवं 40 किलोमीटर जलोत्सारण कार्यों का निर्माण करके 32,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित करने का प्रस्ताव है।

तापीय और जल विद्युत गृहों से वर्ष 1985-86 में क्रमशः 774.2 करोड़ यूनिट और 458.5 करोड़ यूनिट की तुलना में वर्ष 1986-87 में तापीय और जल विद्युत गृहों से क्रमशः 951.7 करोड़ यूनिट और 521.3 करोड़ यूनिट का उत्पादन हुआ। वर्ष 1986-87 में तापीय विद्युत गृहों का प्लाण्ट लोड फैक्टर 41.2 प्रतिशत रहा जबकि वर्ष 1985-86 में यह 34.4 प्रतिशत था। इसके साथ ही कोयले, तेल आदि की खपत में भी मितव्ययता की जा सकी है।

आयातित विद्युत् को सम्मिलित करते हुए वर्ष 1986-87 में विद्युत् उपलब्धता औसतन 50.2 मिलियन यूनिट प्रतिदिन रही जबकि पिछले वर्ष यह 44.2 मिलियन यूनिट प्रतिदिन थी।

वर्ष 1987-88 में 530 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चालू किये जाने की आशा है। इसमें आनपारा "अ" परियोजना की 210 मेगावाट की तृतीय इकाई, टांडा परियोजना की 110 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई एवं ऊंचाहार परियोजना की 210 मेगावाट की प्रथम इकाई सम्मिलित है। विद्युत् ग्रिड प्रणाली के सुचारु रूप से संचालन एक पीक विद्युत् मांग को पूरा करने के उद्देश्य से जल विद्युत् परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई है। केन्द्र सरकार के सहयोग से टिहरी परियोजना को रूसी सहायता के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इस सम्पूर्ण परियोजना में कोटेश्वर जल विद्युत् परियोजना को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार टिहरी एवं कोटेश्वर परियोजनाओं से कुल 2400 मेगावाट क्षमता की वृद्धि होगी।

अच्छी विद्युत् व्यवस्था के लिए पारेषण एवं वितरण तन्त्र का विशेष महत्व है। प्रदेश में 800 के0 वी0 पारेषण लाइन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जो देश में अपनी तरह का पहला प्रयास होगा।

वर्ष 1987-88 में 17,916 मिलियन यूनिट विद्युत् उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें से 13,000 मिलियन यूनिट तापीय विद्युत् गृहों से तथा 4,916 मिलियन यूनिट जल विद्युत् गृहों से प्राप्त होगी। प्रदेश में कार्यरत तापीय विद्युत् गृहों से 50 प्रतिशत औसत प्लाण्ट लोड फैक्टर प्राप्त किये जाने का लक्ष्य है।

नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत किये गये ग्रामों की संख्या देश के किसी भी अन्य प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या से अधिक है तथा प्रदेश के वृहद् आकार के परिप्रेक्ष्य में मार्च, 1987 के अन्त तक प्रदेश के कुल ग्रामों में से 63.8 प्रतिशत ग्रामों में ही विद्युत उपलब्ध हो पाई है। वर्ष 1987-88 में 4,080 ग्रामों और 3,914 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जायेगा और 20,500 निजी नलकूपों एवं पम्पिंग सेटों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य है। यह उल्लेखनीय है कि विद्युत उत्पादन एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के वर्ष 1986-87 के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत प्राप्त किया गया है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, प्रदेश में हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइप लाइन से प्राप्त गैस पर आधारित चार बड़े उर्वरक कारखाने लगाये जा रहे हैं। इस पाइप लाइन हेतु 9 जनपदों में युद्ध स्तर पर प्रयास करके भूमि अधिग्रहीत कर उपलब्ध करा दी गई है। सिन्थेटिक धागे एवं केबिल्स के उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्रमशः बाराबंकी तथा रायबरेली में दो बड़ी परियोजनायें स्थापित की जा रही हैं। रायबरेली में वेस्पा कार कम्पनी का स्कूटर प्रोजेक्ट, नैनीताल में पालियस्टर फिल्म्स तथा चिप्स की परियोजना तथा हमीरपुर में हिन्दुस्तान लीवर की डिटरजेन्ट परियोजना लगाई जायेगी। केन्द्रीय क्षेत्र में मेसर्स हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड द्वारा नैनी, इलाहाबाद में आप्टिकल फाइबर परियोजना प्रस्तावित है। इसी प्रकार केन्द्रीय क्षेत्र में ही आप्टो-इलेक्ट्रानिक गुड्स परियोजना भीमताल हेतु प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स निगम द्वारा स्थापित देश में प्रथम कलर पिक्चर ट्यूब परियोजना में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

वर्ष 1986-87 में प्रदेश सरकार को खनिजों से 10.4 करोड़ रुपये की रिकार्ड आय हुई है जबकि वर्ष 1985-86 में यह 8.3 करोड़ रुपये थे। खनन के फलस्वरूप भूमि के पुनर्जीवीकरण के लिये खनन क्षेत्रों पर सेस लगाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में 35 हजार से अधिक लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं और वर्ष 1987-88 में 20 हजार इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उद्यमियों के प्रशिक्षण के लिये प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ के एक-एक केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रत्येक मण्डल में एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश निर्यात निगम द्वारा कालीन बुनाई में, उत्तर प्रदेश ब्रासवेयर निगम द्वारा पीतल उद्योग में तथा उत्तर प्रदेश चर्म विकास एवं विपणन निगम द्वारा चर्म उद्योग में प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित करने का लक्ष्य है। वर्ष 1987-88 में 200 मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना का कार्यक्रम चलाया जायेगा।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में वर्ष 1987-88 में मैदानी क्षेत्र में प्रत्येक विकास खण्ड में 300 लोगों को तथा पर्वतीय क्षेत्र में 150 लोगों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 1986-87 में स्थापित 31,082 आर्टिजन इकाइयों तथा 18,893 लघुस्तरीय इकाइयों के द्वारा 1,35,723 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए। शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिये स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 31,300 व्यक्तियों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रयास है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से वर्ष 1987-88 में 135 लाख रुपये की लागत से सहारनपुर में एक वुड-कर्विंग काम्पलेक्स विकसित किये जाने का कार्यक्रम है।

उत्तर प्रदेश में सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने हेतु एक पृथक निदेशालय के गठन का निर्णय लिया गया है।

बुनकरों के कार्यस्तर में सुधार लाने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कार्यशाला युक्त आवास निर्माण योजना कार्यान्वित की जा रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 2,400 कार्यशाला युक्त आवास बनाने, 5,600 कार्यशालायें वर्तमान आवासों के साथ जोड़ने का लक्ष्य है।

प्रदेश में 25 लाख से भी अधिक गन्ना उत्पादक है। मिल मजदूरों तथा खाण्डसारी एवं गुड़ के कारोबार में लगे लोगों के परिवार भी गन्ने की खेती पर निर्भर हैं। अल्कोहल और अल्कोहल जन्य कई उद्योग भी गन्ने की फसल पर आधारित हैं। इसलिये प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था में गन्ने की खेती और चीनी उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है।

पेराई सत्र 1986-87 उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाला वर्ष है। इस सत्र में गन्ने का उत्पादन 846.42 लाख टन हुआ है जो पूर्व सत्र 1985-86 के गन्ना उत्पादन के 706.35 लाख टन से 140.07 लाख टन अधिक है।

पेराई सत्र 1986-87 में गन्ने का क्षेत्रफल भी पूर्व वर्ष के 14.35 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 16.59 लाख हेक्टेयर हो गया है। चालू सत्र में गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार भी बढ़कर 51.00 मीट्रिक टन हो गई जो पूर्व वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है।

वर्तमान पेराई सत्र 1986-87 में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को ऊंची दर पर गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र तथा मध्य क्षेत्र में गन्ने का मूल्य 25 रुपये प्रति कुन्तल तथा पूर्वी क्षेत्र में 24 रुपये प्रति कुन्तल दिलाया गया है जब कि गन्ने का मूल्य पिछली पेराई सत्र 1985-86 में पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र में 24 रुपये प्रति कुन्तल तथा पूर्वी क्षेत्र में 23 रुपये प्रति कुन्तल था।

15 अप्रैल, 1987 तक की स्थिति के अनुसार चीनी मिलों द्वारा 519.12 करोड़ रुपये का गन्ना किसानों से खरीदा गया जिसमें 460.95 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है जो देय धनराशि का लगभग 89 प्रतिशत है।

पेराई सत्र 1986-87 में चीनी के उत्पादन में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 30 अप्रैल, 1987 तक स्थिति के अनुसार चीनी मिलों द्वारा 234 लाख टन गन्ने की पेराई करके 22.60 लाख टन चीनी का उत्पादन कर लिया गया है जो पूर्व सत्र के कुल चीनी उत्पादन 16.48 लाख टन से 6.12 लाख टन अधिक है। वर्तमान पेराई सत्र में 22 मई, 1987 तक 24.45 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हो चुका था।

वर्ष 1987-88 में सहकारी क्षेत्र में दो सहकारी आसवनियों में एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स की स्थापना तथा एक नई आसवनी की स्थापना एवं तीन कमजोर इकाइयों के पुनर्वासन के कार्यक्रम लिये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की दो इकाइयों के आधुनिकीकरण व क्षमता विस्तार तथा पांच इकाइयों के पुनर्वासन की योजनायें भी प्रस्तावित हैं।

प्रदेश में अप्रैल, 1986 तक पक्के मार्गों के अन्तर्गत खड़न्जा स्तर तक मार्गों की कुल लम्बाई लगभग 87,000 किलोमीटर थी, जो अप्रैल, 1987 तक लगभग 92,000 किलोमीटर हो गई है।

1986-87 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 4,664 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण खड़न्जा स्तर तक, 1,224 किलोमीटर मार्गों का निर्माण उसके ऊपर के स्तर तक, 2,548 किलोमीटर मिट्टी स्तर तक तथा 257 किलोमीटर पर्वतीय मार्गों का निर्माण, 1,332 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण व सुधार तथा 170 नये पुलों का निर्माण पूरा किये जाने की सम्भावना है। इस वर्ष महत्वपूर्ण कार्यों के अन्तर्गत बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों के सुधार तथा दस्युपीड़ित क्षेत्रों के लिये विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवश्यक ग्रामीण सम्पर्क सड़कों एवं सेतुओं का निर्माण स्वीकृत किया गया है।

1987-88 में 3,108 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण खड़न्जा स्तर तक, 538 किलोमीटर मार्गों का निर्माण उसके ऊपर के स्तर तक, 1,495 किलोमीटर मिट्टी स्तर तक, 285 किलोमीटर पर्वतीय मार्गों का निर्माण, 1,515 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण व सुधार, 139 नये पुलों का निर्माण, 209 कमजोर पुल व पुलियों का पुनर्निर्माण तथा तीन रेलवे उपरिगामी पुलों का निर्माण पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

जल परिवहन के अत्यधिक महत्व को देखते हुए प्रदेश की मुख्य नदियां गंगा, यमुना, घाघरा व गोमती में जल परिवहन की सम्भावनाओं का अध्ययन किये जाने की योजना है। इस कार्य के लिये अलग से अपर परिवहन आयुक्त, जल परिवहन की नियुक्ति की गई है।

परिवहन निगम की सेवाओं को अत्यधिक लाभप्रद, लोकप्रिय एवं चुस्त बनाने के लिये कानपुर, लखनऊ, बरेली और फैजाबाद रीजन का पुनर्गठन करके इन रीजनों को सुदृढ़ किया गया है।

शिक्षा को प्रदेश के नियोजित विकास में प्रमुख स्थान दिया गया है और इसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण तथा प्रौढ़ शिक्षा को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई है। साथ ही महिला शिक्षा के विस्तार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की शिक्षा एवं विज्ञान की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है।

संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त के अन्तर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध करानी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 1986-87 में 222 प्राइमरी तथा 72 सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये। वर्ष 1987-88 में 234 प्राइमरी तथा 81 सीनियर बेसिक स्कूल खोले जाने का लक्ष्य है।

शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की दृष्टि से प्रथम चरण में इण्टरमीडिएट स्तर पर वाणिज्य वर्ग की आठ धाराओं में प्रदेश की 100 संस्थाओं में पाठ्यक्रम लागू किया जा चुका है। वर्ष 1986-87 में गृह विज्ञान की चार धाराओं में 126 चुने हुए माध्यमिक विद्यालयों में गृह विज्ञान के व्यवसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। इस वर्ष कृषि व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम भी लागू करने की योजना है।

भारत सरकार की सहायता से कम्प्यूटर लिटरेसी का एक कार्यक्रम प्रदेश के कतिपय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चलाया जा रहा है। सम्प्रति प्रदेश के 30 विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जा चुके हैं। हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति गरीबी के विरुद्ध हमारे संघर्ष में हमारा शक्तिशाली हथियार है। नई शिक्षा नीति से आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को अपनी उन्नति का साधन उपलब्ध होगा। प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए कटिबद्ध एवं कृत संकल्प है।

प्रदेश में नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत 10 नवोदय विद्यालय वर्ष 1986-87 में स्थापित किये गये, 9 और नवोदय विद्यालय 1987-88 में खोले जायेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रदेश में इन्दिरा गांधी नेशनल ओपेन यूनीवर्सिटी की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना की गई।

प्रदेश में इनसेट परियोजनान्तर्गत शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की वृहत एवं महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शैक्षिक प्रसारण हेतु राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान द्वारा कार्यक्रमों की वीडियोटेपों का निर्माण कराया जा रहा है।

प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत साक्षरता के साथ-साथ व्यवहारिक दक्षता और चेतना जागृति के आयाम भी शामिल किये गये हैं। वर्ष 1987-88 में 10.73 लाख प्रौढ़ों को साक्षर किये जाने का लक्ष्य है।

प्रत्येक मण्डल में एक-एक महिला पालीटेक्निक स्थापित करने सम्बन्धी नीति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1986-87 में बरेली, वाराणसी, अल्मोड़ा तथा देहरादून जनपदों में एक-एक महिला पालीटेक्निक की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई।

वर्ष 1987-88 से डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा हेतु लखनऊ में एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् का भी गठन किया गया है।

प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा साधनों के विकास तथा प्रचार के लिये सौर ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत ऊर्जा, एकीकृत ऊर्जा काम्पलेक्स तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ऊर्जा ग्राम की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं द्वारा ग्रामीण अंचलों में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण हेतु धूम रहित चूल्हे लगाने का कार्यक्रम जारी है। राज्य के 3 नगरों में सीवेज पर

आधारित बायो गैस संयत्र लगाने हेतु टेक्नों इकनामिक फिजिबिलिटी स्टडी करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्य वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान द्वारा संचालित किया जा रहा है।

प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नसबन्दी कार्यक्रमों के लक्ष्यों के विपरीत वर्ष 1986-87 में 114.30 प्रतिशत की व सभी विधियों में मिलाकर 122 प्रतिशत की पूर्ति प्राप्त करके अभूतपूर्व सफलता मिली है।

1987-88 में भी सबको स्वास्थ्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में निरोधात्मक उपचारात्मक तथा सम्वर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार एवं सुधार की वर्तमान गति बनाये रखने का प्रयास है। इस सम्बन्ध में 1,000 नये उप केन्द्रों, 435 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 23 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 9 इन्टेन्सिव कारोनरी केयर यूनिट्स, 2 डायलिसिस यूनिट्स 4 दन्त रुजालयों की स्थापना, 25 अशासकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों तथा 10 अशासकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण, और 6 रतिरोग रुजालयों की स्थापना का लक्ष्य है।

पर्वतीय क्षेत्रों में 5 नये एलोपैथिक औषधालय (महिला), 2 होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना का लक्ष्य है।

1987-88 में आवासीय योजनाओं हेतु 1,210,00 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है जिसमें से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की आवास योजना तथा साइट्स एण्ड सर्विसेज योजना के निर्माण हेतु 378.00 लाख रुपये का प्राविधान है। 1986-87 में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत 2,08,523 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

1986-87 में 10 नये नगरों में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा महानगरों के अतिरिक्त 20 अन्य नगरों की पेय जल व्यवस्था में विस्तार एवं सुधार कार्य कराया गया। 1987-88 में 10 नये नगरों में पेय जल सुविधा तथा 20 अन्य नगरों की वर्तमान जल सम्पूर्ति व्यवस्था में सुधार/विस्तार किये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश शासन हरिजन एवं जनजाति वर्ग के लोगों के लिये शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पेय जल उपलब्ध कराने के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1987-88 में 3,350 समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 350 समस्याग्रस्त ग्रामों को हैण्डपम्पों से संतृप्त किया जाना प्रस्तावित है।

इस वर्ष अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस को निरन्तर अनेक चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद अपराधों के नियंत्रण में पुलिस बल काफी सफल रहा है। एक जनवरी से 31 मई को पिछले तुलनात्मक अवधि में भारतीय दण्ड विधान के अपराधों की संख्या में और विशेषकर जघन्य अपराधों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी रही है।

दुर्धर्ष अपराधियों, गिरोहबन्द एवं आतंकवादियों के कार्य-कलापों को अंकुश में रखना व्यवस्था के लिये निरन्तर आवश्यक है। इसके लिये पिछले वर्षों में विशेष अधिनियम बनाये गये हैं और उनके अन्तर्गत माफिया गिरोह या गम्भीर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई है और आने वाले दिनों में भी की जाती रहेगी।

पंजाब व दिल्ली के समीपवर्ती प्रदेश होने के कारण वहां उग्रवादियों की राष्ट्रविरोधी और विध्वंसक कार्यवाहियां हमारे लिये विशेष चिन्ता का विषय रही हैं। इस दिशा में निगरानी और जागरूकता बनाई रखी गई है और रखी जायेगी पिछले दिनों में हमने कतिपय संदिग्ध उग्रवादियों को गिरफ्तार करने एवं अवैध अस्त्र-शस्त्रों के बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

पुलिस बल को शान्ति व्यवस्था बनाये रखने और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये हम उनकी क्षमता में निरन्तर वृद्धि कर रहे हैं। प्रदेश में पुराने स्वीकृत रेक्रूट प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त चार और नये प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है जहां नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये पुलिस जनों को प्रशिक्षण, दृष्टिकोण और जानकारी प्रदान की जायेगी। वाहनों, वायरलेस यंत्रों कन्ट्रोल रूमों की स्थापना या आधुनिकीकरण के लिये कई कदम उठाये गये हैं और तत्सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये प्राविधान किया गया है।

साम्प्रदायिक एवं राष्ट्रविरोधी तत्वों ने समूचे देश की अखण्डता एवं शान्ति व्यवस्था के लिये गम्भीर चुनौती उत्पन्न की हुई है। साम्प्रदायिक दंगे इस प्रकार के राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा भड़काये जाते है, व्यापक संपत्ति की क्षति, बेगुनाहों की हत्या एवं सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न करने का ऐसे तत्व प्रयास करते हैं। हमारी सरकार इस प्रकार के साम्प्रदायिक एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों के कठोरता से दमन के लिये न केवल कृत संकल्प है वरन् कार्यवाही भी कर रही है। पी0ए0सी0 के प्रशिक्षण और कार्यप्रणाली को निरन्तर परिष्कृत करना हमारा अभीष्ट है ताकि वे प्रदेश के हर वर्ग का पूर्ण विश्वास अर्जित करते रहें। इसके लिये हमने एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है जो इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।

राज्य सरकार ने नारकोटिक्स, ड्रग्स तथा साइकोट्रापिक सबस्टेन्सेज एक्ट, 1985 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नारकोटिक्स ड्रग्स नियमावली, 1986 बनाकर 8 अक्टूबर, 1986 से लागू कर दी है जिससे चरस, अफीम, गांजा और पापी-स्ट्रा जैसे मादक द्रव्यों के अनौषधीय उपभोग पर पूर्ण निषेध कर दिया गया है।

राजस्व प्रशासन को जनोन्मुख बनाने तथा विकास कार्यक्रमों को गति देने के उद्देश्य से तीन नये जिलों के गठन का निर्णय लिया गया है। ये जिले हरिद्वार, सिद्धार्थ नगर (नौगढ़-बस्ती) तथा मऊ (आजमगढ़) होंगे।

शासकीय कार्य को गति प्रदान करने के लिये सभी विभागों की प्रचलित प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण करके उन्हें सरल एवं खुला बनाया जा रहा है। जनपदों में कलेक्ट्रेट की कार्य-प्रणाली में गतिशीलता लाने के लिये अहमदनगर पैटर्न पर सुधार किया जा रहा है। मण्डल स्तर पर कमिश्नरों को सभी विभागों के विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा सर्विस डेलिवरी सिस्टम के पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा गया है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे सम्बन्धित कार्यक्रमों की त्रैमासिक टास्क सेटिंग कर दें। विभागों को यह भी निदेश दिये गये हैं कि वे प्रभावी अनुश्रवण व्यवस्था के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों को वास्तव में उन कार्यक्रमों लाभ पहुंच रहा है। विकासशील प्रशासन के संदर्भ में जिला स्तरीय प्रशासन आयोग

की संस्तुतियां भी शासन के विचाराधीन हैं। जन शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था को भी प्रभावशाली बनाया गया है। प्रत्येक अधिकारी द्वारा जन-साधारण से मिलकर शिकायतें सुनने के लिये सप्ताह में एक दिन विनिर्दिष्ट किया गया है। परगना, जिला तथा मण्डल स्तर पर परिवाद समितियां भी गठित की गई हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये जो रणनीति बनाई गई है उसमें निरोधात्मक निगरानी तथा दण्डात्मक कार्यवाहियों को समुचित स्थान दिया गया है। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

प्रदेश की विकास योजनाओं के लिये संसाधन जुटाने तथा मुद्रा-स्फीति नियंत्रित करने में राष्ट्रीय बचत योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के पूर्ण कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से प्रदेश में राष्ट्रीय बचत की उपलब्धि के आधार पर 600 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करनी है। इस बढ़े हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिये राष्ट्रीय बचत के कार्यक्रम को और तीव्रगति से चलाया जा रहा है और इसके लिये इसके ढांचे में सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ योजना के मूल स्वरूप में भी परिवर्तन किया गया है। योजना के सफल कार्यान्वयन में स्वैच्छिक तथा गैर सरकारी कार्यकर्ताओं के सहयोग को भी सम्मिलित किया गया है और विशेष प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है।

विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 हेतु रुपये 1,650 करोड़ का संस्थागत वित्त जुटाये जाने के लक्ष्य के विपरीत माह मार्च, 1987 तक 1,897.30 करोड़ रुपये का संस्थागत वित्त स्वीकृत कराया गया।

प्रदेश में विभिन्न व्यवसायिक बैंकों की अब तक 7,301 शाखायें खोली जा चुकी हैं जिसमें से 6,016 शाखायें ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में हैं। यद्यपि प्रदेश की प्रति बैंक शाखा औसत आबादी लगभग 15,000 पर आ गई है परन्तु अभी भी 359 विकास खण्ड ऐसे हैं जिनमें प्रति बैंक शाखा औसत आबादी 17,000 से अधिक है। इन विकास खण्डों में और शाखायें हेतु खोलने हेतु केन्द्रों का चयन कर भारतीय रिजर्व बैंक को सूची भेजी जा चुकी है।

भारत की स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ तथा जनतंत्र के प्रणेता एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू की जन्म शताब्दी समारोहों से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों अवसरों को उचित ढंग से मनाने के लिये प्रदेश शासन भी कृत संकल्प है। साथ ही प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पन्त, जिनकी स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्र भारत के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी, की जन्मशती मनाने का भी निश्चय किया गया है।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगा कि शासन अपने कर्मचारियों के प्रति अपने दायित्व से विमुख नहीं है और समय-समय पर हमने कर्मचारियों को विभिन्न सुविधायें दी हैं, जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे और वह अपना कार्य निष्ठा से सम्पन्न कर सकें।

प्रदेश के विभिन्न वर्गों के शासकीय एवं अन्य कर्मचारियों की अभिलाषाओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनके वेतनमानों के पुनरीक्षण एवं भत्ता तथा सुविधाओं

में सुधार हेतु एक, ''वेतन समिति'' का गठन किया गया है यह वेतन समिति अपना कार्य तेजी के साथ कर रही है, किन्तु निर्धारित अवधि में संस्तुतियां नहीं दे पायेगी । अत: कर्मचारियों को तुरन्त वित्तीय राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 1-11-86 से स्वीकृत 15 प्रतिशत अन्तरिम सहायता के अतिरिक्त कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 10 प्रतिशत (न्यूनतम रुपये 60 प्रतिमाह तथा अधिकतम 225 रुपये प्रतिमाह) की अन्तरिम सहायता माह जून, 1987 के वेतन के साथ देने का निर्णय लिया गया है।

सहायता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारी जिन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें पेंशन बेचने का अधिकार भी देने का निर्णय लिया गया है ।

राज्य सरकार ने सेवा निवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। पेंशन की गणना 1 जनवरी, 1986 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत पर होगी । पेंशनरों तथा परिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन पर 1-7-86 तथा 1-1-87 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भांति महंगाई राहत भी अनुमन्य होगी । विभिन्न प्रकार की ग्रेच्युटी की दरें उदार होंगी तथा डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये हो जायेगी ।

राज्य सरकार के कार्य-कलापों के आकार एवं उनके विस्तार में अभिवृद्धि के कारण विगत तीन दशकों की अवधि के दौरान उनमें उत्पन्न जटिलता से उनके व्यवस्थापन हेतु सरकार की नई भूमिका के परिणामस्वरूप परियोजना एवं वित्तीय प्रबन्ध में आधुनिक कार्यप्रणाली एवं प्रविधियों का समावेश आवश्यक हो जाता है । राज्य सरकार उपरोक्त के सम्बन्ध में जागरूक है । संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के परिपेक्ष्य में सभी कार्यक्रमों एवं कार्य-व्लापों के विस्तृत समीक्षा जीरोबेस-बजटिंग प्रणाली के करने के आदेश जारी किये गये है । इस कार्य हेतु शासन स्तर पर विभागीय समितियां कार्यरत है और इस दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा शीर्षस्थ प्रशासनिक स्तर पर की जायेगी ।

प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हमने अपनी अर्थोपाय-स्थिति को सफलतापूर्वक व्यवस्थित किया है । व्यय में अधिक वित्तीय अनुशासन लाने के साथ-साथ राज्य के विकास को गति को तीव्रतर करने के लिये वित्तीय अनुश्रवण को अधिक सुप्रवाही बनाया जा रहा है ।

लेखा वर्गीकरण तथा विकास शीर्षकों के बीच सादृश्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1987 से लेखा शीर्षकों को पुनरीक्षित कर दिया गया है । तद्नुसार 1987-88 का आय-व्ययक भी पुनरीक्षित लेखा वर्गीकरण के अनुसार ही तैयार किया गया है । प्रस्तावित व्यवस्था से सरकारी लेखों के कम्प्यूटरीकरण में सुविधा होगी ।

अब मैं वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक अनुमानों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा । प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार राजस्व व पूंजी लेखों को मिलाकर कुल प्राप्तियों का अनुमान 7236.16 करोड़ रुपये है। राजस्व प्राप्तियों की 4602.49 करोड़ रुपये की राशि में 1517.25 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश, 902.53 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त अनुदान, 1656.59 करोड़ रुपये

राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 526.12 करोड़ रुपये का करेतर राजस्व सम्मिलित हैं । पूंजी लेखे की 2633.67 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों में 2538.70 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां तथा 94.97 करोड़ रुपये की राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित हैं ।

वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय 4924.51 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें सम्मिलित करते हुए 1152.35 करोड़ रुपये आयोजनागत मदों के लिये तथा 3772.16 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिये हैं । पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी और ऋणों और अग्रिमों के संवितरण सम्मिलित करते हुए पूंजी लेखों का कुल व्यय 2650.62 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । इसमें 1138.50 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत मदों तथा 1512.12 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिये हैं । इस प्रकार राजस्व और पूंजीगत लेखे में कुल 7575.13 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसके कारण संचित निधि के अन्तर्गत 338.97 करोड़ रुपये का घाटा सम्भावित है।

लोक लेखा के अन्तर्गत 267.14 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब लेकर आय-व्ययक वर्ष के समस्त लेन-देनों के परिणाम स्वरूप 71.83 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है ।

आयोजनेतर व्यय में अधिकाधिक मितव्ययता एवं सरकारी देयों की वसूली प्रभावी तौर से करने का सरकार प्रयास कर रही है । इन प्रयासों अनुमानित घाटे की पूर्ति होने की सम्भावना है ।

मंत्रि-परिषद् के समस्त सहयोगियों का मैं बहुत अनुग्रहीत हूं कि उनके सहयोग और परामर्श से तथा उनके विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट समय से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं । वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी मुझे बजट बनाने के काम में जो सहयोग दिया है उसके लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से करने में मेरी सहायता की । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा इस कार्य में सहयोग देने के लिये आभार प्रकट करता हूं ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 1987-88 का बजट प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश; 1987†

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1987†

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह) —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1987 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1987†

ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री) —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987†

शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सिब्ते रजी) —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1987†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी) —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1987 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1987†

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया) —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1987 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्त प्राधिकारी) अध्यादेश, 1987†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी) —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों (अधिकारियों से भिन्न) (नियुक्ति प्राधिकारी) अध्यादेश, 1987 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1987†

आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुन्शी) —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1987 को सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1987*

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1987 को सदन के पटल पर रखती हूं ।

मद संख्या–12

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से....

(व्यवधान)

नियमों को निलम्बित किये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

†श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सबेरे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव पास किया था नियमों के निलम्बन का और उसके बाद नियम 52 की चर्चा ले ली गयी । मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 120 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । आप नियमावली का नियम 120 देख लें जिसमें है कि जब कभी कोई अध्यादेश प्रख्यापित किया जाय तो उसके प्रख्यापन के बाद, यथास्थिति, अनुगामी सत्र अथवा उपवेशन के प्रारम्भ में अध्यादेश की प्रतिलिपि सहित ऐसा विवरण पटल पर रखा जायेगा जिसमें उन परिस्थितयों को स्पष्ट किया गया हो जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था । तो मा0 मंत्री जी इसको जिस समय उपवेशन शुरू हो रहा था उस समय पटल पर रख सकते थे, उस समय तो इन्होंने निलम्बन का प्रस्ताव कर दिया । इसलिये नियम के सम्बन्ध में मेरी आपत्ति है कि एक बार इन्होंने जिस अवसर को खो दिया, अब इनको आप नियमों के अधीन उसको उपस्थित करने का मौका न दें क्योंकि निलम्बन का प्रस्ताव इनकी ओर से था, हमारे अनुरोध पर नहीं था । हमारा कहना था कि नियम 52 में आप नहीं ला सकते जब तक कि नियमों का निलम्बन करके इन मदों को पोस्टपोन करने का प्रस्ताव न ले आएं।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उस प्रस्ताव को ला दिया । अब नियम 120 में जो व्यवस्था है, दो स्थिति में है, या तो सत्र के शुरू में या उपवेशन के शुरू में । ऐसा इसलिये किया गया कि हमारे यहां दो सदन हैं काउंसिल अगर सेशन में न हो और यहां पर हो गया तो काउंसिल में सत्र के शुरू में वह आर्डिनेंस रखेंगे । लेकिन अगर सत्र शुरू होने के पहले आर्डिनेंस इश्यू हो गया तो जिस दिन उपवेशन शुरू हुआ, शुरू में ही माननीय मंत्री जी को रखना चाहिए । जब सरकार ने अपने ही अनुरोध पर नियमों का निलम्बन करा दिया तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आज यह इसको नहीं रख सकते । कल आपसे अनुज्ञा मांगेंगे । फिर नियमों को निलम्बित करने की प्रार्थना आपसे करेंगे आपके आसन से उनको अनुमति मिलेगी तो यह कर देंगे । आज जब इन्होंने नियमों को निलम्बित कराया है, माननीय अध्यक्ष जी ने एक निर्णय दिया, नियम निलम्बित हो गये और कहा गया कि आज यह-यह आइटम लिये जायेंगे । कल इनको यह मदें करवानी होंगी तो अनुज्ञा लेकर करेंगे लेकिन आज इसे न करायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापा नहीं गया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, कार्य सूची की मद 28 ले ली । कार्य सूची मद संख्या 1 से शुरू होकर आगे चलेगी । नियमों के निलम्बन के प्रस्ताव के अनुसार सारी कार्य सूची की अन्य मदें स्थगित हो गयीं । माननीय तिवारी जी सही फरमा रहे हैं कि कल के लिये यह अनुरोध करें और कल के उपवेशन में रखवा लें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो तर्क दिया, वह तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं । मान्यवर, जिस सदन को यह अधिकार है कि नियम निलम्बित कर दिये जायं, उसी सदन के सामने यह पेश है । दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा और सम्मानित सदस्यों को भी याद होगा कि जिस समय मैंने नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव पेश किया था उस समय कहा था कि बजट पेश होने के बाद, मद संख्या 3 से लेकर मद संख्या 27 अभी निलम्बित कर दीजिये, ले ली जाय ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह नहीं कहा था कार्यवाही देख ली जाय ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब कल्याण सिंह जी ने बहस के सम्बन्ध में अनुरोध किया था, उस समय की भी कार्यवाही देख ली जाय । उस समय मैंने कहा था कि माननीय कल्याण सिंह जी का जो प्रस्ताव है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । आज बजट के बाद बाकी एजेन्डा ले लिया जाय और बहस को कल भी ले लिया जाय । मैंने स्पष्ट कहा था कि आज बजट के बाद शेष एजेन्डा ले लिया जाय। मान्यवर, इस सदन ने यह अनुमति दी और उसे निलम्बित कर दिया, वही सदन सक्षम है । उसी सदन के सामने आज यह अध्यादेश प्रस्तुत किये जा रहे हैं । मान्यवर, किसी प्रकार से यह नियमों के खिलाफ बात नहीं है, बल्कि उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, एक तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो निलम्बन का प्रस्ताव किया, मान्यवर, समय-समय पर यह व्यवस्था दी गयी है कि इस बात का प्रस्ताव होना चाहिये कि कौन से नियम को निलम्बित किया जाय । कार्यवाही निकाल कर देख लें कि आज संसदीय कार्य मंत्री ने किस नियम को निलम्बित करने का प्रस्ताव किया है, वह स्पष्ट नहीं था कि किस नियम को निलम्बित करके यह ले लिया जाय । एक बार जब ले लिया गया तो उस दिन आप कार्य सूची पर वापस न आयें । मान्यवर, ऐसा काम न करें जो हमारे लिये गलत परम्परा बने, इतना मेरा अनुरोध है । वह कल इसकी अनुज्ञा मांगे ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा नियम की आपत्ति की गयी, तब निर्णय हुआ कि नियम के निलम्बन के बाद ही आप मेरठ पर चर्चा करा सकते हैं । स्वयं माननीय तिवारी जी ने कहा कि निलम्बन का प्रस्ताव आना चाहिए । उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव किया कि नियमों को निलम्बित किया जाय । इस पर माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने आपत्ति की कि कौन सा नियम निलम्बित करने

का प्रस्ताव जाता है । क्या सारी नियमावली निलम्बित की जाय ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मद 3 से 27 तक निलम्बित किया जाय और वही प्रस्ताव सदन ने स्वीकार नहीं किया है । [x x x]

आप कार्यवाही को मंगाकर देख लें कि इन्होंने क्या कहा है । क्या प्रस्ताव सदन ने स्वीकार किया है ?

श्री उपाध्यक्ष–

जहां तक मुझे स्मरण है, केवल इतना कहा गया था कि मेरठ के दंगे की चर्चा पहले कर ली जाय और बात तो कुछ कही नहीं गई थी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, अभी भी वह प्रस्ताव चल रहा है । यदि कार्य सूची को वापस किया जाता तो फिर से आपको इसे कल के उपवेशन में शुरू में रखना चाहिए ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

यदि कार्य सूची ली जा रही है तो आपको फिर से नियम 300 से शुरू करना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम–300 व नियम–56 तो कल के लिए स्थगित कर दिया गया है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

अध्यक्ष जी ने 300 की सूचनाओं को कल के लिए स्थगित करने को कहा था और उसी समय उन्होंने यह भी कहा था कि नियम–56 के अन्तर्गत जो सूचना मेरठ से संबंधित हैं उन्हें नियम–52 के साथ शामिल किया जाता है और बाकी सूचनाओं को कल लिया जायेगा । यदि आप कार्य सूची चला रहे हैं तो नियम–56 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उन्हें भी आज ही लेना होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय, अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया था, जहां तक मैं समझता हूं कि नियम–300 व नियम–56 को कल तक के लिए स्थगित किया जाता है। वैसे पीठ को तो इतना अधिकार है ही कि किस मद को आगे लिया जाय और किसे पीछे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, ये मदें तो निलम्बित हो चुकी हैं, इसलिए इन्हें आज नहीं लिया जा सकता है । आप कार्यवाही मंगवाकर देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आगे-पीछे करने का अधिकार तो पीठ को है ही ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आप कार्यवाही मंगाकर देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

निलम्बन तो केवल इतनी बात का हुआ था कि मेरठ की चर्चा पहले ले ली जाय।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मैनेजर सिंह–

प्रस्ताव देखिये पहले क्या है।

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी का जो निर्णय हो गया है, वह अन्तिम है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

कार्यवाही देख लीजिये।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

जब अध्यक्ष पीठ से एक निर्णय हो गया तो उस पर कोई बहस नहीं हो सकती। यह जबर्दस्ती की बात है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो बाकी एजेण्डा बचा है, लिया जाय या नहीं?

(मा0 सदस्यों की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह प्रस्ताव कौन रखेगा?

श्री उपाध्यक्ष

सदन की राय लिये लेते हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

प्रस्ताव यह है कि जो नियम निलम्बित हो चुका है, वह वापस होगा या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष–

सभी इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, कहें या न कहें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

राय का इसमें प्रश्न ही नहीं, "प्रस्ताव" तो आये, आप तो केवल "प्रश्न" रखेंगे।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

सदन अपना निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

कार्यवाही देख लें।

श्री उपाध्यक्ष–

अब कार्यवाही इस समय मेरे पास है नहीं।

श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी की ओर से एक बार जो निर्णय हो गया, उसकी कोई अपील, रिवीजन या रिव्यू नहीं हो सकता, वह फाईनल है और इर्रिवोकेबिल है। यह सदन पूरी तरह सक्षम है निर्णय लेने के लिये। जब मद संख्या 1 से लेकर 12 तक ले चुके तो इसका प्रिजम्पशन हो गया कि हाउस ने इसकी इजाजत दे दी। अब हम बैंक में नहीं जा सकते, यदि कोई बात उठानी थी तो निर्णय लेने से पहले उठायी जानी चाहिये थी। निर्णय का खण्डन नहीं किया जा सकता है, इसलिये आगे चलें।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

माननीय सदस्य ने जो आरगूमेन्ट पेश किया है, यद्यपि मैं उनका आदर करता हूं लेकिन आगे बढ़ने से यदि वैलीडिटी बनती तो कोई बात नहीं थी, अब अल्ट्रा वायरस स्थिति घोषित नहीं की जा सकती, यदि कोई असंवैधानिक कार्य हो रहा है, कानूनी दिक्कत आ रही है तो उसमें किसी भी स्थिति पर विरोध प्रकट किया जा सकता है। जब कोई कानूनी, वैधानिक स्थिति आपके संज्ञान में लायी जायेगी, उस समय उसे विनिश्चय करने का आपका दायित्व हो जाता है। या तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री कहें कि उन्होंने प्रस्ताव किया था कि कार्य सूची की मद 3 से 27 तक स्थगित की जायेगी। और यदि प्रस्ताव नहीं किया है तो संसदीय कार्य मंत्री को इसके स्थगित करने के लिये प्रस्ताव लाना चाहिये । यह सही है कि सदन सक्षम है संशोधन करने के लिये यदि किसी बात में आप संशोधन करना जरूरी समझते हैं। पर आप नियम के अनुसार प्रस्ताव तो मूव करा दें। यहां जाने में या अनजाने में आप ऐसी परम्परायें न डालें कि कभी कोई शोध का छात्र यदि इस विषय पर शोध करे और हमारी प्रोसीडिंग्स को देखे तो वह क्या लिखेगा कि कैसे सदन की कार्यवाही चलती थी? यह सही है कि आपका आपार बहुमत है लेकिन संविधान सम्मत, कानून सम्मत आचरण से ही यहां कार्य का संचालन होना चाहिये। कम से कम सदन की जो परम्परायें हैं, उनका ख्याल हम रखें, यह हमारा दायित्व है । यदि पक्ष या विपक्ष दोनों ही इससे विमुख हो जायं तो जो आपका सर्वोपरि आसन है उसकी रक्षा का दायित्व आप पर है। यह गलत परम्परा हो रही है, आप इसकी रक्षा करें यह मेरा आपसे अनुरोध है। मैं संसदीय कार्य मंत्री से भी कहूंगा कि बहुमत हो या अल्पमत हो, लेकिन जो यहां की परम्परायें कायम हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिये ताकि कल को यदि कोई हमारी प्रोसीडिंग्स को देखे तो यह न कहे कि उस आसन से परम्परायें टूट रही हैं। आप नियम के अनुसार इसे शिथिल करने का प्रस्ताव लायें या न लायें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है और न इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल है। यदि आप इसके लिये प्रस्ताव लाते तो ठीक था, यदि बहुमत के बल पर आप इसे नजर अन्दाज कर डालें तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन की गरिमा का आप लोग बराबर ख्याल रखें । [x x x] बाद में अध्यक्ष जी ने भूल मानी और उसके बाद मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने गलती को स्वीकार किया और निलम्बन के लिये संसदीय कार्य मंत्री को प्रस्ताव लाना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नियमावली निलम्बित कर दी जाय । तो मैंने कहा कि पूरी नियमावली को निलम्बित करेंगे, क्या करेंगे ? कौन सा नियम शिथिल कर रहे हैं । अन्त में संसदीय कार्य मंत्री ने 3 से 27 तक की मदें स्थगित कर दी जायें, यह प्रस्ताव किया है और वह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है और वह लिपिबद्ध है। आप उस प्रस्ताव को मंगा कर देख लें। हम बराबर आपका

नोट :–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि प्रस्ताव को मंगा कर देख लें, जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया है। उसको आप देख लीजिये कि क्या लिखा है। 3 से 37 तक की मदें स्वीकृत की गयी हैं, तो फिर अब उनको कैसे लिया जायेगा, आप उसको देखिये। आप उस प्रस्ताव को नहीं देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या प्रस्ताव किया है और क्या नहीं किया है। [x x x] सरकार के नुमाइन्दे वहां पर बैठे हैं। मैं चला जाता हूं आप बैठिये।

(श्री मैनेजर सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आप उस पर कुछ तो निर्णय लें।

श्री उपाध्यक्ष–

निर्णय तो लिया जा चुका है। आधा पेश हो चुका है और आधा रह गया है।

(व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह–

एक आदमी तीन-तीन बार उसी पर बोलता है, आप उनको सुनते रहते हैं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तैंतालीसवां संशोधन) नियमावली, 1987†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से, परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0 866 टी/30-4-87-12-पी-82, दिनांक 10 मार्च, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 1987 को मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (अड़तीसवां संशोधन) नियमावली, 1984†

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग की अधिसूचना सं0 एस0 आर0 4275/दस-50 (55)-82-सी0ए0-2, 1899/सी0 ए0-7-1870-रूल-1942-ए0 एम0 (38)-84, दिनांक 31 अक्टूबर, 1984 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश स्टाम्प (अड़तीसवां संशोधन) नियमावली, 1984 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1987†

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की विज्ञप्ति सं0 एस0 टी0-2-2398/दस-9 (195)/85 उत्तर प्रदेश अधि0 15/48 नियम सं0 1-87 दिनांक 27 अप्रैल, 1987 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1987 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नगर महापालिका, गोरखपुर, चुंगी नियमावली, 1985†

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से नगर विकास अनुभाग–9 की अधिसूचना सं0 8636-बी/11-9-85 बी-जी-4 (5) 83 दिनांक 24 जनवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित नगर महापालिका, गोरखपुर, चुंगी, नियमावली, 1985 जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 5 सितम्बर, 1986 एवं 2 मार्च, 1987 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखती हूं।

नगर महापालिका, बरेली चुंगी नियमावली, 1985†

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या 3141-बी/11-9-86-5 (3) बी-85, दिनांक 30 अप्रैल, 1986 के साथ प्रकाशित नगर महापालिका, बरेली चुंगी नियमावली, 1985 जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 10 मार्च, 1987 को सदन के पटल पर रखी गई थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखती हूं।

नगर महापालिका, मेरठ चुंगी नियमावली, 1985†

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नगर विकास अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या 2605-बी/11-9-86-एम-8(4)-85, दिनांक 27 मार्च, 1986 के साथ प्रकाशित नगर महापालिका, मेरठ चुंगी नियमावली, 1985 जो विलम्ब के कारणों सहित, दिनांक 10 मार्च, 1987 को सदन के पटल पर रखी गई थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सभा के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखती हूं।

---

†छापी नहीं गयीं।

राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय का उत्तर

श्री उपाध्यक्ष–

प्रिय अध्यक्ष महोदय, आपके पत्र संख्या 1347/वि0स0/संसदीय/18/सं/87, दिनांक 26 मार्च, 1987 के लिये धन्यवाद ।

आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी अपना धन्यवाद देना चाहूंगा । सादर भवदीय, मोहम्मद उस्मान आरिफ ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश विनियोग (1986-87 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 मार्च, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 12 मार्च, 1987 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 मार्च, 1987 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 मार्च, 1987 के उपवेशन में पारित किया था जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 12 मार्च, 1987 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 मार्च, 1987 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 मार्च, 1987 के उपवेशन में पारित किया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 मार्च, 1987 की बैठक में पारित किया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 मार्च, 1987 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 मार्च, 1987 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 मार्च, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 मार्च, 1987 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 मार्च, 1987 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

(समय 6 बजकर 20 मिनट पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 मार्च, 1987 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 मार्च, 1987 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 मार्च, 1987 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 मार्च, 1987 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 मार्च, 1987 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 मार्च, 1987 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का छठवां अधिनियम बन गया।

कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि कुष्ठ रोगी (उत्तर प्रदेश निरसन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 1 अप्रैल, 1986 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 सितम्बर, 1986 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 22 अप्रैल, 1987 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 188 के उत्तर के सम्बन्ध में वक्तव्य

(शिक्षा मंत्री के खड़े होकर वक्तव्य पढ़ा जाना आरम्भ करने पर) [*]

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

यह प्रकरण विधान सभा के द्वितीय सत्र (1985) के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 188 का शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया प्रक्रिया संबंधी करण के करण संख्या–219 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना से संबंधित है ।

उक्त प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी से प्राप्त उत्तर के आधार पर था । माननीय श्री भगवान दीन कुशवाहा द्वारा दिये गये तथ्यों की सूचना प्राप्त होने पर इस प्रकरण की स्थलीय जांच संयुक्त सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् के द्वारा पुनः करायी गयी तथा यह तथ्य जानकारी में आये कि प्राइमरी पाठशाला, कोलवा, विकास क्षेत्र रूदौली, जनपद बाराबंकी में कोई प्रधानाध्यापक कार्यरत न होने के कारण सहायक अध्यापक श्री हरी प्रसाद पाण्डेय, इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत थे । उन्होंने श्री राम बरन, जो एक निरक्षर व्यक्ति है के नाम एक फर्जी टी0 सी0 दिनांक 29-8-84 को निर्गत किया जिसमें श्री राम बरन को कक्षा–2 में पढ़ना दिखाया गया उनके पिता का नाम श्री गया लाल अंकित है (जबकि श्री राम बरन के पिता का वास्तविक नाम श्री सालिक है) श्री राम बरन की जन्म तिथि 4-8-57 लिखी गयी है जिसके अनुसार जांच की तिथि से उनकी आयु 29 वर्ष होती थी किन्तु वास्तव में मतदाता सूची के अनुसार उनकी अनुमानित आयु 36 वर्ष थी । निष्कर्ष के रूप में जांच से यह तथ्य पूर्णतया साबित होता है कि उक्त अध्यापक श्री हर प्रसाद ने किसी षड़यन्त्र के अन्तर्गत जालसाजी करके उक्त टी0 सी0 जारी किया है ।

तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी ने उक्त शिक्षा क्षेत्र की तत्कालीन सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका की जांच आख्या के आधार पर संबंधित प्रश्न का उत्तर दिया । उन्होंने तत्कालीन उप विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी श्री डी0 के0 मित्रा एवं अपर उप विद्यालय निरीक्षक श्री एस0 एस0 माथुर को स्वयं जांच करने के आदेश दिये थे, किन्तु इन दोनों अधिकारियों ने स्वयं प्रकरण की जांच न करके सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका (श्रीमती गायत्री सिंह) की जांच आख्या को प्रेषित किया, जिससे सही तथ्य प्रकाश में नहीं आ सके । इसके लिए श्रीमती सिंह सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि के आदेश दिये गये है तथा तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, श्री अनन्त प्रसाद चौधरी, तत्कालीन उप विद्यालय निरीक्षक श्री डी0 के0 मित्रा तथा अवर उप विद्यालय निरीक्षक श्री एस0 एस0 माथुर को कड़ी चेतावनी दे दी गयी है ।

नोटः–[*] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री हर प्रसाद पाण्डेय, तत्कालीन इंचार्ज, प्रधानाध्यापक कोलवा को उक्त फर्जी टी0 सी0 निर्गत करने, विद्यालय के अभिलेखों में हेराफेरी करने और महत्वपूर्ण कागजात गायब करने के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश दिनांक 15-12-86 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है। उक्त फर्जी टी0 सी0 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा अपनी विज्ञप्ति दिनांक 23-1-87 द्वारा निरस्त किया जा चुका है, जिसकी प्रतिलिपि दैनिक स्वतंत्र भारत, लखनऊ को भी विज्ञापित किये जाने हेतु प्रेषित की गयी है।

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय, आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय, आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987†

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इनको इसे रखने की अनुज्ञा न दी जाए क्योंकि आधे प्रदेश में चुनाव हो गए हैं आधे प्रदेश में नहीं हुए हैं। इनको इसके लिए इतना समय न दिया जाए। केवल दो तीन महीने का समय दें ताकि उसमें यह चुनाव करा सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो यह अनुज्ञा मांग रहे हैं पेश करने के लिए, जब पारित हो उस समय आप कहिए।

---

†दिनांक 26 जून, 1987 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरः स्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरः स्थापित करता हूं ।

प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में निरन्तर बढ़ते हुए घाटे और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के सम्बन्ध में संकल्प...

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अशोक वाजपेयी जी, आप इस पर दो लाइन बोल लीजिये । इस पर चर्चा जारी रहेगी ।

श्री अशोक वाजपेयी—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उपक्रम निरन्तर घाटे पर जा रहे हैं और इनका घाटा बढ़ता ही जा रहा है जिसका बोझ इस प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है । मान्यवर, प्रतिदिन इन निगमों से लगभग डेढ़ करोड़ राजस्व की हानि प्रदेश की जनता को हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष—

यह चर्चा जारी रहेगी ।

कार्यसूची की मद संख्या 30 को कार्य मंत्रणा समिति को निर्दिष्ट किये जाने की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मद संख्या 30 पर असरकारी संकल्पों को प्रस्तुत करने का विषय कार्य मंत्रणा समिति को निर्दिष्ट किया जाता है ।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे मिलेंगे ।

इसके बाद सदन 6 बजकर 24 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
22 जून, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अ0 सू0 ता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 4 पर)

परिशिष्ट-क

कलास्नातक के लिए अध्यादेश

(त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम)

1—बी0 ए0 उपाधि के लिये पाठ्यक्रम तीन शिक्षा सत्रों का होगा ।

2—इस परीक्षा में तीन खण्ड होंगे—प्रथम खण्ड, द्वितीय खण्ड तथा तृतीय खण्ड ।

3—नियमित पाठ्यक्रम का एक शिक्षा सत्र तक अध्ययन करने के पश्चात ही कोई छात्र उस वर्ष की प्रथम खण्ड की बी0 ए0 परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा । कोई भी छात्र बी0 ए0 प्रथम खण्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करके और कम से कम एक वर्ष तक बी0 ए0 द्वितीय खण्ड की परीक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के पश्चात उस वर्ष की द्वितीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा । बी0 ए0 द्वितीय खण्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करके और कम से कम एक वर्ष तक बी0 ए0 तृतीय खण्ड की परीक्षा के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम का कम से कम एक वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात ही कोई छात्र उस वर्ष की बी0 ए0 तृतीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा ।

4—अनिवार्य प्रतिशत की उपस्थिति को पूर्ण कर लेने के पश्चात् बी0 ए0 प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय खण्ड की परीक्षा में सम्मिलित न हो सकने वाले अथवा इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण न कर सकने वाले को छात्रों को कक्षा उपस्थिति के बिना आगामी वर्ष की परीक्षा में पुन: सम्मिलित होने की अनुमति होगी, किन्तु इसके लिये यह आवश्यक होगा कि इस परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये दिया गया प्रार्थना पत्र कला संकाय के अधिष्ठाता द्वारा अनुमोदित हो तथा अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की छात्र सूची में बना रहे ।

यह प्रतिबन्ध है कि बी0 ए0 प्रथम, तथा तृतीय खण्डों की परीक्षाओं में छात्रों को किसी ऐसे विषय में उपस्थिति के बिना सम्मिलित होने की अनुमति तभी प्रदान की जायेगी जब वे सम्बद्ध विभागाध्यक्ष अथवा सम्बद्ध संस्था के प्राचार्य का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे जिस वर्ष की परीक्षा में उपस्थिति के बिना सम्मिलित होना चाहते हैं उस वर्ष उन्होंने अनिवार्य प्रयोगात्मक कार्य पूर्ण कर लिया है ।

यह भी प्रतिबन्ध है कि बी0 ए0 प्रथम खण्ड की परीक्षा में सर्वप्रथम सम्मिलित न हो सकने अथवा उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सकने के तीन वर्ष पश्चात् किसी छात्र को बी0 ए0 प्रथम खण्ड की परीक्षा में उपस्थिति के बिना सम्मिलित होने की सुविधा न प्रदान की जायेगी ।

5—बी0 ए0 में प्रवेश प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा योजना में निर्धारित तीन विषयों तथा एक अनिवार्य विषय का चयन करना अनिवार्य होगा ।

प्रतिबन्ध यह होगा कि बी0 ए0 तृतीय खण्ड की परीक्षा के लिये अभ्यर्थी को बी0 ए0 प्रथम तथा द्वितीय खण्डों में अधीन दो विषयों का चयन करना होगा साथ ही उसे परीक्षा योजना में निर्धारित (आधारभूत) पाठ्यक्रम का भी चयन करना होगा । प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य विषयों में से किसी एक विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा किन्तु इस विषय के प्राप्तांकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये निर्धारित उत्तीर्ण में अथवा श्रेणी निर्धारण में सम्मिलित न किया जायेगा :

1—सामान्य अंग्रेजी
2—सामान्य हिन्दी
3—सामान्य संस्कृत
4—सामान्य मराठी
5—सामान्य बंगाली
6—सामान्य उर्दू
7—सामान्य तमिल

6—अनिवार्य विषय की परीक्षा में अभ्यर्थी किसी भी वर्ष में सम्मिलित हो सकता है । उसे बी0 ए0 तृतीय खण्ड प्रवेश तो प्राप्त हो सकता है किन्तु जब तक वह अनिवार्य विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता तब तक वह उपाधि का अधिकारी न होगा । अनिवार्य विषय के प्राप्तांक उपाधि परीक्षा के श्रेणी निर्धारण में सम्मिलित न किये जायेंगे । प्रतिबन्ध यह होगा कि किसी भी ऐसे छात्र को अनिवार्य विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान न की जायेगी जिसकी उपस्थिति उस विषय की कक्षा में 75 प्रतिशत से कम होगी । यह उपस्थिति एक शिक्षा सत्र से अधिक अनिवार्य न होगी ।

7—श्रेणी निर्धारण बी0 ए0 प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय खण्डों के संयुक्त परीक्षाफलों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर होगा ।

8—परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नाम तीन श्रेणियों में विभाजित होंगे । 60 प्रतिशत तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रथम श्रेणी में रखे जायेंगे । 48 प्रतिशत तथा उससे अधिक अंक परन्तु 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी द्वितीय श्रेणी में रखे जायेंगे । 36 प्रतिशत से अधिक तथा 48 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित होंगे और उन्हें तृतीय श्रेणी में रखा जायेगा । उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया जायेगा । प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को गुणवत्ता के क्रम में रखा जायेगा तथा द्वितीय और तृतीय श्रेणियों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को वर्णानुक्रम में रखा जायेगा ।

9—प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय खण्डों की परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होने के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक विषय में पूर्णांक के 33 प्रतिशत तथा सम्पूर्ण अंकों के 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे ।

10—बी0 ए0 प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय खण्ड की परीक्षाओं में कम से कम 25 प्रतिशत तथा अन्य दो विषयों में से प्रत्येक में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को कक्षा में उपस्थिति के बिना उस विषय में पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसमें वह अनुत्तीर्ण है । पूरक परीक्षा में सफल होने पर उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा । इन अभ्यर्थियों को भी पूरक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी, किन्तु उनकी उपाधियों में यह उल्लेख कर दिया जायेगा कि वे जिस विषय में अनुत्तीर्ण हुए थे उस विषय की पूरक परीक्षा के आधार पर वे उत्तीर्ण घोषित किये गये है । सामान्य अंग्रेजी की पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उन छात्रों को प्रदान की जा सकती है, जिन्होंने बी0 ए0 और बी0 एस-सी0 उपाधि (पास अथवा आनर्स) अथवा बी0 काम0 उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है किन्तु सामान्य अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गये है ।

11—जिस अभ्यर्थी को किसी ऐसे विषय में पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य घोषित किया गया है जिसमें लिखित तथा प्रयोगात्मक दोनों प्रकार की परीक्षायें है उसे पूरक परीक्षा में लिखित तथा प्रयोगात्मक दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ेगा चाहे उसने वार्षिक परीक्षा में लिखित अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण क्यों न कर ली हो । किसी अनिवार्य विषय में पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उन छात्रों को दी जा सकती है जिन्होंने बी0 ए0 उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, किन्तु अनिवार्य विषय में अनुत्तीर्ण हो गए है ।

टिप्पणी :—यह अध्यादेश यथावत् बी0 एस-सी0 (त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम) बी0 काम0 (त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम) और बी0 एस-सी0 (गृह विज्ञान) (त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम) पर भी लागू होंगे ।

परिशिष्ट 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

अपराधिक इतिहास कर्मजीत सिंह

क्रम-सं0	मुकदमा अपराध संख्या तथा धारा	घटना/सूचना
1	86/80 धारा 307 भा0दं0वि0	13-4-80/13-4-80
2	308/83 धारा 435/504 भा0दं0वि0	15-12-83/16-12-83
3	309/83 धारा 452/323/307 भा0दं0वि0	15-12-83/16-12-83
4	87/80 धारा 147/148/323/307 भा0दं0वि0	13-4-80/14-4-80
5	548/85 धारा 379 भा0दं0वि0, 4/10 वृ स0अधि0।	28-10-85/30-12-85
6	312/86 धारा 295/504/506 भा0दं0वि0	7-9-87/8-9-87
7	314/86 धारा 147/352/504/506 भा0दं0वि0	6-9-86/10-9-86
8	7/87 धारा 395/364 भा0दं0वि0	4-1-87/6-1-87
9	41/84 3/4 गुण्डा एक्ट	15-2-84

अपराधिक इतिहास हन्सराज पाण्डेय

क्रम-सं0	मुकदमा अपराध संख्या तथा धारा	घटना/सूचना
1	235/85 धारा 429 भा0दं0वि0	27-7-85/28-7-85
2	141/84 धारा 379 भा0दं0वि0 4/10 बृ0उ0 अधिनियम।	19-5-84/27-5-84

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 79 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

प्राथमिक शिक्षक संघ उन्नाव की मांगे

1–वेतन वितरण की व्यवस्था शासनादेश के अनुसार निश्चित तिथि तक किया जाय ।

2–प्रधान शिक्षक प्रा0 पा0 की वेतन विसंगति दूर की जाय ।

3–सहायक अध्यापक जू0 हा0 स्कूल की इण्टर व नान इण्टर की विसंगति दूर की जाय।

4–स0 अ0 प्रा0 पा0 के हा0 स्कूल व नान हाई स्कूल की विसंगति दूर की जाय ।

5–ज्येष्ठता सूची अविलम्ब प्रकाशित की जाय।

6–जू0 हा0 स्कूल की प्रधान शिक्षकों के रिक्त पदों को तुरन्त भरा जाय।

7–प्रा0 पा0 के प्रधान शिक्षकों की प्रोन्नति जू0 हा0 स्कूल के स0 शि0 के पदों पर की जाय।

8–जू0 हा0 स्कूलों में विज्ञान व संस्कृत शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाय ।

9–प्रधान शिक्षक प्रा0 पा0 रिक्त पदों को भी अविलम्ब भरा जाय।

10–स0 अ0 के रिक्त पदों पर नियुक्तियां तुरन्त की जाय।

11–भविष्य निधि का लेखा जोखा प्रमाण किया जाय तथा सेवा पुस्तिकाओं की प्रविष्टियां अविलम्ब पूर्ण कराई जाय।

12–शिक्षकों के आश्रितों का चयन अविलम्ब किया जाय।

13–नियोजित परिवार वाले शिक्षकों को शासन द्वारा दी गई प्रोत्साहन वेतन-वृद्धि अविलम्ब लगाई जाय।

14–जनपद के समस्त शिक्षकों की वेतन वृद्धि तिथि प्रकाशित की जाय।

15–स0 अ0 प्रा0 पा0 के 8 व 10 के अन्दर का भुगतान किया जाय।

16–प्रधान शिक्षक व सहायक शिक्षक जू0 हा0 स्कूल तथा प्रधान शिक्षा के सहायक शिक्षक प्रा0 स्कूल के चयन वेतनमान का भुगतान तुरन्त किया जाय।

17–संस्कृत शिक्षकों को भी सहा0 शिक्षक जू0 हा0 स्कूल की वरिष्ठता सूची में यथा स्थान समायोजित किया जाय।

18–मृत एवं अवकाश प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के समस्त देयों का भुगतान किया जाय।

19–36 प्रति0 महंगाई भत्तों की किस्तों के बाद अब तक की बढ़ी हुई महंगाई के अवशेषों का भुगतान किया जाय।

20–नवम्बर, 86 के बढ़े हुए 4 प्रति0 महंगाई भत्ते के अवशेष का भुगतान किया जाना।

21–सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन का भुगतान बैंकों के माध्यम से प्रतिमाह कराया जाय ।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

मलूकपुर काण्ड के सम्बन्ध में प्राप्त मण्डलायुक्त बरेली की जांच आख्या के निष्कर्ष

1—यदि दिनांक 18-9-86 को तत्काल भीड़ को तितर-बितर करने की पुलिस कार्यवाही न की गई होती तो घटना और गम्भीर रूप धारण कर सकती थी। इसमें पुलिस द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करना औचित्यपूर्ण था।

2—मलूकपुर में मूर्ति स्थापित करने की घटना में पुलिस चौकी मलूकपुर पर तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों एवं वहां पर तैनात पी0 ए0 सी0 प्लाटून की भूमिका उचित नहीं पाई गई। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से इन कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कड़ी कार्यवाही करने के लिए विभागीय जांच करने की संस्तुति की गई है।

3—सम्पूर्ण प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही औचित्यपूर्ण थी और किसी एकाकी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार अथवा पद के दुरुपयोग की स्थिति नहीं पाई गई।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 110 का उत्तर पीछे पृठ 74 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित श्री कल्यान सिंह द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न-संख्या–110 का संलग्नक ।

———

श्री सुन्दर लाल दीक्षित पूर्व विधायक हैदरगढ़ द्वारा दिनांक 25-10-86 को दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र पर प्रस्तरवार आख्या ।

———

प्रस्तर–1

थानाध्यक्ष के ऊपर कथित फर्जी मुठभेड़ के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप के बारे में जांच करायी गयी। जांच से यह पाया गया कि संबंधित थानाध्यक्ष को यह ज्ञात हुआ था कि दिनांक 6-4-86 को रात्रि में ग्राम जयचन्द मऊ के बाबूलाल रैदास के घर पर कुछ बदमाशों द्वारा अफीम लूटे जाने की सम्भावना है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ उक्त गांव पहुंच गये। पुलिस बल के चेतावनी देने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया जिसमें पुलिस दल का नेतृत्व कर रहे थानाध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य घायल हो गये। बचाव में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने पर दो बदमाश मारे गये व अन्य 8 व 9 भागने में सफल हो गये। इस मामले में विवेचना प्रचलित है। अब तक जांच से व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुठभेड़ फर्जी होने के कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आये। इस मामले की मजिस्टीरियल जांच भी की जा रही है।

प्रस्तर–2

ग्राम जैराज के निवासिनी श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री श्याम बिहारी उर्फ झगड़ालू की हत्या के सम्बन्ध में कार्यवाही न किये जाने के आरोप के सम्बन्ध में जांच की गयी। इस मामले में क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ द्वारा विवेचना की गयी। विवेचनोपरान्त अंतिम रिपोर्ट दिनांक 17-10-86 को प्रेषित की गयी है।

प्रस्तर–3

ग्राम मोलाबाद में दिनांक 17-5-86 को शीशम के पेड़ काटे जाने के आरोप में सम्बन्ध में जांच से 8 शीशम के पेड़ काटे जाने की पुष्टि नहीं हुई।

प्रस्तर–4

श्री जय प्रकाश उर्फ मुन्ना के अपहरण करने की सूचना पर थानाध्यक्ष द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के आरोप के सम्बन्ध में जांच से पाया गया कि दिनांक 12-6-86 को श्री जय प्रकाश के पिता ने थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में विवेचना शुरू की गई। इसी मध्य दिनांक 21-7-86 को पुनः वादी ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि जय प्रकाश का अपहरण करके हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर मु0अ0सं0-114/86 धारा 364/302 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया। मामला विवेचनाधीन है।

प्रस्तर–5

इस प्रस्तर में लगाये गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए ।

प्रस्तर–6

श्री दीक्षित का यह आरोप कि दिनांक 29-8-86 की सायंकाल श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय के हत्यारों द्वारा थाने में बैठकर हत्या का षड़यन्त्र रचा गया जांच से प्रमाणित नहीं हुआ ।

प्रस्तर–7

थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण लोनी कटरा से कर दिया गया है, जो थानाध्यक्ष, सफदरगंज के पद पर दिनांक 5-2-87 से कार्यरत है।

विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0 142 का उत्तर पीछे पृष्ठ 89 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित डा0 दिनेश जौहरी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के उत्तर का संलग्नक

क्रमांक	नाम	पद	निवास स्थान
1	2	3	4
1	डा0 दिलीप कुमार	सहायक निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा	वाराणसी
2	डा0 के0पी0 सिंह	उपाचार्य, प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग ।	सुल्तानपुर
3	डा0 रुदल प्रसाद यादव	उपाचार्य, प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग	गोरखपुर
4	डा0 एच0एस0 श्रीवास्तव	आचार्य, प्लान्ट साइन्स विभाग	दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा) ।
5	डा0 (कु0) बीना शाह	उपाचार्य, शिक्षा संकाय	नैनीताल
6	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह	प्राध्यापक, विधि संकाय	वाराणसी
7	डा0 शौकत अली	उपाचार्य, विधि संकाय	देवरिया
8	डा0 नरेन्द्र प्रताप सिंह	प्राध्यापक, शिक्षा संकाय	सुल्तानपुर
9	डा0 एस0सी0 गोयल	आचार्य, हनिमल साइन्स विभाग (अभी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है)	पूना विश्वविद्यालय, पूना ।
10	डा0 एन0बी0 सिंह	उपाचार्य, ऐनिमल साइन्स विभाग (अभी कार्यभार ग्रहणनहीं किया है)	गोरखपुर
11	श्री वेद प्रकाश	ड्राइवर (तदर्थ नियुक्ति)	गोरखपुर

सै0 सिब्ते रजी,
शिक्षा मन्त्री ।

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 155 का उत्तर पीछे पृष्ठ 94 पर)

आरोप-पत्र

1—जब से श्री सी0 पी0 तिवारी इस जनपद में योगदान किये हैं यहां के कर्मचारियों पर आतंक पैदा कर दिये हैं। इसका शासकीय कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कार्य प्रणाली दोष पूर्ण होने के कारण आये दिन ठेकेदार गाली गलौज करते रहते हैं। हर कर्मचारी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है।

2—श्री तिवारी आते ही कर्मचारियों से बेगार लेना शुरू कर दिये। प्राय: किसी न किसी अवर अभियन्ता को कोई घरेलू सामान लेकर बंगले पर बुलाते रहते हैं। जैसे घर की बिजली ठीक करवाना, वी0 सी0 आर0 मंगवाना, घर का राशन मंगवाना, बच्चों का ड्रेस बनवाना, बच्चों का एडमीशन कराना, कापी किताब खरीदवाना, कार तथा स्कूटर का मरम्मत एवं पेट्रोल भरवाना, लखनऊ एवं बनारस के दौड़े पर किसी न किसी अवर अभियन्ता को इस आशय से ले जाना कि वह रास्ते एवं फाईव स्टार होटलों का खर्चा उठायेगा।

3—अगर कोई अवर अभियन्ता इनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाता है तो उसके खिलाफ अनावश्यक पत्राचार प्रारम्भ कर देते हैं, जैसे कठोर चेतावनी सेंसर एवं सस्पेंशन के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखना, सी0 आर0 खराब कर देने की धमकी देना।

4—इसके अलावा श्री तिवारी कार्यस्थल एवं आफिस में कर्मचारियों पर आतंक पैदा करने के लिए बिना किसी गलती के अपने घरेलू नौकर की तरह डांटते रहते हैं। इनकी कार्य प्रणाली एवं व्यवहार दोषपूर्ण होने के कारण ही कार्यों की प्रगति एकदम ठप सी हो गई है।

5—राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के स्कूल भवनों का कार्य दरवाजे खिड़की जैसे छोटे-छोटे सामानों के समय पर न मिलने के कारण कभी-कभी रोक देना पड़ता है।

6—कार्यस्थल पर तरह तरह का विवाद उत्पन्न कर देते हैं तथा किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने के लिए मौखिक रूप से बिना प्राक्कलन स्वीकृत किये दबाव डालते हैं तथा कार्य प्रारम्भ हो जाने के बाद प्राक्कलन स्वीकृत करने एवं भुगतान करते समय ठेकेदार को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसी स्थिति में ठेकेदार अवर अभियन्ता से अपना पैसा मांगते हैं तथा अवर अभियन्ताओं द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर गाली गलौज एवं मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कार्य कराने के बाद एस्टीमेट, वर्क आर्डर तथा एग्रीमेंट में से रेट काट दिये जाते हैं।

7–प्राक्कलन की स्वीकृति में विलम्ब होने के कारण अनुबन्ध की कार्यवाही होने में तथा दर स्वीकृति के अभाव में कार्यादेश होने में काफी विलम्ब होता है। आर0 एल0, ई0 जी0 पी0 जैसे महत्वपूर्ण केन्द्रीय योजना के प्राईमरी पाठशाला भवनों का प्राक्कलन तीन बार इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पहले बेलदार का रेट 13 रुपया बताया फिर 16 रु0 बताया गया अन्त में 11.50 रुपये रेट लगाकर प्राक्कलन बनाया गया किसी भी प्राक्कलन में एक ही बार आब्जेक्शन न लगाकर बार-बार आब्जेक्शन लगाया जाता है।

8–ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मानक विश्लेषण के आधार पर कार्य करता है लेकिन श्री तिवारी द्वारा इस मानक विश्लेषण को गलत कहा जाता है और भवन के कार्य में वाटर चार्ज तथा स्केफोल्डिंग प्राक्कलन से काट दिया जाता है।

9–बिल्डिंग हैंडओवर करने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता की होती है क्योंकि बजट अधिशासी अभियन्ता को ही प्राप्त होता है और उन्हीं के निर्देशानुसार कार्य कराया जाता है । लेकिन बिल्डिंग हैंडओवर करने के लिए अवर अभियन्ता तथा ठेकेदार को तरह-तरह से परेशान किया जाता है।

10–आठ दस अवर अभियन्ताओं की सर्विस बुक, दक्षतारोक पार कराने हेतु उपखण्ड से प्रखण्ड में माह जुलाई, 86 में भेजा गया था लेकिन अप्रैल, 87 तक वह अभी प्रखण्ड में ही पड़ी हुई है तथा दक्षता रोक पार नहीं कराया गया।

11–माप पुस्तिकाओं को अनावश्यक रूप से तीन-तीन महीने तक रोक लिया जाता है तथा माप पुस्तिकायें क्लोज कर ली जाती हैं।

12–सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के उपलब्ध होने पर भी बिना साथ लिए अकेले साईट का निरीक्षण दुर्भावनापूर्ण ढंग से करते हैं।

13–सिद्धौर स्टोर का ताला अवर अभियन्ता की अनुपस्थिति में तोड़ा गया।

14–रिपेयर के काम के लिए नौ लाख रुपये का बजट विभाग को मिला था तथा यह कार्य मार्च माह में ही पूर्ण कराया जाना था लेकिन प्राक्कलन स्वीकृत होने में विलंब होने के कारण कार्य आज तक शुरू ही नहीं कराया जा सका।

15–इफ्तेखार अली अवर अभियन्ता ने अधिकारियों को लिखित रूप से अवगत कराया है कि ठेकेदार चूना सुर्खी में बालू मिला रहा है मना करने पर मान नहीं रहा है। लेकिन इसके बाद भी अधीक्षण अभियन्ता से साईट पर दौड़ा कराकर उन्हें सेंसर कराया गया ।

16–तिवारी जी से पूर्व सभी अधिशासी अभियन्ता माह में एक बार अवर अभियन्ताओं की बैठक बुलाते थे तथा उनसे परेशानियों को पूछ कर दूर करने का प्रयास करते थे लेकिन श्री तिवारी आज तक एक भी मीटिंग नहीं बुलाये।

17–जिन कार्यों को उच्च अधिकारी देखकर प्रशंसा करके जाते हैं उन्हीं कार्यों पर श्री तिवारी द्वारा बाद में कमियां निकाली जाती हैं। अफगानिस्तान के टेकनिकल एक्सपर्ट मिस्टर शीफा सिद्धौर विकास खण्ड के जिन कार्यों को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए थे उन्हीं कार्यों में श्री तिवारी द्वारा कमियां निकाली जाती हैं।

18–बार-बार कहने के बाद भी अधिशासी अभियन्ता द्वारा सर्विस बुक ठीक नहीं कराया गया तथा आडिट आब्जेक्शन लगने के बाद भी सर्विस बुक पूर्ण नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण रंगीले प्रसाद एवं डी0 एन0 वर्मा का तीन वर्ष का इंक्रीमेंट नहीं लगा।

19–श्री तिवारी ने अतिरिक्त जिलाधिकारी परियोजना से कहा था कि आप मेरे विभाग को बजट नहीं दे रहे हैं मैं चाहूं तो आपके दफ्तर में पैसा देकर बजट ले जा सकता हूं। इस वार्ता के बाद मजिस्ट्रियल अधिकारी बहुत नाराज हुए थे। यही कारण है कि विभाग आज भी बजट से वंचित है। पिछले वर्ष इसी डिवीजन द्वारा 1.5 करोड़ का कार्य कराया गया था इसी वर्ष मात्र 40 लाख का कार्य कराया गया है।

20–डीप लीटर आउस मसौली के ठेकेदार ने श्री तिवारी से सम्पर्क कर कार्यस्थल के विषय में एवं वहां के डाक्टर तथा डी0 एल0 ओ0 के विषय में बताया था उस ठेकेदार से तिवारी जी ने कहा कि काम मैंने दिया है, डी0 एल0 ओ0 और डाक्टर कौन होते हैं जगह बदलने वाले, यदि साईट पर दिखाई दें तो मार कर खदेड़ देना। उसके बाद ठेकेदार ने कार्यस्थल पर जाकर डाक्टर एवं डी0 एल0 ओ0 से काफी कहा सुनी किया। इस तरह का व्यवहार प्रथम श्रेणी के अधिकारी की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इसी वजह से आज स्थिति यह हो गयी है कि जिले के अधिकारी इनके व्यवहार से त्रस्त होकर अपना विभागीय बजट वापस लेने की कार्यवाही कर रहे हैं।

21–अपने घर बुलाकर ऊट-पटांग बातें किया करते हैं एक दिन श्री आदित्य प्रसाद यादव सहायक अभियन्ता के सामने मुझे अपने

(क) घर बुलवाये तब मैंने इनसे पूछा कि "सुना है सुरेश ठाकुर अवर अभियन्ता को आपने सस्पेंड करा दिया" तब इन्होंने कहा "सस्पेंड हो जायं तो बवाल टले।"

(ख) मैंने श्री तिवारी से कहा कि "साहब आप अनावश्यक सबको परेशान क्यों करते हैं तब इन्होंने कहा कि जैसे कोतवाल स्मगलरों को साल भर छूट दिये रहता है तथा साल में दो-चार केस अपनी इज्जत बचाने के लिए देना पड़ता है लेकिन स्मगलर बुरा नहीं मानते। इसी तरह आप लोगों को भी बुरा नहीं मानना चाहिए।

(ग) इसके थोड़ी देर के बाद इन्होंने कहा कि आफिस में तो मैं अधिकारी हूं कोई जे0 ई0 सड़क पर मुझसे टकराये तो मैं उससे निपटूं।

22–श्री तिवारी ने अपने गांव रढ़िया, जिला-चम्पारन बिहार प्रदेश के अपने पुस्तैनी नाई श्री प्रेम ठाकुर को दाढ़ी बनवाने के लिए चपरासी के पद पर नियुक्त किया है तथा श्री सत्य नारायण शुक्ला की नियुक्त बिना रोजगार कार्यालय से नाम मांगे तथा बिना चयन समिति के अनधिकृत रूप से किया गया है।

23—श्री तिवारी अपने वर्तमान निवास राजकीय कालोनी के सात नम्बर फ्लैट के ऊपर विभागीय स्टोर के सामानों से एक अतिरिक्त कमरे का निर्माण करवाये हैं। राजकीय कालोनी के इन्चार्ज सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता एक पत्र लिखकर अवगत कराये कि राजकीय क्वाटर्स में आप कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं करा सकते हैं अतः इसको आप तोड़वा दीजिए लेकिन श्री तिवारी ने आज तक उसको न तोड़वाया।

24—श्री तिवारी अवर अभियन्ताओं पर चंदा लगाकर एक जीप बनवाये हैं जिसका नम्बर डी0 ई0 डी0 7763 है। इनका कहना है कि यह जीप ग्राम्य विकास मंत्री श्री श्याम सूरत उपाध्याय की है। जो अवर अभियन्ता इसको ठीक करवाने के लिए चन्दा नहीं देगा उसका श्री सी0 आर0 खराब कर दिया जायेगा।

25—श्री तिवारी ने शासनादेश का उल्लंघन करके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का कार्य करने वाले श्रमिकों को मात्र एक रुपया नकद देकर शेष गेहूं का भुगतान किया है। जबकि 5.50 रुपया नकट तथा चार किलो गेहूं की दर से भुगतान करना चाहिए था।

26—बाराबंकी से पहले श्री तिवारी गोंडा, देवरिया तथा रायबरेली जनपदों में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहे हैं उक्त सभी जनपदों में अवर अभियंताओं ने इनसे क्षुब्ध होकर आन्दोलन किया था यहां तक कि अनशन भी करना पड़ा था, उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से लिखित समझौते के बाद ही आन्दोलन वापस किया गया था। उन समझौतों में एक बिन्दु यह भी था कि श्री तिवारी अपने व्यवहारों एवं कार्य प्रणाली में सुधार करेंगे लेकिन सुधार होने की बजाय और खराब ही हो गया तथा ये जिन-जिन भी जनपदों में रहे हैं वहां प्रगति मंद जरूर हो गई है।

27—श्री तिवारी का सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पद पर तदर्थ प्रोन्नति हुई थी तथा इसके बाद रेगुलर करने के लिए तीन मीटिंगे भी हो चुकी लेकिन ये रेगुलर न हो सके तथा तीसरी बार इनको रिवर्ट करने के लिए समिति द्वारा संस्तुति भी की गई है इसका कारण यह है कि इनका तीन साल का सी0 आर0 लगातार खराब है बताते हैं कि रायबरेली के डी0 एम0 श्री ओ0 पी0 आर्या तथा बनारस के अधीक्षण अभियन्ता श्री आर0 बी0 श्रीवास्तव ने बहुत ही भर्त्सनात्मक सी0आर0 इनकी लिखी थी।

28—इनके खिलाफ शिकायतों की लगभग पचास फाइलें टी0 ए0 सी0 मुख्य अभियन्ता कार्यालय एवं शासन में चल रही हैं जिसके आधार पर इनको सस्पेंड तथा रिवर्ट शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए तथा देवरिया में एक बार सस्पेंड भी हो चुके हैं।

29—श्री तिवारी ने रायबरेली में बिन्दु बाला श्रीवास्तव नामक लड़की को आफिस में नियुक्त किया था जिसके लिए वहां मार पीट हुई थी तथा कुछ दिन आफिस में ताला भी बन्द रहा अब उसको वहां से निकाल दिया गया है वह अक्सर इनके पास आती रहती है जिसकी वजह से इनके घर में भी कलह हुआ था इनके सम्बन्धों की जांच कराई जाय।